लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 46 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 30 मार्च, 1984/10 चैत्र, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 54, पंक्ति 2, "श्री सत्यनारायण पटिया" के स्थान पर "श्री सत्यनारायण जटिया" पढ़िये।

पृष्ठ 60, पंक्ति नीचे से 2, "56 3, श्री के०पी०एस०मणि" के स्थान पर "5633, श्री के०वी०एस०मणि" पढ़िये।

पृष्ठ 67, पंक्ति 18, "परिसार" के स्थान पर "परिसर" पढ़िये।

पृष्ठ 71, पंक्ति 5, "बिमा" के स्थान पर "बीमा" पढ़िये।

पृष्ठ 72, पंक्ति 5, "सोटों" के स्थान पर "शोटों" पढ़िये।

पृष्ठ 115, पंक्ति 1, "राच्य" के स्थान पर "राज्य" पढ़िये।

पृष्ठ 163, पंक्ति 14, "श्री अनन्त रामुलू मल्ल" के स्थान पर "श्री अनन्त रामुलु मल्लु" पढ़िये।

पृष्ठ 197, पंक्ति 9, "श्री जनार्दन पुजारी" के स्थान पर "श्री जनार्दन पुजारी पढ़िये।

पृष्ठ 212, पंक्ति 15 तथा 26, "श्री वी०वी०देशाई" के स्थान पर "श्री बी०वी० देसाई" पढ़िये।

पृष्ठ 223, पंक्ति 10, "चेकिंग" के स्थान पर "वैकिंग" पढ़िये।

पृष्ठ 224, पंक्ति 17, "एम०बी०" के स्थान पर "एम०वी०" पढ़िये।

पृष्ठ 228, पंक्ति 15, "5011" के स्थान पर "5811" पढ़िये।

पृष्ठ 229, पंक्ति 2, "श्रीमती उमा प्रकाश चौधरी" के स्थान पर "श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी" पढ़िये।

पृष्ठ 231, पंक्ति 8, "श्री विरदा राम फुलबारिया" के स्थान पर "श्री विरदा राम फुलवारिया" पढ़िये।

पृष्ठ 259, पंक्ति 10, "वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी" के स्थान पर "वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)" पढ़िये।

विषय-सूची

अंक 27, शुक्रवार 30 मार्च, 1984/10 चैत्र, 1906 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	...	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 487 से 489, 491 और 492	...	3—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या : 493 से 501 और 503 से 507	...	21—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5603 से 5611, 5613 से 5622, 5624 से 5629, 5631 से 5654, 5657 से 5677, 5679 से 5729, 5731 से 5735, 5737 से 5757, 5759 से 5771, 5773 से 5789, 5791 से 5796, 5798 से 5806, 5808 से 5824 और 5827 से 5837,	...	35—253
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	253—256
विधेयकों पर अनुमति	...	—257
लोक लेखा समिति	...	—258
185वां प्रतिवेदन		
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतानों के निलंबन के बारे में वक्तव्य	...	259—263
श्री प्रणव मुखर्जी		
जामनगर में बमों का लदान किए जाते समय उनके विस्फोट के बारे में वक्तव्य	...	—264
श्री के० पी० सिंह देव		

---

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
समिति के लिए निर्वाचन	...	265—268
चाय बोर्ड		
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
पाकिस्तान और चीन के बीच कथित नाभिकीय सहयोग मे उत्पन्न स्थिति		
श्री एम०राम गोपाल रेड्डी	...	269—272
श्री पी० वी० नरसिंह राव	...	269—281
श्री चिन्तामणि जैना	...	272—275
श्री राम विलास पासवान	...	275—278
श्री चित्त बसु	...	278—280
नियम 377 के अधीन मामले	...	281—283
(एक) हिमाचल प्रदेश में पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना की आवश्यकता		
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	...	—281
(दो) खाना पकाने की गैस के डीलरों द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में उच्च-स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता		
श्री चन्द्रपाल शैलानी	...	281—282
(तीन) कीयला खान श्रम कल्याण संगठन को कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाये जाने से पहले इसके कर्मचारियों की सेवा-शर्तों को अन्तिम रूप देने की आवश्यकता		
श्री अजित कुमार साहा	...	—282
(चार) उत्तर प्रदेश के स्कूलों तथा कालेजों के शिक्षकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता		
श्री हरिकेश बहादुर	...	—283

विषय		पृष्ठ
(पांच) श्रीलंका में तमिलों की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता		
श्री चित्त बसु	...	—283
(छः) कैसेटों की तस्करी को रोकने हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता		
श्री आर० पी० गायकवाड़	...	283—284
(सात) मंडल आयोग की सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता		
श्री चन्द्रजीत यादव	...	—284
अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1984-85		
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय		
श्री राम सिंह यादव	...	285—291
श्री बापू साहिब पठलेकर	...	291—293
श्री एन०के० शेजवलकर	...	293—303
श्री जमीलुर्रहमान	...	303—309
श्री विक्रम महाजन	...	310—311
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	...	—312
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 72वां प्रतिवेदन	...	—313
बेरोजगारी के संबंध में संकल्प		
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	314—318
श्री हरिकेश बहादुर	...	318—322
श्री चन्द्रपाल सैनानी	...	323—325
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	325—328
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	...	328—330

विषय		पृष्ठ
श्री अब्दुल रशीद काबुली	...	331—333
श्री अर्जुन सेठी	...	333 335
श्री राम विलास पासवान	...	336—338
डा० वी० कुलंनदई वेलु	...	339—341
श्री कमला मिश्र मधुकर	...	341—344
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	...	344—345
श्री सुन्दर सिंह	...	346—348

लोक सभा

शुक्रवार, 30 मार्च 1984/10 चैत्र 1906 (शक)

लोक सभा म०पू० 11:03 पर समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमन् 12 बजे आपको श्रीलंका की घटनाओं के बारे में कुछ करना चाहिए । समस्त वायु सेना का लोगों को मारने के लिए प्रयोग किया जा रहा है । निधन संबंधी उल्लेख में श्रीलंका के इन निर्दोष व्यक्तियों को भी शामिल करना चाहिये ।

———

11.03½ म० पू०

निधन सम्बन्धी उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों, अर्थात् लैफ्टिनेन्ट कर्नल कवंर दलेल सिंह और श्री शोभा राम के दु:खद निधन की सूचना देनी है ।

लैफ्टिनेन्ट कर्नन दलेल सिंह 1948-52 के दौरान संविधान सभा और अन्तरिम संसद के सदस्य थे । वे राजस्थान के प्रतिनिधि थे ।

उन्होंने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई । वे जयपुर और कोटा के भतपूर्व राज्यों में विभिन्न उच्च पदों पर रहे । वे 1947 में तत्कालीन कोटा राज्य के विदेश, राजनीति और सेना सम्बन्धी मामलों के प्रभारी मंत्री थे ।

लैफ्टिनेन्ट कर्नल कवंर दलेल सिंह का निधन 75 वर्ष की आयु में कोटा, राजस्थान में 8 मार्च, 1984 को हुआ ।

श्री शोभा राम 1952-62 में पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य थे । वे राजस्थान के अलवर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे । बाद में वे 1967-77 में राजस्थान विधान सभा के सदस्य बने और अपनी मृत्यु के समय वे इस सभा के सदस्य थे । वे कई वर्ष तक राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री थे और 1948-49 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बने एकीकृत राजस्थान सरकार के प्रथम यूनिट मत्स्य राज्य के मुख्य मन्त्री भी रहे ।

वे एक वयोवृक्ष सांसदिक थे तथा 1976 में राजस्थान विधान सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति थे ।

स्वयं एक कृषक होने के नाते उन्होंने खेतीहर मजदूरों के कल्याण में विशेष रुचि दिखाई ।

श्री शोभा राम का निधन 23 मार्च, 1984 को जयपुर में 70 वर्ष की आयु में हुआ ।

हम इन दोनों मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मेरा विश्वास है कि सभा भी मेरे साथ सन्तप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करेगी । सदस्य शोक व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़े हों ।

(तत्पश्चात् सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे ।)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमन्, श्रीलंका में मारे गए तमिल लोगों का क्या हुआ ? इस निधन सम्बन्धी उल्लेख में श्रीलंका में मारे गए लोगों को भी शामिल करना चाहिये । आपने ऐसा पहले भी किया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । अब हम प्रश्नों को लेते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीलंका में वायु सेना के द्वारा निर्दोष लोगों को जान से मार दिया । यह जनसंहार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं । आप इस प्रश्न को अब क्यों उठाते हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं अपनी बुद्धिमत्ता को घर छोड़ आया हूं । इस समय मैं इस मामले को लेकर बहुत दुःखी हूं । मेरे विचार में आप इस मामले को 12 बजे लेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन् इस सभा की एक परिपाटी है । लोक सभा में जब निधन सम्बन्धी उल्लेख किया जाता है तो सभा के नेता उपस्थित होते हैं और यह पहली लोक सभा से लेकर अब तक होता आया है । इस परिपाटी को मानना चाहिए ।

संसदीय कार्य, खेल और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) ; यह परिपाटी पर तब अमल होता है जब माननीय सदस्य वर्तमान सभा का सदस्य हो अथवा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो । परन्तु सामान्यतया इस परिपाटी पर अमल नहीं किया जाता ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री सरकार की ओर से है । अब हम प्रश्नों को लेते हैं । प्रश्न संख्या 487.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ान सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाएं

*487. **डा० वसन्त कुमार पंडित**:

श्री नारायण चौबे : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकों ने विमान चालकों को ईंधन की बचत संबंधी एक परिपत्र जारी किया है, जिससे नियमावली के अनुसार उड़ान भरने, विमान उतारने और उड़ान के समय सुरक्षा संबंधी विमान चालन प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इंडियन कमर्शियल पाइलट्स एसोशिएसन (आई० सी० पी० ए०) के सदस्यों को जारी किए गए परिपत्र की ओर दिलाया गया है ।

(ग) यदि यदि हां, तो "उड़ान सुरक्षा" के संबंध में उनका प्रबन्धकों के साथ किन मुख्य मुद्दों पर मतभेद है ; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति का समाधान करने के लिए जो उड़ान सुरक्षा के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नायर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खॉन) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने ईंधन की बचत के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं परन्तु जो प्रचालन के समय विमान की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की किसी भी प्रकार से उपेक्षा नहीं करते हैं ।

(ख) मन्त्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ (इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन) द्वारा इस प्रकार का कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

डा० वसन्त कुमार पंडित : श्रीमन्, माननीय मंत्री उड़ान सम्बन्धी नियमावली को जानते हैं जिसमें उड़ान भरने, विमान उतारने और उड़ान के समय सुरक्षा सम्बन्धी सिद्धांतों और प्रक्रियायें दी गई हैं । विमान चालकों के लिए बहुत से परिपत्र जारी किये जाते हैं । उड़ान की सुरक्षा के प्रश्न के साथ कुछ वैज्ञानिक बातें जुड़ी हैं । ईंधन की बचत के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं । इस सम्बन्ध में एक आखिरी परिपत्र जारी किया गया है । परन्तु विमान चालकों को एक के बाद एक परिपत्र मिल रहे हैं । माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि ईंधन की बचत सम्बन्धी अनुदेश समय समय पर जारी किये जाते हैं । क्या

आखिरी दो परिपत्र जो आपने जारी किये हैं वे ईंधन की बचत के सम्बन्ध में हैं ? यदि हां तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : जैसा मैंने कहा, परिपत्र विनिर्माताओं की सिफारिशों के आधार पर जारी किये जाते हैं । इन सिफारिशों की जांच हमारे ईंधन इंजीनियरी प्रभाग में भी की जाती है और हमारे तथा अन्य चालकों के अनुभव के आधार पर ये परिपत्र जारी किये जाते हैं । परन्तु अब ये परिपत्र जारी किये जाते हैं तो यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि ये परिपत्र नियमावली का अधिलंघन नहीं करेंगे ।

डा० बसन्त कुमार पंडित : मेरे प्रश्न के भाग (ख), (ग) और (घ) का उत्तर नहीं दिया गया है । इससे पता चलता है कि इंडियन एयरलाइन्स और विमान चालकों के संघ के बीच सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं । मुझे हैरानी है कि जिस परिपत्र का मैंने उल्लेख किया है उसका इंडियन एयरलाइन्स को पता ही नहीं है चूंकि मंत्री महोदय ने कहा है कि ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया । सभा की जानकारी के लिए मैं 12 फरवरी, 1984 के **इण्डियन एक्सप्रेस** से निम्नलिखित उद्धरत करता हूं :—

> "इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों ने प्रबन्धकों पर यह आरोप लगाया है कि वे उड़ान सुरक्षा के प्रति तुगलक-जैसा रवैया अपना रहे हैं और दुर्घटनाग्रस्त विमान चालकों के प्रति व्यवहार में अपने अधिकारों की सीमा को लांघ रहे हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय चार्टर उड्डानों के लिये विमान चालकों की ड्यूटी तय करने में सभी सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं । यदि उनका इरादा विमानचालकों को परेशान करने का है तो इससे उनका मनोबल गिरेगा और उनकी निष्ठा कम होंगी । भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने अपने सदस्यों को एक परिपत्र द्वारा चेतावनी दी है ।
>
> शुरू में, इस संघ ने स्वीकार किया है कि इंडियन एयरलाइन्स का सुरक्षा सम्बन्धी रिकार्ड अच्छा नहीं रहा है । संघ का कहना है कि दुर्घटनाओं और घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है । इसलिए संघ ने विमान चालक सदस्यों को निदेश दिया है कि वे प्रबन्धकों द्वारा सुझाये गये ईंधन बचत सम्बन्धी उपायों की परवाह न करें जिनसे उड़ान सम्बन्धी सुरक्षा खतरे में पड़े ।"
>
> चूंकि ये तथ्य मैंने माननीय मंत्री को बता दिये हैं, इसलिये मै इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा ।

श्री खुर्शीद आलम खां : माननीय सदस्य ने जो जानकारी समाचार पत्रों से पढ़ी है, वह इस संदर्भ में ठीक नहीं बैठती । मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब भी कोई परिपत्र जारी किया जाता है, तभी इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाता है कि उससे पहले से विद्यमान मानकों संचालनगत प्रक्रियाओं और परिपत्रों आदि पर, जिनका उल्लेख डी०जी०सी०ए०

की पुस्तिका में है या जो निर्माताओं द्वारा निर्धारित किए गए हैं, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री सुनील मैत्रा : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इस वर्ष 15 फरवरी से 29 फरवरी के बीच चार इंजिन फेल हुए जिनमें से दो दिल्ली हवाई अड्डे पर और दो बम्बई हवाई अड्डे पर इनमें दो बोइंग 373 विमान थे और दो एयर बस थी । यदि ऐसा हुआ है तो क्या मंत्रालय ने इस बात की छानबीन की है कि डाक्टर पंडित ने जिन परिपत्रों का उल्लेख किया है, उनका विमान यात्रा सम्बन्धी सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़ा है और क्या इन अनुदेशों के कारण ये इंजिन फेल हुए हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : इन इंजिनों के फेल होने का इन परिपत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि मूल रूप से ये इंजिन 'सेवेन्थ बयरिंग' के कारण फेल हुए/इसका सुझाये गए ईंधन सुरक्षा उपायों से कोई भी सम्बन्धी नहीं है । इसके अतिरिक्त जब भी इंजिन फेल होने का कोई मामला होता है तो उसे निर्माताओं को उनकी राय के लिए भेज दिया जाता है निर्माताओं की राय यह है कि ये इंजिन इंडियन एयरलाइन्स द्वारा रखरखाव में किसी कमी के कारण फेल नहीं हुए हैं । ऐसा कभी तो रखरखाव में कमी के कारण होता है और कभी निर्माणगत दोष के कारण होता है लेकिन ऐसी घटनायें प्राय: हो जाती हैं । रिकार्ड से यह पता चलता है कि जहां तक इंजिनों के फेल होने का सम्बन्ध है इंडियन एयरलाइन्स की स्थिति अन्य विमान सेवाओं की तुलना में बहुत अच्छी है ।

श्री अर्जुन सेठी : इसमें विमानों और विमानों से यात्रा करने वाले देश के यात्रियों की सुरक्षा का सम्बन्ध है इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जिस परिपत्र का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उसके अतिरिक्त भी अशुद्ध ईंधन या मिलावटी ईंधन के कारण जोखिम बढ़ा है ? क्या इसके कारण दुर्घटनायें होने की सम्भावनायें बढ़ी हैं ? अनेक विमान दुर्घटनायें हुई हैं, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है या कोई अन्य कार्यवाही की गई है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं माननीय सदस्य का भय दूर कर दूं कि इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। हम यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरतते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि प्रतिदिन लगभग 26 हजार यात्री यात्रा करते हैं और वे अपने गंतव्य स्थानों पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं ।

बिड़ला समूह द्वारा विदेशों में निवेश

***488. श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला समूह की, भारत अथवा विदेशों में पंजीकृत कम्पनियों ने विदेशों में निवेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों में उनकी आस्तियों का बहीमूल्य क्या है और क्या यह राशि बिड़ला समूह की भारत में आस्तियों से अधिक है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विदेशों में कम्पनियों, जिनमें उन्होंने निवेश किया है, की कुल आस्तियों का कुल 240 करोड़ रु० होने का अनुमान है जो बिड़ला औद्योगिक समूह से सम्बन्धित भारतीय कम्पनियों की आस्तियों से अधिक नहीं है ।

श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार : आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग से भारत के केवल चार बड़े औद्योगिक गृहों को मुख्य रूप से लाभ मिल रहा है । विदेशों में कार्यरत कई भारतीय कम्पनियों पर स्थानीय सरकारों द्वारा कई प्रकार की अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं जैसे मलेशिया और थाइलैंड में बिरला समूह की कम्पनियों पर ऐसे आरोप लगाये गए हैं । इसी प्रकार इंडो-इथोपियन सहयोग और इंडो-सीलोन सहयोग की साख उनके मुक्त व्यापार जोनों के सम्बन्ध में अच्छी नहीं हैं । बिरला समूह··· · सहयोग कर रहा है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या आप भाषण दे रहे हैं ?

श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार : उदाहरण के लिए बिरला समूह विदेशों में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सहयोग कर रहा है । उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीयस्तर पर कोष बनाये हुए हैं और वे प्रायः भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ अपने सम्बन्धों को प्रयोग में लाते हैं । इसी प्रकार का यू०एन०आई०-टाटा सहयोग भी है । इंडियन टोबैको कम्पनी द्वारा नेपाल में स्थापित किये जाने वाले होटलों का भी ऐसा ही मामला है । हालांकि तकनीकी दृष्टि से इंडियन टैबैको कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है परन्तु वास्तव में यह एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आप इन्हें भाषण देने की अनुमति क्यों दे रहे हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाडार आपके प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने दे दिया है । उन्होंने कहा है कि विदेशों में कुछ निवेश किया गया है यदि आप इस बात का खंडन करना चाहते हैं तो आप इस बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं । आप ठीक से प्रश्न पूछिए । यदि यह राशि कम है और आप जानते हैं कि ठीक राशि क्या है तो आप वह राशि बतायें ।

श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार : यह एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है जिसमें भारतीय सरकार और देश का नाम बदनाम हो रहा है और ऐसा न केवल आर्थिक दृष्टि से हो रहा है बल्कि राजनैतिक दृष्टि से भी हो रहा है ।

इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि भारत की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और कितने मामलों में सरकार को यह जानकारी मिली है कि वे विदेशों में कार्यरत भारतीय कम्पनियों ने वहां के नियमों का उल्लंघन किया है तथा ये कम्पनियां वहां कब-कब स्थापित की गईं ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि भारतीय सरकार के अधीन ऐसा कौन सा विभाग है जो इन कम्पनियों पर नियंत्रण करता है और उनकी अनियमितताओं को देखता है तथा इन बड़े औद्योगिक गृहों की के कार्यकरण की देख रेख करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कारण देश की बदनामी न हो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : काफी जानकारी देने के बाद वह अपने प्रश्न पर आये हैं। यह प्रश्न दक्षिण-दक्षिण सहयोग के बारे में था। और यह पूछा गया था कि इससे कितनी कम्पनियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग से अधिक से अधिक कम्पनियों को लाभ प्राप्त हो और ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है कि अमुक कम्पनी इससे लाभ उठा सकती है और अमुक कम्पनी इससे लाभ नहीं उठा सकती।

जहां तक बिरला समूह की कम्पनियों को होने वाले घाटे का सम्बन्ध है, ऐसी सोलह कम्पनियां विदेशों में हैं। जिनमें पूंजी निवेश किया गया है। इनमें से 8 कम्पनियों को लाभ हुआ है और 7 कम्पनियों को घाटा हुआ है तथा एक कम्पनी निर्माणाधीन है कुल मिलकर इन कम्पनियों को 7.5 करोड़ रुपये घाटा हुआ और लाभ कमाने वाली कम्पनियों को 16.7 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। जहां तक इन कम्पनियों पर नियंत्रण का सम्बन्ध है एम० आर० टी० पी० है और अधिनियम के उपबन्ध समवाद विधि विभाग द्वारा लागू किए जाते हैं और इन पर नियंत्रण के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम भी है।

श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार : यह उत्तर बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। मूल प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह भी स्पष्ट नहीं है। सरकार ने यह जानकारी किस सूत्र से प्राप्त की है और यह जानकारी किस तारीख को प्राप्त की गई थी ? मैं जानना यह चाहता हूं कि विदेशों में बिरला समूह की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनमें पूंजी लगाई हुई है और इनमें से प्रत्येक कम्पनी की आस्तियां क्या हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि संयुक्त उद्यमों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है यह जानने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र की जाती है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि यह जानकारी किस तारीख को प्राप्त की गई थी इस बारे में आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। भारत कोमर्स एण्ड इण्डस्ट्री लिमिटेड, बम्बई जिसने इंण्डोनेशिया में निवेश किया है, की कुल आस्तियां 13.12.1982 को 14.62 करोड़ रुपये थी।

मेक्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई जिसने इण्डोनेशिया में पूंजी निवेश किया, की कुल आस्तियां 31.12.1982 को 12.06 करोड़ रुपये थी। ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई जिसने इण्डोनेशिया में पूंजी निवेश किया, की कुल आस्तियां 31.3.1983 को 50.64 करोड़ रुपए थी। इंडियन प्लास्टिक लिमिटेड, बम्बई द्वारा इण्डोनेशिया में किये गये पूंजी निवेश की कुल आस्तियां 4.29 करोड़ रुपये थी। ओरियट पेपर एण्ड इण्डस्ट्री लिमिटेड. कलकत्ता जिसने केनिया में पूंजी निवेश किया, की कुल आस्तियां 62.47 करोड़ रुपये थी। मेक्चुरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल, बम्बई जिसने मलेशिया में पूंजी निवेश किया, की कुल आस्तियां 30.9.1983 को 23.42 करोड़ रुपये थी। हैदराबाद एबोस्टस सीमेंट प्रोडक्टस जिसने नेपाल में पूंजीनिवेश किया था, की कुल आस्तियां 15.7.1982 को 73 लाख रुपए थी। हैदराबाद एबोस्टोस सीमेंट प्रोडक्टस जिसने नाइजीरिया में पूंजीनिवेश किया कि कुल आस्तियां 31.12.1982 को 17.15 करोड़ रुपये थी। ईस्टर्न स्पिनिंग मिल लिमिटेड, कलकत्ता-फिलिपाइन में पूंजीनिवेश की कुल आस्तियां 31.21.1982 को 15.20 करोड़ रुपये थी। नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्टरी कलकत्ता-सिंगापुर में पूंजीनिवेश की कुल आस्तियां 31.1.1982 को 17 लाख रुपये थी।

ग्वालियर रेयन सिल्क मैनुफैक्चरिंग एण्ड मार्कीटिंग कम्पनी की 30-9-1983 को थाईलैंड में कुल 17.76 करोड़ रुपए की आस्तियां थीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सूची बहुत लम्बी है, तो वह इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं ऐसा कर सकता हूं। परन्तु चूंकि उन्होंने पूछा है, इसलिए मैं यह जानकारी दे रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : त्रिवेन्द्रम से आये माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री यह पहले ही बता चुके हैं कि कुछ कम्पनियों को घाटा और कुछ कम्पनियों को मुनाफा हो रहा है। उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उनसे यह बिल्कुल स्पष्ट है यह कम्पनियां भारत से बाहर कुल मिलाकर मुनाफा कमा रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये कम्पनियां, जिनकी स्थापना भारत से बाहर कई भागों में बिरला बन्धुओं द्वारा की गई है, भारत में विभिन्न योजनाओं और विभिन्न कम्पनियों में पूंजी लगा रही हैं ? ऐसा करने से उन्हें क्या रियायतें मिली हैं ? क्या वह इसका ब्यौरा दे सकते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह प्रश्न विदेशों में संयुक्त उद्यमों के बारे में है। मेरे विचार में, यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संयुक्त उद्यमों के बारे में है। यदि आप कोई विशिष्ठ प्रश्न पूछें, तो वह उसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, तो मैं स्वदेश लौटाई गयी धनराशि के बारे में जानकारी दे सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : दे देजिए। यदि उन्होंने कम्पनियां स्थापित कर ली हैं, तो उन्हें यहां पर अपनी कम्पनियों में पूंजी लगाने से क्या लाभ हो रहा है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : वे पहले ही मुनाफा कमा रहे हैं । यही पर्याप्त है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बिरला ग्रुप की विदेशों में 16 कम्पनियां हैं । 11 करोड़ रुपए के कुल पूंजी निवेश में 10 करोड़ रुपए स्वदेश भिजवा चुके हैं और अनुमानतः 28.8 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निर्यात की क्षमता भी पैदा की गई है ।

श्री अमल दत्त : माननीय मन्त्री ने कुल आस्तियों का पुस्त मूल्य 240 करोड़ रुपये बताया है । जैसाकि सभी जानते हैं कि सभी आस्तियां 10.15 या 20 वर्षों में एकत्र होती हैं और यह तो केवल ऐतिहासिक रुचि की बात है कि उन्होंने आरम्भ में कितनी धनराशि लगाई थी । क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में बिरला ग्रुप की कम्पनियों की आस्तियों का आज सही बाजार मूल्य क्या है ? यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार क्या करती है कि सम्बन्धित देश में एक बहु-राष्ट्रिक कम्पनी के रूप में बिरला ग्रुप कोई ऐसा रवैया तो नहीं अपनाता, जो भारत में बहु-राष्ट्रिक कम्पनियां अपनाती हैं, अर्थात् एकाधिकार की स्थिति का लाभ उठाकर स्थानीय लोगों से अधिक ऊंची कीमतें लेकर उनका शोषण करना ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 20 (क) (1) में दी गई परिभाषा के अनुसार आस्तियां मूल्य में हुई कमी को घटाकर कुल जमा आस्तियों, पूंजी निवेश तथा वास्तव में दिये गये अग्रिम आयकर को कम करके चालू आस्तियों के जोड़ के बराबर होती हैं । यह वैध परिभाषा है और हम इसी के अनुसार चलते हैं । हम आस्तियों के बाजार मूल्य का पता नहीं लगाते हैं । हमारे पास तो यह कानून है । जहां तक देश में मूल्य का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता, कि यह इस प्रश्न के अन्तर्गत आता है ।

गैर बैंकिंग क्षेत्र में कम्पनियों द्वारा जमा करने के लिए अधिक धनराशि आकर्षित करना

*489. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभी हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि अनुसूचित बाणिज्यिक बैंकों की तुलना में गैर बैंकिंग क्षेत्र की कम्पनियां अधिक तेजी से अधिक धनराशि जमा करने में असमर्थ सिद्ध हुई हैं जिन्होंने वर्ष 1972 से 1982 के दशक में जमा धनराशि में सात गुणा वृद्धि की है जबकि बैंकिंग क्षेत्र इस अवधि में केवल पांच गुणा वृद्धि कर पाया है ;

(ख) यदि हां, तो धनराशि जमा करने में वृद्धि के मामले में गैर-बैंकिंग कम्पनियों को बैंकों से आगे निकलने के क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में अर्थव्यवस्था पर इसका क्या समूचा प्रभाव पड़ा है और सार्वजनिक जमा धनराशि को रखने तथा उसका उपयोग अपने हितों के लिए करने में गैर-बैंकिंग कम्पनियों के आधार को इससे कितनी सुदृढ़ता प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 1983 के अंत में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की 8598.0 करोड़ रुपये की कुल जमा राशियां मार्च 1982 के अन्त में बढ़कर 43820.0 करोड़ रुपये हो गयीं । इसी अवधि में गैर बैंकिंग कम्पनियों की कुल जमा राशियां 747.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 5491.8 करोड़ रुपये हो गयी । यदि निर्पेक्ष रूप से देखा जाए तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशियों में वृद्धि की दर गैर बैंकिंग कम्पनियों की कुल जमा राशियों में वृद्धि की दर से कहीं अधिक है । बैंकिंग क्षेत्र और गैर बैंकिंग निगमित क्षेत्र की जमा राशियों का अनुपात लगभग 8:1 है । इसलिए इस निष्कर्ष का कोई तर्क नहीं है कि जमा राशियों की वृद्धि के मामले में गैर बैंकिंग कम्पनियां बैंकों से आगे निकल गयी हैं । इसके अलावा, गैर बैंकिंग कम्पनियों की कुल जमा राशियों में "जमा राशियां" और "छूट प्राप्त जमा राशियां" शामिल होती हैं । "छूट प्राप्त जमा राशियों" में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त राशियों, अंतर कम्पनी ऋण, जमानत की जमा राशियां, आर्डरों के एवज में प्राप्त अग्रिम आदि शामिल होते हैं । यदि " छूट प्राप्त जमा राशियां" को छोड़ दिया जाए तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों की वृद्धि की दर गैर बैंकिंग कम्पनियों की दर से अधिक बैठती है ।

(ग) गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमा राशियां स्वीकार किए जाने का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है उसका सही-सही मूल्यांकन करना संभव नहीं है लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं कि बड़े पैमाने पर धनराशियों को बैंकिंग क्षेत्र से गैर बैंकिंग निगमित क्षेत्र में अंतरित किया जा रहा है । वाणिज्यिक बैंकों में निगमित क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करते समय निगमित क्षेत्र द्वारा बैंकिंग क्षेत्र से बाहर जुटाये जाने वाले साधनों पर भी विधिवत ध्यान दिया जाता है । दूसरे शब्दों में गैर बैंकिंग कम्पनियां जितनी सीमा तक जनता से धनराशियाँ जुटा सकती हैं, उतनी सीमा तक बैंक ऋण पर उनका हक और उनकी निर्भरता कम हो जाती है ।

श्री के० प्रधानी : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर में कहा गया है "...दूसरे शब्दों में, गैर बैंकिंग कम्पनियां जनता से जितनी सीमा तक धनराशियां जुटा सकती है ।"...मैं अन्तिम वाक्य पढ़ रहा हूं... उतनी सीमा तक बैंक ऋण पर उनका हक और उनकी निर्भरता कम हो जाती है ।"

मैं इस विचार का स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार गैर-बैंकिंग कम्पनियों को किस सीमा तक धनराशियां जुटाने की अनुमति देती है।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक कम्मनियों द्वारा लगाई गई पूंजी का सम्बन्ध है, 40 प्रतिशत उनका अपना धन होता है, 15 प्रतिशत अंशधारियों आदि का और 25 प्रतिशत अन्य जमाधनराशियों से पूरा करने की सीमा है। ऋण देने वाली कम्पनियों तथा शेष वित्तीय संस्थाओं पर भी ऐसे प्रतिबन्ध हैं।

श्री के० प्रधानी : क्या यह सच है कि वर्ष 1983 में सभी वित्तीत संस्थाओं ने 3000 करोड़ रुपये की रकम वितरित की जबकि इस वर्ष यहां निर्धारण 50 करोड़ रुपये का था। क्या यह ठीक है और सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : इसका वित्तीय संस्थाओं या बैंकों से पूंजी निवेश के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न गैर-बैंकिंग कम्पनियों और बैंकिंग कम्पनियों की जमा धनराशियों के बीच अनुपात के सम्बन्ध में है।

श्री के० राममूर्ति : क्या यह सच है कि गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमा की गई धनराशियों से काले धन का सृजन होता है ? गैर-बैंकिंग कम्पनियों धन भी बहुत अधिक मात्रा में जमा किया जाता है। परन्तु इनकी जानकारी सम्बन्धित विभागों, अर्थात् आयकर विभाग और राजस्व आसूचना विभाग को नहीं है। क्या मंत्रीजी को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि गैर-बैंकिंग कम्पनियों में काला धन जमा किया जाता है, यदि हां, तो मंत्री ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

क्या वित्त मंत्री गैर-बैंकिंग कम्पनियों की जमा धनराशियों पर कोई प्रतिबन्ध लगायेंगे ? यदि उनकी जमा धनराशियां किसी सीमा से बढ़ जायें तो क्या गैर-बैंकिंग कम्पनियों का यह दायित्व होगा कि वे जमाराशियों का ब्यौरा सम्बन्धित विभाग को दें ?

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक जमाराशियों की सीमा का सम्बन्ध है, मेरे साथी ने विभिन्न प्रकार की गैर-बैंकिंग कम्पनियों पर लागू सीमा का पहले ही जिक्र कर दिया है। इस प्रश्न के बारे में, कि क्या काले धन का उपयोग किया जा सकता है या नही, यह है कि जब कोई शिकायत प्राप्त होती है तब उसकी ओर ध्यान दिया जाता है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बता देता हूं कि वर्तमान वित्त विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि 10,000 रुपए से अधिक राशि का भुगतान क्रास चैक द्वारा किया जाय। इससे माननीय सदस्य के दिमाग में जो-बात है वह पूरी हो जायेगी।

बिहार के वैशाली जिले में महुआ और जन्दाहा में बैंकों की शाखाएं खोलना

***491. श्री रामविलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के वैशाली जिले में महुआ और जन्दाहा में भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि महुआ और जन्दाहा प्रखण्ड मुख्यालय है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार जनहित में उक्त दोनों स्थानों पर बैंको की शाखाएं खोलने का है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि बिहार के बैशाली जिले के महुआ और जन्दाहा प्रखण्ड मुख्यालय है और इनमें से किसी एक प्रखण्ड मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा नहीं है लेकिन इन केन्द्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं । जबकि महुआ में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की एक शाखा है । जन्दाहा में वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की एक शाखा कार्यरत है । महुआ या जन्दाहा में शाखा खोलने के वास्ते इस समय किसी बैंक के पास लाइसेंस लम्बित नहीं पड़ा है ।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका सम्बन्ध मेरी कांस्टीटुएन्सी से है और इस प्रश्न के माध्यम से मैं यह भी जानना चाहता था कि सरकार की नीति रूरल एरियाज और शहरी एरियाज के लिए क्या है । सरकार हमेशा कहती रहती है कि हम रूरल एरियाज को प्रोत्साहन देंगे लेकिन इस जवाब से यह साबित नहीं होता है । यह दोनों प्रखण्ड महुआ और जन्दाहा जोकि ब्लाक के मुख्यालय हैं, वहां पर सरकार को तम्बाकू पर एक्साइज ड्यूटी के द्वारा एक करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं लेकिन वहां पर स्टेट बैंक की एक भी शाखा नहीं है । इसी से मालूम हो जाता है कि आप देहाती क्षेत्र को कितनी प्राथमिकता देते हैं । आज हकीकत यह है कि रूरल एरियाज से डिपाजिट्स ज्यादा मिलते हैं लेकिन वहां पर क्रेडिट कम दिया जाता है जिसका कारण यह है कि वहां पर बैंकों की कम ब्रांचेज है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बैंकों की शाखायें खोलने के सम्बन्ध में, देहाती क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में क्या क्राइटीरिया बना रखा है ? किसी त्रुटि की वजह से क्राइटेरिया फुलफिल न हो और गांवों के लोगों को जानकारी नहीं रहती है, तो क्या सरकार प्राथमिकता देकर गांवों और ग्रामीण इलाकों में बैंक की शाखा खोलने का प्रस्ताव रखती है ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने का सवाल है, मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकरण से पहले 8262 शाखाओं में से 1832 शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में थी । इसका मतलब यह है कि 22.2 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण क्षेत्र में आती थी । अब हमारे पास पूरे देश में 42738 शाखायें हैं जिनमें से 22316 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और

यह 54.3 प्रतिशत है। राष्ट्रीयकरण से पहले प्रति 65 हजार की जनसंख्या पर एक शाखा थी। आजकल प्रति 16 हजार की जनसंख्या के लिए एक शाखा है।

जहां तक बिहार का सम्बन्ध है राष्ट्रीयकरण से पहले वहां पर प्रति 2.6 लाख की जनसंख्या के लिए एक शाखा थी अब वहां पर प्रति 23 हजार की जनसंख्या के लिए एक शाखा है। सरकार की नीति यह है कि मार्च, 1985 को समाप्त होने वाली 1982 से 1985 तक की तीन साल की अवधि में हम ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रति 17 हजार की जनसंख्या के लिए एक शाखा खोलना चाहते हैं।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है मार्च, 1982 से मार्च, 1985 तक ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में हम 7540 शाखायें खोलने जा रहे हैं। जहां तक जमा राशि के अनुपात का सम्बन्ध है इसके लिए अलग से प्रश्न की सूचना दी जानी चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : क्या यह सही नहीं है कि रूरल और सैमी अर्बन क्षेत्रों में क्रेडिट डिपाजिट रेशो आदर्श रूप में 60 प्रतिशत होना चाहिए। सरकार मोटी-मोटी बातें बतला देती है। मैं पूछना चाहता हूं कि शहरों का कितना है और रूरल और सैमी अर्बन क्षेत्रों का कितना है ? आपने कहा है "महुआ या जन्दाहा में शाखा खोलने के वास्ते इस समय किसी बैंक के पास लाइसेंस लम्बित नहीं पड़ा है।" मैं इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूं कि पेंडिंग लाइसेंस का मतलब क्या होता है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां तक मानदंड का सम्बन्ध है मेरे सहयोगी ने माननीय सदस्य को पहले ही बता दिया है और माननीय सदस्य को यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। इसके विपरीत वस्तुस्थिति यह है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक जमा राशि के अनुपात का सम्बन्ध है, इस बारे में उन्हें हम पहले ही संकेत दे चुके हैं। इसके लिए 60 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है और हम इस लक्ष्य को पूरा करने वाले हैं। हमें यह बात ध्यान में रखनी है क्योंकि माननीय सदस्य ने इस बारे में टिप्पणी की है कि वहां पर एक ग्रामीण शाखा है और वहां पर क्षेत्री ग्रामीण बैंक की एक शाखा है। हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर जमा हुई राशि के अनुपात में अधिक ऋण देने की शक्ति की दृष्टि से अधिक बल दे रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना से अधिक लाभ होता है क्योंकि उन्हें यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे अपने यहां जमा हुई राशि से अधिक राशि का ऋण दे सकते हैं जबकि यह अधिकार वाणिज्यिक बैंकों को प्राप्त नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संसाधन जुटाये जायें तो वहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिक शाखायें खोली जानी चाहिए क्योंकि उन पर अधिकतम राशि की कोई सीमा लागू नहीं होती है। यदि उनके पास 100 रुपए की जमा राशि है तो वे 100 रुपए से अधिक राशि का ऋण दे सकते हैं, जैसाकि वाणिज्यिक बैंक नहीं कर सकते। इसलिए हम यह चाहते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खोले जाने पर अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ?

श्री रामविलास पासवान : नई शाखा खोलने के लिए अब किसी बैंक के पास कोई लाइसेंस लम्बित नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैंने यह पूछा था ।

श्री प्रणब मुखर्जी : इसका मतलब यह है कि इस हेतु जो लाइसेंस दिए गए थे वे सब कार्यान्वित कर दिए गए हैं और कोई लाइसेंस लम्बित नहीं है । इसका मतलब यही है ।

श्री दलबीर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ग्रामीण अंचलों में 17 हजार की आबादी पर आप एक बैंक खोल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में क्रेडिट फैला हुआ रहता है । जो बैंक खोले गए हैं, उनकी परिधि 13 किलोमीटर की है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि निकट भविष्य में और बैंक कब तक खोलेंगे ?

दूसरी चीज हमारा जो आइ०आर०डी०पी० का प्रोग्राम चल रहा है, उसके अन्तर्गत कर्ज पाने वाले लोगों के प्रति बैंक अधिकारियों द्वारा उदासीनता बरती जा रही है । हमारी जो स्व-रोजगार की योजना है, जिस के अन्तर्गत नवयुवक 25 हजार रुपये के लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, बैंक अधिकारियों की उदासीनता के कारण वह लोन उनको नहीं मिल पा रहा है । क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में बैंक अधिकारियों को कड़े निर्देश देंगे ?

श्री प्रणब मुखर्जी : इसके दो पहलू हैं । एक पहलू ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के बारे में है । जैसाकि मैंने पहले कहा है प्रति 17,000 की जनसंख्या के लिए एक शाखा खोलकर हम पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को बैंक सुविधाएं देने का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं । हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु लक्ष्य अभी दूर है । मुझे आशा है कि मार्च, 1985 तक हम इस लक्ष्य के समीप पहुंच जायेंगे ।

दूसरा पहलू जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं, यह है कि बैंकिंग क्षेत्र का बैंकों की नयी शाखाएं खोलकर विस्तार किया जा रहा है । परन्तु जितनी शाखाएं खोली जा रही हैं उस अनुपात में हम अर्हताप्राप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं । यदि आप 15 वर्ष में 8,000 से बढ़कर 43,000 शाखाएं कर देते हैं तो यह स्वभाविक ही है कि उन शाखाओं में काम करने के लिए आपके पास निर्धारित अर्हताप्राप्त व्यक्ति न हों प्रश्न के दूसरे भाग में की गई शिकायत का जहां तक संबंध है कि बहुत बार अनुदेश उन तक नहीं पहुंच पाते हैं और यदि उन तक अनुदेश पहुंच जाते हैं तो उनका पालन नहीं किया जाता और विशेष रूप से स्व: रोजगार रत लोगों के संबंध में उनको लागू नहीं किया जाता । मैंने हाल ही में महत्वपूर्ण बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी जिसमें उद्योग मंत्री भी उपस्थित थे । जिसमें हमने इस बात पर विचार किया था कि बैंक से सहायता लेने वाले लोगों के सामने आने वाली समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जाये ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने बैंक की शाखायें खोलने के सम्बन्ध में अपनी नीति बतलाई है और कहा है कि मोटा-मोटे तौर पर 23 हजार की आबादी

पर एक बैंक खोलने का कार्यक्रम है, जिसको वे 16-17 हजार की आबादी तक लेजाना चाहते : तथा फरवरी, 1985 तक वे उस लक्ष्य तक पहुंच पायेंगे । मैं जानना चाहता हूं— क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जो इनका तथाकथित बीससूत्री कार्यक्रम है, वह बिना बैंकों के कोआपरेशन के नहीं हो सकता ? जो इन के ग्रामीण बैंक खुल रहे हैं वे पूरी तरह से कोआपरेट नहीं करते हैं । इसके लिए मैंने भी शिकायत लिखी है और अन्य माननीय सदस्यों ने भी शिकायतें लिखी हैं । वे कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है जिससे हम कोप कर सकें, हजारों-हजार पेटीशन्ज पड़ी हुई हैं लेकिन उनके पास स्टाफ नहीं है । एक तरफ देश में बेरोजगारी है और दूसरी तरफ आपका बीस सूत्री कार्यक्रम है जिसका नाम आप हर समय जपते रहते हैं । उसको चलाने के लिए, उसको सक्सेसफुल करने के लिए जब तक बैंक कोआपरेट नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में आपके पास जो पैटीशन्ज पड़ी हुई हैं उनको क्लिअर करने में कितना समय लगेगा, ऐसा न हो कि उनके इन्तजार में आपका समय ही गुजर जाय ?

श्री प्रणब मुखर्जी : व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है । साथ ही मैं यह मानता हूं कि उसके क्रियान्वयन में कुछ कमियां अवश्य रहीं हैं । इसका कारण यह है कि हम बैंकिंग क्षेत्र से बहुत अधिक अपेक्षा करते हैं और उनकी क्षमताओं पर ध्यान नहीं देते । बैंकिंग क्षेत्र से 12 कार्यक्रम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हैं । आई.आर.डी. का मामला लीजिए । एक शाखा कार्यालय द्वारा जरूरतमंद 600 परिवारों का पता लगाया जाता है । इसके पश्चात प्रत्येक परिवार या लाभार्थी को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 600 परियोजनाएं बनानी होती हैं । यदि आप बैंक में विद्यमान कर्मचारियों की संख्या को लें तो वहां प्राय: 4 या 5 कर्मचारी होते हैं और इतना अधिक काम करना उनके लिए सम्भव नहीं हो पाता है । साथ ही आप मेरे से यह आशा नहीं कर सकते कि मैं कर्मचारियों की संख्या में 10 से 15 गुणा वृद्धि कर दूं । क्योंकि भारत में बैंकिंग क्षेत्र में संचालन लागत बहुत अधिक है । यदि आप राष्ट्रीयकृत बैंकों के कागजात और तुलनपत्रों को देखें, जो आपको प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्राप्त होते हैं, तो आपको मालूम होगा कि उनके द्वारा कमाये जाने वाले लाभ में लगातार कमी होती जा रही है । इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देते हुए आपको एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा । इसके लिए हमने यह निर्णय किया है कि उस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विकास एजेंसियां, जैसे बी.डी.ओ. पंचायत, बैंक और इसी प्रकार के अन्य संगठन और आई.आर. डी.पी. के लिए डी०आर०पी०ए० जैसे संगठन स्व: रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए जिला उद्योग केन्द्र जैसे संगठन आपस में मिलकर एक दूसरे के समन्वय से कार्य करेंगे । लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन योजनाओं को कार्यरूप देने में समय लगता है और हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं ।

श्री मूल चन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हर ब्लाक में कम से कम 600 परिवार गरीबी रेखा के ऊपर लाए जाएं

लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ गांव ऐसे रहते हैं जहां पर बैंक वाले यह कहते हैं कि यह गांव हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। ब्लाक में रूरल बैंक होगा पर वह बैंक उसको यह साफ मना करता है कि यह गांव हमारे क्षेत्र में नहीं है। इस तरह से कई ऐसे ब्लाक हैं, जिसके गांव बीस सूत्री कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा सकते। क्या सरकार कोई रास्ता बताएगी कि ऐसे गांव जो किसी ब्लाक से कवर नहीं होते हैं, उनको कहीं दूसरी जगह से लोन उपलब्ध हो सके ?

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रत्येक गांव किसी ब्लाक के अन्तर्गत होगा। ऐसा कोई गांव नहीं हो सकता जो किसी खण्ड में न हो। और जहां तक बैंकों द्वारा सेवा दिये जाने का प्रश्न है, शायद माननीय सदस्य दूरी की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस समय जो दूरी की सीमा है कि किसी खण्ड का कोई दूर-दराज गांव निर्धारित की गई दूरी की सीमा में नहीं आता हो। हमें इस विशेष समस्या की ओर ध्यान देना होगा।

श्री मूलचन्द डागा : महोदय प्रश्न दूरी का नहीं है। प्रश्न उन गांवों के बारे में है जिन्हें बैंक सुविधाओं से सर्वथा वंचित कराया जाता है। मैं जिस बात पर आग्रह करना चाहता हूं वह यह है कि कतिपय मामलों में ग्रामीण बैंक पहुंचे तथा बैंकों ने इस कारण सहायता से इनकार कर दिया कि वे लोग उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। अतः मेरा प्रश्न है कि उन गांवों के बारे में क्या होगा ?

श्री प्रणब मुखर्जी : यह योजना किस प्रकार कार्य करेगी, माननीय सदस्य इस बारे में भूल कर रहे हैं। प्रथम लाभ प्राप्त करने वाला स्वयं बैंक जाकर सहायता नहीं मांगेगा। राज्य के प्रशासन द्वारा अथवा जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा उसकी शिनाखत करनी होगी तथा उसका विशेष बैंक से संबन्ध जोड़ना होगा। यदि किसी बैंक से संबद्ध के बारे में कोई भ्रम हो तथा, बैंक द्वारा सहायता नहीं दी जाती तब यह प्रश्न लिया जा सकता है। परन्तु जहां तक इस योजना का संबन्ध है कोई ग्रामीण स्वतः बैंक जाकर मदद नहीं मांग सकता। अन्य तरह की योजनाओं के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि बैंकों की 7 से 10 किलो मीटर की क्षेत्रीय सीमा हो, तब हो सकता है कि यदि कोई गांव 10 किलो मीटर से अधिक इसी पर है तब वे ऐसा करें कि विचाराधीन मामला उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। निःसन्देह कभी कभी ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं परन्तु इस योजना को अन्य योजनाओं से मिलाने का भ्रम नहीं पैदा किया जाना चाहिए। जब मैंने माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दिया उसका संबन्ध समेकित ग्रामीण विकास योजना से था।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बैंकों का जो मामला है, यह एक बड़ा गम्भीर मामला है और इस संबंध में मैंने कई पत्र माननीय मंत्री जी को लिखे हैं और अपने यहां गाजीपुर जिले में बैंक की शाखाएं खोलने के बारे में मैंने लिखा था लेकिन हम को जो उत्तर दिये गये और आज जो उत्तर मिल रहा है, उसमें सामंजस्य नहीं है। मंत्री जी से मेरा पहला

प्रश्न यही है कि वे स्पष्ट रूप से बताएं कि बैंक की शाखाएं खोलने के क्या क्या क्राइटीरीयन हैं। जहाँ कहीं आप बैंक की शाखा खोलते हैं वहां पर पहले से ही दूसरे बैंकों की जैसे कि यूनियन बैंक की या कृषि ग्रामीण बैंक की या दूसरे प्रकार की शाखाएं है लेकिन वहां पर जमा खर्च ज्यादा हो रहा है, तो क्या वहां पर स्टेट बैंक की शाखा खोलने में आपको कोई परेशानी है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि जितनी शाखाएं आप खोलते जा रहे हैं, उनमें सक्षम कर्मचारी नहीं हैं, तो इन कर्मचारियों की गुणवता को बढ़ाने के लिए आप निकट भविष्य में क्या क्या कार्य करने जा रहे हैं साथ ही बैंकों में जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और जो सरकार की एजेन्सी बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है, उससे बैंक के कर्मचारियों का मेल नही खा रहा है, इस स्थिति को दूर करने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, हम बैंकों के समग्र कार्य पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनके प्रश्न के (ख) भाग का उक्त बातों से कोई संबन्ध नहीं है। प्रश्न के भाग (ख) का संबन्ध विशिष्ट खण्ड मुख्यालयों से है। उसका बैंकों की नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

...(व्यवधान)...

प्रो० एन. जी. रंगा : मेरे मित्र मंत्री महोदय द्वारा पहले दी गई जानकारी के आधार पर मैं यह कहूंगा कि यह सच है कि बैंकों का विकास एक तीव्र गति से हुआ है परन्तु उसके साथ ही जैसा उन्होंने स्वीकार किया है, बैंक हमारे कृषि मजदूरों से बहुत दूरी पर है तथा उनकी अधिकाधिक शाखाएं जमा कर्ताओं तथा ऋण लेने वालों के हित में सुरक्षित स्थानों पर होनी चाहिएं। इसलिए क्या सरकार बड़ी संख्या में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी के कारण व्यवस्थित प्रशिक्षण केन्द्र खोलने तथा अधिक संख्या में युवकों को प्रशिक्षण देने, उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखने तथा यथासंभव व अधिकाधिक लोगों को बैंकों में नियुक्त करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक भर्ती का प्रश्न है शायद माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रति वर्ष हम 20,000 युवा स्नातकों को कठिन परीक्षा के पास करने के बाद नियुक्त करते हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि उन्हें विस्तृत प्रशिक्षण देने तथा उससे भी बढ़कर प्रेरणा देने की आवश्यकता है। यदि हम प्रेरणा नहीं दे सकते तथा यदि वे कार्य को हाथ में लेकर अपना आजीविका नहीं कमा सकते तो कुछ न होगा। मैंने इस मामले की चर्चा की है कि इस क्षेत्र में श्रमिक संगठन बहुत मजबूत है तथा आप जानते हैं कि किस तरह की मांगे वे रखते हैं। उच्च वेतनों वाले क्षेत्र में होते हुए भी वे आन्दोलन करते रहते हैं तथा अधिक जोर से मांगे समक्ष रखते हैं। इसका अर्थ है प्रेरणा का सर्वथा अभाव है। मैंने कर्मचारी संघों के सदस्यों से बात की तथा सेवाओं में सुधार लाने का आग्रह किया। जब तक यह नहीं किया जाता, हम अपने सभी दायित्व नहीं निभा सकते।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतें

*492. **श्री सूरज भान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 6 मार्च, 1984 के दैनिक "ट्रिब्यून" में "मेजोरिटी बायकाट्स एम० बी० आई० टेस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की क्या शिकायते हैं जिनके कारण उन्हें उपरोक्त बहिष्कार करना पड़ा ; और

(ग) सरकार ने पहले से चली आ रही उनकी जायज शिकायतों को दूर करने हेतू क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि आरक्षित रिक्तियों की बकाया को भरने के वास्ते लिपिकीय संवर्ग से अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति के लिए चण्डीगढ़ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के वास्ते 4.3.84 को अलग से विशेष परीक्षा ली गई थी। 1984 में बैंक के चण्डीगढ़ सर्कल में पदोन्नति के माध्यम से अधिकारियों के संवर्ग में भरी जाने वाली 130 रिक्तियों में से बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के वास्ते इन रिक्तियों का 50 प्रतिशत आरक्षण किया गया था और पदोन्नति परीक्षा के वास्ते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 194 उम्मीद्वार बुलाए गए थे। बैंक ने सूचना दी है कि 7 उम्मीद्वारों को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शेष सभी कर्मचारियों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह मांग करते हुए विरोध स्वरूप इस परीक्षा का बहिष्कार किया था कि उनके लिए शत-प्रतिशत ये रिक्तियां आरक्षित की जानी चाहिएं।

बैंक ने यह भी सूचित किया है कि बैंक की आरक्षण नीति तथा विशेष परीक्षा आयोजित किये जाने के विरुद्ध पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाए दायर की गई हैं। इनमें से एक रिट याचिका के मामले में उन 7 उम्मीद्वारों के परिणाम की घोषणा किये जाने के बारे में न्यायालय ने स्टे प्रदान कर दिया है, जो कि 4.3.84 को इस परीक्षा में बैठे थे। मामला न्यायाधीन है।

श्री सूरजभान : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन और आदिवासियों के साथ सर्विसिज में किस तरह से ज्यादतियां होती हैं उसका वह क्लीयर एग्जाम्पल है। 1979 में एक चण्डीगढ़ सर्किल बना। 1979 से लेकर 1982 तक हर साल दो प्रमोशन एग्जामिनेशन हुए। एक तो सारे देश में

शेडयुल्ड कास्ट्स और शेडयुल्ड ट्राइब्स सर्विसिज में लेट आये और फिर उनको किसी तरह से डिबार किया जा सके, इसलिए 1983 में उनके लिए एक टेस्ट किया गया। जो एक लाठी शेडयुल्ड कास्ट्स को सहारे के तौर पर दी थी उसी लाठी से अब उनको पीटा जा रहा है और बेकलाग क्लीयर करने के नाम पर पीटा जा रहा है। अगर स्पेशल एग्जाम से भी पोस्ट्स भरनी थीं तो वे लोग 1976 से एलीजिबल हो गए थे लेकिन कोई एग्जाम नहीं लिया गया। अब इस टेस्ट से 50 परसेंट पोस्ट्स भरने की बात कही गई थी। इस टेस्ट के बारे में नान शेड्युल्ड कास्ट्स और नान शेड्युल्ड ट्राइब्स पीपुल ने कहा है कि हम यह टेस्ट नहीं चाहते हैं। बैंक की रिजर्वेशन पालिसी के खिलाफ हाई कोर्ट में दो रिट पेटीशंस भी दायर की गई हैं। शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब लोगों के लिए दिल्ली सर्किल में चार साल का रिलेक्सेशन है लेकिन चण्डीगढ़ सर्किल में एक साल का भी नहीं, बल्कि दस महीने का रिलेक्सेशन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप चण्डीगढ़ में भी इनके लिए चार साल का रिलेक्सेशन देंगे और इस टेस्ट को कैंसिल करके जनरल टैस्ट करेंगे ?

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्य ने दो बातों का उल्लेख किया है। मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि जब दूसरे सर्कल चार वर्ष की छूट देते हैं, चण्डीगढ़ सर्कल क्यों केवल एक वर्ष अथवा दस महीने की ही छूट देता है ? **(व्यवधान)** परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है इसके विशेष रूप से अध्ययन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। क्योंकि यह मामला न्यायालय में चल रहा है।

बात यह है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदारों की विशेष परीक्षा पिछली कमी दूर करने के लिए ली गई थी। यह निर्णय हुआ कि उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाये। मुझे पता चला है कि कुल रिक्त पद 130 हैं। उनका कहना है कि सभी 130 पदों को भरने के लिए परीक्षा ली जानी चाहिये। यह एक बात है। परन्तु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार आप किसी ग्रुप के लिए ली गई परीक्षा से 50% से अधिक पदों की भर्ती नहीं कर सकते। स्वभावत: उच्चतम सीमा 50% अर्थात् 65 पदों की बैठी। जिसे कि कर्मचारियों ने स्वीकार नहीं किया। केवल सात कर्मचारियों ने परीक्षा दी। वे न्यायालय गये। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जो छः उम्मीदवार परीक्षा में बैठे उनका परीक्षा परिणाम घोषित न किया जाये। इस मामले में न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

श्री सूरजभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि वे सब टेस्ट नहीं चाहते थे। दूसरे एंप्लाएज भी नहीं चाहते। फिर भी टेस्ट लिया गया। उन्होंने लिखकर भी दिया है। "विशेष परीक्षा नहीं देंगे क्योंकि यदि परीक्षार्थीयों को आम उम्मीदवार भी माना जाये तो भी वे पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि आप उस टेस्ट को कैंसिल करेंगे क्या ? न दूसरे एंप्लाएज़ चाहते हैं न शेड्यूल कास्ट चाहते हैं। आप उनके लिए जनरल टेस्ट कर लीजिए। स्टेट बैंक चण्डीगढ़ सर्कल ने अदर कम्युनिटीज़ के लिए 4 टैस्ट रखे और इनको एक टैस्ट का फालतू रिलेक्सेशन

दिया है । जबकि यू० पी० एस० सी० में अदर्स के लिए तीन और शेड्यूल कास्ट के लिए कोई लिमिट नहीं. एज लिमिट है । मैं कहना चाहता हूं कि इस टैस्ट को कैंसिल कर दीजिए और उनको जनरल टैस्ट में बिठाइये । तभी उनको उनका हक मिल सकता है । ये कोई कंसेशन नहीं मांग रहे हैं । वे केवल सामान्य परीक्षा चाहते हैं तथा उसमें अपना यथोचित भाग चाहते हैं ।

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्य ने भ्रम पैदा किया है । प्रश्न यह नहीं है कि कौन परीक्षा चाहता है और कौन नहीं चाहता । प्रश्न यह है कि 130 पिछली रिक्तियां पड़ी हुई हैं । इन्हें केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों द्वारा भरा जाना है । अतः किसी प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए । (**व्यवधान**) इसलिए प्रश्न यह नहीं है । आप कोई अन्य तरीका सुझा सकते हैं । (**व्यवधान**) ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप विभागीय पदोन्नति नियम क्यों नहीं बनाते ?

श्री प्रणव मुखर्जी : आपने मामले का अध्यन नहीं किया । ये वे व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ अनुभव होता है । लिपिकों को अधिकारी पद के लिए पदोन्नति किया जाना होता है । कृपया इसे पढ़ें (**व्यवधान**) ।

हम 130 रिक्तियों की बात कर रहे हैं जो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों से भरी जानी है । इसीलिए यह परीक्षा ली जा रही थी । ये रिक्तियां बची पड़ी हैं । शब्द "पिछली बची हुई" हैं न कि भर्ती । ये लिपिक पद से अधिकारी पद तक पदोन्नति का प्रश्न है । ये खुली भर्ती नहीं है कि 15% अनुसूचित जातियों तथा 7½% अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्ति आयेंगे । यदि वे कोई अन्य विकल्प बता सकें तो हम उस पर विचार करेंगे । परन्तु बात यह है ···(**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें कहने दें ।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं उनसे सहमत नहीं हूं । (**व्यवधान**) यदि आप उत्तर सुनना चाहते हैं तो मैं उत्तर दूंगा । यदि आपको टिप्पणी ही करनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं । मुझे और कुछ नहीं कहना ।

श्री राम विलास पासवान : वे 15% के लिए हकदार हैं । (**व्यवधान**) ।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : यह सच है कि रिक्तियां न केवल अधिकारी पद अपितु लिपिक पद की भी बची हुई हैं । भारतीय स्टेट बैंक में उनकी कुल संख्या कितनी हैं उसके कारण क्या हैं ? क्या इसका कारण उम्मीदवारों की कमी है अथवा उनमें अहर्ताओं तथा अनुभवों की कमी के कारण हैं ? यदि प्रबन्धक कार्यवाही नहीं करते तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से सहमत हूं । मैंने सभी बैंकों को अनुदेश दिए हैं कि न केवल बकाया रिक्तियां भरी जाएं, बल्कि नयी भर्ती के

समय भी यह सुनिश्चित किया जाये कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार अधिक संख्या में प्रत्यायोजित किए जायें ताकि पिछली कमी को पूरा किया जा सके तथा मैं माननीय सदस्य के इन विचारों से ससमत हूं कि हमें ऐसा करना चाहिए ।

श्री सूरजभान : इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पूर्व सूचना दें । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्राकृतिक और कृत्रिम रबड़ का उत्पादन और आयात

***493. श्री एस०ए० दोराई सेबस्तियन** :

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया तथा देश में इसका कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के कृत्रिम रबड़ का आयात किया गया तथा देश में इसका कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) देश में प्राकृतिक और कृत्रिम रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इसका आयात सदा के लिए बंद किया जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1979-80 से 1982-83 के दौरान आयात किये गये प्राकृतिक रबड़ की मात्रा तथा मूल्य और देश के भीतर उत्पादन की मात्रा निम्नोक्त प्रकार रही :

वर्ष	आयात		उत्पादन
	मात्रा (मै० टन में)	मूल्य (लाख रु० में	(मै० टन में)
1979-80	21100	2289.85	148470
1980-81	9250	950 00	153100
1981-82	42750	3666.60	152850
1982-83	30050	2370.41	165850

(ख) 1979-80 से 1982-83 के दौरान आयातित संश्लिष्ट रबड़ की मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	आयात		उत्पादन
	मात्रा (मै० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)	(मै० टन में)
1979-80	1 670	2118	29524
1980-81	16769	2151	25293
1981-82	30505	3953	28499
1982-83	18807	उ०न०	30290

(ग) प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनर्रोपण तथा नए पौध रोपण के लिए एक रबड़ उत्पादन विकास योजना 1980-81 से चल रही है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, रबड़ बोर्ड अधिक उपज देने वाली पौध रोपण सामग्री विकसित कर रही है तथा उसका वितरण कर रही है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में रबड़ बागानों के विकास में तेजी लाने के लिए सरकार ने एक परियोजना अनुमोदित की है। संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में 80,000 मै० टन। वार्षिक की अतिरिक्त क्षमता के लिए आशय पत्र जारी किये हैं।

सउदी अरब, मिश्र आदि से और पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु की गई कार्यवाही

*494. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अरब के पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने और पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए दुबई में एक पर्यटक कार्यालय स्थापित करने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) सउदी अरब, मिश्र और दूसरे देशों से हमारे देश में जहां पर इस्लाम धर्म के प्राचीन स्मारकों का विशाल और बेहतरीन भंडार है, बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत आने वाले अरब पर्यटक यातायात की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के बाद, दिसम्बर, 1983 में दुबई में एक पर्यटक संवर्धन अधिकारी तैनात किया गया था।

पर्यटन विभाग की ओर से किए गए "विदेशी पर्यटकों का सर्वेक्षण 1982-83" विषयक अपनी रिपोर्ट में भारतीय सांख्यिकी विभाग ने पश्चिम एशिया से पर्यटक आगमनों को शामिल किया है । तथापि, इस सर्वेक्षण के बावजूद, अन्य बातों के साथ-साथ पश्चिम एशिया क्षेत्र से आने वाले पर्यटकों की सामाजिक-आर्थिक और डिमॉग्रॉफिक विशेषताओं, भारत की यात्रा करने के कारण, यात्रा के स्थान और अवधि और भारत में खर्च करने का पैटर्न निर्धारित करने के लिए इस क्षेत्र की मार्केट संभाव्यता के बारे में भारतीय सांख्यिकी विभाग द्वारा गहन अध्ययन (इनडेप्थ स्टडी) करने के लिए पर्यटन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है ।

(ख) और (ग) इस क्षेत्र से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें ये शामिल हैं—एक अवकाश गन्तव्य के रूप में भारत का प्रचार करना जिसके लिए कुवैत, बहरीन और दुबई में दूरदर्शन के अरब चेनल पर विज्ञापन और अरबी में फिल्मों एवं स्लाइड शो के जरिये अरबी में विभिन्न मिडिया द्वारा प्रचार किया जाता है । इसके अलावा, पर्यटक कार्यालय द्वारा अक्सर एयर इंडिया, भारत पर्यटक विकास निगम और अभिकरणों के सहयोग से आयोजित खाद्य पर्वो, भारत कार्यशालाओं एवं प्रदर्शनियों जैसे विशेष समारोहों का आयोजन किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग यात्रा अभिकर्ताओं और मीडिया के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है जो भारत की पर्यटक सुविधाओं और भारत के पर्यटक स्थलों के बारे में अरबी समाचार-पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं में लेख देते हैं । एयर इंडिया, नैशनल कैरियर, इस क्षेत्र के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करता है ।

अफीम का वसूली मूल्य

*495. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में औषधियों के निर्माण में कितनी मात्रा में अफीम का प्रयोग होता है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अफीम की वसूली किये जाने के कारण किसानों को अपने अफीम उत्पादन से पर्याप्त धनराशि प्राप्त नहीं होती और इस प्रकार उन्हें उत्पादन लागत से अधिक धनराशि नहीं मिलती ; और

(क) क्या सरकार किसानों को निकट भविष्य में राहत प्रदान करने के लिए अफीम के वसूली मूल्य में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अफीम और एल्कालायड के सरकारी कारखाने, गाजीपुर तथा नीमच ने औषध-द्रव्यों का निर्माण करने के लिए वर्ष 1982-83 के दौरान लगभग 141 मीट्रिक टन अफीम का इस्तेमाल किया ।

(ख) और (ग) अफीम के मौजूदा देय मूल्य से काश्तकारों को पर्याप्त मेहनताना मिल जाता है। अफीम की मूल्य-संरचना नियत करते समय, इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि काश्तकारों को पोस्त की फसल से होने वाली आय उत्पादन-लागत से अधिक हो। काश्तकारों को देय अफीम-मूल्य काश्तकारों द्वारा दी जाने वाली पैदावार से सम्बद्ध होता है और उच्चतर मूल्य उपज-खण्ड आधार पर अदा किये जाते हैं।

नारकोटिक विभाग के वार्षिक सम्मेलन में काश्तकारों को देय मूल्य सहित पोस्त की काश्त से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाता है और यह सम्मेलन सरकार के विचारार्थ सरकार से सिफारिशें करता है। पोस्त की काश्तवाले क्षेत्रों में काश्त की गई अन्य नकदी फसलों से होने वाली आय की तुलना में पोस्त की फसल से होने वाली आय, अफीम की अन्तरराष्ट्रीय बाजार स्थिति, आदि बातों को मद्देनजर रखकर यह सम्मेलन काश्तकारों को देय अफीम-मूल्य सम्बन्धी प्रश्न की जांच करता है। तदनुसार, 1984-85 की फसल के संबंध में काश्तकारों को देय अफीम-मूल्य सम्बन्धी प्रश्न की जांच, सभी संगत बातों को ध्यान में रखकर उचित समय पर की जाएगी।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

*496. श्री अमर सिंह राठवा :

श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 और 1982-83 के दौरान कुल कितने मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया और वर्ष 1983-84 के लिए निर्यात का निर्धारित लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां तथा बड़े औद्योगिक गृह समुद्री उत्पादों के निर्यात कार्य में लगे हैं यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान उन्होंने कितने मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया।

(ग) क्या यह भी सच है कि समुद्री उत्पादों का निर्यात कम होता जा रहा हैं; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) आगामी वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) से (घ) निर्यातित समुद्री उत्पादों का मूल्य 1981-82 के दौरान 286 करोड़ रु०, 1982-83 के दौरान 361 करोड़ रु० तथा 1983-84 के लिए लक्ष्य 360 करोड़ रु० है। अप्रैल से

दिसम्बर, 1983 तक निर्यात मूल्य व मात्रा दोनों की दृष्टि से अप्रैल से दिसम्बर, 1982 तक के निर्यातों की अपेक्षा अधिक रहे हैं।

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां तथा बड़े औद्योगिक गृह भी ऐसे निर्यात कर सकते हैं बशर्ते कि वे अपने स्वयं के केन्द्र का प्रोसैसिंग कार्य करें। उनके द्वारा निर्यातों का मूल्य 1981-82 के दौरान 26.96 करोड़ रु० तथा 1982-83 में 28.85 करोड़ रु० था।

1983-84 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए और आगामी वर्षों में निर्यातों में सुधार करने के लिए उठाये गये कदमों में शामिल हैं, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विदेशी पोतों का किराये पर लेना, झींगा की खेती का संवर्धन गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये संयुक्त उद्यम, विविधीकृत फिशरीज, फिशिंग गियर तथा क्राफ्ट में सुधार, संसाधन संयंत्रों का आधुनिकीकरण और मूल्य वर्धित मदों को प्रोत्साहन देना।

विकलांग व्यक्तियों द्वारा विशेष रूप से बनाई गयी कार का आयात

*497 **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने विकलांग व्यक्तियों को विशेष रूप से बनाई गई कार खरीदने के आयात लाइसेंस दिये गये और कितने व्यक्तियों को आयात लाइसेंस देने से इन्कार किया गया और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में आयात नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) (1) गत तीन वर्षों के दौरान आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा शारीरिक तौर पर विकलांग श्रेणी के अन्तर्गत कारों के आयात के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों और जारी किये गये लाइसेंसों के बारे में जानकारी नीचे दिये गये अनुसार है :

लाइसेंसिंग अवधि	प्राप्त आवेदन-पत्रों की कुल संख्या	जारी किये गये आयात लाइसेंस सी.सी.पी.	निर्धारित दस्तावेजों के अभाव में अस्वीकृत बन्द किये गए मामलों की संख्या
अप्रैल 80—मार्च 81	31	15	16
अप्रैल 81—मार्च 82	381	138	243
अप्रैल 82—मार्च 83	231	125	106

(2) आवेदन-पत्रों पर विचार आवेदक की निशक्तता के स्वरूप तथा सीमा, उसके व्यवसाय तथा उससे आय और व्यवसाय की जरूरतों को देखने के लिए अपेक्षित गतिशीलता की सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) आवेदकों की इस श्रेणी के सम्बन्ध में आयात नीति सम्बन्धित लाइसेंसिंग अवधि के लिए आयात-निर्यात प्रक्रिया की हैंडबुक के परिशिष्ट-6 में दी गई है।

विदेशी फर्मों के सहयोग से तैयार खाद्य पदार्थ बनाने के संयंत्रों की स्थापना करना

*498. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय विदेशी फर्मों के सहयोग से तैयार खाद्य पदार्थ बनाने के संयंत्रों की स्थापना करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं और इस प्रकार की योजना के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) विदेशी फर्मों के साथ इस प्रकार का सहयोग प्रचलित ब्रान्ड आस्था और भारी आयात शुल्कों के प्रभाव का निराकरण किस प्रकार कर सकेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार समझौता

*499. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 से अब तक कोई व्यापार समझौते हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो एक दूसरे को कौन कौन सी वस्तुएं बेची गई हैं और कुल कितने मूल्य का व्यापार किया गया है ; और

(ग) क्या फिल्में, पुस्तकें, पत्रिकायें, समाचारपत्र कला साहित्य और संस्कृति की वस्तुए इन व्यापार समझौतों के अन्तर्गत आती हैं और क्या इन्हें एक दूसरे के देशों में भेजने की अनुमति है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इस समय भारत तथा पाकिस्तान के बीच कोई व्यापार करार नहीं है। जनवरी 1975 में हस्ताक्षरित पिछला करार 22 जनवरी 1978 को समाप्त हो गया है।

(ख) भारत-पाकिस्तान व्यापार सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) व्यापार करार न होने की दशा में पाकिस्तान से इन मदों का आयात भारत की आयात नीति के अन्तर्गत किया जाता है। पाकिस्तान, अपने गैर-सरकारी क्षेत्र को, पाकिस्तान के व्यापार निगम के माध्यम से तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रकाशनों को छोड़कर, ऐसी मदों के आयात की अनुमति नहीं देता है।

विवरण

भारत-पाकिस्तान व्यापार के पिछले आठ वर्षों के व्यापार आंकड़े निम्नोक्त प्रकार है :-

वर्ष	पाकिस्तान को निर्यात	पाकिस्तान से आयात
		(मूल्य करोड़ रु० में)
1975-76	0.78	22.12
1976-77	8.87	0.01
1977-78	42 14	23.90
1978-79	18.75	12.77
1979-80	9.02	25.15
1980-81	1.02	75.39
1981-82	4.95	54.70
1982-83	6.60	32.28

पाकिस्तान को होने वाले निर्यातों की प्रमुख मदें

लौह अयस्क, चाय, बीड़ी के पत्ते, इमली, पान, कांच की शीशी (खाली), इलायची (बड़ी), ब्लीचिंग पाउडर, जोड़ रहित लैटेक्स बाल्व बाल ब्लैडर, एल्युमीनियम फास्फाइड गोलियां, ताजा अदरक, ताजी प्याज।

पाकिस्तान से आयात की जाने वाली प्रमुख मदें

उर्वरक खजूर, कच्चा लोहा, नैपथा, कच्ची वनस्पति सामग्री, राकसाल्ट आदि।

उत्पादन शुल्क में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देना

*500. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट में विभिन्न मदों के लिए उत्पाद शुल्क में की गई कटौती के परिणाम-स्वरूप उपभोक्ताओं को मूल्य में राहत मिलेगी ;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता को शुल्क में राहत का लाभ किस सीमा तक दिया जा सकता है, विभिन्न उद्योगों के साथ विचार-विमर्श किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 1984-85 के बजट में उत्पाद शुल्क में की गई कटौतियों के अनुसरण में, सबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों को संबंधित उद्योगों से संपर्क बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों ने इस सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क में की गई कटौतियों का लाभ प्राप्त करने वाले प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित किया है और उन्हें इन लाभों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं, जिनके उत्पाद शुल्क में कमी की गई है, उनकी कीमतें कम हो गई हैं। उदाहरणार्थ खाण्डसारी, जिसे उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है, उसकी कीमतों का सूचक अंक 25 फरवरी, 1984 को 263.6 था, घटकर 10 मार्च, 1984 को 261.7 हो गया है। कपड़ा मिलों ने भी मिश्रित (ब्लेंडेड) कपड़े की कीमतों में 4 से 15 प्रतिशत तक की कमी करने की सूचना दी है। कागज और कई अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी कमी होने की आशा है।

छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा का लाभ उठाने के लिए सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा विमान यात्रा

*501. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के प्रबन्ध कर्मचारियों की विशेष सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित हैं, और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा का लाभ उठाने के लिए उन्हें अपने परिवारों सहित विमान यात्रा करने की अनुमति है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या समान ग्रेड में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा का लाभ उठाने के लिए विमान यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मंहगाई-भत्ता, यात्रा-भत्ता, परियोजना-भत्ता, मकान किराया-भत्ता, सवारी-भत्ता आदि का भुगतान विनियमित करने के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय के दिनांक 6.9.1968 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सामान्य मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों और पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों को निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने पर कार के निजी इस्तेमाल की भी अनुमति दी गई है।

(ख) कुछ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने अपने महाप्रबन्धक तथा उससे उच्च स्तरीय पद धारी वरिष्ठ कार्यपालकों को स्वयं तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए वायुयान द्वारा छुट्टी-यात्रा रियायत प्राप्त करने की अनुमति दी है।

(ग) सरकारी सेवा में छुट्टी-यात्रा रियायत केन्द्रीय कर्मचारी द्वारा अपनी पात्र श्रेणी, जो प्रथम श्रेणी किराए से अधिक न हो, तक प्राप्त की जा सकती है। छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अन्तर्गत विमान यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। इस सुविधा को उदार बनाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा स्वदेशी ग्रुप आफ मिल्स का प्रबन्ध सम्भालना

*503. **श्री चन्द्रपाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्वदेशी ग्रुप आफ मिल्स" के अभिग्रहण के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कपड़ा निगम, दिल्ली को उनका नियन्त्रण और प्रबन्ध सम्भालने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम, नई दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय से किस प्रकार पूरे भारत में स्थित स्वदेशी ग्रुप आफ मिल्स का नियन्त्रण और प्रबन्ध करेगा ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में स्थित स्वदेशी ग्रुप की मिलें राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड का एक भाग है ;

(घ) क्या स्वदेशी ग्रुप के तुलनपत्र और लेखे राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप में तैयार किए जाते हैं ;

(ङ) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड के निदेशक मंडल के निर्णय स्वदेशी ग्रुप के सभी एककों पर स्वतः लागू होते हैं ; और

(च) राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड द्वारा इन मिलों पर क्या नियन्त्रण रखा जाता है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) इस समय इन छः उपक्रमों का नियन्त्रण तथा प्रबंध निम्नलिखित सहायक निगमों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों के माध्यम से राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा किया जाता है जिन्हें अपने स्वयं के कार्यों के अतिरिक्त प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया गया है :—

मिल का नाम	प्रशासक का नाम
1. स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर (उ०प्र०)	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, एन०टी०सी० (उ०प्र०) लि०, कानपुर ।
2. स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन (उ०प्र०)	
3. स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी (उ०प्र०)	
4. राय बरेली टैक्सटाइल मिल्स, राय बरेली (उ०प्र०)	
5. उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर (राजस्थान)	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, एन०टी०सी० (दि० पं०रा०) लि०, नई दिल्ली ।
6. स्वदेशी काटन मिल्स, पाण्डिचेरी	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, एन०टी०सी० (ता० ना० व पां०) लि०, कोयम्बतूर ।

(ग) से (ङ) जी नहीं ।

(च) अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, एन०टी०सी० (उ०प्र०) उत्तर प्रदेश में स्थित स्वदेशी मिल्स के प्रकाशक के रूप में अपनी हैसियत में इन मिलों के प्रबन्ध को देखते हैं ।

छठी योजना अवधि के दौरान यात्री निवासों के निर्माण का कार्यक्रम

*504. श्री के० मालन्ना :

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान यात्री निवासों का निर्माण करने के लिये एक निश्चित कार्यक्रम की योजना थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य-वार निर्माण और लागत के संबंध में अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनकी क्षमता और सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए निर्धारित किराया दरों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी दोनों प्रकार के निम्न तथा मध्य बजट पर्यटकों के लिए सस्ता होटल आवास जुटाने की दृष्टि से, यात्री निवास नामक सस्ते होटल स्थापित करन का एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। पहला यात्री निवास दिल्ली में 560.00 लाख रुपये की कुल लागत पर पहले ही निर्मित किया जा चुका है। दिल्ली परियोजना के प्रारम्भिक 2-3 वर्षों के परिचालन-परिणामों का मूल्यांकन कर लेने के बाद ही अन्य स्थानों पर यात्री निवासों के निर्माण करने पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली स्थित यात्री निवास में 558 कमरे हैं जिनमें कुल 1250 बैड्स हैं। वर्तमान रूम-टैरिफ इस प्रकार है : —

रूम टैरिफ	
सिंगल आकुपेंसी	75/-रुपये
डबल आकुपेंसी	100/-रुपये
डोरमीट्री (चार बैड वाले कमरे)	120/-रुपये (30/-रु० प्रति बैड)

कृषि ऋण पर ब्याज दर

*305. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि ऋण पर ब्याज की दर औद्योगिक ऋण पर वसूल की जा रही ब्याज की दर की अपेक्षा अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार का विचार छोटे कृषकों की सहायता करने के लिए कृषि ऋण पर ब्याज दर में कटौती करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) यह कहना सही नहीं है कि औद्योगिक ऋणों के मुकाबले में कृषि ऋणों पर ब्याज की दर अधिक है। 1 अप्रैल, 1983 से प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों और लघु उद्योग अग्रिमों पर लागू ब्याज की दरें निम्न-लिखित है :-

1. (i) किसानों को अल्पावधि सावधि ऋण

(क) 5,000 रुपये तक	11.5 प्रतिशत

(ख) 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक	12.5 प्रतिशत
(ग) 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक	अधिक से अधिक 14 प्रतिशत
(घ) 25,000 रुपये से अधिक	अधिक से अधिक 16.5 प्रतिशत

(ii) **अल्पावधि (कार्यशील पूंजी)**
लघु उद्योगों को ऋण

(क) 2 लाख रुपये की सीमा तक	अधिक से अधिक 14.00 प्रतिशत
(ख) 2 लाख से अधिक और 25 लाख रुपये तक	अधिक से अधिक 16.50 प्रतिशत
(ग) 25 लाख रुपये से अधिक	अधिक से अधिक 18.00 प्रतिशत

2. **सावधि ऋण**

(i) **कृषि के लिए सावधि ऋण**

(क) लघु सिंचाई और भूमि विकास	10.0 प्रतिशत
(ख) अन्य प्रयोजन	
i) छोटे किसान	10.0 प्रतिशत
ii) अन्य किसान	12.5 प्रतिशत

(ii) **लघु उद्योग के लिए सावधि ऋण**

(क) **संयुक्त ऋण**	
i) पिछड़े क्षेत्र	10.0 प्रतिशत
ii) अन्य क्षेत्र	12.5 प्रतिशत
(ख) **अन्य लघु उद्योग सावधि ऋण**	
i) पिछड़े क्षेत्र	12.50 प्रतिशत
ii) अन्य क्षेत्र	13.50 प्रतिशत

मझौले और बड़े उद्योगों को दिए जाने वाले सावधि ऋणों पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से और कार्यशील पूंजी पर 16.50 प्रतिशत से 18.00 प्रतिशत तक की वार्षिक ब्याज दर ली जाती है।

विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों की नाइजीरिया पर बकाया राशि

*506. श्री एन० ई० होरो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 फरवरी, 1984 के "इकानोमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंक नाईजीरिया पर बकाया राशि की बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं और यह हमारे देश के लिए अब तक की सबसे बड़ी ऋण समस्या है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा बैंकों को ऋण वसूल करने में सहायता करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार ने यह समाचार देखा है। नाईजीरिया में भारतीय बैंक प्रायः अल्पकालिक व्यापारिक ऋण देते हैं जिनमें नाईजीरिया में काटी गई और उनकी आंतरिक तथा विदेशी, विशेषकर लन्दन की शाखाओं द्वारा वित्तपोषित निर्यात हुंडिया होती हैं। नाईजीरिया में ऋणदाता बैंकों को चाहे वे भारतीय बैंक हों या अन्य वाणिज्यिक बैंक जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह है विदेशीकरण की समस्या अर्थात् उन निर्यात हुंडियों की राशियों के प्रेषण की समस्या जिनकी अदायगी स्थानीय मुद्रा में की जाती है लेकिन वित्तपोषण करने वाले विदेशी बैंकों को आवश्यक राशियां प्रेषित करने से पूर्व सेंट्रल बैंक आफ़ नाईजीरिया द्वारा विदेशी मुद्रा के नियतन की प्रतीक्षा होती है। ऐसा पता चला है कि नाईजीरिया सरकार विदेशी ऋणदाता बैंकों का सहयोग प्राप्त करने और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है ताकि भुगतान की वर्तमान समस्या को कम किया जा सके।

केरल में पर्यटन को बढ़ावा

*507. श्री ए० नीलालोहितादासन नाडार : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के पर्यटन संबंधी महत्व की जानकारी है ;

(ख) यदि हां तो उस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से केरल राज्य में दो यात्रा परिपथों के

अन्तर्गत 23 केन्द्र अभिनिर्धारित किए हैं जहां केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के मिश्रित संसाधनों द्वारा अवस्थानुसार ढंग से पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। विगत समय में विभाग ने निम्नलिखित स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता दी है।

स्थान	परियोजना/स्कीम	राशि रु० पै०
1. तेक्कड़ी	1. विश्राम गृह (सुधार)	2,44,608.00
	2. स्लोपिंग जेट्टी	48,000.00
	3. अरण्य निवास होटल का विस्तार	2,31,000.00
2. कोचीन	1. सोलाघाटी द्वीप में गोल्फ कोर्स	15,000.00
	2. बैक-वाटर्स में क्रूजेज के लिए लांचे	2,31,953.00
3. त्रिवेन्द्रम	1. मोस्कोट होटल का विस्तार	2,03,253.00
	2. यूथ होस्टल	6,11,965.00
4. चेरूतरूथी	– विश्राम गृह (स्पिल ओवर)	68,000.00
5. कोवलम	1. कोवलम बीच रिसार्ट का विकास	11,30,000.00
	2. (योग-व-मालिश केन्द्र) समुद्रतट सेवा केन्द्र	2,00,000.00
6. पेरियार झील	वन्य जीवों को देखने के लिए क्रूजिंग हेतु लांचे	3,14,983.00

भारत पर्यटन विकास निगम

1. कोवलम	1. कोवलम बीच रिसार्ट	2,13,000,00.00
	2. कुटीरों के लिए भूमि	10,00,000.00
	3. परिवहन यूनिट	5,28,000.00

पर्यटन विभाग के तेक्कड़ी में वन्य जीवों को देखने के लिए नौकाओं की व्यवस्था करने, कोविलोम में जल क्रीड़ाओं और एल्लेपी से बाहर बैकवाटर क्रूजेज के लिए राज्य सरकार को सहायता देने के भी प्रस्ताव हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम का अगले वित्तीय वर्ष में कोवलम बीच रिसार्ट में अपनी कुटीरों, होटल कमरों और रेस्तरां को पुनः सुसज्जित करने, और साथ ही स्वास्थ्य केन्द्र पर सुविधाओं का विस्तार करने, कोवलम के आस पास के पर्यटक आकर्षणों की भ्रमण यात्राओं के लिए वाहन जुटाने और शाम को पर्यटक ग्रुपों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था करने हेतु प्रबंध करने का प्रस्ताव है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के विरुद्ध अमरीकी योजना

5603. श्री भीखाभाई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि अमरीका संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के विरुद्ध योजना बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि विशेषतः अंकटाड में उत्तर-दक्षिण वार्ता की प्रवृत्तियों से संयुक्त राज्य अमरीका को निराशा हुई है और वह यह मानता है कि कतिपय सुधार करने की जरूरत है। भारत सरकार इस सम्बन्ध में घटनाक्रम पर निगरानी रखे हुए है।

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गये ऋणों के ब्याज पर राज सहायता

5604. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ने भूतपूर्व सैनिकों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए 50,000 रुपये तक के ऋणों पर राज सहायता देने की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा बिहार के भूतपूर्व सैनिकों विशेशतः जो भूमिहीन अथवा सीमान्त कृषक हैं, उनको रियायत न देने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है। राज्य सैनिक बोर्ड, बिहार ने भी उक्त योजना को कार्यान्वित कर लिया है।

विवरण

भूतपूर्व सैनिक पुर्नस्थापन और पुनर्वास केन्द्रीय विशेष निधि प्रबंधकसमिति ने अपनी 4 मार्च, 1977 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया था कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा स्व: रोजगार के रूप में लघु उद्योगों अर्थात्-लघु स्तर के उद्योग/कृषि उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों से 25,000 रुपये तक का ऋण लेने पर उन्हें ब्याज के रूप में सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। केन्द्रीय विशेष निधि प्रबंधक समिति ने अपनी 5.10.1981 और 16.12.82 को हुई बैठक में भूतपूर्व सैनिक सहकारिता समितियों के मामले में यह सीमा 1 लाख रु० तक और वैयक्तिक रूप से भूतपूर्व सैनिक के लिए 50,000 रु० तक बढ़ा दी थी। केन्द्रीय विशेष निधि प्रबंधक समिति की 30 जनवरी, 1984 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार ऐसे भूतपूर्व सेना अफसर जिनकी मासिक आय 1500 रुपये से अधिक नहीं है, भी इस योजना के अन्तर्गत लाए गए हैं।

2. इस योजना में उन भूतपूर्व सैनिकों के मामलों को शामिल किया जाना था जिन्हें अपने पुनर्वास के लिए सरकार से कोई अन्य सुविधा प्राप्त नहीं हुई।

3. केन्द्रीय विशेष निधि की उप समिति ने भूतपूर्व सैनिकों के पुर्नस्थापन और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता की जो दरें तथा सामान्य शर्तें अनुमोदित की हैं वे इस प्रकार हैं :—

(क) आर्थिक सहायता की दरें :

(i) **5000 रुपये तक ऋण** :- भूतपूर्व सैनिक को प्रतिवर्ष केवल 4% ब्याज देना होगा और इस बैंक द्वारा इस दर से अधिक वसूल की गई ब्याज पर इमदाद दी जाएगी।

(ii) **5000. रुपये से अधिक और 50,000 रुपए तक ऋण**

उद्यमियों द्वारा देय ब्याज 7% तक सीमित किया जायेगा और शेष पर इमदाद दी जाएगी।

(iii) सहकारिता समितियों द्वारा लिए गए 1 लाख रुपये तक के ऋण पर वही दरें लागू होती हैं।

(ख) शर्तें

(i) आर्थिक सहायता अधिक से अधिक 3 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी।

(ii) भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ऋण की वापसी नियमित रूप से की जानी होगी।

(iii) यह सत्यापित करने के लिए वे ऋण की वापसी नियमित रूप से कर रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक को सम्बन्धित बैंक से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें पिछली तिमाही में ब्याज समेत अदा की गई राशि दिखाई गई हो।

4. संघ शासित क्षेत्र दिल्ली ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से भूतपूर्व सैनिकों द्वारा 50,000 रु० तक लिए गए ऋण पर ब्याज इमदाद योजना को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है। बहुत से मामलों में बैंक से ऋण मंजूर किए गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ऋण की वापसी शुरू कर देने पर राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा ब्याज इमदाद की अदायगी की जाएगी।

5. राज्य सैनिक बोर्ड, बिहार ने भी इस योजना को कार्यान्वित कर दिया है और राज्य सैनिक बोर्ड, बिहार के सचिव ने जिला सैनिक बोर्डों के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों से आवेदन-पत्र मंगाए हैं। 6 मार्च, 1984 से पूर्व बिहार के भूतपूर्व सैनिकों से ब्याज इमदाद मंजूर करने के लिए कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए बिहार के भूतपूर्व सैनिकों को रियायतें न देने के कारण बताने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जी० आर० ई० एफ० के असैनिक कर्मचारियों पर सैन्य आदेशों का लागू होना

5605. श्री रेणुपद दास : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० आर० ई० एफ० के असैनिक कर्मचारियों पर सैन्य आदेश, अनुदेश और रक्षा सेवा विनियम लागू होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस सांविधिक और राजपत्र अधिसूचना के अन्तर्गत उन पर इन्हें प्रभावी तथा लागू किया जा रहा है ; और

(ग) क्या इस प्रकार की राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

निर्यात निरीक्षण परिषद के अधिकारी

5606. श्री राम सिंह शाक्य : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात निरीक्षण परिषद में कुछ जिम्मेदार अधिकारी जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी व्यैक्तिक मिसिलों को गुम कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच कराने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) निर्यात निरीक्षण परिषद के ऐसे किसी जिम्मेदार अधिकारी का ऐसा कोई

मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है जिसके पास जाली शैक्षिक अर्हताएं हों। तथापि, नियंत्रित निरीक्षण अभिकरण के एक अपर-निदेशक के बारे में ऐसा पाया गया था कि उनसे अपनी शैक्षिक अर्हताओं के सम्बन्ध में जाली घोषणा पत्र दिया है। इस मामले की जाँच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई और उस पर अभियोग चलाया गया तथा उसे सजा दी गई।

मध्य प्रदेश में छठी योजना के दौरान पर्यटन विकास के लिए प्रस्ताव

5607. श्री फूल चन्द्र वर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विकास निगम द्वारा उनके मन्त्रालय को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए प्रस्तुत मध्य प्रदेश के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य से बाहर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रकाशित की गई सामग्री का ब्यौरा क्या है ;और

(घ) इस से संबंधित एजेंसी का नाम और अन्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ख) पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश ने कुछ प्रस्ताव पेश किये थे जिनके आधार पर पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं :-

(1) कान्हा में 46.76 लाख रुपये की लागत पर एक वनगृह का निर्माण किया गया है। यह नवम्बर, 1982 में चालू हुआ था।

(2) शिवपुरी में 34.04 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पर्यटक ग्राम का निर्माण। 20 लाख रुपये पहले ही रिलीज़ किए जा चुके हैं।

(3) बांधवगढ़ में 21 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 14 कुटीरों के निर्माण करने की जांच की जा रही है।

(4) भोपाल झील में प्रयोग में आने के लिए 4 सेलिंग बोट्स 4 डिग्गी और 2 मोटर बोट्स की खरीद के लिए मार्च 1983 में 3.51 लाख रुपये की धनराशि रिलीज़ की थी।

(5) कान्हा वन-गृह के लिए 3 मिनी बसें और 8 हाथियों की खरीद के लिए 3.60 लाख रुपये की धनराशि रिलीज़ की थी।

(6) ग्वालियर किले पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था के लिए विभाग के पास एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(7) आई० टी० डी० सी० और एम० पी० टी० डी० सी० द्वारा भोपाल में एक 3-स्टार होटल के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम होटल परियोजना क्लीयर कर दी गई है ।

(ग) और (घ) विभाग और राज्य सरकार ने मानचित्रों, पोस्टरों, फोल्डरों, ब्रोशरों और पुस्तिकाओं के साथ-साथ श्रृव्य-दृश्यों जैसे साहित्य की बड़ी संख्या में मदें निकाली हैं ।

पर्यटन विभाग के बारे में विज्ञापन/प्रचार करने वाली एजेंसी भारत पर्यटन विकास निगम और राज्य सरकार के बारे में ये एजेंसी निम्नलिखित है ; मैसर्स हिन्दुस्तान थामसन एसोसिएट्स (एच. टी. ए.), नई दिल्ली, मैसर्स क्राम सैक्शन पब्लिकेशंस, नई दिल्ली और मैसर्स कामी एडवर्टाईजिंग एण्ड मार्किटिंग, नई दिल्ली ।

श्रृव्य-दृश्यों को राज्य सरकार ने नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स नई दिल्ली और मैसर्स दास मिडीया, नई दिल्ली द्वारा कराया था ।

आयकर अपवंचन की सूचना देने वालों को पुरस्कार

5608. **श्री राम लाल राही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के एक विज्ञापन के अनुसार आयकर अपवंचन की सूचना देने वाले को 10 प्रतिशत राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी और क्या इसके लिए सूचना देने वाले को कोई पावती रसीद भी दी जाती है ;

(ख) क्या कुछ स्थितियों में 10 प्रतिशत से भी कम राशि का पुरस्कार दिया जा सकता है ; और

(ग) क्या सरकार कर से होने वाली कुल आय का 10 प्रतिशत देती है या इसके कोई अन्य नियम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस मंत्रालय ने इस प्रकार का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है । मुखबिर को कोई प्राप्ति स्वीकृति की रसीद नहीं दी जाती है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पुरस्कार की कोई नियत राशि नहीं है । यह राशि सूचना के स्वरूप और प्रत्यक्षत: उसके ही कारण वसूल किए गए अतिरिक्त करों से संबंधित होती है ।

पटसन उत्पादों के लिये दोहरी मूल्य नीति की मांग

5609. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग ने पटसन उत्पादों के लिए दोहरी मूल्य नीति की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या औचित्य दिया गया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) भारतीय पटसन मिल संघ (आई. जे. एम. ए.) के प्रतिनिधित्व में पटसन उद्योग ने पटसन माल के लिए दोहरी मूल्य नीति की मांग की है ताकि विदेशों में प्रतियोगी कीमतें बनाये रखने के लिए निर्यातों पर हुई हानियां नियंत्रित वितरण के जरिये घरेलू कीमतों में तदनुरूपी मूल्य-वृद्धि द्वारा पूरी की जा सके। इस प्रस्ताव की सम्भाव्यता अन्य बातों के साथ साथ औद्योगिक लागत तथा कीमत ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) द्वारा हाल ही में किये गये पटसन माल के लागत ढांचे के गहन अध्ययन पर निर्भर करती है।

राजस्थान के झालावाड़ में हवाई पट्टी के विकास के लिए सर्वेक्षण

5610. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में झालावाड़ में हवाई-पट्टी के विकास से संबंधित कार्य का सर्वेक्षण करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस प्रकार का प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपभोक्ताओं को बेहतर किस्म का कपड़ा उपलब्ध कराना

5611. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चालू वित्त वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत कितनी रही ;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ताओं को बेहतर किस्म का कपड़ा उपलब्ध करने के लिए क्या कोई प्रयास किये गये :

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान घरेलू खपत के लिए कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :

1980-81	14.94 मीटर
1981-82	14.83 मीटर
1982-83	13.69 मीटर
1983-84	(अभी उपलब्ध नहीं)

(ख) तथा (ग) 1981 की वस्त्र नीति में उल्लिखित सरकार की नीतियों में स्वीकार्य किस्म के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि को निर्दिष्ट किया गया है ताकि उचित मूल्यों पर बढ़ती हुई जनसंख्या की कपड़े की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । 1983-84 तथा 1984-85 के बजट में उत्पादन शुल्क की दी गई रियायतों से मिश्रित कपड़े तथा मानव निर्मित पालिएस्टर कपड़े के अधिक उत्पादन की आशा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय और अन्य हवाई अड्डों पर चिकित्सा सुविधाएं

5613. श्री मोहन लाल पटेल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई अड्डों पर विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चिकित्सा एककों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र पर अच्छी सुविधाओं से सुसज्जित एक चिकित्सा

एकक है जिस पर प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित कर्मचारी रात-दिन ड्यूटी पर रहते हैं। विमान क्षेत्र चिकित्सा अधिकारी के अलावा, जोकि रात-दिन ड्यूटी पर होता है, इन विमान क्षेत्रों का डाक्टरों/हस्पतालों का भी एक पेनल है जिनकी सेवाओं का आपातकालीन समय में उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सामान्य डाक्टरी देख-भाल करने के लिए अंशकालिक डाक्टर भी उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर चिकित्सा एकक पर्याप्त संख्या में शैय्याओं, स्ट्रेचरों, एम्बुलेंसों से सुसज्जित हैं। अन्तर्देशीय विमानक्षेत्रों पर भी प्राथमिक उपचार की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। यातायात नियंत्रण टावर द्वारा विमान क्षेत्र के आस-पास रहने वाले डाक्टरों की एक सूची रखी जाती है ताकि इन्हें आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सके।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर चिकित्सा सुविधाओं का प्रकार तथा स्तर भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होता है। इसीलिए अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर प्रदान की गई चिकित्सा सुविधाओं के ब्यौरे सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

मैसर्स डनकैन एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेट, कलकत्ता द्वारा निर्मित सिग्रेट

5614. श्री आर० मुथुकुमारन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कलकत्ता स्थित सिग्रेट बनाने वाली एक कम्पनी मैसर्स डनकैन एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने "स्मोकर फिल्टर टिप्पड" नामक एक नया उत्पाद शुरू किया है, जो हल्दी के पत्तों से निर्मित सिग्रेटों के अतिरिक्त कुछ और नहीं है ;

(ख) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि "स्मोक फिल्टर टिप्पड" सिग्रेटों की, जिनमें तम्बाकू का निकोटिन सत होता है, टैरिफ मद 4 (2) के अन्तर्गत सिग्रेट उत्पाद शुल्क का भुगतान बिल बिना निकासी की जा रही है।

(ग) क्या सरकार ने कम्पनी के इस दावे को स्वीकार कर लिया है कि "स्मोकेट" सिग्रेट नहीं है, हालांकि कम्पनी ने पैकेटों पर "लो निकोटिन स्मोकेट्स" शब्द प्रकाशित किए हैं, जिनसे यह पता चलता है कि इसमें या तो पत्तों के रूप में तम्बाकू है अथवा उसका सत है और यदि हां, तो किन आधारों पर, यदि नहीं तो, शुल्क का भुगतान किए बिना इस उत्पाद की निकासी की कैसे अनुमति दी जाती है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की बारीकी से छानबीन करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) ऐसी सूचना मिली है कि आन्ध्र प्रदेश स्थित मैं० डंकन टोबैको कम्पनी टरमेरिक पत्तों से बने "स्मोकेट फिल्टर टिप्पड" का निर्माण कर रही है, जिसमें निकोटीन की मात्रा भी कम है। यदि इस उत्पाद में तम्बाकू नहीं होता है तो इसका वर्गीकरण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद सं० 4 II (2)

के अन्तर्गत "निर्मित तम्बाकू" की श्रेणी में "सिगरेट" के रूप में नहीं हो सकता। तथापि, वर्तमान में इस पहलू पर जांच-पड़ताल चल रही है।

(ग) और (घ) "स्मोकेट" को अभी स्थायी तौर पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद सं० 68 के अधीन वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसके वर्गीकरण के बारे में अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा समाचार पत्रों को दिए गए अग्रिम ऋण

5615. श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने कितने और किन-किन समाचार पत्रों को अग्रिम ऋण दिए हैं और समाचार पत्रवार कितनी धनराशि के ऋण दिए गए हैं और उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऋण अदा कर दिए हैं उनको और अभी कितनी धनराशि के ऋण बकाया हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में उन ऋणों पर कितने प्रतिशत ब्याज दर लगायी गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मार्च, 1984 के सम्बन्ध में तुरन्त प्राप्त सूचना के अनुसार 11 समाचार पत्र कम्पनियों को वाणिज्यिक बैंकों से 3481.24 लाख रुपये की ऋण सीमाएं प्राप्त है। इन 11 समाचार पत्र कम्पनियों में से 10 कम्पनियों को कुल 1776.13 लाख रुपये सावधि ऋण दिए गए थे। इस समय बैंक कार्यशील सुविधाओं पूंजी सुविधाओं पर 16.5 प्रतिशत से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से और प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा के अन्दर न आने वाले ऋणकर्ताओं को दिए गए सावधि ऋणों पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज ले रहे हैं।

जीवन बीमा निगम ने 17 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से एक समाचार पत्र कम्पनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए 50 लाख रुपये का अल्पकालीन सावधि ऋण दिया है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने 3 समाचार पत्र कम्पनियों को 9.5 प्रतिशत से 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 लाख रुपए के बराबर के विदेशी मुद्रा ऋण दिए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम और साधारण बीमा निगम ने समाचार पत्र कम्पनियों को कोई प्रत्यक्ष ऋण नहीं दिया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियन्त्रित करने वाले कानूनों के उपबन्धों के अनुसार किसी ग्राहक के कार्यों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

अत: संबंधित ऋणकर्ता कम्पनियों के नाम तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए ऋणों के संबंध में अन्य ब्यौरा नहीं दिया जा सकता ।

आयकर नियम के नियम 68 में संशोधन का प्रभाव

5616. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 1 नवम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 789 (ई) के अनुसार, आयकर नियम के नियम 68 में संशोधन करके सरकार ने विभिन्न उद्योगों द्वारा चलाए जा रहे छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यासों के सदस्यों में अत्याधिक असंतोष एवं भेदभाव उत्पन्न कर दिया है क्योंकि उपर्युक्त नियम 68 में संशोधन से केवल ऐसे सदस्यों को छूट प्राप्त होती है जो 1600 रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाते हैं और उसके ऊपर वेतन वालों को नहीं, जबकि सरकारी विभागों/उपक्रमों में लागू सामान्य भविष्य निधि योजना के सदस्यों को उनकी वेतन सीमा पर विचार किए बिना ही उपर्युक्त कर लाभ प्राप्त होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उपर्युक्त विषमता को इसके भेदभाव पूर्ण रवैये के कारण किसी के द्वारा इसे न्यायालय में चुनौती दिये जाने से पूर्व किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि संगत संशोधन से पर्याप्त असन्तोष व्याप्त हो गया है । सरकार यह बात भी स्वीकार नहीं करती कि 1600/-रु० प्रति माह तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बीच किया गया वर्गीकरण भेदभाव पूर्ण है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष कार्य भत्ते और विशेष प्रतिकर भत्ते की मंजूरी

5617. **श्री बाजूबन रियान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष कार्य भत्ता और विशेष प्रतिकर भत्ता मंजूर किए जाने के मानदण्ड क्या है ।

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंजूर किये गए इन भत्तों की दरों में अन्तर है ;

(ग) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या असम और मेघालय त्रिपुरा और मणिपुर से अधिक कठिन क्षेत्र नहीं है तो परस्पर समान रूप से तो कठिन क्षेत्र है ;

(ङ) क्या असम और मेघालय में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 25 प्रतिशत विशेष प्रतिकर भत्ता मंजूर किये जाने की मांग की है ; और

(च) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकार के जिन असैनिक कर्मचारियों का अखिल भारतीय स्थानांतरण का दायित्व होता है, उन्हें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन के उपाय के रूप में विशेष (ड्यूटी) भत्ता स्वीकार किया गया है । लेकिन ऐसे कर्मचारी जिन्हें आयकर की अदायगी से छूट मिली हुई है, वे इस विशेष (ड्यूटी) भत्ते के हकदार नहीं होंगे । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कठिन और सुदूरवर्ती होने के कारण इस क्षेत्र में सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता स्वीकार किया गया है ।

(ख) से (घ) क्षेत्रों की कठिन स्थिति और दूरस्थता पर निर्भर करते हुए, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते की भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित की गई हैं । विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रयोजन के लिए त्रिपुरा और मणिपुर की अपेक्षा असम और मेघालय को कम कठिन क्षेत्र माना गया है ।

(ङ) और (च) कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों आदि से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि अखिल भारतीय स्थानान्तरण दायित्व की शर्त को ध्यान में रखे बिना सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र को सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूर्ति (ड्यूटी) भत्ता स्वीकार किया जाये । अन्य कर्मचारियों की सेवा का क्षेत्र उत्तर-पूर्वी क्षेत्र या उसके एक भाग तक सीमित होने के कारण विशेष (ड्यूटी) जैसे किसी अतिरिक्त प्रोत्साहन को स्वीकार करना न्यायोचित नहीं पाया गया है ।

दण्डकारण्य एम्पलाईज एसोसिएशन की ओर से वित्त मंत्री को ज्ञापन

5618. **श्री अजित बाग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दण्डकारण्य एम्पलाईज एसोसिएशन (एन. जी.) कोंडा गांव (मध्य प्रदेश) की ओर से केन्द्रीय वित्त मन्त्री को संबोधित दिनांक 1 मार्च, 1984 का ज्ञापन संख्या पी. ए. 84-पी. एम. (ए.) प्राप्त हुआ है ;

(ख) एसोसिएशन द्वारा की गई मुख्य मांगे क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। दण्डकारण्य कर्मचारी संघ (एन. जी.), कोंडा गांव (मध्य प्रदेश) से । मार्च, 1984 का एक पत्र संख्या पी. ए.-84 एफ. एम (ए) प्राप्त हुआ है जिसके साथ । मार्च, 1984 का ज्ञापन भेजा गया है ।

(ख) मुख्य मांगें सम्पूर्ण दन्डकारण्य परियोजना में 30% की दर से परियोजना भत्ते, 25% की दर से मकान किराया भत्ते और निःशुल्क आवास की मंजूरी के संबंध में है।

(ग) ये मांगे, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 1984 में जारी किए गए आदेशों पर आधारित हैं । आदिवासी क्षेत्रों के उन्नयन के लिए आवश्यक उपयुक्त योग्यता क्षमता और कार्य-कुशलता व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने अनुसूचित/आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे अपने कर्मचारियों को 10% से लेकर 30% तक विशेष भत्ता और अन्य सुविधाएं स्वीकृत हैं । चूंकि आदिवासी क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऊपर उल्लिखित भत्तों और सुविधाओं को उन्हें मंजूर करना न्यायोचित नहीं पाया गया है । दण्डकारण्य परियोजना में परियोजना भत्ता वर्तमान में 31 मार्च, 1984 तक स्वीकृत किया गया है । 31 मार्च, 1984 के बाद इस भत्ते को आगे बढ़ाने के लिए पुर्नवास बिभाग से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

तैयार वस्त्र के निर्यात संबंधी नीति

5619. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तैयार वस्त्रों के निर्यात संबंधी नीति बनाते ही निर्यातक ने निर्यात को कोटों की अवैध बिक्री द्वारा अपनी सामानान्तर अर्थव्यवस्था बना ली है, जैसा कि समाचार पत्रों में समाचार छपे हैं ; और

(ख) क्या सरकार ऐसे सभी सौदों की जांच करेगी क्योंकि वर्ष 1981-82,1983 और 1984 में किये गये सभी अंतरण वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकृत हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) निर्यात हकदारी वितरण नीति के अंतर्गत गत निष्पादन हकदारी का धारक अपनी हकदारी किसी अन्य पंजीकृत निर्यातक को कुछ शर्तों के अधीन हस्तान्तरित कर सकता है जिनका उद्देश्य सट्टेबाजी के हस्तान्तरणों को हतोत्साहित करना होता है । ऐसे हस्तान्तरणों से संबद्ध सभी आवेदन-पत्र अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकृत किए जाते हैं । तथापि, हस्तान्तरण की शर्तें हस्तान्तरक एवं हस्तान्तरिती के बीच तय की जाती हैं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

टेंट सप्लायरों, सजावट और खान-पान की व्यवस्था करने वालों द्वारा कथित कर अपवंचन

5620. श्री दिगम्बर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में विवाह के अवसरों पर टेंट सप्लायरों, सजावट और खान-पान की व्यवस्था करने वालों द्वारा बड़े पैमाने पर कर अपवंचन किया जा रहा है ;

(ख) क्या उन्हें यह जानकारी है कि यद्यपि वे लाखों रुपये का बिल पेश करते है, परन्तु भुगतानकर्ता क्योंकि अधिकांशतः काला धन रखने वाले बड़े व्यापारी होते हैं, इसलिए वे अपनी रसीदों पर डाक टिकट नहीं लगाते या यदि डाक टिकट लगा भी देते हैं तो उस में धनराशि बहुत ही कम लिखी जाती है ;

(ग) क्या ऐसे कार्यों के लिए काले धन के उपयोग को रोकने और कर अपवंचन के दोषी ठेकेदारों को दण्डित करने के लिए आयकर विभाग ने कभी विचार किया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार राजधानी और कलकत्ता, बम्बई, कानपुर आदि जैसे अन्य शहरों में इस धंधे में लगे प्रमुख कुछ ठेकेदारों के लेखाओं की जांच करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार के पास इस प्रकार की कोई विशिष्ट सूचना नहीं है ।

(ग) से (ङ) विवाह, सामाजिक और अन्य समारोहों पर फुजुल खर्च करके लेखा-बाह्य धन के तड़क-भड़क पूर्ण प्रनर्शन को नियंत्रित करने के लिए आय-कर प्राधिकारियों द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 133 क (5) के अंतर्गत सर्वेक्षण किया जाता है ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश भर में लगभग 454 मामलों में धारा 133 क (5) के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया है । प्रत्यक्ष कर अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्यवाही करने के लिए, टेंट वालों, खान-पान प्रबंधकों, आदि की लेखा पुस्तकों से एकत्रित सूचना की जांच दर जांच कर ली गई है ।

भारत से पूंजीगत वस्तुओं का आयात और निर्यात

5621. श्री ए० के० राय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से 1 जनवरी, 1984 तक पूंजीगत वस्तुओं का कितना निर्यात हुआ है और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने सरकार और भारत में गैर सरकारी क्षेत्र से अलग-अलग इन्हें प्राप्त किया है, तत्संबंधी तथ्यों का देश-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारत ने 1 जनवरी, 1984 तक कितनी पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया है और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को इन्हें सप्लाई किया है, तत्संबंधी तथ्यों का देश-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पूंजीगत वस्तुओं के आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31-3-1983 को विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों में निवेश के क्षेत्रवार तथा देशवार वितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) संभवत: माननीय सदस्य वाणिज्यिक उद्यमों में विदेशी फर्मों द्वारा किये गये निवेश का उल्लेख कर रहे हैं। 31-3-1974 तक जो सबसे हाल की ऐसी तारीख है जिस तक प्रकाशित जानकारी उपलब्ध है, भारत में शेष विदेशी कारबारी निवेश की राशि 1943 करोड़ रुपये थी । भारतीय रिजर्व बैंक अब 31 मार्च 1981 को आधार मानकर भारत कर विदेशी परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों के आंकड़ों का संकलन करने की कार्रवाई कर रहा है ।

(ग) हमारे देश में विदेशी निवेश पर तथा विदेशों में हमारे निवेशों पर लागू होने वाले मार्गनिर्देश अलग अलग हैं । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में चयनात्मक आधार पर विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है और यह भी इस उद्देश्य से कि जो प्रौद्योगिकी देश में उपलब्ध नहीं है, उसे प्राप्त किया जा सके । विदेशों में हमें उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करने की अनुमति प्राप्त होती है जो भेजवान देश के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं तथा ऐसे निवेश को विकासशील देशों के बीच निर्यात संवर्धन तथा आर्थिक सहयोग के लिए किए गए एक उपाय के रूप में माना जाता है ।

विवरण

(हजार रुपये)

क्रम सं०	क्षेत्र/देश	परिचालन में		कार्यान्वयन अधीन	
		संयुक्त उद्यमों की संख्या	वास्तविक भारतीय इक्विटी	संयुक्त उद्यमों की संख्या	अनुमोदित भारतीय इक्विटी
1	2	3	4	5	6
	ए. दक्षिण-पूर्व एशिया				
1.	मलऐशिया	27	131511	1	644
2.	इंडोनिशिया	11	121246	4	36340

1	2	3	4	5	6
	3. थाईलैंड	8	95865	4	163119
	4. सिंगापुर	16	37511	11	39784
	5. फिलीपीन्स	2	4498	—	—
	6. हांग-कांग	2	286	1	2400
	7. उप-जोड़	66	390917	21	95487
(ख)	दक्षिण एशिया				
	1. श्रीलंका	10	6011	13	60282
	2. नेपाल	1	2013	6	33236
	3. बंगला देश	1	837	—	—
	4. उप-जोड़	12	8861	19	93518
(ग)	पश्चिम एशिया				
	1. संयुक्त अरब अमीरात	9	7521	2	10557
	2. सऊदी अरब	3	3948	3	15997
	3. ओमन	1	798	2	20290
	4. बैहरीन	1	330	1	7500
	5. कुवैत	1	147	1	2205
	उप जोड़	15	12744	9	56549
(घ)	महासागरवर्ती (ओशेनिया)				
	1. आस्ट्रेलिया	1	685	—	—
	2. फिजी	1	1122	—	—
	3. टोंगा	1	180	—	—
	उप-जोड़	3	1987	—	—

1	2	3	4	5	6
(ङ)	अफ्रीका				
	1. केन्या	8	95537	4	8911
	2. नाइजीरिया	7	28836	14	140587
	3. मारीशस	3	2017	1	1995
	4. यूगांडा	1	2807	—	—
	5. बोटस्वाना	1	500		—
	6. लाइबेरियो	—	—	1	6800
	7. सेशलेस	—	—	1	13450
	8. तनजानियां	—	—	1	267
	9. सेनेगल	—	—	1	169600
	10. सूडान	—	—	1	36000
	11. जाम्बिया	—	—	1	3000
	उप-जोड़	20	129697	25	380610
(च)	यूरोप तथा अमरीका				
	1. यू. के.	9	1517	3	1525
	2. पश्चिम जर्मनी	3	4083	—	—
	3. फ्रांस	1	262	—	—
	4. नीदरलैंडस	1	100	—	
	5. स्विटजरलैंड	—	—	2	177
	6. साइप्रस	—	—	1	2926
	7. ग्रीस	—	—	2	11514
	8. यूगोस्लाविया	—	—	1	19200
	9. जिब्राल्टर	—	—	1	76
	10. संयुक्त राज्य अमरीका	11	7667	3	1050
	11. उप-जोड़	25	13629	13	36468
	कुल जोड़	141	557835	87	662632

पुरी में संयुक्त होटल परियोनजा

5622. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने पुरी में केन्द्रीय सरकार (भारत पर्यटन विकास निगम के साथ संयुक्त रूप होटल परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की लागत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पुरी के इस ऐस्वर्यपूर्ण होटल के निर्माण पर खर्च होने वाली धन-राशि में से भारत पर्यटन विकास निगम और राज्य सरकार में से प्रत्येक को कितना खर्च करना पड़ेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने पुरी में उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से निम्न-लिखित रूप से 134 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक 3-स्टार होटल की स्थापना करने का निर्णय लिया है :—

	इक्विटी		लाख रुपयों में
भारत पर्यटन विकास निगम	(51%)		27.50
उड़ीसा पर्यटन विकास निगम	(49%)		26.50
		जोड़	54.00
वित्तीय संस्थानों से ऋण			80.00
		कुल जोड़	134.00

विमान कम्पनियों के पास जमा निर्यात किए गए वस्त्रों के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

5624. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या वणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान कम्पनियों और क्लीयरिंग एजेन्टों के पास करोड़ों रुपये मूल्य के किए गए वस्त्रों के जमा हो जाने के कारण समयबद्ध आर्डर रद्द हो रहे हैं और लाइसेंस व्यपगत हो रहें है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने व्यापार सन्तुलन के हित में ऐसे विदेशी मुद्रा कमाने वाले निर्यात को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) ऐसा संभव है कि निर्यात वाले परिधानों की कार्गो निकासी में हाल ही में रुक गये माल से कुछ निर्यात संविदाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

(ख) रुके हुए कार्गो को निकालने के लिये अनेक कदम उठाये गये । नागर विमानन के महानिदेशक की ऐसे किसी विमान वाहक से, जो भारत से होकर अपने विमान चला रहे हैं, इस रुके हुए माल को निकालने के उद्देश्य से अतिरिक्त खंडीय उड़ानों की व्यवस्था करने के लिए किसी अनुरोध को मानने के लिए प्राधिकृत किया गया है । नागर विमानन के महानिदेशक ने पहले ही कुछ एयरलाइन्स को अतिरिक्त खण्डीय उड़ानों की व्यवस्था करने की अनुमति दे दी है । यदि कोई अन्य एयरलाइन्स अतिरिक्त कार्गो उड़ानों की व्यवस्था करने के लिये सामने आती है तो उन्हें भी इस समय रुके हुए माल की निकासी न होने तक अनुमति दी जायेगी । इसके अलावा मार्च के महीने में 20 तारीख तक एयर इण्डिया ने फ्रैंकफर्ट की तीन अतिरिक्त खण्डीय उड़ानों की व्यवस्था की है ।

राजधानी में एयरलाइन्स आरक्षण कार्यालयों और ट्रेवल एजेन्टों द्वारा कदाचार

5625. **श्री नवीन रावणी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में कुछ एयर लाइन्स आरक्षण कार्यालय और कुछ प्रमुख ट्रेवल एजेन्ट टिकटों पर गतव्य स्थलों में परिवर्तन करके एयरलाइन्स के साथ काफी धोखाधड़ी कर रहे हैं ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) भविष्य में इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) एक ऐसे मामले का पता लगा है जिसमें दिल्ली विमानक्षेत्र तथा कंचनजंगा भवन, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली स्थित इण्डियन एयरलाइन्स के बुकिंग कार्यालय में टिकटों के मूल्य की राशि लौटाये जाने के लिए कुछ टिकटें पेश की गई थीं जिनके बारे में आरोप है कि ये छोटे सैक्टर के लिए जारी की गई थीं परन्तु जालसाजी से इनसे लम्बे सैक्टर की यात्रा की गई । इस मामले की सूचना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को दी गई तथा तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है । इनमें से कोई भी इंडियन एयरलाइन्स का कर्मचारी नही है । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा जाँच-कार्य प्रगति पर है ।

(घ) ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए, इंडियन एयरलाइन्स ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :-

i) इंडियन एयरलाइन्स के सभी कार्यालयों को परामर्श दिया गया है कि वे यात्रा करने/राशि लौटाये जाने के लिए प्रस्तुत की गई टिकटों की जांच-पड़ताल करते समय अत्यधिक सतर्क रहें ;

ii) टिकटों पर कार्बनीकरण की क्वालिटी में सुधार किया जा रहा है ताकि इनमें परिवर्तन कर सकना कठिन हो जाए ;

iii) टिकटों पर लिखने वाली एक मशीन का विकास किया जा रहा है जो टिकटों पर सैक्टर, किराये तथा कुछ अन्य ब्यौरे मुद्रित करेगी । इस मशीन द्वारा मुद्रित शब्दों को बदल पाना अत्यन्त कठिन होगा ।

भुवनेश्वर में होटल कलिंग-अशोक का विस्तार

5626. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री मनमोहन टुडु : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार भुवनेश्वर स्थित कलिंग अशोक होटल के विस्तार कार्यक्रम हेतु अपना सहयोग दे रही है :

(ख) यदि हां, तो 1982-83 और 1983-84 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1984-85 के दौरान दी जाने वाली वित्तीय सहायता का क्या ब्यौरा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम भुवनेश्वर में होटल कलिंग अशोक में 170 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 36 कमरे बढ़ाकर होटल में 4-स्टार श्रेणी की अपग्रेडेड सुविधाओं सहित उसका विस्तार होगा ।

भारत पर्यटन विकास निगम ने इस होटल के विस्तार के लिए 1982-83 के दौरान 15,000 रु0 खर्च किए ।

इस परियोजना के लिए भारत पर्यटन विकास निगम की 1983-84 और 1984-85 की वार्षिक योजनाओं में क्रमश: 40 लाख रु0 और 100 लाख रुपये की धनराशियों को सम्मिलित किया जा चुका है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

5627. **श्री सत्यनारायण पटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या 1 मार्च 1984 को कितनी थी ; और

(ख) प्रत्येक बैंक में प्रत्येक श्रेणी में कार्य कर रहे व्यक्तियों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर आरक्षण लागू किया है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

1.	अखिल भारतीय आधार पर प्रत्यक्ष भरती (अधिकारी)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
	(क) खुली प्रतियोगिता	15%	7½%
	(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त	16-2/3%	7½%
2.	क्लर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों की सीधी भरती	प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिशतता अलग अलग है ।	
3.	पदोन्नतियां	15%	7½%

बैंक आरक्षित रिक्त स्थानों का हिसाब इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सूचियों के आधार पर लगाते हैं लेकिन 1 मार्च, 1984 को प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) 1 जनवरी, 1983 की सूची के अनुसार सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

क्रम सं०	बैंक का नाम	कर्मचारियों की कुल सं०			अनुसूचित जाति से संबंधित कर्मचारियों की सं०			अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों की सं०		
		अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	12020	18696	8914	301	2359	1638	50	614	244
2.	बैंक आफ इंडिया	8480	22201	8067	676	2548	2244	299	810	378
3.	पंजाब नैशनल बैंक	8827	19429	9213	691	2942	2781	132	467	452
4.	बैंक आफ बड़ौदा	9294	18024	7504	679	2220	1910	78	306	412
5.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	7253	14322	7535	359	1395	1668	57	254	342
6.	केनरा बैंक	7832	22313	5877	404	3070	922	110	659	145
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	4841	9104	4375	365	1523	576	53	79	64
8.	देना बैंक	3417	7433	3371	144	995	828	51	274	332
9.	सिंडीकेट बैंक	6834	17779	5170	468	2178	1340	91	630	272
10.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	6881	13034	5346	261	2016	1606	52	163	172
11.	इलाहबाद बैंक	3206	7473	3933	138	1013	973	25	98	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	इंडियन बैंक	5176	8885	2974	443	1323	904	166	119	120
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3124	7827	3008	295	1019	689	66	169	215
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5413	12862	4082	442	2723	1470	148	285	146
	जोड़ :	92598	199382	79459	5666	27324	19549	1378	4927	3374
(14.	राष्ट्रीयकृत बैंक)									
1.	पंजाब एंड सिंध बैंक	3262	5193	1812	7	89	150	—	7	1
2.	कारपोरेशन बैंक	3032	2931	633	20	101	91	—	16	13
3.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1578	2978	1208	7	205	119	3	7	23
4.	विजया बैंक	2520	9444	1771	10	143	130	6	49	36
5.	न्यू बैंक आफ इंडिया	2135	5366	1997	7	287	176	3	28	24
6.	आंध्र बैंक	2896	5377	2037	20	541	287	6	38	121
	जोड़ :	15373	28289	9458	71	1366	953	18	145	218
(6.	राष्ट्रीयकृत बैंक)									
	'क' 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों का जोड़ :	107971	227671	88917	5737	28690	20502	1396	5072	3592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	स्टेट बैंक समूह									
1.	भारतीय स्टेट बैंक	42385	92165	38356	1228	13042	8372	272	3424	1987
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर	2032	5448	2795	103	879	572	3	200	92
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2237	5539	2505	55	439	286	12	32	59
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	999	2530	1251	27	347	255	10	101	107
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1593	4763	1390	54	491	206	15	135	51
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1326	4277	2169	77	701	786	8	24	34
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1168	3100	1503	81	371	185	11	106	42
8.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	1920	4814	2150	101	556	455	14	33	72
	जोड़ 'ख'	53660	122636	52119	1726	16826	11117	345	4065	2444

छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को उत्पादकता सम्बन्धी बोनस

5628. श्री अजित कुमार साहा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा भूमि महानिदेशालय, छावनियों के कार्यालयों और सेनाओं के सभी निदेशालय कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर 1982-83 हेतु उत्पादकता सम्बद्ध बोनस मंजूर किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड सम्बद्ध सेनाओं के महानिदेशक तथा निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है ;

(ग) यदि हां, तो क्या छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस दिया गया है ; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) रक्षा भूमि तथा छावनी सेवा के कर्मचारियों को वर्ष 1982-83 के लिए 15 दिन का पारिश्रमिक तदर्थ बोनस के रूप में मंजूर किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) छावनी बोर्डों के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं हैं । अत: सदर्थ बोनस उन्हें देय नहीं है । तथापि, छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस मंजूर करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा उनकी जांच की जा रही है ।

पालम विमान पत्तन पर कुप्रबन्ध

5629. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम विमान पत्तन दिल्ली पर कुव्यवस्था है और यात्रियों को छोड़ने अथवा लेने के लिए, विमान पत्तन पर आने वाले व्यक्तियों को विमान पत्तन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है ;

(ख) क्या आने वाली तथा जाने वाली उड़ानों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ग) क्या छ: रुपये के प्रवेश शुल्क की अदायगी करने के पश्चात भी दर्शक दीर्घाओं की हालत खराब है तथा वहां पर कुर्सियों तथा बेंचों तथा पीने के जल आदि सुविधाओं का अभाव है ;

(घ) क्या दर्शक दीर्घा इतनी गन्दी है कि वहां से बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वहां की स्थिति में सुधार के लिए प्रबन्ध किए जायेंगे तथा इसको देश की राजधानी के अनुरूप बनाया जाएगा?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं। मुलाकातियों को निर्धारित शुल्क अदा करने पर दर्शक-क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जाता है।

(ख) आगमन तथा प्रस्थान से संबंधित सूचना को अन्तस्थ भवन में प्रतिस्थापित कलोज्ड सर्किल टेलीविजन पर प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया भी यात्रियों को उड़ान सूचना प्रदान करते हैं।

(ग) जी, नहीं। दर्शक दीर्घा में सफाईवाले तथा जमादार सदैव ड्यूटी पर उपस्थित रहते हैं। पीने का पानी अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय, दोनों ही ओर, उपलब्ध है। दर्शक दीर्घा में पर्याप्त संख्या में कुर्सियाँ उपलब्ध हैं परन्तु व्यस्ततम घंटों के दौरान ये पूर्ण तौर पर भरी रहती हैं क्योंकि यात्रियों से मुलाकातियों की संख्या अधिक होती है।

(घ) जी, नहीं। खिड़कियां साफ रखी जाती हैं।

(ङ) पालम-विमान-क्षेत्र पर सेवा तथा सुविधाओं का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं।

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा हिन्दी अधिकारियों के लिए निर्धारित अर्हताएं

5631. श्री अनवार अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों की संख्या कितनी है और वे देश में कहां-कहां हैं ;

(ख) क्या हिन्दी अधिकारियों के लिए प्रत्येक बोर्ड द्वारा भिन्न-भिन्न आयु सीमा और अर्हताएं निर्धारित की गई हैं ; और

(ग) क्या सभी बोर्डों में समान आयु सीमा और अर्हताएं निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके कारण और ऐसा करने में कठिनाइयां क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय भारतीय स्टेट बैंक समूह के केन्द्रीय भर्ती बोर्ड सहित दस बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड है जो बंगलौर, बड़ौदा, बम्बई (बैंकिंग सेवा) भर्ती बोर्ड और केन्द्रीय भर्ती बोर्ड), भोपाल, कलकत्ता, दिल्ली, गौहाटी, लखनऊ और मद्रास में स्थित हैं।

(ख) और (ग) हिन्दी अधिकारियों के लिए विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा निर्धारित अर्हताएं और आयु सीमाएं आदि प्रायः एक समान है सिवाय इसके कि सहभागी बैंकों की विशेष अपेक्षाओं के अनुसार इन में कुछ अन्तर होता है । बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों की एक समिति ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी अधिकारियों सहित बहुत से विशिष्ट पदों के लिए समान अर्हता मापदण्ड निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया था और कुछ सिफारिशें भी प्रस्तुत की थीं । इस समिति की सिफारिशें भारतीय बैंक संघ को उसके विचारार्थ भेज दी गई हैं ।

रक्षा मुख्यालयों में काम करने वाले कार्मिकों को पहचान पत्र जारी करना

5632. **डा०ए०यू० आजमी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मुख्यालयों में काम करने वाले कार्मिकों के लिए पहचान पत्र जारी करने पर कितना व्यय होता है ;

(ख) विशेषकर पहचान पत्र जारी करने के लिए मंगाई गई मशीन पर कितनी राशि खर्च हुई ; और

(ग) यह किस प्रकार सुनिश्चित करने का विचार है कि कर्मचारी जिन खण्डों/भवनों में काम करते हैं उनके अलावा किसी अन्य जगहों में प्रवेश न कर सकें तथा क्या किसी कर्मचारी के एक भवन से दूसरे भवन में तैनात किये जाने पर उसे प्रत्येक बार नया पहचान पत्र जारी किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : अभी तक 7,46,686 रुपये खर्च किए जा चुके हैं ।

(ख) केवल मशीन पर 93,507 रुपये खर्च किए गए ।

(ग) रक्षा मुख्यालय सुरक्षा जोन के प्रत्येक भवन को एक कूट अक्षर आवंटित किया गया है जो कि पहचान-पत्र पर दिया गया है । नई पद्धति के अधीन पहचान करने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है । पहचान-पत्र में दिया गया भवन बताने वाला कूट अक्षर, किसी कर्मचारी के एक भवन से दूसरे भवन में स्थानान्तरण होने पर संशोधित किया जा सकता है जिससे नया पहचान पत्र जारी करने की जरूरत ही नहीं रहती ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किराए पर लिए गए भवनों का ब्यौरा

5613. **श्री के. पी. एस. मणि** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के विभिन्न कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय दिल्ली में किराए के भवनों में चल रहे हैं यदि हां, तो कब से ;

(ख) प्रत्येक कार्यालय का नाम क्या है और प्रत्येक कार्यालय द्वारा किराए पर लिए गए भवन का मासिक किराया क्या है ;

(ग) किराए पर लेने की तारीख से 29 फरवरी, 1984 तक प्रत्येक भवन का कुल कितना किराया अदा किया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय अपने कार्यालयों को किराये के भवनों से सरकारी भवनों में स्थानान्तरित करना नहीं चाहता, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं और राजकोष पर व्यय का भार कम करने के लिए अपने कार्यालयों को किराए के भवनों से सरकारी भवनों में स्थानान्तरित करने हेतु अब तक क्या प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) पर्यटन विभाग ने मुख्यालय के अपने कुछ प्रभागों के लिए स्थान की व्यवस्था करने के लिए 31 मार्च, 1982 से मोहन सिंह प्लेस में नई दिल्ली नगर पालिका भवन में 5848 वर्ग फुट स्थान लिया है । नई दिल्ली नगर पालिका के साथ अभी तक मोहन सिंह प्लेस स्थित स्थान का किराया निश्चित नहीं किया गया है । वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करवाने के लिए संपदा विभाग से अनुरोध किया गया है ।

बागडोगरा और गंगटोक के बीच हेलिकाप्टर सेवा बन्द किया जाना

5634. **श्री आनन्द पाठक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिक्कम के लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए बागडोगरा और गंगटोक के बीच हेलिकाप्टर सेवा प्रारम्भ की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अब वह बन्द कर दी गई है और उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां । सिक्कम सरकार द्वारा भेजे जाने वाले सरकारी अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को विमान द्वारा ले जाने के लिए दिनांक 1-5-1982 से छः महीने की अवधि के लिए, बागडोगरा तथा गंगटोक के बीच एम. आई-8 हेलिकाप्टर की सप्ताह में दो सेवाएं आरम्भ की गई थीं ।

सिक्किम सरकार के अनुरोध पर रक्षा मन्त्रालय द्वारा इसे 15 जून, 1983 तक और आगे बढ़ा दिया गया था ।

(ख) इस सेवा को 15 जून, 1983 के बाद बन्द कर दिया गया था क्योंकि सिक्किम सरकार ने इसे और आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध नहीं किया था ।

कच्चे जूट की उपलब्धता

5635. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1980 के पश्चात आन्तरिक उत्पादन तथा आयात के माध्यम से कितना कच्चा जूट उपलब्ध रहा है ;

(ख) इस अवधि के दौरान कच्चे जूट की कीमत क्या थी ; और

(ग) इस अवधि के दौरान जूट उद्योग की कितनी मात्रा में वार्षिक राजसहायता दी गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1980-81 से 1983-84 के पटसन वर्षों के दौरान आन्तरिक उत्पादन तथा साथ ही आयात के माध्यम से देश में कच्ची पटसन की उपलब्धता निम्नलिखित अनुसार है :—

	मात्रा प्रत्येक 180 किग्रा की लाख गाठों में			
अवधि	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
(जुलाई-जून)				
पटसन तथा मैस्टा की संयुक्त घरेलू उत्पादन	81.95	74.00	68.00†	68.00†
आयात				
(नेपाल से)	—	—	0.45	0.68
योग :	81.95	74.00	68.45	68.68

† अनुमानित ।

(ख) 1980-81 से 1983-84 के दौरान पश्चिम बंगाल के अलावा राज्यो से निकलते समय डब्ल्यू०-5 ग्रेड के कच्चे पटसन की औसत वार्षिक कीमतें निम्नलिखित अनुसार हैं :—

अवधि (जुलाई-जून)	रु० प्रति क्विंटल
1980-81	216.56
1981-82	241.29
1982-83	272.50
1983-84	346.64

(ग) सरकार-पटसन उद्योग को कोई उपदान नहीं दे रही है।

रुग्ण एककों में रुका पड़ा संस्थागत ऋण

5636. **श्री टी०एस० नेगी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण एककों में रुका पड़ा संस्थागत ऋण वर्ष 1982 में 23.89 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1983 में 3179 करोड़ रुपये हो गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि आई०आर०सी०आई० स्वयं एक रुग्ण एकक हो गई है और यदि हां, तो क्या एक नये एकक द्वारा आई०आर०सी०आई० को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी नीतियों का पुनरीक्षण करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तुरत उपलब्ध सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1982 के अन्त में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 275 एककों को प्रत्यक्ष सहायता दे रखी थी जिनके नाम ऋणों की 554 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की परिचालन नीति की सरकार और निगम द्वारा बराबर समीक्षा की जाती है ताकि समय-समय पर आवश्यक सुधार किया जा सके।

पांच वर्ष से कम सेवा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को सी०एस०डी० केन्टीन, हास्पिटल आदि की सुविधाएं

3637. **श्री निहाल सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 से पहले सशस्त्र सेनाओं से मेडिकल और करुणामूलक कारणों के आधार पर से मुक्त हुए और पांच वर्ष से कम समय तक सेवा करने वाले लोगों को भूतपूर्व सैनिकों का प्रमाण पत्र दिया गया था, को अब भूतपूर्व सैनिक न मानने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार उपरोक्त अवधि के दौरान सेवा मुक्त हुए लोगों को सी०एस०डी० केन्टीन में हास्पिटल आदि की सुविधा प्रदान करेगी ; और

(ग) सरकार का सशस्त्र सेनाओं में पांच वर्ष का सेवा काल पूरा करने के साथ ही सेवा मुक्त होने वाले व्यक्तियों को भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में रखने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जो सेना कार्मिक स्वास्थ्य के आधार पर सेवामुक्त किए जाते हैं, चाहे उनकी सेवामुक्ति की तारीख कोई भी हो, उन्हें अब भूतपूर्व सैनिक माना जाता है बशर्ते साक्ष्यांकन के बाद उन्होंने कम से कम छः महीने की सतत् सेवा की हो । इसी तरह, अपने-आप अनुकम्पा के आधार पर सेवामुक्ति के लिए अनुरोध करने वाले सेना कार्मिक भी भूतपूर्व सैनिक माने जाते है बशर्ते कि उन्होंने सशस्त्र सेनाओं में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।

(ख) उन सभी भूतपूर्व सैनिकों को कैंटीन सुविधाएं मुहैया की गई हैं जो पेंशन योग्य अर्हक सेवा पूरी करने से पहले ही सम्मानपूर्वक सेवा से निर्मुक्त किए गए हैं । जहां तक डाक्टरी सुविधाओं का संबंध है, भूतपूर्व पेंशनर और उनके परिवार के सदस्य सेना अस्पतालों में मुफ्त डाक्टरी इलाज के लिए हकदार हैं । फिर भी, पुराने रोगों जैसे तपेदिक और कोढ़ के लिए सभी वर्गों के भूतपूर्व सैनिक (पेंशनर और गैर-पेंशनर) तथा उनके परिवारों के सदस्य चुने हुए सेना अस्पतालों में इलाज करबाने के लिए हकदार हैं । 1965 से पहले सेवामुक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है । इसके अलावा जब कभी खाली बिस्तर और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो जरूरतमंद भुतपूर्व सैनिकों, चाहे उन्हें पेंशन न मिल रही हो, को भी अपेक्षित डाक्टरी इलाज की सुविधा दी जाती है ।

(ग) 5 वर्ष की सेवा से पहले स्वैच्छित रूप से सेवानिवृत्ति/सेवानिर्मुक्ति चाहने वाले सशस्त्र सेना कार्मिकों के मामले में यह अवधि निर्धारित करने के कारण यह सुनिश्चित करना था कि सशस्त्र सेवाओं में अपेक्षाकृत कम या प्रतीक रूप में सेवा वाले व्यक्ति नाजायज फायदा न उठाएं और वह भी विशेषकर इसलिए कि वे अपनी कम आयु के कारण अधिक सेवा और प्रशंसनीय सेवा वाले सेना कार्मिकों की तुलना में अधिक फायदा न उठाएं ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सीमा शुल्क अधिकारियों की पालम विमान पत्तन पर तैनाती

5638. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोदामों सहित पालम विमान पत्तन पर इस समय कितने सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता तैनात हैं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के हैं ; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों के सहायक सीमा शुल्क समाहर्ताओं की वर्तमान संख्या उनके प्रतिनिधित्व की अपेक्षित प्रतिशतता के अनुरूप है यदि नहीं, तो उसका प्रतिनिधित्व कितना कम है तथा इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तथा (ख) 10 सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता दिल्ली में पालम हवाई अड्डे तथा सैन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गोदामों पर तैनात किये गये हैं । उनमें से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों से संबंधित नहीं है । किसी केन्द्र/स्थान बिशेष पर अधिकारी की तैनाती करने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के लिए कोई आरक्षण नहीं है ।

हथकरघा उद्योगों को पैकिंग-क्रेडिट दिया जाना

5639. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योगों को 180 दिनों का पैकिंग क्रैडिट दिए जाने संबंधी कोई अनुरोध विचाराधीन है ; और

(ख) क्या इस पर अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया गया है अथवा नहीं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है ।

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो के लिए रिक्त पद

5640. **श्री टी० नागरत्नम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1984 को भर्ती तथा पदोन्नति वाले पदों सहित चयन क्षेत्र वार, संवर्ग वार तथा विभाग वार सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा क्रमश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के न भरे गए रिक्त पदों की संख्या कितनी है तथा उसके कारण क्या हैं ;

(ख) उपरोक्त श्रेणीकरण के अनुसार 1 मार्च, 1984 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने रिक्त पद भरने बकाया थे तथा इनको पूरा करने के क्या प्रस्ताव हैं ; और

(ग) 1 सितम्बर, 1983 तथा 1 मार्च, 1984 को छह वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने वाले चयन क्षेत्रवार तथा विभाग वार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिपिकों की संख्या क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"न्यू मंडल इन रिलायंस इनवेस्टमेंट" शीर्षक से समाचार

5641. श्री रशीद मसूद :

श्री बी० डी० सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 दिसम्बर, 1983 के "टेलीग्राफ" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि मान कंपनियों की 11 आइसल मैने कंपनीज में से एक कंपनी ट्रिकोंट इनवेस्टमेंट लिमिटेड, जिसमें 22.50 करोड़ रुपये मूल्य के रलायंस शेयर खरीदे, के शेयरधारियों में से कोई भी शेयरधारी अनिवासी भारतीय नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री जर्नादन पुजारी**) : (क) तथा (ख) सरकार ने संदर्भ द्वारा अपेक्षित समाचार को देखा है । भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कंपनी ने एक अनिवासी भारतीय को और शेयर जारी किए थे और इस तरह वह एक ऐसी निगमित निकाय बन गई, जिसमें अनिवासी भारतीयों का 60% से अधिक स्वामित्व है और उसे अनिवासी भारतीय को दी गई निवेश सुविधाओं के अन्तर्गत निवेश करने की पात्रता प्राप्त हो गई । चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा जारी किया प्रमाण-पत्र अनिवासी भारतीयों के स्वामित्व की अपेक्षित मात्रा का विधिवत रूप से सत्यापन करता है ।

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किये गये हथियार

5642. श्री माधव राव सिंधिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका ने वर्ष 1983 में पाकिस्तान को किस किस्म के कितने मूल्य के और कितनी मात्रा के हथियार दिये हैं और वर्तमान समझौते के अन्तर्गत वर्ष 1984 में दिये जाने वाले हथियारों और सैनिक विमानों का इसी प्रकार का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या अमेरिका सरकार का विचार अपने बजट में पाकिस्तान को वर्ष 1985 में तथा 630 डालर की सैनिक और आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करने का है, यदि हां, तो इसमें से कितनी सहायता हथियारों, उपकरणों और विमानों के लिये होगी ; और

(ग) क्या सरकार ने इस उप महाद्वीप की शांति पर पड़ने वाले कुप्रभाव के बारे में अमेरिका को अपनी प्रतिक्रिया भेज दी है, यदि हां, तो किस रूप में ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पाकिस्तान अमेरिका से बराबर सैनिक साज-सामान प्राप्त कर रहा है जिसमें टैंक, तोपखाना, आरमर्ड पर्सनल कैरियर प्रक्षेपास्त्र, प्रहार करने वाले हैलीकाप्टर, एफ-16 विमान और अन्य अत्याधुनिक उपकरण शामिल हैं ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को 1985 के दौरान आर्थिक और सैनिक सहायता के रूप में 630 करोड़ अमेरीकी डालर देने का प्रस्ताव किया है ।

(ग) अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्र सप्लाई करने के बारे में सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया अमरीका सरकार को सूचित कर दी है । इसे मंत्री/सरकारी स्तर और दोनों देशों के बीच के नियमित राजनयिक संबंधों के स्तर पर किया गया है ।

अहमदाबाद में हस्तशिल्प के एक निर्यातक के परिसर पर आयकर छापा

5643. **श्री धर्मदास शास्त्री :**

श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग ने हाल ही में अहमदाबाद में हस्तशिल्प के एक निर्यातक के व्यापार परिसर पर छापा मारा था ;

(ख) यदि हां तो, इस छापे के दौरान जब्त किये गये अभिशंसी दस्तावेजों, विदेशी मुद्रा, भारतीय मुद्रा तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस निर्यात गृह के विरुद्ध क्या कदम उठाने पर विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आयकर विभाग ने 3-2-1984 को मैसर्स श्रीकाम इण्डस्ट्रीज अहमदाबाद के परिसरों की तलाशी ली । यह फर्म संयुक्त राज्य अमेरिका को हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात करती है । कोई बहुमूल्य वस्तुएं

पकड़ी नहीं गई हैं, फिर भी विभाग ने यह नोट किया कि अत्यन्त शानदार बंगले में काफी पूंजी लगाई हुई थी। पूंजी निवेश के स्रोत के संबंध में दावा किया गया है कि ये अमेरिका से भेजे गए लगभग 2 लाख अमरीकी डालर थे। विभाग इस दावे की सत्यता की जांच कर रहा है।

जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा सैनिक हैलीकाप्टर मंगाया जाना

5644. **श्री पी० नामग्याल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर के वर्तमान मुख्य मंत्री ने पदभार संभालने के बाद कितनी बार कौन-कौन सी तारीखों को किन-किन स्थानों के लिए वायु सेना के हैलीकाप्टरों की मांग की है ;

(ख) हैलीकाप्टरों का उपयोग कुल कितने घंटे किया गया और उस पर रक्षा मंत्रालय का प्रत्येक बार कुल कितना व्यय हुआ ;

(ग) रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार से हैलीकाप्टरों को किराये के रूप में कितनी धन राशि वसूल की है ;

(ग) यदि कोई धनराशि बकाया है तो कितनी ; और

(ङ) क्या मुख्य मंत्री ने चुनाव संबंधी कार्यों जैसे अन्य कामों के लिए रक्षा हैलीकाप्टरों की मांग की थी, और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) जम्मू और काश्मीर के वर्तमान मुख्य मंत्री ने अब तक वायु सेना के हैलीकाप्टर बीस बार मंगाए हैं जिसमें लगभग कुल 97 घंटे उड़ान की गई है। की गई यात्राओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

2. ऐसी हवाई यात्रा का प्रभार रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार वसूल किया जाता है वर्तमान मुख्य मंत्री की हवाई यात्रा के प्रभार के लिए जम्मू और काश्मीर सरकार से 7,20,685.45 की कुल राशि वसूल की जानी है। जम्मू और काश्मीर सरकार ने अब तक किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया है।

3. मुख्य मंत्री द्वारा गैर सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय वायु सेना के हैलीकाप्टर मंगाए जाने की संबंधित नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है। जिन विशिष्ट सरकारी कार्यों के लिए समय-समय पर हैलीकाप्टर मंगाए गए हैं उनकी किस्म के बारे में रक्षा मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

विवरण

जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री की वायु सेना के विमान में हवाई यात्रा

क्रम सं०	हवाई यात्रा की तारीख	उड़ान की अवधि	हवाई यात्रा शुरू करने का स्थान
1.	18.9.82	7.45	अवन्तीपुर-बी. बी. कैंट, कैलाशी-लेह-कारगिल, बी. बी. कैंट
2.	14.10.82	6.00	थोइस-तुर्तोक-देस्कीत
3.	15.10.82	5.45	थोइस-लेह-थोइस-लेह
4.	16.10.82	3.35	लेह-बी बी कैंट
5.	1.11.82	3.25	बी बी कैंट-गुरेज-नीरू-बी बी कैंट
6.	2.11.82	3.35	बी बी कैंट-थागंधार-बी बी कैंट
7.	8.11.82	0.40	जम्मू-वैष्णें देवी-बी बी कैंट
8.	25.12.82 26.12.82	4.55	किस्तवार-मारवा-वाघवान-जम्मू-अथोली-दचन-जम्मू
9.	7.2.83 8 2.83 9.2.83 10.2.83	10.45	बी बी कैंट-कारगिल-पदम-लेह-दाह-बुटालिक-कारगिल बी बी कैंट-जम्मू
10.	5 3.83	3.35	बी बी कैंट-जम्मू, बी बी कैंट अनन्तनाग
11.	12.3.83	1.10	जम्मू-रजौरी-जम्मू
12.	25.5.83 26.5.83	12.55	बी बी कैंट-गुरेज-नीरू-पतरा थागंथार-श्रीनगर, बी बी कैंट-कारगिल-पदम-कारगिल-लेह-द्रास-बी बी कैंट-श्रीनगर
13.	23.8.83	3.40	बी बी कैंट-अमरनाथ-बी बी कैंट
14.	4.9.83 6 9.83 7.9.83	9.30	श्रीनगर-चिकतन-लेह-नोमा-श्रीनगर-बी बी० कैंट-गुलमर्ग
15.	29.9.83	3.30	बी बी कैंट-गुलमर्ग-बी बी कैंट

क्रम सं०	हवाई यात्रा की तारीख	उड़ान की अवधि	हवाई यात्रा शुरू करने का स्थान
16.	26.10.83 28.10.83 29.10.83	9.30	बी बी कैंट-थांगधार-बी बी कैंट-वाघवान-मारवाह-दचिन-खरोच, बी बी कैंट
17.	22.11.83	1.00	जम्मू-दमरारी-जम्मू
18.	29.11.83	2.45	बी बी कैंट-थाना-मण्डी
19.	2.12.83	1.55	सुरंकोट-जम्मू
20.	24.12.83	2.00	जम्मू-दानी-मलहार-सलाल-जम्मू

कलकत्ता में एक फ्लैट की तलासी

5645. श्री सुनील मैत्रा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कलकत्ता पुलिस ने दिनांक 4 फरवरी, 1984 को 8/ए बद्रीदास टैम्पल स्ट्रीट, कलकत्ता-4 के श्री हेमन्त कुमार मण्डल के फ्लैट की तलासी ली थी;

(ख) क्या तलासी के दौरान लगभग 70,000 रुपये नकद तथा दो बैंक लाकरों की दो चाबियां पकड़ी गई थी ;

(ग) क्या आयकर विभाग ने उपरोक्त व्यक्ति के घर से पकड़ी गई इस धनराशि के स्रोत की कोई जांच की थी ;

(घ) क्या आयकर विभाग द्वारा उपरोक्त उल्लिखित बैंक लाकरों की तलासी ली गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उन लाकरों में क्या पाया गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) आयकर विभाग को श्री हेमन्त कुमार मंडल के फ्लैट, 8/ए, बद्रीदास टैम्पल स्ट्रीट, कलकत्ता की कलकत्ता पुलिस द्वारा ली गई तलासी के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। पुलिस से प्राप्त अभिग्रहण सूची से चैकों, जमा रसीदों, बैंक पास बुकों और कुछ अन्य कागजात के अलावा 65,455/- रुपये की नकदी और गोडरेज आलमारियों की दो चाबियों के

अभिग्रहण का पता चला है। 15-2-1984 को आयकर सम्बन्धी जांच प्रारम्भ कर के 3 बैंक लाकरो को सील किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर व्यादेश के कारण लाकरों को खोला नहीं जा सका। विभाग व्यादेश रद्द कराने के लिए कार्यवाही कर रहा है, ताकि बहुमूल्य वस्तुओं के स्रोत के संबंध में आगे पूछ ताछ की जा सके।

बीमा

सामान्य बिमा निगम द्वारा मोटर वाहन दुर्घटनाओं का निपटान

5646. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान मोटर वाहन दुर्घटनाओं के कितने मामले भारतीय सामान्य बीमा निगम को भेजे गए ;

(ख) उड़ीसा राज्य में इस प्रकार के कितने मामलों की गैर-सरकारी सर्वेक्षकों द्वारा निपटाया गया है;

(ग) उनके प्रतिवेदन के आधार पर क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना, जितनी उपलब्ध हो सकेगी, इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

सी ओ डी छिओकी इलाहाबाद में प्राप्त स्टोरों में कमी

5647. श्री दयाराम शाक्य : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी. ओ. डी. छिओकी इलाहाबाद में डी. आर. एस. संख्या 338, 341, 342, 343, 344, 357, 358 और 366 को कम्पनी के प्रतिनिधि को सौंप दिया गया था, और बिना संयुक्त निरीक्षण के उनका भुगतान कर दिया गया था, यदि हां, तो प्राप्त किए गए सामान में कितनी कमी पाई गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त सामग्री के अधिकांश नमूने को नामंजूर कर दिया था ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्म सामग्री की कितनी मात्रा सप्लाई की गई थी, उसमें कितनी कमी पाई गई और घटिया स्तर का पाए जाने के कारण कितनी सामग्री रद्द की गई थी; और

(घ) डी. आर. एस. से पहिले परीक्षा टिप्पणी को किस प्रकार स्वीकृति दी जाती थी तथा इसमें अन्तर्ग्रस्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी नहीं। दैनिक रिसीट शीटों से सम्बन्धित सामान में 2200 लिटर तक की कमी पाई गई है।

(ख) और (ग) कम्पनी द्वारा सेंट्रल आर्डनेंस डिपो, छिवकी को सप्लाई किए गए कुल 6,11,500 लीटर में से, खराब पाए गए और रद्द किए गए सामान की मात्रा क्रमश: 4,450 लीटर और 20,000 लीटर थी ;

(ग) सेंट्रल आर्डनेंस डिपो, छिवकी यह प्रक्रिया अपनाता है कि दैनिक रिसीट शीटों के निपटाने के कुछ दिनों के भीतर निरीक्षण टिप्पणी को स्वीकृति दे देता है। लेकिन जांच करने से पता चला है कि सेंट्रल आर्डनेंस डिपो ने एक मामले में दैनिक रिसीट शीटों तथा निरीक्षण टिप्पणियां की स्वीकृति देने से सामान्य प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, जिसकी जांच की जा रही है।

सेवा निवृत्त रक्षा कार्मिकों की निजी और विदेशी कम्पनियों में नियुक्ति पर रोक

5648. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में कितनी निजी कम्पनियां रक्षा उपस्करों के उत्पादन में संलग्न हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों में काम करने वाले सेवा निवृत्त रक्षा कार्मिकों की संख्या क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार निजी और विदेशी कम्पनियों में सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों की नियुक्ति पर रोक लगाने हेतु विधान बनाने का है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) देश में कई गेर-सरकारी कम्पनियां रक्षा उपस्करों के उत्पादन में लगी हुई हैं। लेकिन सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कलकत्ता में 'इण्डिया आन मार्च' प्रदर्शनी में राष्ट्रीयकृत बैंकों के मण्डप लगाना

5649. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री सुधीर गिरि : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में राष्ट्रीयकृत बैंकों को मण्डप लगाने की मंजूरी मिली हुई है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में मण्डप लगाने के लिए क्या मानदण्ड हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति [आई०] के 77वें अधिवेशन के सम्बन्ध में आयोजित "इण्डिया आन मार्च" प्रदर्शनी में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुछ मण्डप लगाये गए थे ;

(घ) यदि हां, तो उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने उस प्रदर्शनी में अपने मण्डप लगाये थे और उपरोक्त प्रदर्शनी के आयोजन को प्रत्येक बैंक द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया था ; और

(ङ) भुगतान का तरीका क्या था ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की भांति, भारतीय बैंक अपनी छवि को बढ़ावा देने और बेहतर कारोबार को आकर्षित करने के लिए प्रचार अभियान के रूप में प्रदर्शिनियों में अपने मण्डप लगा सकते हैं। इस प्रकार के मण्डपों की उपयोगिता के बारे में सम्बन्धित बैंक के विवेक के अतिरिक्त कोई विशेष मानदण्ड निर्धारित किया गया है बशर्ते कि बैंक का व्यय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रचार व्यय की अधिकतम सीमा के अन्दर आता हो।

(ग) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कलकत्ता में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस (आई) के 77वें अधिवेशन के संदर्भ में हुई "भारत प्रगति के पथ" पर प्रदर्शनी में निम्नलिखित बैंकों ने किराये पर स्थान लेकर उसमें हिस्सा लिया था:—

बैंक का नाम	राशि और अदायगी का तरीका
1. भारतीय स्टेट बैंक	15,000 रुपये रेखांकित बैंकर्स चैक के द्वारा
2. यूनाइटेड कामर्शियल बैंक	7,500 रुपये चैक के द्वारा
3. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	18,000 रुपये आदाता चेक लेखा द्वारा
4. इलाहाबाद बैंक	1000 रुपये आराता बैंक चेकर्स के द्वारा अदायगी के एक भाग के रूप में

कच्चे रेशम का आयात

5650. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं, जिन्होंने वर्तमान आयात नीति के पैरा 148 के अंतर्गत फर्म-वार रुपये में अदायगी के आधार पर कच्चे रेशम के आयात के लिए आने आयात लाइसेंसों को पृष्ठांकित कराया है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) इन में से प्रत्येक फर्म द्वारा कितनी मात्रा (मूल्य सहित) में रेशम की वस्तुओं का निर्यात किया ;

(ग) आयातित कच्चे रेशम के सूत को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में फर्म द्वारा किस प्रकार की गारंटी दी गई थी और क्या इस प्रकार तैयार की गई वस्तुओं का वास्तव में निर्यात किया गया ;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है कि फर्म द्वारा आयात किए गए माल का प्रयोग निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए किया जाता है और इस प्रकार से तैयार की गई वस्तुओं का वास्तव में निर्यात किया जाता है ; और

(ङ) क्या इस प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करने से ये फर्में परिशिष्ट 17 के अन्तर्गत पुन: कच्चे रेशम के लिए आर० ई० पी० लाइसेंस प्राप्त करने या आयात नीति के परिशिष्ट 29 के अन्तर्गत शुल्क मुक्त लाइसेंस प्राप्त करने के दावे के हकदार हो गए, यदि हां, तो उन्हें दोहरा फायदा देने से क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) केवल निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले विनिर्माता निर्यातकों को इस व्यक्त शर्त के साथ आयात की अनुमति थी कि वे पूरे उत्पादन का निर्यात करेंगे । इस प्रावधान के अन्तर्गत कच्चे रेशम के आयात की सुविधा को 15-11-1983 से वापस ले लिया गया ।

(घ) वे फर्में जिन्होंने इस सुविधा का लाभ उटाया उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे लाइ-सेंसिंग प्राधिकरण को तिमाही रिपोर्टें भेजें जिसमें आयातित प्रत्येक मद का उसके सी० आई० एफ० मूल्य और मात्रा सहित ब्यौरे और निर्यात की गई बस्तुओं का उनकी मद-वार मात्रा एवं विवरण सहित एफ० ओ० बी० मूल्य दिया गया हो और वह संबंधित तिमाही अवधि की समाप्ति के एक महीने के भीतर भेंजी जाये ।

(ङ) जी हाँ। विनिर्माता निर्यातकों को उपरोक्त सुविधा के अन्तर्गत कच्चे-रेशम के आयात की अनुमति उनको प्राप्त वैध आर० ई० पी० लाइसेंसों के आधार पर थी। आयातित कच्चे रेशम से विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात पर ऐसे आयातकों को अतिरिक्त प्रतिपूर्ति देने से उन्हें दुगुना लाभ नहीं होगा।

गीयर पम्प पर किए गए बेकार के खर्च के बारे में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

5651. **श्री मूल चन्द डागा : क्या रक्षा** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक लेखा समिति के 37वें प्रतिवेदन के अनुसार एफिसन प्रोपेलर प्रणाली के लिए गीयर पम्पों तथा अन्य हिस्सों पर पुर्जों की खरीद, पर 80 लाख रुपये का खर्च किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए जिम्मेदार पाये गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) लोक लेखा समिति (1980-81) की 37वीं रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एलीसन प्रणोदन (प्रोपेलर) प्रणाली से सम्बन्धित गीयर पम्प असेम्बली और अन्य पुर्जों की खरीद पर 40 लाख रुपए व्यर्थ खर्च किए गए।

(ख) समिति की 98वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार एक जांच बोर्ड गठित किया गया था। जांच के बाद बोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अतिरिक्त खर्चे का कारण कोई भूल नहीं है। बोर्ड के निष्कर्ष समिति को और आगे विचार किए जाने के लिए मंत्रालय द्वारा पेश किए गए "की गई कार्रवाई की टिप्पणी" में दिए गए हैं।

स्टाक एक्सचेंजों के सदस्य बनने वाली कम्पनियां

5652. **श्री तारिक अनवर : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनियों को स्टाक एक्ससचेंज के सदस्य बनने की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इससे स्टाक एक्सचेंजों की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ;

(ख) भारत के दिनांक 18 फरवरी, 1984 के राजपत्र के भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (I) में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जिसमें कतिपय प्रारूप-नियमों को प्रस्तुत किया गया है, और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली 1957 के संबंधित खण्ड में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख के बाद 45 दिनों के अंदर-अंदर किसी भी व्यक्ति से जो भी आपत्तियां या सुझाव प्राप्त होंगे उनको देखते हुए प्रारूप नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा ।

विश्व बैंक को राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ सीधा सम्पर्क रखने की सलाह

5653. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त विश्व बैंक को यह सलाह दी गई है कि यह तीसरे विश्व बैंक के देशों में समुद्र में तेल की खोज और गैस क्षेत्रों में ऋण सहायता देने के लिए बातचीत मेजबान सरकारों के माध्यम से न करके सीधे राष्ट्रीय तेल कम्पनियों से करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव के पीछे एक कारण यह है कि तेल कम्पनियों के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करने से बैंक परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए अपनी बात अधिक प्रभावकारी ढंग से मनवा सकेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में भारत को कोई निर्देश प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि तीसरे विश्व की तेल और गैस परियोजनाओं के वित्त पोषण के मामले में विश्व बैंक को, मेजबान सरकारों की मार्फत बातचीत न करके सीधे राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ लेन-देन करने की सलाह दी गई है ।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

बिहार में सार्वजनिक उपक्रमों में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में रोजगार

5654. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या बिहार के खनिज और वन सम्पदा बहुल क्षेत्र, छोटा नागपुर और संथाल परगना में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले केवल 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक

मूल निवासियों को ही वहां स्थित सभी सरकारी उपक्रमों में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में रोजगार प्रदान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन न्यून प्रतिशतता के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी नीति के अनुसार 800 रुपए तक के न्यूनतम वेतन मानों के पदों पर स्थानीय बेरोजगार लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य है और यदि हां, तो क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए इस नीति के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) माननीय सदस्य के दिनांक 25.3.1983 के प्रश्न संख्या 4586 का आश्वासन पूरा करते समय यह उल्लेख किया गया था कि छोटा नागपुर और संथाल परगना में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली जनसंख्या के क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि सरकारी उपक्रमों में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में वहां की जनसंख्या को कितने प्रतिशत रोजगार प्रदान किया गया है ।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को 1978 में अनुदेश जारी किए थे कि अधिकतम 800 रुपए तक के वेतनमान वाले पदों पर भर्ती केवल राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से ही की जानी चाहिए । हाल ही में सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों, जहां 1982 से वेतनमान परिशोधित कर दिए गए हैं और जिन्होंने औद्योगिक मंहगाई-भत्ता दर अपनाली हैं, मैं ऐसे पदों की वेतन सीमा 800 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई है । यह नीति स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर सुनिश्चित कराने के लिए अपनाई गई है ।

भारत पर्यटन विकास निगम के विदेश यात्रा पर गए अधिकारियों पर हुआ खर्च

5657. **श्री सी० पलानी अप्पन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो गत तीन वर्षों के दौरान विदेश यात्रा पर गए ।

(क) वे कितनी अवधि तक विदेशों में रहे और प्रत्येक अधिकारी ने किन-किन देशों की यात्रा की तथा उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था ; और

(ग) इन मे से प्रत्येक अधिकारी की यात्रा पर कितनी राशि खर्च हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना अनुबन्ध-1 में दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8064/84]

सामूहिक ऋण वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में ऋण लेने वाले अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या

5658: **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामूहिक ऋण वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में जिलावार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने आवेदकों को ऋण दिया गया है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई प्रतिशतता निर्धारित की गई है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के ऋणकर्ताओं में कमजोर वर्गों के वास्ते दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को तेज करने के लिए, सरकार ने बैंकों से प्राप्त हिताधिकारियों का पता लगाने के वास्ते विशेष अभियान चलाने के लिए कहा है। बैंक देश के सभी भागों में इस उद्देश्य की पूर्ति में लगे हैं। लेकिन इन बैंकों द्वारा अभियानों के परिणामस्वरूप दिए जा रहे ऋण, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में बैंकों के ऋण वितरण कार्यक्रम की एक सामान्य गतिविधि है और इसे किसी भी तरह बहुत ऋण वितरण कार्यक्रम जैसी संज्ञा नहीं दी जा सकती। ऐसे अभियानों के लिए कोई राज्यवार/जिला-वार, ऋणकर्ता श्रेणीवार आयाम निर्धारित नहीं किए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह कहा गया है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों प्रवाह में वृद्धि करें। यद्यपि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण के संबंध में कोई उप लक्ष्य (सब टारगेट्स) नहीं रखे गए हैं, लेकिन इन ऋणकर्ताओं को कमजोर वर्गों के श्रेणी में सम्मिलित किया गया है जितने छोटे और सीमान्तिक किसान, भूमिहीन मजदूर, बटाईदार, शिकमी किसान अनुसूचित जातियां, और अनुसूचित जनजातियां, विभेदी ब्याज दर योजना के हिताधिकारी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी कुटीर और ग्राम उद्योगों में कार्यरत शिल्पकार शामिल है। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के उनके अग्रिमों में इन ऋणकर्ताओं के समूह का अंश मार्च, 1985 तक के अन्त तक 25 प्रतिशत से कम न हो। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के लिए कुल मिलाकर 40 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है।

सितम्बर, 1983 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्ताओं के 38.2 लाख खातों के अन्तर्गत 717 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों के राज्यवार आँकड़े दिसम्बर 1981 तक के लिए ही उपलब्ध हैं।

उस दिन, केरल राज्य में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के बकाया अग्रिमों की राशि 1471.12 लाख रुपये और ऋणकर्ता खातों की संख्या 1.2 लाख थी ।

लघु एककों को उत्पादन शुल्क में रियायत

5659. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन लघु एककों का वार्षिक व्यवसाय 25 लाख रुपये से कम है उन्हें उत्पादन शुल्क में कुछ रियायतें दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें यह जानकारी है कि सीमा संबंधी इन मानदण्डों से लघु एककों में लालटेन और बैंड लैम्प के शीशे बनाने वाले शीशा उद्योगों जैसे उत्पादन पर आधारित उद्योगों को कठिनाई हो रही है ;

(ग) क्या 25 लाख के व्यवसाय के इस मानदण्ड को समाप्त करके सभी लघु एककों को समान रूप से रियायत देने का विचार है ताकि उत्पादन को बढ़ावा मिल सके ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सम्भवतया, पूछा गया प्रश्न केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ के अधीन विनिर्दिष्ट जिंसों के सम्बन्ध में लघु क्षेत्र के लिए घोषित की गई सामान्य छूट योजना के सम्बन्ध में है । यह छूट कतिपय शर्तों के अध्यधीन रहते हुए केवल उन्हीं निर्माताओं के लिए उपलब्ध है जिनकी स्वदेशी खपत के लिए समस्त शुल्क्य माल की निकासी का कुल मूल्य पिछले वित्त वर्ष में 25 लाख रुपये से अधिक नहीं हो । कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इस योजना में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया गया है । इस रियायत को केवल वास्तविक लघु एककों तक ही सीमित रखे जाने की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि इसकी पात्रता के लिए वर्तमान मानदंडों को नहीं बदला जाए ।

आयकर तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा शुल्क विभागों में राजस्व वसूली तन्त्र को युक्तिसंगत बनाना

5660. श्री सोम जी भाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्व आयकर की तुलना में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से बत्तीस गुणा राजस्व प्राप्त होता है जबकि आयकर विभाग के कर्मचारियों की संख्या तथा व्यय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की तुलना में लगभग चार गुणा अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान दोनों विभागों के कर्मचारियों पर खर्च तथा वसूल किये गये राजस्व का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इन दोनों विभागों में राजस्व वसूली तंत्र को युक्तिसंगत बनाने पर विचार करेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जो सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों तथा आयकर विभाग द्वारा वसूल किये गए राजस्व और किए गए कुल व्यय को दर्शाता है ।

(ग) कार्यविधि और राजस्व वसूली तन्त्र की समीक्षा सभी विभागों में की जाती रहती है और उसे युक्तिसंगत बनाने के लिए समय-समय पर समुचित उपाय किये जाते हैं ।

विवरण

वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क विभाग द्वारा कर्मचारियों आदि पर किए गये व्यय तथा वसूल किए गए राजस्व को दर्शाने वाला विवरण

(क) व्यय (करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	आयकर विभाग द्वारा किया गया व्यय	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क विभागों द्वारा किया गया व्यय
1	2	3
1980-81	60.31	72.81
1981-82	68.44	77.23
1982-83	80.56	93.38
1983-84	92.56 (अनुमानित)	115.17

(ख) राजस्व

	आयकर विभाग द्वारा वसूल किया गया राजस्व*	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क विभागों द्वारा वसूल किया गया राजस्व*
1980-81	2997.57	9909.30

1	2	3
1981-82	3786.73	11721.10
1982-83	4138.19	13207.91
1983-84	3038.80 (फरवरी 1984 तक अनन्तिम)	15937.43 (1983-84 के लिए संशोधित बजट अनुमान)

(*) स्रोत केन्द्रीय बजट 1984-85 का व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

टिप्पणी : I आयकर विभाग द्वारा किए गए व्यय में, सभी प्रत्यक्ष करों को वसूल करने में किया गया व्यय शामिल है ।

II. आयकर विभाग द्वारा वसूल किए गए राजस्व में, सभी प्रत्यक्ष करों अर्थात् आयकर, निगम कर, धन-कर, सम्पदा शुल्क आदि से वसूल किया गया राजस्व शामिल है ।

III. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क द्वारा किए गए व्यय में कोस्ट गार्ड संगठन पर किया गया व्यय भी शामिल है ।

हनोई (वियतनाम) में भारतीय व्यापार मेला

5661. **श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री वियतनाम को साइकिल के पुर्जों, रसायनों और पटसन की बोरियों के निर्यात के बारे में 24 फरवरी 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 191 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम की राजधानी हनोई में एक भारतीय व्यापार मेला आयोजित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां तो प्रदर्शनी में भाग लेने और अपना माल बेचने वाले प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं ;

(ग) वियतनाम के आयात हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से किन मदों को प्रदर्शित करने का विचार है ; और

(घ) सरकार ने वियतनाम की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए कितने मूल्य के ऋण मंजूर किए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हनोई (वियतनाम) में 1 से 14 मार्च, 1984 तक एक भारतीय व्यापार प्रदर्शनी आयोजित गई थी।

(ख) इस प्रदर्शनी में 19 संगठनों/गैर सरकारी कम्पनियों ने भाग लिया। मौके पर 1.70 लाख रु० मूल्य की वस्तुएं बेची गई।

(ग) इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई मुख्य मदों में ये शामिल हैं वस्त्र, मशीनें, वाइसिकल तथा वाइसिकल के हिस्से, निर्माण सामग्री, लोहे की ढली हुई वस्तुएं, टायर तथा ट्यूबें, सूत, वस्त्र, फर्श बिछावन, सिलाई मशीनें, जूट तथा कयस उत्पाद, रंजक पदार्थ, सिले-सिलाए परिधान, दस्ती औजार, नाशीकीटमार/कीटनाशक दवाएं, जीप, डीजल इंजन, पम्प सैट, परिवहन उपस्कर, डीटरजेन्ट, प्रशाधन सामग्री, कृषि औजार, हस्तशिल्प की वस्तुएं, रेजर ब्लेड, रासायनिक पदार्थ, ग्रामीण विकास सम्बन्धी फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन, रेलवे, रेल परियोजनाएं, परामर्शी सेवाएं आदि। ये सभी मदें वियतनाम के आयात हित की हैं।

(घ) वियतनाम को 1984-85 के दौरान होने वाले भारतीय माल के आयातों के लिए भारत सरकार द्वारा अभी कोई ऋण नहीं दिया गया है।

"एयर इंडिया पायलट्स बोइंग मिसलैड बाइ पाक कंट्रोल टॉवर" शीर्षक समाचार

5662. श्री **नवल किशोर शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 1 मार्च, 1984 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "एयर इंडिया पायलट्स बोइंग मिसलैड बाइ पाक कंट्रोल टावर" (पाक कंट्रोल टावर द्वारा एयर इंडिया के विमान चालकों को दिग्भ्रमित किया जाना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में एयर इंडिया ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री **खुर्शीद आलम खां**) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एयर इण्डिया की 20/21 जनवरी, 1984 की उड़ान संख्या ए. आई-508 ने अपनी मास्को से अमृतसर की उड़ान करते समय, अमृतसर में आगमन से पहले रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वायुसीमा के ऊपर से उड़ान भरते समय निर्धारित ए.टी.एस. मार्ग का अनुसरण किया। 21 तारीख को प्रातः जब विमान पाकिस्तान की वायुसीमा पर से उड़ान भर रहा था, तब विमान हवाई मार्ग के पूर्व में चला गया। मार्ग से भटकने की इस

घटना के लिए उत्तरदायी कारणों का अभी पता लगाया जाना है। ए. टी. एस. मार्ग के कथित उल्लंघन के कारण उड़ान को पाकिस्तानी वायुसेना के विमान ने रास्ते में रोक लिया। मामले की छानबीन की जा रही है।

भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं द्वारा पेंशन भोगियों की बकाया राशियों का भुगतान

5663. **श्री हीरालाल आर० परमार : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं, विशेषत: चांदनी चौक स्थित दिल्ली की प्रमुख शाखा द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार पेंशन भोगियों की बकाया धनराशियों का भुगतान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है ;

(ख) क्या संबंधित अधिकारियों को पेंशन भोगियों को बकाया धनराशियों का भुगतान न किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, कुछ एक मामलों को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के फैसले के उपरांत अक्तूबर 1983 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अधीन पेंशन भोगियों की बकाया धनराशियों का भुगतान करने में कोई देरी नहीं हुई है। सरकारी आदेशों के अनुसार, बैंकों की शाखाओं को बकाया धन राशियों के भुगतान पर कार्रवाई संबंधित पेंशन भोगियों से उनके विकल्प तथा आवेदनों की प्राप्ति पर ही की जानी थी। बताया गया है कि जहां तक भारतीय स्टेट बैंक की चांदनी चौक स्थित शाखा का संबंध है, पेंशन में संशोधन के वास्ते विकल्पों सहित आवेन केवल फरवरी/मार्च 1984 में प्राप्त हुए थे। कुछ मामलों में भुगतान की मंजूरी दे दी गई है और शेष पर कार्रवाई की जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को देरी की कुछ शिकायतें मिली हैं इन मामलों को जल्दी निपटाने के लिए उसने स्थानीय प्रधान कार्यालय को निर्देश जारी कर दिए हैं।

स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के एककों को लाभ/हानि

5664. **श्री आर० एन० राकेश : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1978 में अधिग्रहण के पश्चात उसके प्रत्येक एकक को वार्षिक रूप से कितनी हानि/लाभ हुआ है ; और

(ख) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के छ: एककों के आधुनिकीकरण के लिए अनुमानत: कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) स्वदेशी ग्रुप आफ मिल्स के 6 एककों का अधिग्रहण के समय से वर्षवार लाभ/हानि का लेखा निम्नोक्त प्रकार है :—

अनन्तिम (लाख रु० में)

	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (अप्रैल 83 से जनवरी 84 तक)
1. स्वदेशी काटन मिल मऊनाथ भंजन	+62.92	+67.53	+59.97	—26.89	—12.18	- 22.74
2. उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर	+38.71	+61.08	+24.81	—13.41	—14.77	— 4.10
3. रायबरेली टैक्स-टाइल मिल्स, रायबरेली	+ 0.69	+ 3 26	16 02	—40.38	54 63	58.56
4. स्वदेशी काटन मिल्स नैनी	+84.82	+115.75	+106.27	—55.13	—56.87	—145.30
5. स्वदेशी काटन मिल्स कानपुर	—34.76	—188.21	—107.26	—542 38	—509.19	—681.7 5
6. स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी	+47.62	+ 8.59	+ 0.74	—99.39	—69.32	- 122.34
योग :	+200.00	+6 .48	+68.51	777.58	716.96	—1034.79

(ख) ऐसा अनुमान है कि इन एककों के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 24 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आबंटित आधारभूत ढांचा

5665. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए विभिन्न राज्यों में मुहैया कराए गये मौजूदा आधारभूत ढांचे का ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1990 तक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने का क्या लक्ष्य रखा गया है ;

(ग) क्या उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में गैर-सरकारी क्षेत्र को कोई भूमिका निभानी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होटलों का निर्माण करके, कम समृद्ध विदेशी पर्यटकों के लिए अनुपूरक आवास का प्रबन्ध करते हुए, आरामदेह और पर्याप्त हवाई और थल परिवहन सुविधाएं जुटाते हुए, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वारों पर सुविधाओं में सुधार करते हुए और पर्यटक स्वागत केन्द्र, सूचना बूथों, अल्पाहार गृहों एवं मार्गस्थ सुख-सुविधाओं जैसी अन्य संबंधित आधारिक संरचना संबंधी सहूलियतों की व्यवस्था करते हुए अलग-अलग राज्यों में अनेक सुविधाएं जुटाई हैं । इन सुविधाओं की सतत पुनरीक्षा की जाती है और समय-समय पर उनमें सुधार किया जाता है ।

(ख) पर्यटन विभाग द्वारा 1990 तक 25 लाख अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का एक अनंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्री द्वारा 3 नवम्बर 1982 को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय पर्यटन नीति में पर्यटन संवर्धन की आयोजना की व्यापक रूप से परिकल्पना की गई है । इस वक्तव्य में अन्तर्राष्ट्रीय एवं स्वदेशी पर्यटन के विकास और विपणन के लिए दिशा-निर्देश तथा दिशा-बोध प्रदान किए गए हैं । इस नीति में पर्यटन के संवर्धन सहित आयोजना प्रक्रिया और आधारिक संरचना की व्यवस्था करने में प्राइवेट सेक्टर समेत उद्योग के सभी घटकों को शामिल करने की जरूरत का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि विभाग द्वारा पर्यटक आगमनों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे हासिल किया जा सके ।

दिल्ली हवाई अड्डे पर सुविधाओं का अभाव

5666. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए सुविधाओं और प्रबन्ध का अभाव है और वहां पर भीड़-भाड़ रहना, लोगों का हवाई अड्डे के बाहर ठंड में प्रतीक्षा करना, जन सुविधाओं का न होना, मंहगी खान पान व्यवस्था, सार्वजनिक सूचना प्रणाली का अभाव विमानों के आने-जाने के समय की जानकारी न दिया जाना और कर्मचारियों का उदासीन और असहयोग पूर्ण रवैया आम बात है ; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, नहीं । दिल्ली विमानक्षेत्र पर यात्रियों के लिए अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की हुई हैं । मुलाकातियों को निर्धारित शुल्क अदा कर देने पर अंतस्थ भवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है । उड़ान सूचना तथा जन सम्बोधन पद्धति, स्नैक-बार तथा रेस्तरां, शौचालय आदि की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है । यात्रियों तथा मुलाकातियों की सहायता के लिए विमान-क्षेत्र कर्मचारी उपलब्ध हैं ।

व्यस्ततम घंटों के दौरान उड़ानों का जमघट हो जाने के कारण अन्तस्थ भवन में कभी-कभी भारी भीड़ हो जाती है । इस समस्या पर काबू पाने के लिए प्रतिवर्ष 33 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता वाला एक नया अंतर्राष्ट्रीय अन्तस्थ भवन निर्माणाधीन है तथा यह 1985 में चालू हो जायेगा । अन्तरिम उपाय के रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्थानों को मुख्य अंतस्थ भवन से अन्तरिम प्रस्थान भवन में स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया है ।

सीमा सड़क महानिदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश में जौलजिवी-अस्कोट-मुंस्यारी मोटर सड़क का निर्माण

5667. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा सड़क महानिदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही जौल-जिवी अस्कोट मुस्यारी मोटर सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है और इस वर्ष इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सड़क का निर्माण-कार्य समय पर पूरा होने की संभावना नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं और इस सड़क के निर्माण-कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) मूल योजना के अनुसार इस सड़क की मार्च, 1985 तक बन कर पूरी हो जाने की संभावना थी । पर्याप्त निधि

उपलब्ध न होने के कारण, भूमि अर्जन में विलम्ब तथा वन-संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने में देरी होने की वजह से निर्माण-कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल असर पड़ा है। यह आशा की जाती है कि यह सड़क 1986 के अन्त तक बना कर पूरी कर ली जाएगी। वर्ष 1983-84 के दौरान इस सड़क के लिए प्रावंटित व्यय 60 लाख रुपये है।

परियोजनाओं अर्थात् वन अग्नि नियन्त्रण और इंसैट शिक्षा कार्यक्रमों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता।

5668. श्री पी० एम० सईद :

श्री बी० वी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दो परियोजनाओं अर्थात् आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण और 'इंसैट' शिक्षा कार्यक्रमों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ 6.4 मिलियन डालर की सहायता के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या आधुनिक वन नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 4.1 मिलियन डालर मिलेंगे ;

(ग) यदि हां, तो इस सहायता में से कितनी राशि अग्नि नियंत्रण परियोजना के लिए उपलब्ध की जाएगी ;

(घ) 'इंसैट' शिक्षा कार्यक्रम पर ऋण की कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ; और

(ङ) इन परियोजनाओं से अग्नि नियंत्रण व्यवस्था में सुधार और इंसैट शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में कितनी सहायता मिलेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 41 लाख संयुक्त राज्य अमरीकी डालर की उपर्युक्त पूरी रकम अग्नि-नियंत्रण परियोजना के लिए है। इस राशि को, अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त करने, भारतीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाने तथा परियोजना के लिए आवश्यक उपस्करों की खरीद करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

23 लाख संयुक्त राज्य अमरीकी डालर की रकम की व्यवस्था इनसैट शिक्षा कार्यक्रम के लिए की गई है। अप्रैल 1984 से आरम्भ करके तीन वर्षों की अवधि में इस परियोजना के माध्यम से 77 जनमात तक के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी, लगभग 100 भारतीय अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, तथा स्टुडियो उत्पादन के लिए अद्यतन श्रव्य-वीडियो उपस्कारों को उपलब्ध किया जाएगा।

(ङ) ये परियोजनाएं, इन कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक निवेश-योग्यता की व्यवस्था करके, अद्यतन प्रणालियों तथा आधुनिक किस्म के उपस्कारों की व्यवस्था करके 'इनसैट' के माध्यम से अग्नि नियंत्रण पद्धतियां तथा शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगी।

शहतूत की रेशम के अपशिष्ट और नॉयल टॉप का निर्यात

5669. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो इस समय विश्व बाजार में शहतूत की रेशम के अपशिष्ट और नॉयल टॉप के निर्यात में और रेशम के धागे के उत्पादन में सक्रिय हैं और भारत से आगे हैं : और

(ख) विश्व बाजार में अपने निर्यात में सुधार के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारत के अतिरिक्त, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया तथा इटली भी शहतूती रेशम के अपशिष्ट तथा नायल टाप्स का निर्यात करते हैं। चीन तथा जापान, मात्रा तथा क्वालिटी दोनों में ही रेशमी धागे के उत्पादन में अधिक उन्नत हैं। दक्षिण कोरिया तथा सोवियत संघ केवल क्वालिटी रेशमी धागे के उत्पादन में उन्नत हैं।

(ख) नीति के तौर पर, भारत से रेशम के अपशिष्ट के निर्यात को बढ़ावा नहीं दिया जाता क्योंकि विशेष बल काते हुए रेशमी धागे तथा नायल धागे का प्रयोग करके देश में तैयार की गई मूल्य वर्धित मदों के निर्यात पर है। रेशम के अपशिष्ट तथा नायल टाप्स का निर्यात करने का निर्णय समय-समय पर सामान्यत: इनके उत्पादन तथा स्वदेशी आवश्यकताओं को देखते हुए किया जाता है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग क्षेत्र की कम्पनियों के पास जमा राशि

5670. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर- बैंकिंग क्षेत्र की कम्पनियों के पास जमा राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि बैंक राशियां जमा करने के लिए लोगों को आकर्षित करने में असफल रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस विषय पर एक अध्ययन तैयार किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मार्च, 1982 के अंत में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंककारी कम्पनियों की गई कुल जमा राशियां क्रमशः 43820 करोड़ रुपये और 5492 करोड़ रुपए थीं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियां मार्च, 1979 में 33.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 1982 में 36.1 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में गैर-बैंककारी कम्पनियों की जमा राशियां 3.3 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत तक ही बढ़ीं।

ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखने से ऐसा कहना सही नहीं लगता कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जमाराशियों को आकर्षित करने में असफल रहे हैं। लेकिन, वर्ष 1981-82 के शुरू में बैंकों की जमा राशियों में वृद्धि की दर में आई कुछ गिरावट के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा राशियों में गिरावट आने के कारणों की जांच करने और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक उपायों का पता लगाने के वास्ते उप गवर्नर डा. रंगराजन की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया था। कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने ।। प्रतिशत वार्षिक ब्याज वाली सावधि जमा की एक नई श्रेणी शुरू की है, स्थिर जमाराशियों के बदले ऋण लेने और ऐसी जमा राशियों को समय से पूर्व निकालने की शर्तें उदार बना दी गई हैं, दैनिक जमा योजना खातों की शेष रकमों को स्थिर जमा राशियों में बदलने की और मृतक जमाकर्ताओं के चालू खातों की शेष रकमों पर ब्याज की अनुमति दे दी गई है और उन संस्थाओं को बचत बैंक खाते खोलने की अनुमति दे दी गई है जिन पर आय कर नहीं लगता ताकि जमाकर्ताओं के लिए बैंक जमा को आकर्षक बनाया जा सके।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम की जमाराशि से मकानों का निर्माण

5671. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना 1980 के एक खण्ड में प्रीमियम की जमा राशि से योजना के सदस्यों के लिए स्वामित्व के आधार पर सरकार द्वारा मकान बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस खण्ड के कार्यान्वयन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना में सदस्यों के लाभ के लिए जमा राशि के अधिकांश भाग को, स्वामित्व आवासीय योजनाओं के लिए उपयोग में लाने की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) इन निधियों का उपयोग पहले ही, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास निर्माण अग्रिम की मन्जूरी के लिए व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए किया जा रहा है ।

हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि इन निधियों का उपयोग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में स्वीकार्य आवास निर्माण अग्रिम की राशि को बढ़ाने के लिए किया जाये । राज्य आवास बोर्डों तथा अन्य अनुमोदित अभिकरणों द्वारा केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण के लिए वित्त व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है ।

चीनी फैक्ट्रियों को ऋण

5672. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी फैक्ट्रियों को ऋण देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अध्ययन किया गया है ;

(ख) क्या अध्ययन से यह संकेत मिला है कि चीनी मिलों का यह रवैया बन गया है कि वे मौसम की शुरूआत के समय बैंक ऋण के लिए अपनी मांग रखते हैं ;

(ग) क्या रिपोर्ट में उन्होंने कई और महत्वपूर्ण बातें बताई हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने रिपोर्ट देखी है तथा स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय सुझाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1983 में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशन ओकेजनल पेपर्स खण्ड 4 संख्या (1) गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र के चीनी कारखानों के लिए वाणिज्यिक बैंकों से ऋण की मांग" (1973-80) नामक शीर्षक के अन्तर्गत एक लेख प्रकाशित हुआ था । यद्यपि यह भारतीय रिजर्व का प्रकाशन है फिर भी लेखक द्वारा व्यक्त किए गए विचार जरूरी नहीं कि सम्पादकीय समिति अथवा बैंक अथवा उसके केन्द्रीय निदेशक बोर्ड के विचारों के साथ मेल खाते हों ।

(ख) और (ग) इस लेख में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उनमें से एक यह है कि चीनी मिलों की प्रवृति यह प्रतीत होती है कि वे मौसम के शुरू में बैंक ऋण के लिए अपनी मांग काफी ऊंची रखते हैं । अन्य बातों के साथ-साथ इस लेख के दूसरे निष्कर्ष ये हैं :-

(1) गन्ने की खरीद लागत चीनी के उत्पादन की लागत का लगभग 60% बैठती है ।

(2) चूंकि कच्चे माल की सुपुर्दगी के सम्बन्ध में गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी का पता नहीं होता इसलिए कारखाने किसानों को उस समय केवल आंशिक भुगतान

ही करते हैं। शेष रकम मौसम के बाद के महीनों में अदा की जाती है। इस प्रकार कारखाने किसानों से ऋण की सुविधाएं प्राप्त करते हैं।

(3) गन्ने की किमतों की बकाया रकमें, गन्ने की भरपूर फसल के वर्षों के दौरान विशेष रूप से अधिक होती हैं क्योंकि चीनी उद्योग गन्ने की उस उपज का खपा लेता है जो गुड़ और खांडसारी के निर्माताओं द्वारा नहीं उठाई जाती।

(4) मन्दी के मौसम में उत्पादन में गिरावट के समय, बैंक ऋण की अधिक मांग (जब अन्य वस्तुएं एक समान हों) का सम्बन्ध नए मौसम के शुरू होने से पूर्व गन्ने की बकाया राशियों का निपटारा करने की आवश्यकता से होता है।

(5) व्यापक स्तर पर यह बात कही जा सकती है कि किसानों को देय बकाया रकमों का कारण बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का अभाव नहीं हो सकता।

(घ) जी, हां। नीति सम्बन्धी मार्गनिर्देश तैयार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ लेख में उल्लिखित बातों को भी ध्यान में रखता है। चीनी कारखानों द्वारा ऋण सीमाओं के परिचालन के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों पर कारखानों द्वारा किसानों को गन्ने के लिए किये जाने वाले भुगतान पर उन कारखानों के नकदी ऋण खातों में से की गई निकासियों के सम्बन्ध में नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया गया है। लेकिन इस लेख के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तत्काल कोई विशेष कार्रवाई करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। साथ ही लेख में व्यक्त किए गए विचार भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारिक विचार नहीं हैं।

पर्यटन के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना

5673. श्री के०टी० कोसलराम : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन विमानों से हवाई अड्डे पर उतरने के परमिट वापस लेने, मधनिषेध, होटल उद्योग पर कर लगाने; जिससे कि भारत में छुट्टी मनाने पर खर्च बढ़ा है, और खराब संचार व्यवस्था के कारण भारत में पर्यटन विकास की गतिक्षीण हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कारणों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि भारत 1990 तक 35 लाख पर्यटकों के लक्ष्य को प्राप्त कर सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जबकि हवाई अड्डे पर उतरने के परमिट वापस लेने, देश के कुछ भागों में मधनिषेध होटल उद्योग पर कर लगाने और असंतोषजनक संचार व्यवस्था की वजह से भारत में पर्यटन

के विकास में काफी बाधा पड़ी है, फिर भी हाल के वर्षों में पर्यटक भेजने वाले देशों में मंदी के हालात और हमारे कुछ पड़ोसी देशों में विद्यमान गड़बड़ी के हालात जैसे कुछ अन्य अधिक महत्वपूर्ण कारण भी हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और पर्यटक उद्योग के परामर्श से निरन्तर ऐसे कारणों को दूर करने में लगी है जो इसके नियन्त्रण के भीतर हों और सामान्यतः ऐसे हालात पैदा करने में लगी है जो भारत के लिए अपेक्षाकृत अधिक पर्यटक यातायात के अन्तर्वाह में सहायक हों। साथ ही उन राज्य सरकारों के साथ लग्जरी होटलों पर ऊंचे करों को वापस लेने अथवा कम करने के प्रश्न पर विचार किया गया है जिन्होंने हाल के वर्षों में ऐसे कर लगाए हैं। मद्यनिषेध राज्यों का विषय है, अतः अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्थिति विद्यमान है। तथापि, जहां तक विदेशी पर्यटकों का सम्बन्ध है, जिन राज्यों में सख्त मद्यनिषेध लगा है वहां उन्हें काफी छूट दी जाती है। संचार सुविधाओं में सुधार लाने के लिए पहले से ही प्रयास किया जा रहा है और अब सभी महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र एस०टी०डी० सुविधा से जुड़े हैं। हालांकि किसी निश्चिय लक्ष्य को बता पाना संभव नहीं है फिर भी इन सभी उपायों से और ऊपर बताए गए विदेशी हालात में सुधार आने से पर्यटक यातायात में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

"ग्रेफ" में गैर-सैनिक कर्मचारियों के लिए रैंक संबंधी बिल्ले और नाम-पट्टियां

5674. श्री ई० बालानन्दन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ग्रेफ" में अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के रैंक सम्बन्धी बिल्ले और नाम पट्टियां प्रचलन में हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस सांविधिक प्राधिकार के अन्तर्गत रैंक सम्बन्धी बिल्ले, चमड़े की पेटी और नाम पट्टियां आदि की व्यवस्था है और किस राजपत्रित अधिसूचना के अन्तर्गत उनके मानक और विशिष्टियां अधिसूचित की जाती हैं ;

(ग) किस प्राधिकर के अन्तर्गत गैर-सैनिक कर्मचारियों को रैंक सम्बन्धी बिल्ले, नाम-पट्टियां, चमड़े की पेटी आदि भुगतान करके खरीदनी पड़ती हैं ; और

(घ) किस राजपत्र के अन्तर्गत सीमा सड़क संकेत और झंडी सम्बन्धी सूचना अधिसूचित की गई हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) रैंक सम्बन्धी बिल्ले, पेटियां और नाम-पट्टियां पहनने के लिए किसी सांविधिक प्राधिकार की जरूरत नहीं है। लेकिन रैंक सम्बन्धी बिल्लों को पहनना भारत सरकार, रक्षा मन्त्रालय के दिनांक 15.11.1962 की अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है।

(ग) सेना अधिनियम, 1950 के अनुशासनिक उपबन्धों के लागू करने को ध्यान में रखते हुए जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कार्मिकों और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के सिविलियनों को रैंक सम्बन्धी बिल्ले, नाम पट्टियां और पेटियां पहनना आवश्यक है जो उनकी वर्दी के अंग हैं। ये उन्हें भुगतान करने पर जारी किए जाते हैं। लेकिन अधीनस्थ कर्मचारियों को निःशुल्क पेटियां (वेब) जारी की जाती हैं, किन्तु पर्यवेक्षकों (जूनियर कमीशन अफसरों के समकक्ष) को, यदि वे पहनना चाहें तो उन्हें अपने खर्च पर चमड़े की पेटी पहनने की अनुमति प्रदान की गई है।

(घ) सीमा सड़क संगठन का अपना कोई ध्वज नहीं है। इंजीनियर कोर का ध्वज ही परम्परा के तौर पर इस संगठन की यूनिटों के विभिन्न कार्यालयों पर फहराया जाता है। सीमा सड़कों के विरचना चिह्न सेना मुख्यालय के ए०जी० ब्रांच के दिनांक 20.6.1966 के पत्र संख्या 35589/बी०आर/ए०जी०/पी०एस० 8 के अन्तर्गत प्राधिकृत किए गए हैं।

बिहार सरकार की सिक्योरिटी प्रेस में जाली टिकटें

5675. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के कई समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए इस तथ्य की जानकारी है कि बिहार सरकार के सिक्योरिटी प्रेस में जाली टिकटें प्रकाशित की जा रही हैं जिसका कि लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या सरकार इस कार्य में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दायर करेगी ;

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ; और

(ङ) क्या सरकार उन अपराधियों को दण्ड देने के लिए तैयार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और जहां तक सम्भव होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रबड़ के आयात शुल्क में वृद्धि

5676. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबड़ उत्पाद क्षेत्रों में विलम्ब से वर्षा होने के कारण वर्ष 1983-84 में रबड़ की फसल उम्मीद से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बात को ध्यान में रखते हुए क्या छोटे किसानों के हित में रबड़ का आयात कम किया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार रबड़ की मजदूरी में हाल ही में हुई वृद्धि को ध्यान में रखकर रबड़ पर आयात शुल्क बढ़ाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) मांग-सप्लाई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम सीमा तक ही प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति दी जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा चलाई जा रही गलीचा बुनाई प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ऊनी धागे की खरीद

5677. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1982 के अन्त तक विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा चलाई जा रही गलीचा बुनाई प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत भंडार में कितनी कीमत का ऊनी धागा उपलब्ध था ;

(ख) जनवरी से मार्च, 1983 की अवधि के दौरान की गई खरीद का ब्यौरा और कीमत क्या थी तथा मार्च, 1983 के अन्त में कितना भंडार उपलब्ध था ;

(ग) इस खरीद के समय कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का पुराना भण्डार उपलब्ध था तथा क्या पुराने सामान का भलीभांति उपयोग किया गया ;

(घ) क्या आवश्यकता से अधिक खरीदारी की गई जिसके परिणामस्वरूप सामान खराब हो जाने आदि के कारण हुई ; और

(ङ) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जाएगी ।

कृषि उत्पादों का निर्यात

5679. श्री हरिकेश बहादुर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात करने की बड़ी इच्छुक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फालतू उत्पादन अपर्याप्त मात्रा में होने के कारण कम से कम मात्रा में भी निर्यात के परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कि आम, मांस, काजू, मूंगफली सब्जियों आदि के खुदरा मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाती है ;

(ग) क्या देश में कम मात्रा में सप्लाई हो रहे उन पोषक आहारों का थोड़ी मात्रा में भी निर्यात किया जाना, देश में उनके व्याप्त ऊंचे मूल्यों और कमजोर वर्ग के लोगों को उनकी अनुपलब्धता को देखते हुए भी, तदनुरूप है ;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इससे अभावग्रस्त लोगों की पोषक आहार की आवश्यकता को गहरा धक्का पहुंचा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) उन वस्तुओं के निर्यात की सामान्यत: अनुमति नहीं दी जाती जिनका अधिशेष अपर्याप्त होता है । पर्याप्त अधिशेष वाले फार्म उत्पादों के निर्यात इस ढंग से दिए जाते हैं जिससे घरेलू कीमतों पर उनका कम से कम असर पड़े ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कलकत्ता स्थित यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के मुख्य कार्यालय की मरम्मत

5680. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के मुख्य कार्यालय की मरम्मत के लिए टेंडर को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले में, 2 लाख रुपये से अधिक के किसी भी टेंडर को समाचार पत्र में विज्ञापित करने के नियम का पालन नहीं किया गया ;

(ग) क्या टेंडर 25 फरवरी को खोले गए और टेंडर की स्वीकृति की सिफारिश विस्तृत लागत विश्लेषण किए बिना और विभागीय इंजीनियरों और वस्तु शिल्पियों से परामर्श किये बिना 27 फरवरी के भीतर भेज दी गई थी ;

(घ) क्या बयाने की राशि के रूप में ड्राफ्ट द्वारा सामान्य रूप से 1,00,000 रुपए जमा कराने की बजाय चैक द्वारा केवल 10,000 रुपये जमा कराये गये ;

(ङ) क्या जिस फर्म को टेंडर दिया गया वह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की काली सूची में थी ; और

(च) यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय उक्त ठेके को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए कदम उठाएंगे और इन तथ्यों की जांच करवाएंगे ताकि बैंक के हितों की रक्षा की जा सके ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के अनुसार, मैसर्स कोठारी एण्ड एसोसिएट्स आर्कीटेक्ट्स इंजिनियर्स एण्ड टाउन प्लानर्स की बैंक के निदेशक मंडल अनुमोदन से बैंक के कलकत्ता स्थित मुख्यालय की मरम्मत की योजना और उसके निष्पादन के पर्यवेक्षण के वास्ते बैंक का सलाहकार नियुक्त किया गया था । प्रथम श्रेणी के चुने ठेकेदारों से टेंडर को आमंत्रित करने के उपरांत फर्म ने मैसर्स एम०एल० डालमिया एण्ड कम्पनी के टेंडर को बैंक द्वारा स्वीकार किये जाने की सिफारिश की थी चूँकि इसके वास्ते प्राप्त तीन टेन्डरों में से यह निम्नतम था । बैंक ने आगे बताया है कि विज्ञापनों द्वारा खुले टेंडर आमंत्रित नहीं किये गए थे क्योंकि यह कार्य एक बहुत विशिष्ट प्रकार का था और मरम्मतों के कार्य को वर्षा शुरू होने से पहले पूरा करने की जरूरत थी । इन टेंडरों को वरिष्ठ अधिकारियों/बैंक के कार्यपालकों और अनुरक्षण कक्ष के प्रभारी इंजिनीयर के साथ साथ बैंक के सलाहकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला गया था । आगे बैंक के सलाहकारों की सलाह पर ही 10,000 रुपए की धरोहर राशि इस कार्य के वास्ते समुचित समझी गई थी । अलबत्ता, बैंक ने फर्म के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की काली सूची होने के सम्बन्ध में किसी जानकारी के बारे में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की है । मैसर्स एम०एल० डालमिया एण्ड कं० लि० को काम सौंपे जाने के सवाल पर बैंक द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है ।

औद्योगिक न्यायाधिकरणों श्रमन्यायालयों में श्रमिकों/संघों और भारत पर्यटन विकास निगम के सम्बन्ध के बीच विवाद के लम्बित मामले

5681. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 फरवरी, 1984 को विभिन्न औद्योगिक न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों में श्रमिकों संघों और भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों के बीच औद्योगिक विवाद संबंधी कितने मामले लम्बित थे ;

(ख) उक्त बिवादों में निहित पक्षों के नाम क्या हैं और प्रत्येक विवाद के शुरू होने की तारीख क्या है ;

(ग) क्या विवाद के मामले दो वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित हैं, यदि हां तो प्रत्येक मामले में देरी के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों का विचार संघों और प्रबन्धकों के बीच इन विवादों को सीधी बातचीत द्वारा शीघ्रता से निपटाने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) मामलों के दो या इससे अधिक वर्षों से लम्बित रहने के प्रमुख कारण हैं अदालतों के परिवर्तन के वास्ते कर्मचारियों द्वारा निरन्तर स्थगनों की मांग करना, अदालतों के पीठासीन अधिकारियों की तबदीली, आदि ।

(घ) और (ङ) भारत पर्यटन विकास निगम विवादों को परस्पर बातचीत के जरिये निपटाने के प्रयास करता है और लम्बित औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाता है ।

विवरण

क्रम सं०	पार्टी का नाम		बिवाद शुरू होने की तारीख
1	2		3
	एकक — मुख्यालय		
	सर्व/श्री		
1.	स्नेह शर्मा	बनाम आई०टी०डी०सी०	24.2.78
2.	प्रेम प्रकाश	बनाम आई०टी०डी०सी०	28.4.79
3.	इन्द्रजीत सिंह	बनाम आई०टी०डी०सी०	26.9.83
4.	वीना हरजाई और अन्य 21	बनाम आई०टी०डी०सी०	26.9.83
	एकक—परिवहन - दिल्ली		
5.	बच्चनसिंह	बनाम आई०टी०डी०सी०	3.2.73

1	2		3
6. राज कुमार और अन्य	बनाम	आई०टी०डी०सी०	11.6.81
7. नरसिंह	बनाम	आई०टी०डी०सी०	27.6.81
8. एवेस्ट कबराइल	बनाम	आई०टी०डी०सी०	5.9.83
एकक —परिवहन जयपुर			
9. जी०एस० सैनी और अन्य	बनाम	आई०टी०डी०सी०	12.11.79
एकक—परिवहन—आगरा			
10. एस०के० बक्शी	बनाम	आई०टी०डी०सी०	5.5.80
एकक—अशोक होटल – नई दिल्ली			
11. भैया लाल	बनाम	आई०टी०डी०सी०	14.10.79
12. डा० बी०सी० जैन	बनाम	आई०टी०डी०सी०	14.5.79
13. मनफूल सिंह	बनाम	आई०टी०डी०सी०	27.7.79
14. मदन सिंह	बनाम	आई०टी०डी०सी०	19.9.79
15 शंकर लाल और अन्य	बनाम	आई०टी०डी०सी०	14.12.79
16. भंवर सिंह	बनाम	आई०टी०डी०सी०	6.5.80
17. आई०टी०डी०सी०	बनाम	रामलाल	9.10.80
18. एम०एम० गुप्ता	बनाम	आई०टी०डी०सी०	25.9.81
19. बलराम	बनाम	आई०टी०डी०सी०	20.10.81
20. हरी चन्द	बनाम	आई०टी०डी०सी०	18.4.82
21. मंगलो देवी	बनाम	आई०टी०डी०सी०	26.4.82
22. शेर सिंह	बनाम	आई०टी०डी०सी०	17.7.82
23. अशोक होटल कर्मचारी संघ	बनाम	आई०टी०डी०सी०	14.9.82
24. सोहन लाल	बनाम	आई०टी०डी०सी०	8.12.82
25. छत्तर सिंह	बनाम	आई०टी०डी०सी०	17.9.83

1	2	3
26. ओम प्रकाश	बनाम आई०टी०डी०सी०	19.9.83
27. छत्तर सिंह	बनाम आई०टी०डी०सी०	23.9.83
28. संत राम	बनाम आई०टी०डी०सी०	27.9.83
29. प्रीतम लाल	बनाम आई०टी०डी०सी०	19.9.83
एकक अकबर होटल, नई दिल्ली		
30. आर.जी. जेम्स	बनाम आई०टी०डी०सी०	24.4.78
31. जे.के. वर्मा	बनाम आई०टी०डी०सी०	8.10.82
32. श्रीमती करूणा	बनाम आई०टी०डी०सी०	12.11.82
33. कुमारी मरसेलीन	बनाम आई०टी०डी०सी०	9.5.83
एकक— जनपथ होटल, नई दिल्ली		
34. श्रीमती शोभा रानी	बनाम आई०टी०डी०सी०	24.5.75
35. जनपथ होटल संघ	बनाम आई०टी०डी०सी०	6.10.82
36. चन्द्र लाल	बनाम आई०टी०डी०सी०	21.5.83
37. के.एन. पांडे और माया चक्रवर्ती	बनाम आई०टी०डी०सी०	21.5.83
एकक—होटल रणजीत—नई दिल्ली		
38. रोशन लाल	बनाम आई०टी०डी०सी०	25.5.79
39. गुरबक्श सिंह	बनाम आई०टी०डी०सी०	28.7.83
एकक होटल अशोक बंगलौर		
40. कर्मचारी संघ	बनाम आई०टी०डी०सी०	8.4.81
41. कर्मचारी संघ	बनाम आई०टी०डी०सी०	29.5.81
42. एम. सोमाशेकरिया	बनाम आई०टी०डी०सी०	16.10.81
43. जोसफ जो	बनाम आई०टी०डी०सी०	नवम्बर, 81

1	2	3
44. के.आर. गंगास्वामी	बनाम आईoटीoडीoसीo	20 3 82
45. एम. राजन	बनाम आईoटीoडीoसीo	20.3.82
46. कर्मचारी संघ	बनाम आईoटीoडीoसीo	21.9.82
47. आईoटीoडीoसीo	बनाम अब्राहम पोनिहा	1.10.82
48. सी. अशोकन	बनाम आईoटीoडीoसीo	25.9.82
49. कर्मचारी संघ	बनाम आईoटीoडीoसीo	2.5.83
50. आई.टी.डी.सी.	बनाम पीoबीo कुमार	23.7.83
51. रामनजनेया	बनाम आईoटीoडीoसीo	29.8.83
52. पी.बी. कुमार	बनाम आईoटीoडीoसीo	19.9.83
एकक - होटल औरंगाबाद अशोक—औरंगाबाद		
53. राकेश अमराबो	बनाम आईoटीoडीoसीo	19.10.80
54. कर्मचारी संघ	बनाम आईoटीoडीoसीo	9/82
एकक—हसन अशोक—हसन		
55. नरसिन्हा और 7 अन्य	बनाम आईoटीoडीoसीo	15.6.82
56. सिमितरा शिवराम	बनाम आईoटीoडीoसीo	15.6.82
57. टी.एस. ओम प्रकाश	बनाम आईoटीoडीoसीo	15.6.82
एकक —ललित महल पैलेस होटल—मैसूर		
58. सी.आर. मूर्ती	बनाम आईoटीoडीoसीo	25.9.81
एकक—कोवलम अशोक बीच रिसार्ट—कोवलम		
59. पी.एन. विक्रम	बनाम आईoटीoडीoसीo	12/83
60. जोनसन	बनाम आईoटीoडीoसीo	6.10.82
61. बी जयप्रकाश	बनाम आईoटीoडीoसीo	12/83

1	2	3
	एकक—होटल जयपुर अशोक—जयपुर	
62. डी.पी. गुप्ता	बनाम आई०टी०डी०सी०	31.3.83
	एकक – एअर पोर्ट –कलकत्ता	
63. कर्मचारी संघ	बनाम आई०टी०डी०सी०	16.8.83
	एकक –होटल पाटलीपुत्र अशोक-पटना	
64. जे.के. प्रसाद	बनाम आई०टी०डी०सी०	15.7.83

राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य बैंकों की शाखायें खोलना

5682. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में फरवरी, 1984 तक विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्टेट बैंक तथा मारवाड़ ग्रामीण बैंक की जितनी शाखाएं खोली गयीं ;

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान इनकी कितनी शाखाएं खोलने का सरकार का विचार है ; और

(ग) उनका जिले-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 30.9.1983 को राजस्थान में वाणिज्यिक बैंकों की 1956 शाखाएं कार्यरत थीं। बैंक समूह-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राजस्थान में शाखाएं खोलने के वास्ते बैंकों के पास इस समय 356 प्राधिकार पत्र हैं। जिलावार आंकड़े विवरण-2 में दिए गए हैं। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन प्राधिकार पत्रों का शीघ्र ही उपयोग कर लेंगे।

विवरण-1

	बैंक का नाम/बैंक समूह	शाखाओं की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	119
2.	भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	488

	बैंक का नाम/बैंक समूह	शाखाओं की संख्या
3.	इलाहाबाद बैंक	17
4.	आंध्र बैंक	1
5.	बैंक आफ बड़ौदा	227
6.	बैंक आफ इंडिया	21
7.	बैंक आफ महाराष्ट्र	5
8.	केनरा बैंक	4
9.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	70
10.	कारपोरेशन बैंक	1
11.	देना बैंक	9
12.	इंडियन बैंक	7
13.	इंडियन ओवरसीज बैंक	9
14.	न्यू बैंक आफ इंडिया	49
15.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	23
16.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	14
17.	पंजाब नेशनल बैंक	130
18.	सिंडीकेट बैंक	6
19.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	34
20.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	5
21.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	117
22.	विजया बैंक	7
23.	मारवाड़ ग्रामीण बैंक को छोड़कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	290
24.	मारवाड़ ग्रामीण बैंक	104
25.	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	199
	जोड़	1956

विवरण-2

	जिला	शाखाएं खोलने के वास्ते बैंकों के पास पड़े प्राधिकार पत्रों की संख्या
1.	अजमेर	7
2.	अलवर	29
3.	बांसवाड़ा	11
4.	बारमेड़	36
5.	भरतपुर	16
6.	भीलवाड़ा	2
7.	बीकानेर	4
8.	चूरू	5
9.	डूंगरपुर	3
10.	गंगानगर	4
11.	जयपुर	45
12.	जेसलमेर	2
13.	जालोर	4
14.	झालवाड़	3
15.	झुन्झुनु	11
16.	जोधपुर	15
17.	कोटा	16
18.	नागौर	29
19.	पाली	5
20.	सवाई माधोपुर	22
21.	सीकर	7
22.	सिरोही	2
23.	टोंक	22
24.	उदयपुर	56
	जोड़	356

प्याज के निर्यात में बाधाओं को दूर करना

5683. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, विदेशो मंडियों में प्याज की मांग कम होने, इसका निर्यात मूल्य कम होने और इसके नौवहन में कठिनाई के कारण उत्पन्न हुई प्याज उत्पादकों की दुर्दशा और कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) प्याज के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार को महाराष्ट्र तथा गुजरात की माल इकट्ठा होने वाली मंडियों में भारी मात्रा में आवक के कारण प्याज की बाजार कीमतों में होने वाली गिरावट के बारे में जानकारी है। कीमतों में गिरावट अच्छी फसल, उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के फलस्वरूप हुई है न कि आन्तरिक बाजार के प्रभाव अथवा कम निर्यात मूल्य के कारण। निर्यात के लिए प्याज के पोतलदान में कोई कठिनाईयां नहीं हैं।

(ख) प्याज के निर्यात में कोई बाधाएं नहीं हैं। तथापि, सरकार ने नैफेड को निदेश दिया है कि महाराष्ट्र तथा गुजरात से प्याज की खरीद बढ़ाई जाये तथा अधिकतम संभव मात्रा में उसका निर्यात किया जाये।

सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों में वित्तीय संस्थानों का प्रदत्त पूंजी

5684. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों की वित्तीय संस्थानों में 50 प्रतिशत से अधिक प्रदत्त पूंजी है ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन कम्पनियों को सरकार के नियंत्रणाधीन क्यों नहीं लाया जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1982 के अंत की स्थिति ओर तुरत उपलब्ध सूचना के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी.आई.), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी. आई.), भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई. सी. आई. सी. आई.), भारतीय जीवन बीमा निगम (एल. आई. सी.), भारतीय यूनियन ट्रस्ट (यू. टी. आई.) और

भारतीय साधारण बीमा निगम (जी. आई. सी.) के कुल मिलकर 27 कम्पनियों की इक्विटी शेयर पूंजी में 50 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं। इन कम्पनियों के नाम दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

उन कम्पनियों को जिनमें वित्तीय संस्थाओं की कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी है सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि वित्तीय संस्थाएं शेयर धारिता के संबंध में प्राप्त मताधिकारों और ऐसी कम्पनियों को दी जाने वाली सहायता मंजूरी से सम्बद्ध प्रसंविदाओं की शर्तों के अनुसार इन कम्पनियों के निदेशक मण्डल में नियुक्त नामित निदेशकों के जरिए पर्याप्त नियंत्रण रखती है।

विवरण

दिसम्बर, 1982 की अन्त की स्थिति के अनुसार उन कम्पनियों के नाम जिनके इक्विटी शेयर पूंजी में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के पास 50 प्रतिशत या अधिक शेयर हैं

क्रम सं०	कम्पनी का नाम
1.	गे-डे आयरन एण्ड स्टील क० लि०
2.	थाना इलैक्ट्रीक सप्लाई कम्पनी लि०
3.	शहरी भिवानी पेपर मिल्स लि०
4.	गरू ब्रेक्स लि०
5.	बम्बई सुबर्न इलैक्ट्रिकल्स
6.	इंडस्ट्रियल केबल्स (इंडिया) लि०
7.	नागार्जुन पेपर मिल्स लि०
8.	इंडो अमेरिकल इलैक्ट्रि लि
9.	टी० के० केमिकल्स लि०
10.	वेबेल टूलस्इंड लि०
11.	किर्लोस्कर पिन्यूमेटिक लि०
12.	शालीमारवारेल इन्ड. लि०
13.	भारत बिजली लि०
14.	स्टार इंडस्ट्रियल एण्ड टैक्सटाइल इंटरप्राइजिज

15. बम्बई माल्लेबल आयरन कास्टिंग्स

16. इंडिया मोटर लि०

17. ट्रैक्टर्स इंडिया

18. बेस्ट एण्ड क्रामटन इंजीनियरी लि०

19. लैम्प कैप्स एण्ड फिलामेंट लि०

20. डब्ल्यू एस० इंडस्ट्री लि०

21. पंचकूला मास्ट लि०

22. एग्जोमेट प्लास्टिक लि०

23. एस्कार्ट लि०

24. कम्पनी इंजीनियर्स कारपोरेशन लि०

25. एस० एण्ड पी० इंजीनियरिंग प्रोडेक्टस लि०

26. हथवा मैटल एण्ड ट्यूब्स लि०

27. आरिया वारा प्लाइवूड लि०

कच्छ में तस्करों के गोदाम से माल बरामद होना

5685. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ जिले में एक कुख्यात तस्कर के गोदाम से 19.32 लाख रुपये मूल्य की घड़ियां, कपड़े आदि बरामद हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) माननीय सदस्य ने सम्भवतया सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा कच्छ में हाल ही में दिनांक 27-2-1984 को अभिगृहीत किए गए 17.32 लाख रुपये मूल्य के निषिद्ध माल के बारे में पूछा है।

मामले के तथ्य ये हैं कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने सूचना मिलने पर, अन्य स्थानों के साथ-साथ, 27-2-1984 को मोटा सलाया (कच्छ-माण्डवी) के इस्माइल आदम थाइम के आवासीय परिसर की तलाशी ली। श्री थाइम, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, के तहत पूर्व में नजरबंद किए गए हुसैन हाजी हरून उर्फ हुसैन खीजू के दामाद हैं। इस तलाशी के फलस्वरूप परिसर में बने एक बड़े खोल से 17.32 लाख रुपये मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं-यथा-कलाई-घड़ियां,टैक्सटाइल आदि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभिगृहीत की गई। यह माल लकड़ी की कड़ियों से ढका हुआ था।

सऊदी अरब को खराब किस्म के मांस तथा जीवित पशुओं का निर्यात

5686. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सऊदी अरब को मांस तथा जीवित पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि वे खराब किस्म के हैं ;

(ख) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है कि खराब किस्म के पशुओं और मांस का कैसे निर्यात किया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सऊदी अरब के साथ व्यापार पुन: शुरू करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) तथा (ख) भारत में पशुओं में प्लेग के प्रकोप के समाचार के कारण सऊदी अरब ने भारत से भैंस के मांस तथा जीवित भैंसों के आयात पर रोक लगा दी है ।

(ग) मांस और जीवित पशुधन के निर्यात की क्वालिटी को निर्धारित करने तथा बनाये रखने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये उपायों से प्राधिकारियों को अवगत कराने के लिए वाणिज्य उप मन्त्री के नेतृत्व में एक आधिकारिक प्रतिनिधमंडल सऊदी अरब गया । उच्च क्वालिटी के तथा रोग मुक्त पशुधन एवं मांस का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान क्वालिटी नियंत्रण उपायों को कड़ा करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं । निर्यात से पूर्व कम से कम 21 दिन तक पशुओं के संगरोध के लिए तथा उनके टीका लगाने के लिये संगरोध केन्द्रों की स्थापना करने का निश्चय किया गया है । मांस तथा पशुधन के निर्यात के लिये अनिवार्य लदान पूर्व निरीक्षण भी आरम्भ किया गया है । व्यापार को पुन: शुरू करने के लिये भैंसों के मांस तथा जीवित भैंसों के आयात पर रोक को हटाने के लिये सऊदी अरब सरकार से निवेदन किया जा रहा है ।

समेकित ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए लाभान्वित हुए व्यक्ति

5687. श्री दलवीर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहडोल (मध्य प्रदेश) में 1983-84 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए ऐसे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ;

(ख) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी. आर. डी. ए.) द्वारा अब तक उन्हें कितने मामले भेजे गए हैं ; और

(ग) 1982-83 और 1983-84 के दौरान मिली आर्थिक राज सहायता की कितनी धनराशि अभी तक अवितरित पड़ी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गये ढंग से राज्य-वार सूचना प्राप्त नहीं होती । फिर भी, मध्य प्रदेश में वितरित किये गये सावधि ऋणों और सहायता प्राप्त हिताधिकारियों की संख्या की स्थिति नीचे दी गई है :—

वर्ष	दिये गये सावधि ऋण	हिताधिकारियों की संख्या
1980-81	2474.00	2,34,000
1981-82	5694.00	2,31,861
1982-83	8253.71	3,13,870
1983-84	5831.06	1,91,398
(जनवरी, 1984 तक)		

(आँकड़े अनन्तिम)

जारी की गई और इस्तेमाल की गई इसी तरह, आर्थिक सहायता की स्थिति नीचे दी गई है :—

	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	उपयोग की गई राशि (राज्यों के हिस्से सहित)
		(लाख रुपयों में)
1980-81	708.94	1232.63
1981-82	1374.00	2310.14
1982-83	1814.00	3665.66
1983-84	1086.00	2582.69
(जनवरी, 1984 तक)		(आंकड़े अनन्तिम)

ऋणों की अदायगी न करने वालों के संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया गया अध्ययन

5688. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की वापस अदायगी करने के मामले में छोटे और सीमान्तिक किसानों की बजाय अधिकतर बड़े किसान चूक करते हैं ;

(ख) इस अध्ययन की अन्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वित्तीय संस्थाओं की कार्यविधि संबंधी कमियों जिनके परिणामस्वरूप वसूली बहुत ही कम हो पाती है, के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने कुछ चुनी हुई अनुसंधान संस्थाओं को नौ राज्यों में नमूने के तौर पर तुरन्त अध्ययन करने का काम सौंपा था । इन नौ राज्यों में सात ऐसे राज्य शामिल थे जिनमें वसूली की स्थिति खराब है और दो ऐसे थे जिनमें यह स्थिति अच्छी है । इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अल्पावधिक और दीर्घावधिक संस्थागत ऋणों के मामले में अच्छी और खराब वसूली के कारणों की जांच करना था । प्रत्येक अध्ययन लगभग 100 चूककर्ताओं और 50 चूक न करने वालों के नमूने पर आधारित था । चूक न करने वालों का अध्ययन इसलिए किया गया था कि उसके निष्कर्षों का नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जा सके । खराब वसूली वाले सात राज्यों के अध्ययन के परिणामों से यह पता चलता है कि विभिन्न जिलों में चूककर्ता छोटे और सीमांतिक किसानों का प्रतिशत 27 (नाडिया पश्चिम बंगाल) से 58 (बड़ौदा गुजरात) के बीच है इस अध्ययन में नमूना चूककर्ताओं में जानबूझ कर चूक करने वालों पर भी विचार किया गया है । इस अध्ययन के प्रयोजन के लिए जानबूझ कर चूक की स्थिति की परिभाषा इस प्रकार की गई है जिसमें चूककर्ता के पास खर्च के अलावा इतनी काफी आमदनी हो कि वह ऋण की किस्त चुका सकता हो लेकिन वह एक न एक कारण से ऐसा न कर रहा हो । इस आधार पर सभी चूककर्ताओं में जानबूझकर चूक करने वालों का अनुपात बड़ौदा (गुजरात) में 31 प्रतिशत से लेकर शिमोगा (कर्नाटक) में 100 प्रतिशत है ।

इस अध्ययन में वित्तीय संस्थाओं की प्रक्रिया संबंधी कुछ त्रुटियां भी गिनाई गई हैं । प्रत्येक वर्ग के चुककर्ता ऋणकर्ताओं के प्रत्येक मामले के विश्लेषण के आधार पर स्थिति को नियंत्रित करने के वास्ते उपचारात्मक उपाय करने और वांछनीय चूककर्ताओं को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य स्तरीय विकास बोर्डों के नाम मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं । राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक उधार की कोटि तथा वसूली

की स्थिति सुधारने के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। नीतियों और व्यवहार में त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैन की बैठक

5689. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री टी० एस० नेगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 21 राष्ट्रीयकृत बैंकों के सभी चेयरमैन को दिल्ली में बुलाया था और उनको स्वयं रोजगार योजना के अंतर्गत अगले दो महीनों में 200 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित करने के निदेश दिए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या 31 मार्च, 1984 से पूर्व इतनी भारी राशि का वितरण कार्य सार्वजनिक हित में होगा तथा यह दूरदर्शिता पूर्ण वित्तीय मानदण्ड तथा नियंत्रण के अनुरूप होगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के 15 बड़े बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की 8 मार्च, 1984 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी जिसमें 2.5 लाख शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्व-रोजगार प्रदान करने की योजना की प्रगति की समीक्षा की गई थी। इस योजना के अधीन अगले दो महीनों में बैंकों को 200 करोड़ रुपये संवितरति करने का कोई निदेश नहीं दिया गया था। बैंकों पर यह जोर दिया गया है कि योजना के अन्तर्गत आवेदनों को मंजूर करने से पहले वे उनकी पूरी तरह से जांच-पड़ताल करें और योजना की अर्थक्षमता सुनिश्चित करें।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के निर्माण कार्य की प्रगति

5690. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के इस समय कितने होटल निर्माणाधीन हैं;

(ख) इन होटलों का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था; और

(ग) इन होटलों के निर्माण कार्य में कितनी प्रगती हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां): (क) से (ग) फिलहाल, निम्नलिखित दो होटल परियोजनाएं आई. टी. डी. सी के निर्माणाधीन हैं:—

परियोजना का नाम	जब कार्य प्रारम्भ हुआ	हुई प्रगति
1. होटल कलिंग अशोक भुवनेश्वर का विस्तार	जनवरी 84	नींव (प्लिंथ) तक का कार्य पूरा होने वाला है; सिविल संरचना कार्य के लिए निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं और इन पर अप्रैल 1984 में कार्रवाई किए जाने की संभावना है ।
2- गोहाटी में संयुक्त उद्यम होटल परियोजना	मार्च 83	आर. सी. सी. पाइल्स (सं० 162) गाड़े जा चूके हैं । पाइल कैपिंग और बीम डालने का 50% कार्य भी पूरा हो चुका है । पूरित किए गए (फिल्ड अप) कार्यों का कम्पैक्शन पूरा हो चुका है ।

रूमानिया को लौह-अयस्क का निर्यात

5691. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूमानियां से लौह-अयस्क का निर्यात करने के लिये कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां से रोमानियां को निर्यात के लिये लौह-व्यसक खरीदने की संभावना है ;

(ग) रूमानियां से लौह-व्यस्क का निर्यात करने के संबंध में आवश्यक करार को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, हम रूमानियां को नियमित आधार पर लौह-अयस्क निर्यात करते रहे हैं ।

(ख) रूमानिया को निर्यात हेतु लौह-अयस्क गोआ, महाराष्ट्र, कर्नाटक बिहार तथा उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है ।

(ग) तथा (घ) वर्ष 1984-85 के लिये खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा 4 मिलियन मे० टन लौह-अयस्क निर्यात करने के लिए एक करार को अन्तिम रूप दिया गया है जिसका कार्यान्वयन चल रहा है ।

मध्य प्रदेश में गरीबी दूर करने की योजनाएं

5692. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में गरीबी दूर करने संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है ।

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने संबंधी योजनाओं के नाम क्या हैं ।

(ग) मध्य प्रदेश में गरीबी को दूर करने संबंधी योजनाओं के प्रभावकारी क्रियान्वयन में सहायता करने वाले वाणिज्यिक बैंकों के नाम क्या हैं ; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में गरीबी को दूर करने संबंधी योजनाओं के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य में छठी आयोजना में गरीबी दूर करने के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वे हैं : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम । केन्द्रीय सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाती है । मध्य प्रदेश महित सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाएं जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों द्वारा तैयार की गई परस्पर सम्मत तथा विभिन्न बैंकों/संस्थाओं व उनकी शाखाओं को आवंटित कार्रवाई आयोजना के सन्दर्भ में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सहायता प्रदान करते हैं । औद्योगिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में हुई प्रगति नीचे दी गई है :

वर्ष	कुल व्यय (लाख रुपये)	दिए गए सावधि ऋण (लाख रुपये)
1980-81	1232.63	2474.00
1981-82	2310.14	5694.00
1982-83	3665.66	8253.71
1983-84	2582.69	5831.06

(जनवरी, 1984 तक)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति नीचे दी गई है :-

वर्ष	उपयोग की गई नकद राशि (लाख रूपये)	रोजगार (लाख कार्य दिवस)
1980-81	2520.64	661.31
1981-82	2816 62	365.43
1982-83	3171.58	279.93
1983-84	1550-28	152.43
	(दिसम्बर, 1983)	(जनवरी, 1984)

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० सी० पी०) :

यह कार्यक्रम अगस्त, 1983 से शुरू किया गया है ।

मत्स्य उद्योग को भारतीय स्टेट बैंक से वित्तीय सहायता

5693. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मत्स्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर दक्षिण भारत तटवर्ती राज्यों में ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें भारतीय स्टेट बैंक से मत्स्य उद्योग के लिए वित्तीय सहायता दिलाने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक जैसी राष्ट्रीयकृत बैंक इस मामले में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार तथा दृष्टिकोण अपनाये ; और

(ग) केरल तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती राज्यों में मत्स्य उद्योग को सहायता देने के लिए ऋणों आदि की अदायगी का क्रम पुन: निर्धारित करने तथा दण्डात्मक ब्याज लेना बंद कराने हेतु गत छ: महीनों में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां

(ख) भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को लिखा है कि वह अग्रणी बैंकों से जिला परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में मत्स्य उद्योग की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए कहे ।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने 7 फरवरी, 1984 को मछली पकड़ने की मशीनी नौकाओं के मालिकों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें नौका मालिकों द्वारा उठाई गई बहुत सी समस्याओं

पर विचार विमर्श किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक ने और आगे सूचित किया है कि इन मुद्दों पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति की अगली बैठक में और आगे विचार किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक संबंधित प्राधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इसकी तटवर्ती शाखाएं छोटे मछुओं को देशी नौकाएं केटामारैन, ट्रावलर, मछली पकड़ने का जाल और अन्य सहायक उपकरण खरीदने के लिए सक्रिय रूप से वित्तीय सहायता दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने अपनी कृषि विकास शाखाओं के द्वारा 28 यंत्रीकृत नौकाओं का वित्तपोषण किया है।

मत्स्य उद्योग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से लिये गये ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करना

5694. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, भारतीय स्टेट बैंक आंध्र प्रदेश से लिये गये ऋणों की अदायगी की अवधि को पुनर्व्यवस्थित करने के संबंध में विशाखापटनम में स्थित मत्स्य उद्योग की विभिन्न लघु इकाइयों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को भारतीय स्टेट बैंक आंध्र प्रदेश द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से संबंधित इकाइयों के साथ मिल बैठकर लम्बित मुद्दों और समस्याओं पर विचार न किए जाने की जानकारी है ;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक को लघु उद्यमियों के साथ जिन्होंने विद्यमान समस्याओं के सौहार्दपूर्ण हल की अपनी इच्छा जाहिर की है, विद्यमान मुद्दों पर संबंध में मिलने, चर्चा करने और हल खोजने का प्रयास करने में क्या कठिनाई है ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक आंध्र प्रदेश का ग्राहकों आदि के प्रति अनुकूल रवैया है और वह बातचीत से समस्याओं का हल करने के लिए तत्पर रहे।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) विशाखापटनम में स्थित मत्स्य उद्योग की कुछ कठिनाईयों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने 7 फरवरी, 1984 को मछली पकड़ने की यंत्रीकृत नावों के कुछ मालिकों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें नावों के मालिकों द्वारा उठाई गई बहुत सी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इन मुद्दों पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति की अगली बैठक में आगे और विचार-विमर्श किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक संबंधित प्राधिकरणों के साथ अनेक मुद्दों पर भी चर्चा कर रहा है।

चाय बागानों के क्षेत्रों के अन्तर्गत पेड़ों को काटने के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई पाबन्दियों में ढ़ील

5695. **श्री बी० के० नायर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चाय बागानों के क्षेत्रों के अन्तर्गत पेड़ों को काटने के संबंध में कुछ राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई पाबन्दियों में कृषि विस्तार की दृष्टि से ढ़ील दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन बनाये गये वन संरक्षण नियम, 1981 में भारत सरकार को सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले वनेतर प्रयोजनों के लिए वनभूमि की बटाई करके सफाई करने के प्रस्तावों के लिए व्यवस्था है ।

चौथा वेतन आयोग

5696. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए चौथे वेतन आयोग के विचारणीय विषयों को "देश की आर्थिक स्थिति और सरकार के संसाधन तक सीमित कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसे बदल कर "संविधान में उल्लिखित सामाजिक उद्देश्यों तथा योजनाओं और आर्थिक व सामाजिक प्रक्रिया का वास्तविक अकलन और मजदूरी में हो रही कमी को वेतन आयोग के विचारणीय विषय में बनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वित्त मंत्राय के 29 जुलाई, 1983 के संकल्प संख्या 5 (56) संस्था III/83 के अन्तर्गत स्थापित चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक विषय निम्न प्रकार है;

> "अन्य संगत बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों, आदि के अन्तर्गत विद्यमान वेतन ढांचे, देश की आर्थिक परिस्थितियों, केन्द्रीय सरकार के संसाधनों और विकास सम्बन्धी आयोजन, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण जैसी उन संसाधनों पर माँगों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त के संबंध में सिफारिशें करना ।"

अत: आयोग के विचारार्थ विषय, आयोग द्वारा सिफारिशें देते समय, केवल देश की आर्थिक स्थिति और सरकार के संसाधनों तक ही सीमित नहीं है । वेतस आयोग के वर्तमान विचारार्थ विषय काफी विस्तृत हैं और सरकार का उन्हें बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आयकर की सूचना देने वालों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कर अपवंचन का पता लगाना

5697. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर की सूचना देने वालों से प्राप्त सूचना के आधार पर निरीक्षण निदेशालय द्वारा अब तक कुल कितने कर अपवंचकों का पता लगाया गया है ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कर की कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई तथा कुल कितनी धनराशि पुरस्कार के रूप में वितरित की गई है।

(ग) कुल कितने मामलों में कर अभी भी बकाया है; और

(घ) आयकर अधिनियम की धारा 275क, 276ग तथा 276 गग के अन्तर्गत दोषी पाये जाने के बाद कितने कर अपवंचकों को सजा दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कर अपवंचकों का पता विभागीय आसूचना सर्वेक्षण कार्यवाहियों, तलासी और अभिग्रहण, कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा लोगों की जांच, आदि जैसे अनेक उपायों द्वारा लगाया जाता है। पुरस्कार पाने की आशा में सूचना देने वाला सूचना का केवल एक स्रोत है। इसलिए, सूचनादाताओं से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर पता लगाए गए कर अपवंचन के मामलों के सम्बन्ध में सूचना पृथक करके एकत्र करना कठिन होगा। लेकिन, अदा किये गये पुरस्कारों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वित्तीय वर्ष	पुरस्कार की रकम (लाख रुपये में)
1979-80	8.29
1980-81	13.66
1981-82	20.87

(घ) छिपाई गई आय के कारण चलाए गए मुकदमों और दोषसिद्धि के मामले नीचे दिए गए हैं:—

वित्तीय वर्ष	चलाये गये मुकदमें	दोषसिद्धि के मामले
1979—80	116	29
1980—81	200	23
1981—82	390	29

उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत, इन तीन वर्षों में कुल 5 मामलों में सजा दिलवाई गयी ।

बड़े औद्योगिक गृहों की ओर देय कर राशि

5698. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ ने केन्द्र से व्यक्तिगत आमदनी निगमित लाभ और वस्तुओं पर कर कम करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ की मांगे क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि बड़े निगमित औद्योगिक गृहों की ओर आय कर और लाभ पर कर के रूप में भारी धनराशि देय है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उक्त कर राशि वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यह सच है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों के संघ ने बजट पूर्व ज्ञापन,1984 में व्यक्तिगत आय, नियमित लाभों और जिन्सों पर करों की कटौती करने का सुझाव दिया था । प्रत्यक्ष करों के बारे में इसकी मुख्य-मुख्य मांगे नियमानुसार थीं:-

छूट सीमा बढ़ाई जाए, सीमान्त दर 50% पर निर्धारित की जाए, निगम कर की सामान्य दर 45% से अधिक नहीं हो, अधिकार समाप्त किया जाए, अपेक्षाकृत छोटी कंपनियों में कर की दर 40% से अधिक नहीं हो, अतिकर वापिस लिया जाए और बहुजन/अल्पजन धारित कंपनियों, आदि पर कर की अपेक्षाकृत कम दर लागू की जाए ।

अप्रत्यक्ष करों के बारे में उनका जोर, मानव-निर्मित रेशों और यार्न, टायरों, कागज, सीमेंट, प्लास्टिक, मोटर-वाहनों, लौह और अलौह धातुओं, जूट निर्मितियों, चीनी, आदि जैसी वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क की दरें कम करने पर था अन्य सुझावों के साथ-साथ, उन्होंने स्वदेश में निर्मित पूंजीगत माल पर उत्पादन शुल्क वापस लेने तथा आयातित पूंजीगत माल पर सीमा शुल्क में पर्याप्त कमी करने का भी सुझाव दिया है ।

(ग) और (घ) ऐसे मकानों के बारे में, जहां प्रत्येक ऐसे मामले में आयकर की मांग 10 लाख रु० से अधिक हैं, बकाया करों की राशि 109.37 करोड़ रु० थी । इसमें से 88.91 करोड़ रु० की रकम कानूनी रूप से वसूली योग्य नहीं थी । इस प्रकार 20.46 करोड़ रु० की मांग वसूली योग्य है ।

(ङ) प्रत्येक मामले की वस्तु-स्थिति पर निर्भर करते हुए, आयकर प्राधिकारियों द्वारा बकाया मांग की वसूली/घटौती के लिए समय-समय पर समुचित उपाय किए जाते हैं । इन

उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ, विचाराधीन अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए अपीलिय प्राधिकारियों से निवेदन करना शामिल है। इनमें आयकर अधिनियम की धारा 226 (3) और 179 के अधीन कार्यवाहियों का सहारा लेने और आयकर अधिनियम की धारा 222 के अधीन कर वसूली अधिकारी को वसूली प्रमाणपत्र जारी करने के बाद चल और अचल संपत्तियों की कुर्की करना भी शामिल है।

उड़ीसा में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला खोलना

5699. **श्री हरीहर सोरन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की कितनी प्रयोगशालाएं खोली गई हैं और कितनी प्रयोगशालाएं चल रही हैं ;

(ख) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ये प्रयोगशालाएं कहां-कहां पर हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार एक ऐसी प्रयोगशाला उड़ीसा में खोलने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) देश में 66 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रयोगशालाएं/स्थापनाएं/कार्यालय काम कर रहे हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की दो स्थापनाएं-अर्थात् परीक्षण और प्रायोगिक स्थापना, बालासोर तथा आवासिक तकनीकी कार्यालय (इंजिन) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, सुनाबेड़ा पहले ही उड़ीसा में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा बालासोर जिले में एक नेशनल टेस्ट रेंज और पी एवम् ई ई के निकट बालासोर में राकेटों के परीक्षण, नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र और पाइलेटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट (पी०टी०ए०) के लिए अन्तरिम परीक्षण रेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) अन्तरिम परीक्षण रेंज के 1986 तक तैयार हो जाने की संभावना है। नेशनल टेस्ट रेंज सुविधा का जहां तक संबंध है उस क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं०	स्थान	मुख्य प्रयोगशालाओं/ स्थापनाओं की संख्या	प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं के साथ स्थित छोटे जन-सम्पर्क आवासीय तकनीकी कार्यालय संगणक केन्द्र आदि
1	2	3	4
1.	आगरा	1	—
2.	अहमदनगर	1	—
3.	अलमोड़ा	1	—
4.	आबाड़ी (मद्रास)	1	1
5.	बालासोर (उड़ीसा)	1	—
6.	बंगलौर	5	5
7.	बम्बई	1	1
8.	कलकत्ता	—	1
9	चण्डीगढ़	1	1
10.	कोचीन	1	1
11.	दिल्ली	10	4
12.	देहरादून	2	—
13.	ग्वालियर	1	—
14.	हैदराबाद/सिकन्दराबाद	3	3
15.	जोधपुर	1	—
16.	कानपुर	1	1
17.	लखनऊ	—	1
18.	मंसूरी	1	—
19.	मैसूर	1	—
20.	नासिक	—	1

1	2	3	4
21.	पुणे	4	3
22.	सुनाबेदा (उड़ीसा)	—	1
23.	तेजपुर	1	—
24.	विशाखापत्तनम	1	—
25.	द्वारा 56 ए०पी०ओ०	2	—
26.	लण्डन (यू०के०)	—	1
	कुल	41	25

एंग्लो फ्रेंच टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, पांडिचेरी में कुप्रबन्ध

5700. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एंग्लो फ्रेंच टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड पांडिचेरी में घोर कुप्रबंध की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ;

(ग) क्या इस मिल का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या सरकार ने श्रमिकों को पहले की मजदूरी और उनकी बकाया राशि दिलाने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन (लास्कर) : (क) सरकार को इस मिल के कार्यचालन के संबंध में वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ) उपक्रम के पुन: खोले जाने की संभावनाओं का पता लगाने और उसकी वित्तीय सक्षमता बहाल करने के प्रयास किये जा रहे हैं । इस समय इस उपक्रम का राष्ट्रीयकरण सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

गृह निर्माण के लिए सरकारी कर्मचारियों तथा रक्षा सेवा कार्मिकों को ऋण

5701. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और रक्षा सेवा कार्मिकों को गृह निर्माण के लिए ऐसी स्थिति में ऋण प्रदान करते हैं यदि उनके द्वारा अपने संबंद्ध विभागों से लिया गया ऋण आवश्यकता से कम पड़ जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त प्रयोजन के लिए ऋण देने हेतु कुछ वित्तीय संस्थाओं को भी प्राधिकृत किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि रक्षा सेवा कार्मिकों को भी इस योजना में शामिल किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाएं, अर्थात् सहकारी बैंकों सहित बैंककारी संस्थाएं, राज्य सरकारों द्वारा आवास निर्माण के वास्ते ऋण उपलब्ध कराने वाले स्थापित वित्त निगम शीर्षक सहकारी आवास वित्त संस्थाएं, भारत में रिहायश के प्रयोजनों के वास्ते आवास निर्माण या मकान खरीदने के वास्ते दीर्घावधिक ऋण उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से व्यावसायरत भारत में निर्मित और पंजीकृत पब्लिक कम्पनियां, रक्षा सेवा कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास निर्माण के वास्ते उस समय ऋण देती हैं जब सरकार से पहले प्राप्त अग्रिमों की राशि उनकी जरूरतों के मुताबिक कम पड़ जाए । इन संस्थाओं द्वारा ये ऋण अचल सम्पत्ति के बदले जमानत, प्रभार के स्वरूप आदि के विभिन्न पहलुओं पर अपने आप को सन्तुष्ट कर लेने के बाद दिये जाते हैं । रक्षा सेवा कार्मिकों सहित सरकारी कर्मचारियों को मकान/फ्लेट की शेष लागत को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त करने के वास्ते, सम्पत्ति को दुबारा बंधक रखने को स्वीकार करने का विवेकाधिकार संबंधित वित्तीय संस्थाओं को है ।

बैंक कर्मचारियों की मांगें

5702. **श्री सुभाष चन्द्रबोस अल्लूरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंक कर्मचारियों के अखिल भारतीय यूनियनों/संघों के साथ वेतन सम्बन्धी बातचीत करने का है ;

(ख) क्या बैंक कर्मचारियों को सभी यूनियनों/संघों ने मांग पत्र प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकिंग उद्योग में वेतन समझौते कर्मकार संघों और भारतीय बैंक संघ (आई०बी०ए०) के बीच बातचीत द्वारा किये

जाते हैं। भारतीय बैंक संघ बैंक प्रबन्धकों का एक स्वैच्छिक संगठन है जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों और उन विदेशी बैंकों के प्रबन्धक शामिल होते हैं जिनकी भारत में शाखायें हैं। भारतीय बैंक संघ ने अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (ए०आई०बी०ई०ए०), राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी महासंघ (एन०सी०बी०ई०), भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी कांग्रेस (आई०एन०बी०ई० सी०), राष्ट्रीय बैंक कर्मकार संगठन (एन०ओ०बी०डब्ल्यू०) और भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ (बी०ई०एफ०आई०) से मांग पत्र प्राप्त हुए हैं। भारतीय बैंक संघ ने पहले ही अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी महासंघ के साथ संयुक्त रूप से और भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी कांग्रेस के साथ अलग से मांग पत्रों पर बातचीत शुरू कर दी है। मांग पत्रों में महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ कर अधिक मूल वेतन महंगाई भत्ते के संशोधित फार्मूला, अधिक मकान किराया भत्ते और नगर पूरक भत्ते, अधिक उदार चिकित्सा लाभों और सेवानिवृत्ति लाभों आदि की मांगें शामिल हैं।

कपास का निर्यात

5703. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान कपास की कितनी गांठों के उत्पादित किये जाने की संभावना है तथा पिछले वर्ष का बकाया माल कितना तथा इस वर्ष कपास की कितनी गांठें हैं उपयोग किए जाने की संभावना है ;

(ख) क्या सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात कपास के भारी भण्डारों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और यदि हां, तो कपास आयात पर विचार किये जाने के क्या कारण हैं तथा इस वर्ष कितनी मात्रा में कपास को आयात करने का प्रस्ताव है, तथा उत्पादन में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लम्बे रेशे वाली कपास के निर्यात की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा इस सीजन के दौरान कपास की खरीद न करने के लिए भारतीय कपास निगम से आग्रह किया गया है ; यदि हां, तो क्या कपास का मूल्य जो देश में विदेशी बाजारों की अपेक्षा कम है ; और कम हो जाएगा ; और

(घ) क्या गिरते मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए कपास के कुछ निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) वर्तमान आकलन के अनुसार 1983-84 कपास सीजन के दौरान कपास उत्पादन 78.00 लाख गांठ होने का अनुमान है। 1.9.83 को प्रारम्भिक स्टाक 25.14 लाख होने का अनुमान

है। इस वर्ष के दौरान कपास की संभावित खपत (कारखाना अंतर्गत खपत सहित) 82.65 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) चालू सीजन के अन्त में अनुमानित स्टाक 16.40 लाख गाठों के आस पास होगा जो दो माह की आवश्यकता से कुछ ही अधिक है। हालांकि सीजन के अंत में कपास की स्थिति आरामजनक प्रतीत नहीं होती परन्तु फिलहाल कपास के किसी आयात पर विचार नहीं किया जा रहा है। चालू कपास सीजन के दौरान लम्बे रेशे वाली कपास की 2 लाख गाठों के निर्यात की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) कपास के निर्यातों के संबंध में मांग तथा पूर्ति स्थिति तथा कीमत के रुख को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विचार किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी के पद के लिए पदोन्नति

5704. स्वामी इन्द्रवेश : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय में किस वर्ष तक (सहायक के रूप में नियुक्त की तिथि) के सहायकों को अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नति नहीं किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में सहायकों की पदोन्नतियां कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अन्तः मंत्रालय आधार पर तैयार की गई प्रवरण सूची से की जाती हैं। रक्षा मंत्रालय में उस आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत कनिष्ठतम सहायक, सहायक के रूप में अपनी वरिष्ठता 1975 से गिनता है।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को राजनैतिक दलों की प्रदर्शनियों में मण्डप स्थापित करने के लिए अनुमति देना

5705. **श्री चित्त महाटा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार क्षेत्र के उपक्रमों को राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में अपने मण्डप स्थापित करने की अनुमति दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा मण्डप स्थापित करने का क्या मान दण्ड है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा

भाग लिए जाने के संबंध में सरकार ने कोई सामान्य दिशानिर्देश जारी नहीं किये हैं । सरकारी उपक्रम, विभिन्न तत्वावधानों के अंतर्गत आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेने का निर्णय किसी विशेष प्रस्ताव में अंतर्ग्रस्त व्यय की तुलना में प्रचार तथा कारोबार के रूप में उनसे होने वाले संभावित लाभ के अपने अनुमान के आधार पर करते हैं ।

टन्डन समिति द्वारा शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों के बारे में की गई सिफारिशें

5706. **श्री के० ए० राजन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टन्डन समिति द्वारा शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों के बारे में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जहां तक शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना का संबंध है, टंडन समिति द्वारा निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गई :-

(1) मूल्य-वर्धन का हिसाब उसी आधार पर लगाया जाये, जैसा कि मुक्त व्यापार क्षेत्रों में किया जाता है ;

(2) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को बिक्रीकर अदा करने से छूट दे दी जाये ; और

(3) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत तक घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति दी जाये ।

जहां तक उपरोक्त (1) में की गई सिफारिश का संबंध है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना की अपनी अलग से विशिष्टता बनी रहनी चाहिए और साथ ही शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना में मूल्य वर्धन का हिसाब लगाने के तरीके की बराबरी मुक्त व्यापार क्षेत्रों की एककों में मूल्य-वर्धन का हिसाब लगाने के तरीके से नहीं की जानी चाहिए ।

उपरोक्त (2) तथा (3) में की गई सिफारिशें वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ।

भारत को मिलने वाली अमरीकी सहायता में कटौती

5707. **श्री कमल नाथ** :

श्री निहाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में अगले वर्ष भारत को अमेरिका से मिलने वाली सहायता को कम किया गया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और बंगला देश जैसे पड़ौसी देशों को मिलने वाली अमरीका सहायता में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के राजकोषीय वर्ष, 1985 (अक्टूबर, 84 से सितम्बर, 85) के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का बजट अभी संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया जाना है। पूर्व संकेतों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के राजकोषीय वर्ष, 1985 के बजट प्रस्तावों में भारत को सहायता देने के लिए 2120 लाख डालर की रकम रखी गई है जिसमें विकास सहायता पी०एल० 480 टाईटल II सहायता और विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता शामिल है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिकी राजकोषीय वर्ष 1984 (अक्टूबर, 83 से सितम्बर, 84) में यह राशि 2239 लाख डालर थी। प्राप्त संकेतों के अनुसार आशा है कि इस राशि में विकास सहायता की रकम, संयुक्त राज्य अमेरिकी राजकोषीय वर्ष 1984 की 860 लाख डालर की रकम के मुकाबले में, 870 लाख डालर होगी। इस प्रकार विकास सम्बन्धी सहायता में कोई कमी नहीं होगी।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के राजकोषीय वर्ष 1985 के बजट प्रस्तावों में, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के लिए भी, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक विकास सहायता की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण का भूटान में कोई सहायता कार्यक्रम नहीं चल रहा है।

त्रिवेन्द्रम और दोहा के बीच सीधी वायुयान सेवा की माँग

5708. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम और दोहा के बीच सीधी वायुयान सेवा चलाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार एयर इंडिया द्वारा त्रिवेन्द्रम और दोहा के बीच एक सीधी सेवा चलाने के पक्ष में है। वर्तमान समझौता ज्ञापन के अधीन, एयर इंडिया को दोहा के लिए प्रचालन करने का अधिकार है तथा तदनुसार उसने त्रिवेन्द्रम-दोहा मार्ग पर एक सेवा आरम्भ करने के लिए दिसम्बर, 1981 में कातार के वैमानिक प्राधिकारियों के पास उड़ान अनुसूचियां भेजी। कातार सरकार ने संकेत दिया है कि वे इस मार्ग पर एयर इंडिया को प्रचालन की अनुमति तभी देंगे बशर्ते कि गल्फ एयर को भी इस मार्ग पर प्रचालन की अनुमति दी जाए। समझौता ज्ञापन के अनुसार गल्फ एयर को इस मार्ग पर प्रचालन करने का अधिकार नहीं है। मामले पर कातार सरकार के साथ आगे कार्यवाही की जा रही है।

खाड़ी के देशों के लिए उचित किराए के ढांचे और बेहतर सेवा की मांग

5709. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में काम करने वाले भारतीय उस क्षेत्र के लिए उचित किराए ढांचे और बेहतर सेवा की मांग करते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। खाड़ी के मार्ग पर किराए में कटौती करने तथा बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) खाड़ी के मार्ग पर किराए अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के फोरम के अन्तर्गत निर्धारित तथा सम्बन्धित सरकारों द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। ये किराए इस मार्ग पर प्रचालन करने वाली सभी एयरलाइनों द्वारा वसूल किए जाते हैं। भारत सरकार इन किरायों में इकतरफा तौर पर परिवर्तन नहीं कर सकती। खाड़ी से भारत के यातायात के लिए, सामान्य "इकानॉमी" किराए से लगभग 30 से 35% तक नीचे के स्तर का एकल भ्रमण किराया है, जो कि खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए छुट्टियों में भारत आने के लिए उपलब्ध है। सेवा में सुधार किए जाने वाले उपायों में, एयर इंडिया द्वारा खाड़ी के देशों की अधिकांश सेवाओं पर बोइंग-707 के स्थान पर एयरबस और बोइंग-747 विमानों का लगाया जाना, त्रिवेन्द्रम से सीधी सेवाएं तथा उड़ानों में मलयालम् में उद्घोषणाएं किया जाना सम्मिलित हैं।

उड़ीसा द्वारा अपने उत्पादों के निर्यात में किए गए प्रयत्नों के प्रति निर्यात संवर्धन अभिकरणों की उपेक्षा

5710. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ई०ई०पी०पी०) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफ०आई०सी०ओ०) राज्य व्यापार निगम (एम०टी०सी०) और भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड जैसे अखिल भारतीय निर्यात संवर्धन अभिकरण उड़ीसा द्वारा अपने उत्पादों के निर्यात में किए गए प्रयत्नों की उपेक्षा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के राष्ट्रीय निर्यात संगठन को उड़ीसा के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन करने और राज्य को प्रभावी मार्केटिंग व्यवस्था के प्रबन्ध करने में सहायता देने के लिए क्या निर्देश भेजने का प्रस्ताव है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं । विभिन्न निर्यात संवर्धन अभिकरण, उड़ीसा सहित सभी राज्यों के निर्यात बढ़ाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

5711. **श्री आर०आर० भोले** :

श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 की अवधि के दौरान और 10 फरवरी, 1984 को कितने राज्यों ने ओवरड्राफ्ट लिए ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन राज्यों जो ओवरड्राफ्ट नहीं चुका रहे हैं, को चेतावनी दी है कि रिजर्व बैंक उन राज्यों को भुगतान करना रोक देगा जो अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं ; और

(घ) उपर्युक्त चेतावनी पर उन राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को ऐसे क्या सुझाव दिए हैं जिससे वे उन्हें ओवरड्राफ्ट न लेने पड़े ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तमिलनाडू को छोड़कर, 1982-83 के दौरान वे सभी राज्य ओवरड्राफ्ट में थे जिनका बैंक संबंधी लेन-देन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ है। 10 फरवरी, 1984 को 8 राज्यों के पास ओवरड्राफ्ट थे।

(ख) अधिक ओवरड्राफ्ट वाले राज्यों को अपने ओवरड्राफ्टों को कम करने/समाप्त करने की सलाह दी गई है, ऐसा न करने पर ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(ग) और (घ) वित्त मंत्री ने बिहार, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों तथा तमिलनाडू के वित्त मंत्री के साथ, चरणबद्ध ढंग से इन राज्यों के ओवरड्राफ्ट कम करने/समाप्त करने के उद्देश्य से विचार-विमर्श किया था। पश्चिम बंगाल को छोड़कर इन सभी राज्यों ने वित्त मंत्री द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार ओवरड्राफ्ट कम करने के लिए कार्यवाही करने की योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त मन्त्री ने हरियाणा, कर्नाटक और नागालैंड के मुख्य मंत्रियों को भी चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक अपने ओवरड्राफ्ट कम करने/समाप्त करने की सलाह देते हुए उन्हें लिखा है।

(ङ) राज्य सरकारों को इस प्रकार वित्तीय अनुशासन का पालन करने की सलाह दी गई है कि वे ओवरड्राफ्ट से बचने के उद्देश्य से राजस्व के प्रवाह और व्यय की गति के बीच संतुलन बनाये रख सकें। प्राप्तियों से अधिक अस्थायी व्यय की अधिकता को समायोजित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थोपाय-सीमाएं प्राधिकृत कर दी हैं जिनका राज्य सरकारों द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

'ग्रेफ' के ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना

5712. **श्री अमल दत्त** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम 1965 के अनुसार केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को बर्खास्त करने/हटाने/उनकी सेवाएं समाप्त करने की शक्तियां अधीनस्थ अधिकारियों को नहीं सौंप सकती ; और

(ख) यदि हां, तो सीमा सड़क संगठन के अतिरिक्त ग्रेफ के मुख्य अभियंता और कृतिक बल कमान्डर किस अधिकार के अन्तर्गत ग्रेफ' के ग्रुप 'सी' और 'डी' को बर्खास्त करने/हटाने/उनकी सेवायें समाप्त करने के लिए इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं जबकि इन पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार सीमा सड़कों के महानिदेश को है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) नियमों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी का अधीनस्थ कोई अधिकारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवा से

बर्खास्त, पदच्युत तथा उनकी सेवा समाप्त नहीं कर सकता है। इस नियम का जनरल इंजीनियर फोर्स में भी पालन किया जाता है। मुख्य अभियंताओं तथा कृतिक बल के कमांडरों द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करना वाजिब है क्योंकि वे नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन नहीं है।

कराधान कानूनों का सरलीकरण

5713. **श्री आर. पी. गायकवाड** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय कराधान कानूनों को सरल बनाने का विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कर कानूनों के सरलीकरण का स्वरूप क्या है और उनको कितना सरल किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने के संबंध में सरकार का ध्यान लगातार आकृष्ट किया जाता रहा है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा वार्षिक वित्त विधेयकों तथा अन्य संशोधनकारी विधेयकों के जरिये समय-समय पर विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं। सरकार, इस सम्बन्ध में अन्य कार्रवाई, अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए शुरू करेगी।

भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का आयकर निर्धारण

5714. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का ब्यौरा क्या है, जो गत तीन वर्षों के दौरान भारत और विदेशों में टैस्ट मैचों तथा एक दिवसीय मैच श्रृंखलाओं में खेले थे और जिनकी आय पर कर लगाया जा चुका है ?

वित्त मंत्रालत में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : कलैंडर वर्ष 1981, 1982 और 1983 के संदर्भ में सूचना एकत्र करके यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

समान्तर बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा का अनधिकृत कारोबार

5715. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** :
श्री सुभाष चन्द्र यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेष रूप से कलकत्ता में, विदेशी मुद्रा का अनधिकृत कारोबार करने वाले समानांतर बैंक अथवा ऐसे ही कुछ अन्य संस्थानों के बारे में इस बीच कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस बारे में इस बीच कोई कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) महोदय, यदि माननीय सदस्य "समानान्तर बैंक" अथवा उस संस्था का, जिसके सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित है, नाम बतायें अथवा उसके बारे में ऐसा ब्यौरा दें जिससे उसकी पहचान हो सके तो उसके बारे में सूचना एकत्र करके प्रस्तुत की जा सकती है ।

वायु सेना मुख्यालय में काम कर रहे सशस्त्र सेना मुख्यालय के कर्मचारी

3716. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री वायु सेना मुख्यालय में काम कर रहे सशस्त्र सेना मुख्यालय के असैनिक कर्मचारी के बारे में 25 मार्च 1983 और 19 अगस्त, 1983 के क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 4490 और अतारांकित प्रश्न संख्या 4199 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बीच विधि की जांच कर ली गई है और यह तैयार कर ली गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या वायु सेना मुख्यालय में काम कर रहे असैनिक कर्मचारी रक्षा लेखा नियंत्रण मुख्यालय के अन्तर्गत ले लिये गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : इस विधि की अभी भी जांच की जा रही है ।

हैदराबाद के लिए पर्यटन कार्यालय

5717. **श्री जी० भूपति** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन-किन शहरों और कस्बों में पर्यटन सूचना कार्यालय खोले गए हैं और उनका क्या कार्य है ;

(ख) क्या हैदराबाद में कोई पृथक पर्यटन कार्यालय खोला गया है, यदि हां, तो ऐसे कार्यालय का उद्देश्य और औचित्य क्या है तथा इस पर कितना वार्षिक खर्चा होता है ; और

(ग) कितने कस्बों में पर्यटन सूचना केन्द्र के अलावा ऐसे कार्यालय हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) भारत स्थित पर्यटक कार्यालयों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है । पर्यटक कार्यालय पर्यटक रुचि के स्थानों तथा ऐसे स्थानों पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की सूचना प्रसारित करते हैं । भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यालय राज्य सरकार के यात्रा-

अभिकर्ताओं, होटल मालिकों, कार-प्रचालकों से संपर्क बनाए रखते हैं, हवाई अड्डों/बंदरगाहों पर पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और यात्रा व्यवसाय के विभिन्न घटकों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का समन्वय करते हैं ।

एक पर्यटक कार्यालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है और यह कार्यालय अन्य कार्यालयों की तरह उपर्युक्त कार्य करता है । 4.6.83. से 29.2.84 तक की अवधि के दौरान इस कार्यालय पर हुआ खर्च 64.935 रुपए था ।

विवरण

भारत स्थित पर्यटक कार्यालयों की सूची

1. आगरा
2. औरंगाबाद
3. बंगलौर
4. बम्बई
5. भूवनेश्वर
6. कलकत्ता
7. कोचीन
8. दिल्ली
9. गोआ
10. गुहाटी
11. हैदराबाद
12. इम्फाल
13. ईटानगर
14. जयपुर
15. खजुराहो
16. लखनऊ
17. मद्रास
18. पटना
19. पोर्ट ब्लेयर
20. शिलांग
21. श्रीनगर
22. वाराणसी

प्लाई वुड और चमकदार शीटों पर उत्पादन शुल्क

5718. **श्री सी० चिन्ना स्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्लाई वुड और चमकदार शीटों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्माताओं से प्राप्त ग्रेड-प्रणाली के अनुसार अंकलित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माता पहले ग्रेड के माल का 5वें ग्रेड के माल के रूप में, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अधिक दर को बचाने के लिए, बिल बना रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे निर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ;

(घ) यदि हां, तो उन निर्माताओं के नाम क्या हैं ; और

(ङ) क्या प्लाई-वुड उद्योग से ग्रेड-प्रणाली समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

अमरीका द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ऋण संस्थानों को अंशदान की कटौती

5719. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय ऋण संस्थानों को अपने अंशदान में कटौती करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत के विकास संबंधी कार्यक्रमों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के परामर्श के सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्टों से हमें यह विश्वास करना पड़ता है कि संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सातवें पुनर्भरण के अपने अंशदान को कम करने का निर्णय लिया है ।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने सूचित किया है कि वह प्रति वर्ष 75 करोड़ डालर अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सातवें पुनर्भरण के 25 प्रतिशत से अधिक अंशदान नहीं करेगी ।

विदेशी साधन हमारे निवेश कार्यक्रमों के वित्तपोषण का अपेक्षाकृत एक छोटा भाग हैं । फिर भी, सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है कि विदेशी साधनों की आवश्यक मात्रा लगातार मिलती रहे ।

विदेशी यात्रियों पर व्यय

5720. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में (एक) भारत के प्रधान मंत्री (दो) भारत के मंत्री परिषद् के प्रत्येक मन्त्री (तीन) केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के प्रत्येक राज्य मन्त्री (चार) केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के प्रत्येक उप मंत्री और (पांच) केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रत्येक सचिव की विदेशी यात्राओं पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सूचना उपलब्ध नहीं है तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जानी है ।-इस सूचना को एकत्रित करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा तथा इससे प्राप्त होने वाला परिणाम सूचना को एकत्रित करने में लगने वाले समय तथा श्रम के अनुरूप नहीं होगा ।

विश्व पर्यटन संगठन का क्रियाकलाप

5721. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व पर्यटन संगठन के क्रियाकलाप क्या हैं ;

(ख) कितने और कौन-कौन से देश इसके सदस्य हैं ;

(ग) यह संगठन कब बनाया गया था ;

(घ) भारत इसका सदस्य कब बना ; और

(ङ) भारत को इसकी सदस्यता से अब तक क्या फायदे हुए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विश्व पर्यटन संगठन के क्रियाकलापों में ये कार्य शामिल हैं—अन्तर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी पर्यटन के बारे में उपलब्ध समस्त जानकारी का संकलन, विश्लेषण और प्रसारण ; सीमांत औपचारिकताओं को कम करके और सरल बना कर यात्रा को आसान बनाना ; पर्यटन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, गोल मेज और तकनीकी बैठकों का आयोजन करना और बुलाना ; पर्यटन संबंधी करारों के प्रारूप तैयार करना और ; व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्याओं की जांच करना ।

(ख) इस समय इनके 106 सदस्य, 3 सहयोजित सदस्य और एक स्थायी प्रेक्षक है । सदस्य देशों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) यह संगठन 2 जनवरी, 1975 को स्थापित किया गया था ।

(घ) भारत एक संस्थापक सदस्य है ।

(ङ) अन्य सभी सदस्य देशों की तरह, भारत को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन और पर्यटक व्यवसाय के अन्य घटकों के बारे में सांख्यिकीय सूचना सुलभ होती है । इसने सीमांत औपचारिकताओं और सुविधाओं के बारे में अन्य देशों के अनुभव का लाभ उठाया है । भारत ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, गोल मेज बैठकों और तकनीकी बैठकों में भाग लिया और पारस्परिक

हितों के मामलों में अन्य देशों/संगठनों के साथ आपसी आदान-प्रदान से लाभान्वित हुआ है । भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रमों में और साथ ही साथ विशेष रूप से विकासशील देशों की अपेक्षाओं के अनुकूल तैयार की गई कुछ परियोजनाओं में भाग लिया है ।

विवरण

विश्व पर्यटन संगठन (डब्लू टी०ओ०) के सदस्य राष्ट्र

1. अफगानिस्तान
2. अल्जेरिया
3. अर्जेन्टीना
4. आस्ट्रेलिया
5. आस्ट्रिया
6. बहरीन
7. बंगलादेश
8. बेल्जियम
9. बेनिन
10. बोलिविया
11. ब्राजील
12. बुलगेरिया
13. बुरूंदी
14. चिली
15. जनवादी चीन, गणराज्य
16. कोल्मबिया
17. कांगो
18. कोस्टा रिका
19. क्यूबा
20. साइप्रस
21. चैकोस्लोवाकिया
22. लोकतांत्रिक कम्पूचिया
23. लोकतांत्रिक यमन
24. डोमिनिकन गणराज्य
25. इक्वेडोर
26. मिश्र
27. इथोपिया
28. फिनलैंड
29. फ्रांस
30. गॉबोन
31. गैंबिया
32. लोकतांत्रिक जर्मन गणराज्य
33. संघीय जर्मन गणराज्य
34. घाना
35. यूनान
36. ग्रेनाना
37. हैटी
38. होंडूरास
39. हंगरी
40. भारत

41. इंडोनेशिया
42. इस्लाम इरान गणराज्य
43. ईराक
44. इजरायल
45. इटली
46. आयवरी कोस्ट
47. जैमैका
48. जापान
49. जोर्डन
50. कीनिया
51. कुवैत
52. जनवादी लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य
53. लेबनान
54. लेसोथो
55. लिमिया अरब जमहीरिया
56. मैडागासकर
57. मालवी
58. मलेशिया
59. मालदीव
60. माली
61. माल्टा
62. मारीटानिया
63. मारीशस
64. मैक्सिको
65. भोरक्को
66. नेपाल
67. नीदरलैंड
68. नाइगर
69. नाईजीरिया
70. पाकिस्तान
71. पनामा
72. पेरू
73. फिलीपींस
74. पोलैंड
75. पुर्तगाल
76. क्वतार
77. कोरिया गणराज्य
78. रोमानिया
79. रवांडा
80. सान मारिनो
81. सेनेगाल
82. साइस लियौने
83. स्पेन
84. श्री लंका
85. सूडान
86. स्विट्जरलैंड
87. सीरिया अरब गणराज्य
88. थाईलैंड
89. टोगो
90. तुनिसिया
91. तुर्की
92. उगांडा
93. संघ सोवियत समाजवादी गणराज्य
94. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
95. कामरकोन संयुक्त गणराज्य
96. तंजानिया संयुक्त गणराज्य

97. संयुक्त राज्य अमरीका
98. अपर बोल्टा
59. उरूगे
100. वेनेजोला
101. वियतनाम
102. यमन
103. युगोस्लाविया
104. जाया
105. जाम्बिया
106. जिम्बाब्वे

विश्व पर्यटन संगठन के सहयोजित सदस्य

1. जिब्राल्टर
2. मॉकॉओ
3. नीदरलैंड एंटीलेस

संगठन के स्थायी प्रेक्षक

होली सी

भारत में बीमा योजनाएं

5722. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय विभिन्न प्रकार की कितनी बीमा योजनाएं चल रही हैं ;

(ख) क्या लोग इन योजनाओं से परिचित हैं ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितने लोग पंजीकृत हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का इन बीमा योजनाओं को लोकप्रिय बनाने का कोई कार्यक्रम है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारत में जीवन बीमा कारबार भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाया जाता है और साधारण बीमा कारबार भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी चार सहायक कंपनियों द्वारा चलाया जाता है । इन उपक्रमों ने बीमा कराने वाले लोगों के विभिन्न वर्गों की अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुकूल बड़ी सख्या में भाँति-भांति की बीमा योजनाएं तैयार की हैं ।

जीवन बीमा योजनाएं

2. जीवन बीमा निगम सामूहिक बीमा योजनाओं तथा व्यक्तिगत बीमाओं के अन्तर्गत बीमा कवच प्रदान करता है। सामूहिक बीमा योजनाएं तीन प्रकार की हैं, अर्थात् सामूहिक सावधिक बीमा योजनाएं, सामूहिक अधिवार्षिकी योजनाएं और सामूहिक उपदान योजनाएं।

3. 31 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार, सामूहिक बीमा और अधिवार्षिकी योजनाओं के अन्तर्गत किए जा रहे कारबार में 11,184 योजनाएं शामिल है जिनके अन्तर्गत 8972 करोड़ रुपए की बीमाकृत राशियां और बोनस की राशियों के सम्बन्ध में 74 लाख व्यक्तियों का बीमा प्रवृत है।

4. व्यक्तिगत बीमा की योजनाएं जिनकी और अधिकतम संख्या में पालिसीधारक आकर्षित हुए हैं, । वे हैं, बन्दोबस्ती बीमा और अवधि से पहले रकम (मनी बैक) पालिसियां। अन्य व्यक्तिगत बीमा योजनाओं में, जिनके अन्तर्गत पालिसियां जारी की जाती हैं, बाल आस्थगित पालिसी, बच्चों की प्रत्याशित बन्दोबस्ती पालिसी, जन रक्षा पालिसी और आजीवन बीमा पालिसी शामिल हैं। 31 मार्च 1983 की स्थिति के अनुसार भारत में व्यक्तिगत बीमा कारबार के अंतर्गत 26,264 करोड़ रुपए के लिए 243.78 लाख पालिसियों का कारबार प्रवृत्त था।

साधारण बीमा योजनाएं

5. साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले कारबार की मुख्य श्रेणियां/उप-श्रेणियां ये हैं, अग्नि, समुद्रीमाल, समुद्री हुल, मोटर और विविध प्रकार का बीमा कारबार, विविध बीमा कारबार में बड़ी संख्या में भांति-भांति के जोखिमों के लिए बीमा कवच प्रदान किया जाता है जिसमें सभी तरह के जोखिम, विमानन, सेंधमारी विश्वसनीयता गारंटी, पशु, व्यक्तिगत दुर्घटना, अन्य पक्ष के दायित्व, कामगार मुआवजा, मशीनों की खराबी, लाभ की हानि भी शामिल है। चालू वर्ष 1982 के दौरान इस पूरे उद्योग को भारत में 723 करोड़ रुपए की सकल प्रीमियम आय हुई थी। प्रत्येक प्रकार के बीमे के संबंध में प्रदान किए गए जोखिम कवचों की संख्या के बारे में अलग से ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

प्रचार

6. जीवन बीमा उद्योग तथा साधारण बीमा उद्योग अपनी विभिन्न बीमा योजनाओं को लोकप्रिय बनाने और पूरे देश में बीमा सुविधा के प्रसार को बढ़ाने के लिए बराबर जोर-शोर से अभियान चलाता रहता है। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में

उठाए गए कदमों में रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस, विज्ञापनों, विज्ञापन पटों, मेलों तथा प्रदर्शनियों और फिल्म प्रदर्शनों के माध्यम से प्रचार करना शामिल है। वे आम आदमी तक पहुंचने के विचार से कठपुतली नाच, ड्रामा, छाया नाटकों जैसे परम्परागत माध्यम की सहायता भी लेते हैं और उनकी प्रचार गाड़ियां ग्रामीण अंचलों का व्यापक दौरा करती हैं।

अन्य उपाय

7. उपर्युक्त बातों के अलावा, जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा कंपनियों के शाखा आधारभूत ढांचे और क्षेत्रीय बल को बढ़ाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों की बीमा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इसके फलस्वरूप, देश में बीमा के प्रति अधिक जागृति पैदा हुई है और बीमा सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

वर्ष 1981 से 1983 तक बम्बई, दिल्ली कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर यात्री यातायात और माल ढुलाई सम्बन्धी किया गया कार्य

5723. **श्री अमर सिंह राठवा**: क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर पृथक-पृथक अन्तर्राष्ट्रीय और देशी यात्रियों की संख्या कितनी-कितनी थी तथा कितने टन भार अन्तर्राष्ट्रीय माल ढोया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां): अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1981, 1982 तथा 1983 में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास हवाई अड्डों पर वाहित किए गए अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्देशीय यात्रियों की संख्या तथा अन्तर्राष्ट्रीय सामान का टन भार निम्न प्रकार से हैं :—

वर्ष	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	मद्रास	कुल
1981					
यात्री					
अंतर्राष्ट्रीय	27,18,833	3,12,467	18,61,271	2,32,601	51,25,172
अंतर्देशीय	26,91,344	11,12,728	19,34,115	8,44,857	65,92,044
कुल	54,10,177	14,34,195	37,95,386	10,77,458	117,17,216
अंतर्राष्ट्रीय सामान (टन)	73,749	7,174	47,344	14,696	1,42,963
1982					
यात्री					
अंतर्राष्ट्रीय	32,88,427	2,92,577	19,68,106	2,60,491	58,09,601
अंतर्देशीय	29,09,442	11,93,356	21,28,321	9,38,954	71,70,073
कुल	61,97,869	14,85,933	40,96,427	11,99,445	1,29,79,674
अंतर्राष्ट्रीय सामान (टन)	84,026	7,00,9	52,601	14,725	1,58,361

वर्ष	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	मद्रास	कुल
1983					
यात्री					
अंतर्राष्ट्रीय	37,20,538	3,01,160	20,90,008	3,12,262	64,23,968
अंतर्देशीय	32,09,266	12,98,164	23,46,004	9,84,986	79,28,420
	70,19,804	15,99,324	44,36,012	12,97,248	1,43,52,388
अंतर्राष्ट्रीय सामान (टन)	97,596	6,830	58,560	14,148	1,77,170

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध न्यायालयों में कर अपवंचन लम्बित मामले

5724. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पाद-शुल्क तथा आयकर के अपवंचन एवं उनका भुगतान न करने के अनेक मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन के विरुद्ध न्यायालयों में मामले लम्बित हैं और प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध कुल कितनी राशि के मुकदमे हैं; और

(ग) सरकार का विचार इन करों को शीघ्र वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत में पर्यटक ग्रामों के लिए सुविधाएं

5725. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने पर्यटक ग्राम हैं और कहां-कहां हैं;

(ख) कितने पर्यटक ग्राम निर्माणाधीन है; और कहां-कहां ;

(ग) इन ग्रामों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसे और ग्रामों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) प्रोयोगिक परियोजना के रूप में मध्य प्रदेश के अन्तर्गत शिवपुरी में एक पर्यटक गांव के लिए स्वीकृति दी गई हैं।

(ग) पर्यटक गांव में पर्यटक कुटीरों के अलावा, अन्य प्रस्तावित सुविधाएं हैं-एक अल्पाहान गृह, स्थानीय/क्षेत्रीय संस्कृति के प्रचार के लिए ओपन एयर एम्फीथियेटर, स्थानीय शिल्पियों को अपने उत्पादों को बनाने और उन्हें बेचने में सुविधाएं देना, मनोरंजनात्मक सुविधाएं आदि ।

(घ) मध्य प्रदेश के अन्तर्गत शिवपुरी में बनाए जा रहे पहले पर्यटक गांव के कार्य-निष्पादन के परिणामों को देखने के बाद ही और अधिक पर्यटक गांव स्थापित करने पर विचार करने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में जिलों को हवाई-मार्ग से जोड़ा जाना

5726. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विभिन्न जिलों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने वाले हैं ; और

(ख) इस संबंध में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) देश के सभी जिलों को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत विमान सेवाओं के विस्तार की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए इस समय यातायात सर्वेक्षण कर रहे हैं। उनकी भावी विस्तार योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बिहार वित्त निगम तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा पंडौल में स्थापित किए गए उद्योगों को ऋण

5727. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी जिले के अन्तर्गत पंडोल में कुल कितने उद्योग हैं तथा उन्हें बिहार वित्त निगम तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) क्या कई अन्य उद्योगों को सैंट्रल बैंक द्वारा कार्य पूंजी देने के औपचारिक वायदे पर बिहार वित्त निगम द्वारा ऋण दिए गए :

(ग) क्या ये सभी उद्योग सैंट्रल बैंक द्वारा ऋण न दिये जाने के कारण बेकार पड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त सूचना अनुसार बिहार राज्य वित्त निगम पंडौल के कुल 24 एककों को

वित्तीय सहायता दी गई है। जिन 9 एककों में मशीनरी लगाई गई है, उनमें से 8 एककों का वित्तपोषण सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा किया गया है। एक एकक का वित्तपोषण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसी मालिक के दूसरे एकक के खाते में भारी रकमें अतिदेय हैं। बाकी 15 एककों के मामले में यद्यपि मशीनें स्थापित नहीं की गई हैं, लेकिन 11 एककों के प्रस्तावों पर शाखा स्तर पर विभिन्न चरणों में कार्रवाई की जा रही है।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 (1) और बैंकरों में प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार ग्राहकों के संबंध में और सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा यात्रा करने पर रोक

5728. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **पर्यटन और नागर विमान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों को विडियों, कैमरा रिकार्डर रंगीन टी० वी० जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं की तस्करी करने से रोकने के लिए उनके द्वारा पूर्वी एशिया में वर्ष में एक बार से अधिक यात्रा करने पर पाबन्दियां लगाई हैं, जैसा कि दिनांक 6 मार्च, 1984 के "इंडियन एक्सप्रैस" नई दिल्ली में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत की दो राष्ट्रीय विमान कम्पनियों अर्थात् एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों की यात्राओं पर इस प्रकार की पाबन्दी लगाने की वांछनीयता पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय वाहकों द्वारा, उनके स्टाफ द्वारा पूर्वी एशिया के लिए वर्ष में एक बार से अधिक यात्रा करने पर, कोई प्रतिबंध लगाए जाने की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, इंडियन एयरलायन्स के विनियमों में, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रकों पर, अधिकारियों द्वारा दो वर्ष में एक बार तथा अन्यों द्वारा तीन वर्ष में एक बार यात्रा करने की व्यवस्था है। तथापि, एयर इंडिया के यात्रा विनिमय, जिनमें प्रतिवर्ष अधिकतम 4 रियायती यात्रा टिकटों की व्यवस्था है, भारत-सिंगापुर क्षेत्रक पर केवल विदेशी-यात्रा योजना के अन्तर्गत यात्रा करने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा भारत-आस्ट्रेलिया और भारत-जापान क्षेत्रकों पर कर्मचारियों के भाइयों व बहनों को यात्रा टिकटों के हस्तांतरण की अनुमति प्रदान नहीं करते।

भारतीय राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की स्थापना

5729. **श्री जैनुल बशर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की स्थापना की गई है :

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें जनता और बुनकरों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसमें शामिल किए गए प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस निगम के कार्य क्या-क्या हैं तथा बुनकरों के कल्याण के लिए इस निगम द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) दो गैर-सरकारी सदस्यों अर्थात् तामिलनाडू के श्री एस. रामराज और कर्नाटक के श्री गोपीनाथ सान्द्र को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है ।

(घ) इस निगम द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये जाने हैं :—

(1) हथकरघा क्षेत्र को हैंक यार्न और रंजक और रसायन जैसे कच्चे माल की अधिप्राप्ति और वितरण ।

(2) जैसा भी उचित हो, अधिकाधिक खुदरा दुकानें खोलकर हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन और विपणन अभियान को तेज करना; और

(3) गैर-सहयोगी क्षेत्रों में कताई/रीलिंग कार्यकलापों का वित्त-पोषण ।

निगम द्वारा अपने प्रबन्ध-निदेशक और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद ये कार्य प्रभावी रूप से किये जाएंगे ।

हस्तशिल्प की वस्तुओं का उत्पादन

5731. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान देश में कुल कितने मूल्य के हस्तशिल्प-उत्पादों का उत्पादन किया गया है;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं, निर्माताओं को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्माता अपने उत्पादों को बेचने में बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा हस्तशिल्प वस्तुओं में निर्माताओं को अपने उत्पाद देश और विदेश में बेचने के लिए सहायता देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) चूंकि उत्पादन एककों के व्यापक रूप में फैले होने के कारण हस्तशिल्प क्षेत्र अत्यधिक विकेन्द्रीकृत है, अत: हस्तशिल्प की वस्तुओं के उत्पादन के मूल्य के संबंध में कोई विश्वसनीय आंकडे उपलब्ध नहीं हैं/निर्यात आंकडों पर आधारित मोटे अनुमानों के अनुसार 1981-82 से 1983-84 के दौरान उत्पादित रत्न तथा आभूषण सहित हस्तशिल्प की वस्तुओं का मूल्य निम्नलिखित अनुसार है :—

वर्ष	मूल्य
1981-82	2800 करोड़
1982-83	2880 करोड़
1983-84	3090 करोड़

(ख) 1983-84 के दौरान शिल्पकारों हस्तशिल्प की वस्तुओं के विनिर्माताओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन/सुविधाएं उपलब्ध हैं :

1. डी आर. आई. स्कीम तथा संयुक्त ऋण स्कीम के अन्तर्गत शिल्पकारों के लिए ऋण सुविधाएं ।
2. अति लघु क्षेत्र को ब्याज की रियायती दर पर कार्यशील पूंजी ।
3. उत्पादन आधार के विस्तार के लिए विभिन्न शिल्पों में संस्थागत तथा प्रशिक्षुत्ता स्कीमें ।
4. उत्पाद विकास के लिए डिजाइन तथा तकनीकी विकास ।
5. उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सामान्य सुविधा सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य निगमों/शीर्ष सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता ।

6. कच्चे माल के डिपो स्थापित करने के लिए राज्य निगमों/शीर्ष सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता ।

(ग) तथा (घ) भारी कठिनाई का कोई विशिष्ट मामला जानकारी में नहीं आया है । तथापि, यदा कदा कतिपय शिल्पों के विषय में कठिनाइयां आती हैं और उन्हें दूर करने के लिए निम्नलिखित समुचित कदम उठाये जा रहे हैं ।

(1) अपने बिक्री एम्पोरियमों के जरिये हस्तशिल्प की वस्तुओं की आंतरिक बिक्रियों को सुकर बनाने के लिए केन्द्रीय/राज्य निगम स्थापित किए गए हैं ।

(2) हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम के नाम से एक केन्द्रीय निगम हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के कार्य में लगा हुआ है ।

(3) हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्रियों को सुकर बनाने के लिए हर वर्ष "हस्तशिल्प सप्ताह" का आयोजन किया जाता है और इस अवधि के दौरान एक विशेष रियायत दी जाती है ।

(4) शिल्पकारों को अनेकानेक सेवाएं प्रदान करने और उनके उत्पादों की विपणन क्षमता में सुधार लाने के लिए विभिन्न शिल्प केन्द्रों में 39 विपणन तथा सेवा विस्तार केन्द्र स्थापित किये गये हैं । ये केन्द्र मार्केट मीट्स तथा उत्पाद संवर्धन कार्यक्रम जैसे नियमित कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं ताकि शिल्पकारों को नई नई बातों की जानकारी दी जा सके और संभावित विक्रेताओं से उनका परिचय कराया जा सके ।

(5) हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यातों के लिए नकद मुआवजा सहायता की दरें एफ. ओ० वी० के 7% से बढ़ाकर 10% कर दी गई हैं । कालीन निर्यातक प्रति वर्ग मीटर कालीन के एफ० ओ० वी० मूल्य पर निर्भर करते हुए 7% से 17% की दर पर नकद मुआवजा सहायता के लिए पात्र हैं ।

(6) रेशम कालीनों के लिए नकद मुआवजा सहायता प्रति वर्ग मीटर एफ० ओ० वी० मूल्य के 12% की दर पर देने की अनुमति दी गई है ।

(7) भारतीय कालीनों की क्वालिटी को सुधारने के लिए कालीनों के निर्यातों के आधार पर कालीन श्रेणी की ऊन को शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जा रही है ।

(8) हाथ से गांठ लगे ऊनी कालीनों के निर्यातों के संबंध में पूरा ध्यान देने के लिए एक पृथक कालीन निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई है ।

(9) भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं की बाजार संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए भारत ई० ई० सी० व्यापार संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1983 के दौरान हस्तशिल्प निर्यातकों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने ई० ई० सी० देशों का दौरा किया।

(10) पैकेजिंग में सुधार

(11) विदेशी पत्रिकाओं में प्रचार।

भारत तथा विदेशों में क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय

5732. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री नवीन रावणी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने स्थानों पर और कहां कहां पर क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय काम कर रहे हैं।

(ख) उनके मुख्य कार्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार देश में और अधिक इस प्रकार के कार्यालय स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) विदेशों में किन-किन स्थानों पर भारतीय पर्यटन कार्यालय स्थित हैं ;

(ङ) भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वह किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं ; और

(च) क्या सरकार निकट भविष्य में इस प्रकार के और अधिक कार्यालय स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (च) भारत और विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं :—

1. भारत के लिए पर्यटक यातायात का संवर्धन ;

2. पर्यटक सूचना का संकलन, रख-रखाव और प्रसारण करना ;

3. विदेशी पर्यटकों को हवाई-अड्डों और बन्दरगाहों पर सुविधाएं तथा सहायता प्रदान करना ;

4. यात्रा व्यवसाय, एयरलाइनों, होटल मालिकों, कारप्रचालकों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखना ;

5. विज्ञापन, प्रचार सम्पर्क और प्रैस एवं यात्रा व्यवसाय के साथ जन सम्पर्क ;

6. फिल्म प्रदर्शनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, यात्रा प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना ;

7. भारत का पर्यटक गन्तव्य के रूप में संवर्धन करने के उद्देश्य से यात्रा अभिकरणों, अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों, यात्रा प्रचालकों, व्यक्तियों और अन्य अभिकरणों के संवर्धनात्मक प्रयासों में समन्वय स्थापित करना ।

भारत तथा विदेशों में जिन स्थानों पर पर्यटक कार्यालय कार्य कर रहे हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

अहमदाबाद, कुआला लामपुर और कोलम्बो में कार्यालयों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

विवरण

भारत में

1. नई दिल्ली	12. गोहाटी
2. बम्बई	13. शिलांग
3. कलकत्ता	14. इम्फाल
4. मद्रास	15. इटानगर
5. आगरा	16. भुबनेश्वर
6. जयपुर	17. पटना
7. वाराणसी	18. कोचीन
8. लखनऊ	19. बंगलौर
9. खजुराहो	20 हैदराबाद
10. औरंगाबाद	21. श्रीनगर
11. गोआ	22. पोर्ट ब्लेयर

विदेशों में

1. न्यूयार्क	3. टोकियो
2. सिडनी	4. जनेवा

5. कुवैत	12. स्टाकहोम
6. लन्दन	13. ब्रुशेल्ज
7 लास एंजेल्स	14. मिलान
8. शिकागो	15 वियाना
9. टोरंटो	16. सिंगापुर
10. फ्रैंकफर्ट	17. बैंकाक
11. पैरिस	18. काठमांडु

कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के नियम 68-बी के संबंध में अभ्यावेदन

5733. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के नियम 68-बी के संबंध में अभ्यावेदन के बारे में 8 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6451 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपर्युक्त उत्तर में दिये गये आश्वासन के अनुसार इस बीच आयकर नियम, 1962 के नियम 68 में संशोधन कर दिया था और 1 नवम्बर, 1983 को एक अधिसूचना संख्या एस० ओ०-789 (ई) जारी की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि 1600/- रुपया प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों में बहुत अधिक असंतोष व्याप्त है क्योंकि इस अधिसूचना में केवल 1600/- रुपया तक प्रति माह वेतन पाने वाले भविष्य निधि कर्मचारियों को कर छूट का लाभ दिया गया है और इस सीमा से अधिक वेतन पाने वालों को यह लाभ नहीं मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार 1600/- रुपया प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले भविष्य निधि कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से इस मुद्दे पर नये सिरे से विचार करेगी और कब तक ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि संगत संशोधन के कारण पर्याप्त असंतोष व्याप्त है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के वर्तमान कार्यालय को दूसरे स्थान पर ले जाए जाने की कथित खबर के संबंध में मंडी संघर्ष समिति की ओर से ज्ञापन

5734. श्री अजित सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मंडी कवेनर संघर्ष समिति, मण्डी की ओर से स्टेट बैंक आफ इंडिया के वर्तमान कार्यालय को दूसरे स्थान पर ले जाये जाने की कथित खबर के संबंध में 16 फरवरी, 1983 का एक ज्ञापन मिला है ;

(ख) शिकायतकर्ता ने क्या आपत्तियां उठाई हैं ; और

(ग) सरकार का विचार ज्ञापन में उल्लिखित गंभीर अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) दो संसद सदस्यों के माध्यम से केन्द्रीय वित्त मन्त्री को मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक को सम्बोधित दिनांक 16 फरवरी, 1984 तक का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; संघर्ष समिति, मण्डी के संयोजक भारतीय स्टेट बैंक की शाखा को नये स्थान पर ले जाने के खिलाफ हैं ।

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि मंडी स्थित उसकी शाखा 3 अलग-अलग स्थानों पर कार्य कर रही है, इसलिए ग्राहकों को काफी परेशानी होती है । शाखा को एक स्थान पर ले जाने के उद्देश्य से बैंक ने 1981 में एक विज्ञापन दिया था जिसमें इच्छुक पार्टियों से आवेदन आमंत्रित किये गये थे । जो आवेदन प्राप्त हुए थे उन्हें उपयुक्त नहीं समझा गया इसलिए वे रद्द कर दिए गए । 1982 में एक नया विज्ञापन दिया गया और 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए । इनमें से एक प्रस्ताव श्री मंजीत सिंह से प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने 1.15 रुपये प्रति वर्ग फूट कवर्ड एरिया के हिसाब से अपना स्थान देने की पेशकश की । यद्यपि बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार यह स्थान पर्याप्त था लेकिन अन्य प्रस्तावों के साथ इसे भी रद्द कर दिया गया क्योंकि उस समय यह समझा गया कि यह प्लाट अच्छी जगह पर स्थित नहीं है । इसी बीच, नगर पालिका, मण्डी ने बैंक को 1.60 रुपयें प्रति वर्ग फुट के हिसाब से अपनी इमारत में लगभग 2763 वर्ग फुट स्थान पट्टे पर देना स्वीकार कर लिया । लेकिन इस इमारत में सारी शाखा नहीं आ सकती थी और नगर पालिका ने एक और मंजिल तैयार करके अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करना स्वीकार नहीं किया । फिर भी, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एक प्रभाग को नगर पालिका की इमारत में भेजने का निर्णय किया ताकि भीड़ को कम किया जा सके । इस प्रभाग के भेजे जाने से शाखा 4 इमारतों में कार्य करने लगी और भीड़ बराबर रहने लगी ।

शाखा को एक ही स्थान पर लाने के प्रयोजन से श्री मंजीत सिंह के प्रस्ताव पर एक समिति द्वारा फिर से विचार किया गया जिसके मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, परिसर अधिकारी और बैंक इंजीनियर सदस्य थे । श्री मंजीत सिंह की इमारत वर्तमान परिसर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर बताई जाती है और यह बताया गया है कि यह इतनी बड़ी है कि इसमें सारी शाखा आ जाती है इस प्रस्ताव को उचित समझते हुए बैंक ने इमारत के मालिक के साथ बातचीत की और उसने 1.40 रुपये प्रति वर्ग फुट कवर्ड एरिया के हिसाब से किराया लेना स्वीकार कर लिया । बैंक ने मालिक मकान को सामान्य शर्तों पर सम्पत्ति के साम्यिक रहन

के द्वारा 4 लाख रुपये का अग्रिम दिया है। अग्रिम की पहली किस्त का पहले ही भुगतान किया जा चुका है और इमारत का निर्माण शुरू हो गया है। बैंक के अनुसार इमारत को किराये पर लेना उचित है।

उड़ीसा में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड फैक्टरी कम्पलैक्स के निर्माण के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास

5735. **श्री के० प्रधानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सुनाबेड़ा में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड फैक्टरी कम्पलैक्स के निर्माण के परिणामस्वरूप कितने लोग विस्थापित हुए ;

(ख) उनमें से कितने लोगों को वैकल्पिक भूमि अथवा फैक्टरी में रोजगार देकर उनका पुनर्वास किया गया है ; और

(ग) कितने लोगों को अभी पुनर्वासित किया जाना बाकी है और उनको किस प्रकार पुनर्वासित करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 397।

(ख) और (ग) कम्पनी ने 85 व्यक्तियों को सीधे ही नियोजन किया है। शेष 312 व्यक्ति ठेकेदारों के जरिये में सफाई, निर्माण-कार्य, सामग्री संभालने आदि कार्यों में लगाए गए हैं।

"फंड बोडिज आर रिलक्टेंट टु एनफोर्स कनवर्टीब्लिटी क्लॉज" शीर्षक से छपा समाचार

5737. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 7 मार्च, 1984 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "फंड बोडिज आर रिलेक्टेंट टू एनफोर्स कनवर्टीब्लिटी क्लोज" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई० और आई० आर० सी० आई० जैसी सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं ने किन-किन मामलों में सावधि ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने में अपने प्राधिकार का प्रयोग किया है तथा उनके द्वारा अधिगृहीत इक्विटी शेयरों का कुल मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार देखा है।

(ख) वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों को इक्विटी में बदलने के खंड की परिकल्पना तथा उसका प्रयोग ऐसे मामलों में किया जाता है जिनमें भारी मात्रा में सहायता दी जाती है और ऐसा खासकर उन कम्पनियों के मामलों में किया जाता है जिनमें वे संस्थाओं की देय राशियों की वापसी अदायगी में बराबर चूक करे। रुग्ण एककों के मामले में ऐसा तब किया जाता है जब उनका प्रबन्ध ठीक न हो। लेकिन, आधुनीकीकरण सहायता, विदेशी मुद्रा ऋणों और निर्धारित सीमा से अधिक संस्थागत शेयरधारिता के मामलों में परिवर्तनीयता का सहारा नहीं लिया जाता दिसम्बर, 1982 के अन्त तक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा 136 मामलों में 68 करोड़ रुपए के ऋणों का रूपांतरण करने के लिए परिवर्तनीयता के विकल्प का प्रयोग किया गया।

निर्यात संवर्धन परिषदें

5738. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(1) निर्यात संवर्धन परिषदों के नाम तथा पते ;

(2) उनकी कार्यकारी समितियों/प्रशासन समितियों के पदाधिकारियों की संख्या ;

(3) क्या ऐसे व्यक्तियों ने समिति/उप-समिति की बैठकों में भाग लेने, सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी प्राधिकरणों के पास प्रतिनिधि मण्डलों में जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लिया है ;

(4) उपरोक्त (3) में उल्लिखित प्रत्येक यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लिया है ; तथा

(5) उपरोक्त (3) अवसर पर कितनों में उल्लिखित सभी द्वारा पिछले तीन वर्षों में परिषद्-वार तथा वर्ष-वार कितना यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लिया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (I) एक विवरण संलग्न है।

(II) से (V) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची

1. मूल रसायन, भेषज तथा साबुन सम्बन्धी निर्यात संवर्धन परिषद्,
   झांसी कैसल, (चौथी मंज़िल), 7, कोजोपरेज़ रोड, बम्बई।

2. काजू निर्यात संवर्धन परिषद्,
वर्ड ट्रेड सैन्टर, एम. जी. रोड, एर्नाकुलम साऊथ, कोचीन-16,

3. रसायन तथा सहोत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्,
14/1-बी, इजरा स्ट्रीट, वर्ड ट्रेड सेन्टर, द्वितीय मंजिल, कलकत्ता-700001.

4. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्,
नं० 9, मैथ्यू रोड, चार्नी रोड, बम्बई ।

5. इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्,
14/7-बी, इजरा स्ट्रीट, वर्ड ट्रेड सेन्टर, तृतीय मंजिल, कलकत्ता-700001.

6 परिष्कृत चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादकों की निर्यात संवर्धन परिषद्,
15/46, सिविल लाइन्स, कानपुर ।

7. रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्,
बी-15, कामर्स सेन्टर, चौथी मंजिल, बम्बई-400027.

8. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्,
वर्ड ट्रेड सेन्टर, 123, माउन्ट रोड, मद्रास-1.

9. चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्,
3/38, वीपेरी हाई रोड, मद्रास-8.

10. प्लास्टिक तथा लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद्,
612 तथा 615, तुलसीओनी चैंबर, बैकबे रिक्लेमेशन, नरीमन प्वांइट,
बम्बई-400021.

11. साधित खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद्,
27, बाराखम्बा रोड, 105, नई दिल्ली हाऊस, नई दिल्ली ।

12. चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्,
14/1-बी, इजरा स्ट्रीट, वर्ड ट्रेड सेन्टर, तृतीय मंजिल, कलकत्ता-700001.

13. रेशम तथा रेअन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्,
रेशम भवन, 78, वीर नरीमन रोड, बम्बई ।

14. मसालों की निर्यात संवर्धन परिषद्,
वर्ड ट्रेड सेन्टर, एम. जी. रोड, एरनाकुलम साऊथ, कोचीन-16.

15. खेल-कूद के सामान संबंधी निर्यात संवधंन परिषद्,
612/714, अशोका एस्टेट, 24, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.

16. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद्,
58, सहयोग बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019.

17. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद्,
बी-115, खण्ड-18, 'नोयडा,' गाजियाबाद (उ० प्र०)

निम्नलिखित निर्यात संवर्धन परिषदों को भारत सरकार ने हाल ही में अनुमोदित किया है परन्तु इन्होंने अभी कार्य आरंभ नहीं किया है :—

18. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्,
छठी मंजिल, मित्तल चेम्बर, नरीमन प्वाइंट, बम्बई ।

19. ओवरसीज़ कंस्ट्रक्शन काऊंसिल, कामर्स सेन्टर, 7वीं मंजिल, जे. दादाजी रोड,
तारदिओ, बम्बई-400034.

20. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्, ।

आय कर अधिकारियों का एक ही सीट पर कार्य करते रहना

5739. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या वित्त मन्त्री आयकर अधिकारियों का एक ही सीट पर कार्य करते रहने के बारे में 9 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2909 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर में उल्लिखित अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों का जिला–वार और सर्कल-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन्हें, विशेष रूप से ऐसे अधिकारियों को, जो व्यापारी वर्ग/ठेकेदारों तथा शीघ्र धन पैदा करने वाले और कर-अपवंचन करने वाले अन्य लोगों के आयकर का निर्धारण करने के काम से सम्बन्धित संवेदनशील अनुभागों में कार्य कर रहे हों, एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर तैनात करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) उनके स्थानांतरण पर अप्रैल, 1984 में वार्षिक स्थानांतरण और तैनाती के दौरान विचार किया जाएगा ।

विवरण

अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों का जिलावार/परिमंडल-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिला/परिमंडल का नाम

अधिकारियों की श्रेणी	सैंट्रल	निरीक्षण	न्यायिक	लेखा परीक्षा	करनिर्धारण	ठेकेदार	परिवहन	वेतन	डी-III	डीV (14)	डीV (सी)	डीVI (बी)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आयकर अधिकारी	—	—	—	—	—	2 (एक स्थानाँतरित हो गए)	1 सेवा निवृत्त हो गए)	—	1	1	—	—	5
आयकर निरीक्षक	—	—	—	—	—	—	—		1 (रेंज)	—	—	-	1
कर सहायक	3	2	1	1	1	—	1	3	1	—	1 (रेंज)	1 (रेंज)	15

विदेशी निजी कंपनियों का पूंजी-निवेश

5740. **श्री ए०के० राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी निजी कंपनियों के पूंजी निवेश की दिनांक 1 जनवरी, 1984 तक की स्थिति क्या थी तथा उसका देशवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारतीय निजी कंपनियों के विदेशों में पूंजीनिवेश की दिनांक 1 जनवरी, 1984 तक की स्थिति क्या थी तथा उसका देश-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भारत में विदेशी निजी कंपनियों की तुलना में भारतीय निजी कंपनियों की शर्तें अधिक उदार हैं और इस सम्बन्ध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अन्तिम सर्वेक्षण के अनुसार 31 मार्च, 1974 को निगमित, वैयक्तिक तथा वाणिज्यिक उद्यमों की बकाया दीर्घावधिक विदेशी देनदारी 1943 करोड़ रुपए की थी। भारतीय रिजर्व बैंक 31 मार्च, 1981 को आधार मानकर इसी तारीख से भारत की विदेशी परिसम्पतियों तथा दायित्वों के आंकड़े संकलित करने के कार्य में लगा हुआ है।

(ख) 31-3-1983 को विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों में निवेश के क्षेत्रवार तथा देशवार विवरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) हमारे देश में विदेशी निवेश पर तथा विदेशों में हमारे देश के निवेशों पर लागू होने वाले मार्ग-निर्देश अलग-अलग हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में चयनात्मक आधार पर विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। और वह भी इस आशय से कि जो प्रोद्योगिकी देश में उपलब्ध नहीं है, उसे प्राप्त किया जा सके। विदेशों में हमें उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करने की अनुमति प्राप्त होती है जो मेजबान देश के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं तथा ऐसे निवेश को विकासशील देशों के बीच निर्यातसंवर्धन तथा आर्थिक सहयोग के लिए किए गए एक उपाय के रूप में माना जाता है।

विवरण

31.3.1983 को विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों में निवेश का क्षेत्रवार तथा देशवार ब्यौरा

(हजार रुपए)

क्रम संख्या	क्षेत्र/देश	परिचालन में		कार्यान्वयन के अधीन	
		संयुक्त उद्यमों की संख्या	वास्तविक भारतीय इक्विटी	संयुक्त उद्यमों की संख्या	अनुमोदित भारतीय इक्विटी
1	2	3	4	5	6
(क)	दक्षिण-पूर्व एशिया				
1.	मलयेशिया	27	131511	1	644
2.	इंडोनेशिया	11	121246	4	36340
3.	थाईलैंड	8	9865	4	16319
4.	सिंगापुर	16	37511	11	39784
5.	फिलीपीन्स	2	4498	—	—
6.	हांगकांग	2	286	1	2400
	उप-जोड़	66	390917	21	95487
(ख)	दक्षिण-एशिया				
1.	श्री लंका	10	6011	13	60282
2.	नेपाल	1	2013	6	33236
3.	बंगलादेश	1	837	—	—
	उप जोड़	12	8861	19	93518

1	2	3	4	5	6
	(ग) पश्चिम-एशिया				
1.	संयुक्त अरब अमीरात	9	7521	2	10557
2.	सऊदी अरब	3	3948	3	15997
3.	ओमन	1	798	2	20290
4.	बहरीन	1	330	1	7500
5.	कुवैत	1	147	1	2205
	उप-जोड़	15	12744	9	56549
	(घ) महासागरवर्ती (ओशनिया)				
1.	आस्ट्रेलिया	1	685	—	—
2.	फिजी	1	1122	—	—
3.	टोंगा	1	180	—	—
	उप-जोड़	3	1987	—	—
	(ङ) अफ्रीका				
1.	केन्या	8	95537	4	8911
2.	नाइजीरिया	7	28836	14	140587
3.	मारीशस	3	2017	1	1995
4.	युगांडा	1	2807	—	—
5.	बोत्सवाना	1	500	—	—
6.	लाइबेरिया	—	—	1	6800
7.	सैशलेस	—	—	1	13450
8.	तनजानिया	—	—	1	267
9.	सेनेगल	—	—	1	169600
10.	सूडान	—	—	1	36000
11.	जाम्बिया	—	—	1	3000
	उप-जोड़	20	129697	25	380610

1	2	3	4	5	6
(च)	यूरोप तथा अमरीका				
1.	यू०के०	9	1517	3	1525
2.	पश्चिम जर्मनी	3	4083	—	—
3.	फ्रांस	1	262	—	—
4.	नीदरलैंड्स	1	100	—	—
5.	स्विटजरलैंड	—	—	2	177
6.	साइप्रस	—	—	1	2926
7.	ग्रीस	—	—	2	11514
8.	यूगोस्लाविया	—	—	1	19200
9.	जिब्राल्टर	—	—	1	76
10.	संयुक्त राज्य अमेरिका	11	7667	3	1050
	उप-जोड़	25	13629	13	36468
	कुल जोड़	141	557835	87	662632

उच्चतम न्यायालय के समक्ष सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों की पदावनति के विचाराधीन मामले

5741. **श्री ए०के० राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य बीमा निगम तथा उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों की पदावनति से संबंधित कितने मामले उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन हैं, तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है, और ये मामले किस-किस तारीख से विचाराधीन हैं ;

(ख) कंपनी ने अब तक मुकदमें-बाजी पर कितनी धनराशि खर्च कर दी है ; और

(ग) लम्बे समय तक मुकदमेंबाजी के औचित्य का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) साधारण बीमा निगम ने बताया है कि साधारण बीमा उद्योग के किसी भी कर्मचारी की पदावनति से सम्बद्ध कोई कानूनी मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

प्रत्येक व्यक्ति पर विदेशी कर्ज की राशि

5742. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति पर (अल्प वयस्क को मिलाकर) विदेशी कर्जा कितना है ; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आए विदेशी ऋण के लिए हमारे देश को कितना वार्षिक ब्याज देना पड़ता है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1981 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सरकारी खाते पर, 1983-84 की समाप्ति पर अनुमानित विदेशी कर्जे की प्रति व्यक्ति राशि और 1983-84 के दौरान अदा की जाने वाली प्रति व्यक्ति ब्याज की संभावित राशि क्रमश: लगभग 283 रुपए और 6 रुपए बैठती है ।

राज्य व्यापार निगम को चीनी के निर्यात में हुआ घाटा

5743. **श्री चिन्ता मणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान कुल कितनी-मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम को उपरोक्त अवधि के दौरान चीनी के निर्यात में घाटा उठाना पड़ा ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान हुए घाटे का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) वर्ष 1984-85 के लिए सरकार की आयात और निर्यात सम्बन्धी नीति क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात की गई चीनी की मात्रा, वसूल किए गए मूल्य तथा उठाई गई हानि तथा प्राप्त किए गए का लाभ का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

वर्ष	मात्रा (लाख मे० टन	मूल्य (करोड़ रु०)	लाभ अथवा हानि (करोड़ रु०)
1981-82	1.386	49.22	+ 11.69
1982-83	4.10	84.76	— 62.78
1983-84 (1 अप्रैल से 17 मार्च, 1984)	8.14	206.75	— 70.00 (अनुमानित)

(घ) 1984-85 के लिए नीति अप्रैल 1984 में घोषित की जाएगी ।।

चिल्का झील में जल-क्रीड़ाओं की सुविधायें

5744. **श्री चिन्ता मणि जैना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन,मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में चिल्का झील में जल-क्रीड़ाओं हेतु सुविधाएं शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस झील का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में अघतन स्थिति क्या है और यह कब तक शुरू हो जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क), (ख) और (ग) जी, हां। पर्यटन विभाग ने 1,9०,800 रुपये की कुल लागत पर जल-स्कीईंग के लिए नौकाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1.80 लाख रुपये रिलीज़ किए जा रहे हैं।

फिल्मी कलाकारों के खातों की जांच संबंधी प्रक्रिया

5745. **श्री चिन्तामणि जैना :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्मी कलाकारों के खातों की जांच की वर्तमान प्रक्रिया क्या है ;

(ख) क्या संसद की लोक लेखा समिति ने सिफारिश की है कि आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 142 (2क) के अन्तर्गत फिल्मी कलाकारों और प्रोड्यूसरों के खातों की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से एक चार्टर्ड अकाउट्ंट द्वारा की जानी चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने फिल्मी कलाकारों के खातों को लेखा परीक्षा के लिए नामांकित चार्टर्ड अकाउटेंटों के पास भेजा गया है;

(घ) क्या यह सच है कि एक भी मामला नहीं भेजा गया है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में लोक लेखा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) किसी अन्य कर-निर्धारिती के मामले की तरह फिल्मी कलाकारों के लेखों की, संबंधित कर निर्धारण अधिकारी अर्थात् आयकर

अधिकारी अथवा निरीक्षी सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) द्वारा यथास्थिति, जांच करनी होती है। लेकिन, जिन मुख्य नगरों में फिल्म व्यापार केन्द्रित है वहां अलग-अलग फिल्म सर्किल कार्य कर रहे हैं।

(ख) लोक लेखा समिति ने, अपनी 177 वीं रिपोर्ट (1983-84) में यह अभिमत व्यक्त करते समय कि गत तीन वर्षों के दौरान अनिवार्य लेखा-परीक्षा के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 (2क) के उपबंधों के अन्तर्गत किसी फिल्मी कलाकार अथवा निर्माता का कोई भी मामला नामजद चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट को नहीं भेजा गया है, यह आशा व्यक्त की है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अनिवार्य लेखा परीक्षा के लिए अधिक से अधिक मामले भेजने के लिए आयकर आयुक्तों को भेजे गए उसके अनुदेशों का अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अक्षरश: पालन किया जाता है।

(ग) तथा (घ) दिसम्बर, 1982 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 (2क) के उपबंधों के अन्तर्गत अनिवार्य लेखा परीक्षा के लिए फिल्मी कलाकार का कोई भी मामला नामजद चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट को नहीं भेजा गया था।

(ङ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 23-9-1981 के अपने अनुदेश सं० 1415 के द्वारा पहले ही अनुदेश जारी कर दिये हैं जिनमें आयकर आयुक्तों से यह निवेदन किया गया है कि वे आयकर अधिकरियों को अनिवार्य लेखा परीक्षा के लिए ऐसे मामले अधिक से अधिक संख्या में भेजने के लिए निदेश दें जिनमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 (2क) के उपबंधों के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक बारीकी से जांच किए जाने की आवश्यकता होती है।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का कार्यचालन

5746. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य में 31 जनवरी, 1984 को कार्य कर रही विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की बहुत सी शाखाओं की प्रगति के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों ने सरकार के गरीबी दूर करने संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उन बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों की भूमिका क्या रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सितम्बर, 1983 के अन्त तक प्राप्त आंकड़े के अनुसार बिहार राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों की 3078 शाखाएं थीं। ये शाखाएं प्रत्येक जिले में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा निर्धारित कार्रवाई कार्यक्रम के संदर्भ में सहकारी बैंकों के साथ संयुक्त रूप से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करती हैं।

प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति इस प्रकार है :—

वर्ष	हिताधिकारियों की संख्या (लाख)	दिए गए सावधि ऋणों की राशि (करोड़ रुपए)
1980-81	2.53	17.9
1981-82	2.76	36.1
1982-83	3.62	67.1
1983.84 (दिसम्बर, 1983 तक)	1.83	22.9

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवायें नियमित किया जाना

5747. **श्री एन० ई० होरो:**
श्री के० मास्सन्ना :
श्री अनन्त रामुलू मल्ल : क्या पर्यटन और नागरविमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम विदेशों में भी होटल चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह होटल किन-किन देशों में चलाए जा रहे हैं ;

(ग) 1980-81, 1981-82 और 1982-83 तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों (भारत में) में विभिन्न श्रेणी के कितने कर्मचारी (अस्थायी, तदर्थ, स्थायी) कार्य कर रहे हैं ;

(घ) क्या अशोक होटल में चतुर्थ श्रेणी पद के लिये कुछ आवेदकों को तदर्थ आधार पर नियोजित किया गया था परन्तु दो महीने पश्चात उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं जो इस समय दैनिक मजदूरी पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं उनकी लेवी सेवा अवधि के अनुसार जिसमें उन्होंने नैमित्तिक मजदूर के रूप में भी कार्य किया है नियमित करने का है; और

(च) यदि हां, तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कब तक नियमित कर दिया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आवश्यक सूचना सलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, नहीं

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

क्रम सं०	अवधि	कर्मचारियों की कुल सं०		
		अस्थायी	तदर्थ	स्थायी
1.	1980-81	17	16	5216
2.	1981-82	31	8	5839
3.	1982-83	13	17	6735
4.	1983-84 (दिसम्बर, 1983 तक)	70	19	6997

"कम्प्यूटर साफ्ट वेयर" का निर्यात

5748. **श्री अनन्त रामुलू मल्लु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि भारत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में "कम्पयूटर साफ्टवेयर" का निर्यात करे तो क्या भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बाजार का अध्ययन करने के लिए विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजकर इस सम्बन्ध में प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय, संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड के लिए प्रतिनिधि-मण्डल प्रायोजित किए हैं।

(ग) विदेशों में आज भारत के साफ्ट वेयर की निर्यात क्षमता की जागरुकता बढ़ती जा रही है और साफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र में भारत की कई फर्में प्रवेश कर गई हैं। गत हाल ही में कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात में बढ़ती हुई प्रवृत्ति रही है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है :—

वर्ष	रु० करोड़
1980-81	7.2
1981-82	10.2
1982-83	13.5 (अनन्तिम)
1983-84	17.0 (अनन्तिम)

सूखा राहत हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा को दी गई राशि

5749. **श्री लक्ष्मण मल्लिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूखा राहत उपायों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को कितनी राशि दी गई;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से और अधिक धन दिए जाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 1983-84 के दौरान सूखे से राहत के लिए 2465.00 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा का अनुमोदन किया गया था। इसके विपरीत, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय के विवरण के आधार पर केन्द्रीय सहायता के लिए उसकी हकदारी 220.50 लाख रुपए होती है, जो कि दे दी गई है।

असम में चुनाव ड्यूटी देने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जीवन बीमा निगम आदि के कर्मचारियों को मानदेय भत्ते की अदायगी

5750. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है कि असम में 1983 के चुनावों में ड्यूटी देने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा जीवन बीमा निगम आदि के कर्मचारियों को मानदेय भत्ते की अदायगी की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या जीवन बीमा निगम ने असम में चुनाव ड्यूटी देने वाले अपने कर्मचारियों को मानदेय भत्ते की अदायगी कर दी है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सिलचर डिवीजन इन्श्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन सिलचर का 5 जनवरी, 1984 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) जी, हां।

(ख) और (घ) जीवन बीमा निगम से कहा गया है कि वह उन कर्मचारियों को, जिन्होंने फरवरी 1983 में असम में चुनाव ड्यूटी दी थी, गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार अनुग्रहपूर्वक अदायगी करने के बारे में उपयुक्त हिदायतें जारी कर दें।

विदेशों में काम कर रहे भारतीय पर्यटन केन्द्र

5751. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के अभियान में तेजी लाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कौन-कौन से विदेशों में भारतीय पर्यटन केन्द्र काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य देशों में भी कुछ नए पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार पर्यटक कार्यालय विदेशों में निम्नलिखित देशों में अवस्थित हैं :—

यू० एस० ए०	1) न्यूयार्क
	2) लास एंजेल्स
	3) शिकागो
कनाडा	4) टोरंटो
यू० के०	5) लंदन
यूरोप	6) जनेवा
	7) पेरिस

	8) फ्रैंकफर्ट
	9) स्टाकहोम
	10) ब्रुशल्ज़
	11) मिलान
	12) वीयाना
आस्ट्रेलिया	13) सिडनी
सिंगापुर	14) सिंगापुर
जापान	15) टोकियो
थाइलैंड	16) बैंकाक
कुवैत	17) कुवैत
नेपाल	18) काठमांडु

इनके अलावा, सात एक-व्यक्ति वाले कार्यालय भी वाशिंगटन, मियामी, डैलास, सान फ्रांसिको (यू० एस० ए०), ओसाका (जापान), मेलबार्न (आस्ट्रेलिया) और दुबई (यूएई) में कार्य कर रहे हैं ।

(ग) और (घ) कोलम्बो (श्रीलंका) और कुआला लाम्पुर (मलेशिया) में एक-एक नए पर्यटक का कार्यालय खोलने के प्रस्ताव हैं ।

"चीन से खरीदे गये पाक टैंकों में इनफ्रा रैड यंत्र" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

5752. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1984 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "चीन से खरीदे गये पाक टैंकों में इनफ्रा रैड यंत्र" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया ;

(ख) क्या इस यंत्र के लगाये जाने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा होगा ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी हां । यदि सही हुआ तो इससे इन टैंकों की रात में लड़ने की क्षमता वृद्धि होगी ।

(ग) सरकार देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखती है और पूरी रक्षा तैयारियां बनाए रखने के लिए समय-समय पर उचित उपाय करती है ।

बी. आर. डी. के अधीन जी. आर. ई. एफ. के असैनिक कर्मचारियों की छंटनी

5753. **श्री फूल चंद वर्मा :**

श्री राम प्रसाद अहिरवार :

श्री एम. एम. लारेंस : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना से अब तक बी. आर. डी. के अधीन जी. आर. ई. एफ. के हजारों असैनिक कर्मचारियों की उसके प्रारम्भ से लेकर छंटनी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो पद-वार तथा वर्गवार ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या इस प्रकार छंटनी किये गये कर्मचारियों को पुन: रोजगार योजना के लिए 'सेन्ट्रल पूल' में सम्मिलित किया गया था ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) यदि इस प्रकार छंटनी किये गये कर्मचारियों को सेन्ट्रल पूल में सम्मिलित नहीं किया गया था, तो क्या उनका रिकार्ड सेना मुख्यालय की ए. जी. शाखा द्वारा रखा गया था, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस प्रकार छंटनी किये गये उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनको 'सेन्ट्रल पूल' अथवा सेना मुख्यालय की ए. जी. शाखा के माध्यम से पुन: रोजगार दिया गया है/उनका पुनर्वास किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ङ) उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए सड़कों के निर्माण के लिए मार्च, 1960 में जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स खड़ी की गई थी । इसमें सेना और सिविलियन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के अफसर तथा कार्मिक शामिल हैं । 1969 तक यह एक अस्थाई बल था और इसके सिविलियन कर्मचारियों को ठेके के आधार पर नियुक्ति किया जाता था । इसलिए इनके नाम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिशेष एकक को भेजने की जरूरत नहीं थी ।

जिन कर्मचारियों की 1970 से छंटनी कर दी गई थी, उनका रैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 8065/84] उनके नाम ए. जी. ब्रांच को सूचित नहीं किए गए थे । क्योंकि ए. जी. ब्रांच रक्षा मंत्रालय के अधीन इकाइयों/स्थापनाओं के समूह III और समूह IV के सिविलियन कर्मचारियों की अधिकता और कमी के समन्वय की योजना को चलाती है । जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कार्मिक इस योजना के तहत नहीं आते हैं । उनके नाम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिशेष एकक को भी सूचित नहीं किए गए थे । फिर भी, छंटनी किए गए जनरल रिजर्व इंजीनियर

फोर्स के कर्मचारियों को सीमा सड़क संगठन में भर्ती के लिए वरीयता प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप 2100 से ज्यादा कार्मिक पुनः नियोजित किए गए थे ।

मैसर्स सन आयल कम्पनी, कलकत्ता द्वारा केन्द्रीय आयुध भंडार छिओकी, इलाहाबाद को तेल की पूर्ति के संबंध में संसद सदस्यों की शिकायतें

5754. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स सन आयल कंपनी, कलकत्ता द्वारा केन्द्रीय आयुध भंडार, इलाहाबाद को की गई तेल की पूर्ति के सम्बन्ध में जनवरी, 1984 में संसद सदस्यों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है ; यदि हां, तो कब ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) इस तरह की दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) और (ग) शिकायतों की जांच की जा रही है ।

मैसर्स सन आयल कंपनी, कलकत्ता द्वारा केन्द्रीय आयुध भंडार छिओकी, इलाहाबाद को. ओ. एक्स-52 तेल की पूर्ति में की गई अनियमिततायें

5755. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स सन आयल कंपनी कलकत्ता ने जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1983 के दौरान केन्द्रीय आयुध भंडार छिओकी, (इलाहाबाद) को कई लाख लीटर ओ० एक्स-52 तेल की पूर्ति की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय आयुध भंडार, छिओकी के अधिकारियों ने अनियमितताएं की थीं और कमी बताए बिना दिनांक 19 जुलाई, 1983 को निरीक्षण नोट जारी कर दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डी० आर० एस० संख्या 226, 227, 228, 229, 230 232, 233, और 234 अड़तीस दिन पश्चात् 25 अगस्त, 1983 को मंजूर किये गये थे ; और

(घ) क्या डी० आर० एस० पहले मंजूर किए जाने चाहिए थे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. देव सिंह) : (क) जून से अक्तूबर 1983 के दौरान कलकत्ता स्थित मैसर्स सन आयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करीब 4.47 लाख लीटर ओ एक्स-52 तेल सप्लाई किया गया था।

(ख) डिपो सामान्यत: निरीक्षण टिप्पणियों को स्वीकृत करने से पहले दैनिक रिसीट शीट निपटाने संबंधी प्रक्रिया/पद्धति का अनुपालन करता है। फिर भी, कतिपय निरीक्षण टिप्पणियों के बारे में 18 जुलाई 1983 की रिसीट के मामलों में से इस प्रक्रिया से कुछ हट गए थे।

(ग) और (घ) जी हां।

भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा भारत में तराशने के लिए कच्चे हीरों का आयात करने का प्रस्ताव

5756. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम का आस्ट्रेलिया से अपरिष्कृत हीरों का आयात करने और उनको भारत में तराशने का प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी दक्षिण अफ्रीका से अपरिष्कृत हीरे खरीद रही है।

(ग) क्या हीरों का व्यापार करने वाली सबसे बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी फर्म दक्षिण अफ्रीका की डी० बियर्स की गतिविधियों के बारे में कोई जांच की है, जिसमें हिन्दुस्तान डायमंड कंपनी के साथ बेनामी रूप में अपना व्यापार स्थापित कर रखा है ; और

(घ) क्या हिन्दुस्तान डायमंड कंपनी के एकाधिकार पूर्ण रवैये तथा सरकार की हिन्दुस्तान डायमंड कंपनी को अनियमित गतिविधियों की जांच में हिचकिचाहट के कारण भारत में हीरा उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है।

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) हिन्दुस्तान डायमंड कंपनी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका से अपरिष्कृत हीरे नहीं खरीदता।

(ग) हिन्दुस्तान डायमंड कंपनी लि० के कार्यचालन के सम्बन्ध में सरकार के ध्यान में कोई प्रतिकूल बात नहीं आई है जिससे कोई जांच करना आवश्यक हो।

(घ) कम्पनी एकाधिकारी व्यवहार नहीं अपना रही है। यह छोटे पैमाने के हीरा विनिर्माताओं की उपयोगी सेवा करती रही है। अपरिष्कृत हीरों के देश के आयात में उसका भाग 10 % से कम है।

काली सूची में दर्ज कम्पनियों को नये ठेके दिया जाना

5757. **श्री रामलाल राही** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जी० आई० पाइप बनाने वाली 26 कम्पनियों को काली सूची में दर्ज करने के निर्देश जारी किए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन कम्पनियों के विरुद्ध जिन्हें इस बीच ठेके दिए गए हैं, जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर 80 करोड़ रुपए की वसूली करने के आरोप थे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में निर्देश जारी कर दिए जाने के बाद भी उन्हें ठेके देने के क्या कारण थे तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 27 मई, 1983 के इकनौमिक टाइम्स में एक बयान प्रकाशित हुआ था, जो कि टिस्को के, श्री रुसी मोदी द्वारा कथित माना जाता है, उसमें यह लिखा था कि दर ठेके प्राप्त फर्मों ने अपने उत्पादों को, प्राइवेट पार्टियों को, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के दर-ठेका मूल्यों से कम दरों में बेचा है। इसकी जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो से निवेदन किया गया है।

अब तक वर्ष, 1983-84 की अवधि के लिए दर ठेके/मूल्य करार केवल पांच फर्मों को दिए गए, इनमें से तीन फर्में नई हैं। तथापि उनकी क्षमता जी०आई० पाइपों की संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और उसी रूप में नए टेंडर मांगे गये हैं तथा उन पर विचार किया जा रहा है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

5759. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तथा (ख) जी नहीं। देश में विदेशी कम्पनियों का संचालन विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार प्रथा अधिनियम (एम०आर०टी०पी०) तथा अन्य सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है जिनका उद्देश्य राष्ट्र के सामूहिक हितों को अक्षुण्ण रखने की सुनिश्चित व्यवस्था करना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम, कानपुर में नियुक्तियों में आरक्षित कोटा

5760. **श्री त्रिलोक चन्द : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम, उत्तर प्रदेश, कानपुर की सभी सहायक मिलों में, 100/40 सूची रोस्टर रख कर समर्थक अधिकारी को मनोनीत करके, तथा इस कार्य के लिए एक कक्ष का गठन करके, आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जा रहा है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी मिलों में प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित कोटा भरा जा रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या वर्ष 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम, उत्तर प्रदेश लिमिटेड कानपुर की अरशतान मिल द्वारा की गई सम्पूर्ण भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एन०टी०सी० (उ०प्र०) लिमिटेड, कानपुर के अन्तर्गत सभी राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलों में आरक्षण आदेशों का पालन किया जा रहा है। इन मिलों के साथ साथ अनुषगी निगम के मुख्यालय में भी सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

(ख) एन०टी०सी० मिलों में अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के कर्मचारियों, विशेषत: 'क' तथा 'ख' श्रेणियों के अन्तर्गत, के लिए आरक्षण कोटों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से सम्बन्धित अपेक्षित योग्यता तथा अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण पूरा नहीं किया गया है।

(ग) एन०टी०सी० के अन्तर्गत "अर्शतान मिल" के नाम से कोई मिल नहीं है। शायद यह सन्दर्भ अथर्टन काटन मिल्स, कानपुर के विषय में है, जिसका प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है और इसका प्रबन्ध एन०टी०सी० (उ०प्र०) लि० द्वारा चलाया जा रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी आरक्षण आदेश औपचारिक तौर पर इस प्रबन्धित एकक पर लागू नहीं होते। तथापि, भर्ती करते समय उन अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है जो नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं।

दिल्ली हवाई अड्डे की वी०आई०पी० लांज से नोबल पुरस्कार विजेता के महत्वपूर्ण शोध-पत्र की चोरी

5761. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोबल पुरस्कार विजेता श्री हरगोविन्द खुराना द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी कि उनका सामान जिसमें महत्वपूर्ण शोध-पत्र और अन्य सामग्री, स्वार्डडें आदि थे, 22 दिसम्बर, 1983 को दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की वी०आई०पी० लांज से चोरी हो गया था ;

(ख) क्या श्री खुराना विश्व जेनेटिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे ;

(ग) क्या वी०आई०पी० लांज हवाई अड्डे के संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आयी है ;

(घ) यदि हां, तो दर्ज कराए गए मामले में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और क्या सफलता मिली है ;

(ङ) क्या एयर इंडिया/अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के किसी अधिकारी को इस चोरी के लिए दोषी ठहराया गया है ; और

(च) यदि नहीं, तो पुलिस द्वारा अपराध का पता लगाने में असफल रहने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) डा. हरगोविन्द खुराना ने कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई । तथापि, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 22.12. 1983 को दिल्ली हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान आरक्षित लौंज से डा० खुराना का कुछ हस्त-सामान चुराया गया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अति विशिष्ट व्यक्तियों का लौंज हवाई अड्डे के निषिद्ध क्षेत्र में है ।

(घ) चूंकि डा० खुराना का सामान बाद में मिल गया था, अत: विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अनुदेशों पर पुलिस द्वारा इस मामले पर कार्रवाई बंद कर दी गई ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जांच मशीनों और रसायनों की खरीद

5762. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निदेशक, सेन्ट्रल टैस्टिंग लेबोरेटरी आफ टैक्सटाइल कमेटी, बम्बई ने टैक्सटाइल कमेटी के मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यभार भी सम्भाला हुआ है और लक्ष्य की दृस्टि से ये दोनों पद अति संवेदन-शील किस्म के है ;

(ख) क्या बम्बई तथा दिल्ली, लुधियाना, मद्रास और कोयम्बतूर के अन्य क्षेत्रीय जांच-गृहों के लिये अपेक्षित जांच मशीनों और रसायनों की खरीद बंबई में की गई थी और फिर इन्हें क्षेत्रीय जांच गृहों को भेजा गया था ;

(ग) क्या क्षेत्रीय जांच-गृहों को आवश्यकता से अधिक संख्या में मशीनें और रसायन सप्लाई किये गये हैं और यह सामान अब भी पैकटों में बन्द बेकार पड़ा है ;

(घ) क्या यह तथ्य के बावजूद जांच मशीनों की खरीद को बम्बई तक सीमित रखा गया है कि क्षेत्रीय जाँच गृहों में ये मशीन और रसायन सस्ती दरों पर उपलब्ध है ; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) वस्त्र समिति ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय परीक्षण सदनों की वस्त्र परीक्षण उपकरणों की आवश्यकतों को प्रोसेस किया जाता है और वस्त्र समिति के बम्बई स्थित मुख्यालय से खरीद के लिए इन्डेन्ट दिए जाते हैं क्योंकि ऐसे आधुनिक उपकरणों की प्रोसेसिंग और खरीद के लिए केन्द्रीकृत प्रणाली का होना उचित है ।

रसायनों की खरीद प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा, आवश्यक अनुमोदन तथा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय तौर पर की जाती है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एयर इंडिया के जनरल सेल्स एजेंट को अतिरिक्त प्रोत्साहन कमीशन

5763. श्री सूरज भान :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री लंदन में एयर इंडिया के लाभ भोगी जनरल सैल्स एजेन्ट के पूर्वचरित के बारे में 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4034 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके भाग (क), (ख) और (ग) में मांगी गई जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो यह जानकारी कब एकत्रित की जाएगी और उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(घ) एयर इंडिया के उक्त मैनेजर की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क), (ख) और (ग) एयर इंडिया से कुछ सूचना प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है। मंत्रालय ने आश्वासन की पूर्ति के लिए 15.6.1984 तक की समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। आशा है कि आश्वासन की पूर्ति उस तारीख तक कर दी जाएगी।

(घ) प्रबंधक को भारत वापिस बुला लिया गया है तथा बम्बई में तैनात कर दिया गया है।

भारत पर्यटन विकास निगम तथा सरकारी उपक्रमों के अन्तर्गत भारत और विदेशों में चल रहे होटल

5764. **श्री सूरज भान** :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री 18 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 820 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) भारत पर्यटन विकास निगम तथा अन्य सरकारी उपक्रमों के अंतर्गत देश में और विदेशों में कौन-कौन से होटल चल रहे हैं और कब-कब से ; (दो) इन होटलों में सरकार तथा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इन होटलों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ; (तीन) वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन होटलों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कुल कर्मचारियों (अस्थाई, तदर्थ, स्थायी) की संख्या का ब्यौरा क्या है ; (चार) विभिन्न श्रेणियों के कितने-कितने कर्मचारियों को निलंबित किया गया, सेवा से हटाया गया अथवा बर्खास्त किया गया तथा तत्संबंधी कारण क्या है ;

(ख) (एक) 1 अप्रैल 1979 और 1 अप्रैल 1980 के लाभ/हानि (दो) वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में हुये कुल लाभ/हानि (तीन) इसी अवधि के दौरान इन होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों की कुल संख्या का उल्लेख करते हुये प्रत्येक मामले में कुल कितना लाभ अर्जित किया गया और हानि हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना विवरण 1,2 और 3 में दी गई है।

विवरण--1

होटल का नाम	चालू/स्थापित होने की तारीख
भारत पर्यटन विकास निगम	
1. अशोक होटल, नई दिल्ली	1 सितम्बर, 1956
2. होटल जनपथ	1 अप्रैल, 1964
3. लोधी होटल	15 सितम्बर, 1965
4. होटल रणजीत	7 नवम्बर, 1965
5. होटल अशोक बंगलौर	1 मई, 1971
6. होटल अकबर	27 जनवरी, 1972
7. होटल हसन अशोक	27 जुलाई, 1972
8. होटल जम्मू अशोक	9 सितम्बर, 1972
9. होटल औरंगाबाद अशोक	1 अक्तूबर, 1972
10. होटल खजुराहो अशोक	19 नवम्बर, 1972
11. कोवलम अशोक बीच रिसार्ट	17 दिसम्बर, 1972
12. लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	26 जनवरी, 1973
13. टैम्पल बे अशोक बीच रिसार्ट, मामल्लापुरम	19 मार्च, 1973
14. होटल वाराणसी अशोक	14 सितम्बर, 1973
15. कुतब होटल	4 नवम्बर, 1973
16. ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	13 सितम्बर, 1974
17. होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	12 जून, 1975
18. होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	7 अप्रैल, 1976
19. होटल जयपुर अशोक	14 दिसम्बर, 1978
20. होटल कलिंग अशोक भुवनेश्वर	17 दिसम्बर, 1979
21. होटल मदुरै अशोक मदुरै	1 दिसम्बर, 1980
22. होटल कनिष्क	3 अगस्त, 1982
23. अशोक यात्री निवास	18 अक्तूबर, 1982
24. होटल सम्राट	14 नवम्बर, 1982

होटल का नाम	चालू/स्थापित होने की तारीख
भारतीय होटल निगम	
1. सैन्टोर होटल, बम्बई	मई, 1975
2. सैन्टोर होटल दिल्ली	नवम्बर, 1982
3. सैन्टोर लेकव्यू होटल	दिसम्बर, 1983

नोट : — भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय होटल निगम विदेशों में किसी होटल का परिचालन नहीं करते ।

विवरण – 2

1. भारत पर्यटन विकास निगम/भारतीय होटल निगम के होटलों में नियोजित पूंजी

	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
				(लाख रुपयों में)			
भा०पा० वि०नि० एच०सी०	1895.24	1974.29	2038.30	2192.01	2294.90	2008.33	4874.94
आई०	842.85	815.08	808.86	742.16	1238.04	2172.19	3731.24

11. भारत पर्यटन विकास निगम/भारतीय होटल निगम के होटलों में कार्यरत कर्मचारी

क्रम सं०	वर्ष	कर्मचारियों की कुल संख्या					
		अस्थाई		तदर्थ/नैमित्तिक		स्थायी	
1	2	3		4		5	
		आई०टी० डी०सी०	एच०सी० आई०	आई०टी० डी०सी०	एच०सी० आई०	आई०टी० डी०सी०	एच०सी० आई०
1.	1979-80	14	123	3	—	5013	797
2.	1980-81	17	228	16	—	5216	893

1	2	3	4		5
3.	1981-82	31	143	8	118	5839	946
4.	1982-83	13	259	17	269	6735	1517
5.	1983-84 (अक्तूबर, 1983 तक)	18	230	9	161	6813	1693

111. भारत पर्यटन विकास निगम/एच०सी०आई० के होटलों में निलम्बित/सेवा से हटाए गए/सेवा से बर्खास्त कर्मचारी

चोरी, धोखाधड़ी, निधियों का दुर्नियोजन, जानबूझ कर अधीनता, अनाधिकृत अनुपस्थिति, परिवीक्षा के दौरान असंतोषजनक कार्य-निष्पादन, पुलिस केस, गैर कानूनी हड़ताल, कदाचार आदि की वजह से 1979-80 से 31.10.83 तक की अवधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम/भारत होटल निगम में जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया, जिन्हें सेवा से हटाया गया और जिन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	कर्मचारियों की कुल संख्या		
	निलम्बित	सेवा से हटाए गए	सेवा से बर्खास्त
भारत पर्यटन विकास निगम	335	67	18
भारतीय होटल निगम	—	69	35

विवरण—3

होटल एकक का नाम	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
भारत पर्यटन विकास निगम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अशोक होटल, नई दिल्ली	137.47	171.02	189.84	124.90
2. जनपथ होटल	35.77	30.15	14.70	41.09
3. लोधी होटल	10.99	16.30	14.51	27.87
4. रणजीत होटल	2.35	(—) 0.67	5.99	7.42
5. होटल अशोक बंगलौर	5.51	7.46	4.21	(—) 47.64

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. अकबर होटल	15.46	50.33	89.12	109.28
7. हसन अशोक	0.49	1.55	0.63	(-) 0.72
8. जम्मू अशोक	(—) 2.01	(-) 4.36	(—) 5.65	(-) 2.76
9, औरंगाबाद अशोक	(—) 15.70	(--) 12.83	(-) 11.80	(-) 6.10
10. खजुराहो अशोक	(—) 0.30	(—) 2.76	(—) 3.53	(-) 6.45
11. कोवलम अशोक बीच रिचार्ट	(—) 17.00	(—) 14.10	(-) 18.49	(—) 10.34
12. एलबीपी होटल, उदयपुर	2.13	(—) 0.55	1.56	6.58
13. टैम्पल बे अशोक बीच रिसार्ट मानल्लापुरम	(—) 2.81	(--) 5.15	(—) 2.80	(—) 3.91
14. वाराणसी अशोक	5.17	1.71	(—) 2.97	(—) 8.17
15. कुतुब होटल	(—) 3.39	(—) 17.45	0.11	10.75
16. एलएमपी होटल, मैसूर	(—) 5.70	(—) 10.00	(—) 5.95	(—) 2.34
17 एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	3.59	(—) 17.41	(—) 7.61	(—) 10.46
18. पाटलीपुत्र अशोक, पटना	(—) 9.22	(—) 9.06	(—) 7.49	(—) 7.71
19. जयपुर अशोक	(—) 5.56	(—) 10.65	(—) 7.11	(—) 3.19
20. कलिंग अशोक भुबनेश्वर	(—) 5.00	(—) 2.25	(—) 1.25	4.60
21. मदुरै अशोक,	—	(—) 10.02	(—) 10.20	(—) 8.95
22. सम्राट होटल, नई दिल्ली	—	—	—	(—) 70-89
23. कनिष्क नई दिल्ली	—	—	—	(—) 24.11
24. अशोक यात्री निवास	—	—	—	(—) 26.71
जोड़	152.22	161.26	235.82	92.04
	*एयरपोर्ट रेस्तराओं सहित ।			
	भारतीय होटल निगम			
1. सैन्टोर होटल, बम्बई	144.87	156.24	158.70	125.58
2. सैन्टोर होटल, दिल्ली	—	—	—	(—) 147.95

नोट : चालू वित्तीय वर्ष, (1983-84) के अंतिम परिणाम वर्ष समाप्त होने के बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे ।

भारत पर्यटन विकास निगम/भारतीय होटल निगम के होटलों में ठहरे पर्यटक

	होटलों में ठहरे पर्यटकों की कुल संख्या	
	भारत पर्यटन विकास निगम	भारतीय होटल निगम
1979-80	3,87,057	66,287
1980-81	4,07,946	66,566
1981-82	4,23,765	59,570
1982-83	3,99,753	55,338
1983-84 (अक्तूबर 1983 तक)	2,20,345	28,592

नियंत्रित कपड़े का उत्पादन और राजस्थान में इसका वितरण

5765. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1983-84 के दौरान कितना नियंत्रित कपड़ा तैयार किया गया ;

(ख) राजस्थान को उपरोक्त वर्ष में कितना कपड़ा दिया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त वर्ष में राजस्थान की मांग की तुलना में कम कपड़ा दिया गया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की मांग पूरी नहीं की जा सकी ; और

(घ) क्या राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों तक नियमित कपड़ा पहुंचाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार कोई ठोस कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों ने कंट्रोल के कपड़े का लगभग 269.39 मिलियन वर्ग मीटर उत्पादन होने की सूचना दी है।

(ख) तथा (ग) अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान राजस्थान को 14.781 मि० वर्ग मीटर की उसकी हकदारी के बदले कंट्रोले के कपड़े की 17.367 मि० वर्ग मीटर की मात्रा रिलीज की गई थी ।

(घ) कंट्रोल के कपड़े का वितरण राज्य का विषय है और यह राज्य सरकार को सुनिश्चित करना है कि कंट्रोल का कपड़ा ग्रामीण क्षेत्रों को पहुंचता है ।

1984-85 के दौरान चित्तोड़गढ़-डूंगरपुर-बांसवाड़ा नगरों को वायुदूत सेवा द्वारा जोड़ा जाना

5766. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान सरकार का किन-किन नगरों को वायुदूत सेवा से जोड़ने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार का वायुदूत सेवा द्वारा पिछड़े इलाकों को जोड़ने की ओर विशेष ध्यान देने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में राजस्थान के पिछड़े इलाकों, जैसे चित्तोड़गढ़, डूंगरपुर, बांसबाड़ा, को भी इस सेवा से जोड़ने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) वायुदूत इस समय यातायात संभाव्यता का पता लगाने के लिए कुछ स्टेशनों का सर्वेक्षण करने में संलग्न है । 1984-85 की योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि, नए स्टेशनों के लिए प्रचालन, उपयुक्त विमान प्राप्त किये जाने, आधार संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सबसे अधिक प्रचालनों की आर्थिक साध्यता पर निर्भर करेंगे ।

(ग) फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मौसम सम्बन्धी सही भविष्यवाणी करने वाले विभाग

5767. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना में मौसम सम्बन्धी सही भविष्यवाणी देने, तूफान, भारी वर्षा, हिमपात गर्मी और शीत लहरों जैसी अनेक मौसम सम्बन्धी घटनाओं की चेतावनी देने तथा भू-चालों का पता लगाने, और उनकी स्थिति के बारे में बताने और भू-कम्पीय खतरों का मूल्यांकन करने हेतु कुछ विभागों को स्थापित करने का विचार था ;

(ख) यदि हां, तो स्थापित किए गए विभागों का ब्यौरा क्या है और क्या इन विभागों के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया गया है ;

(ग) क्या उन्होंने कोई सही भविष्यवाणी की है अथवा हाल में राजधानी में अनुभव किये गए दो भूकम्पों की चेतावनी दी थी ; और

(घ) इन विभागों पर राजकोष से कितना खर्च किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग, जो 100 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है, मौसम पूर्वानुमानों, चक्रवातों, भारी वर्षा, बाढ़, आदि जैसी भयंकर मौसमीय घटनाओं की चेतावनी देने, तथा भूकम्पों का पता लगाने एवं इनका स्थान निर्धारण करने जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। तथापि, भारत मौसम विज्ञान विभाग में इन गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए छठी योजना में विभिन्न स्कीमें स्वीकृत की गई थीं। ये स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) भूकम्प विज्ञान के क्षेत्र में मौजूदा जानकारी से, भूकम्पों के बारे में उतनी सही भविष्यवाणी करना संभव नहीं है जितना कि चक्रवातों, भारी वर्षा आदि जैसी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। इसीलिए राजधानी में हाल ही में आए भूकम्पों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकी।

(घ) छठी योजना में भारत मौसम विज्ञान विभाग को 40.27 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

1983-84 के दौरान एयर इंडिया को लाभ

5768. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया को 1983-84 में कितना लाभ हुआ ;

(ख) क्या ऐयर इंडिया सर्वाधिक माल और यात्री ले जाने वाली विश्व की दस शीर्षस्थ विमान कम्पनियों में से एक है ; और

(ग) क्या एयर इंडिया को कार्य कुशलता, सेवा और कारोबार के संबंध में विश्व में, विशेषकर खाड़ी के देशों में, पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स से किसी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अप्रैल, 1983 से जनवरी, 1984 की अवधि में, एयर इंडिया ने 52.45 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय विमानपरिवहन संघ के आंकड़ों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के वाहकों में एयर इंडिया का स्थान 1982 में वाहित अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात (यात्री किलोमीटरों) के अनुसार 14वां तथा माल-यातायात (माल टन किलोमीटरों) के अनुसार 17वां रहा।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय वाहक के रूप में, एयर इंडिया को यातायात की समानांतर मंडियों में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ स्पर्धा करनी पड़ती है, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स के मामले में तो खाड़ी के देश भी सम्मिलित हैं।

"1981 और 1982 में भारत के विदेशी देयताओं और आस्तियों" विषय के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुटाये गये आंकड़े

5769. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने "1981 और 1982 में भारत के विदेशी देयताओं दायित्व और अस्तियों" संबंधी गणना पूरी कर ली है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि यह पूरी कर ली गई है तो शेयरों तथा डिबेंचरों, आयात और निर्यात से संबंधित स्थागित ऋणों और जमा तथा अग्रिम राशियों के शीर्षकों के अन्तर्गत मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) कुछ स्रोतों से जिनसे सूचना मांगी गई थी, सूचना न मिलने के कारण गणना पूरी करने में विलम्ब हो गया। इस विषय में आगे कार्रवाई की जा रही है और इस सर्वेक्षण को शीघ्र पूरा करने के लिए सक्रिय प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारियों द्वारा विदेशों में अध्ययन दौरे

5770. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्हें विदेशों में बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के अध्ययन दौरों का काम सौंपा गया था और वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान उन्हें किन-किन देशों में भेजा गया था ;

(ख) क्या अपनी वापसी पर इन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के उन अधिकारियों के नाम जिन्हें कि बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं के अध्ययन दौरे पर विदेशों में कार्य सौंपा गया था और उन देशों के नाम जिनमें कि वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 (24.3.1984 तक) के दौरान उन्हें भेजा गया था, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अध्ययन दौरों पर विदेशों में भेजे गए अधिकारियों को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती हैं। वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान विदेशों में अध्ययन प्रशिक्षण दौरों के वास्ते भेजे गए 42 अधिकारियों में से 19 अधिकारियों ने अपनी रिपोर्टें पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं जबकि शेष अधिकारियों द्वारा भी अपनी रिपोर्टें शीघ्र प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा है।

अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में सामान्यतः दौरे वाली आयोजक संस्थाओं में अपनाए जा रहे परिचालनात्मक/क्रियात्मक पहलु तथा प्रणालियां और प्रक्रियाएं आती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकलापों में सुधार के वास्ते जहां आवश्यक समझा गया उन्होंने अपने सुझाव भी दिए थे। इन सुझाओं पर सम्बद्ध विभागों द्वारा भावी कार्यवाही के लिए विचार किया जाता है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक के उन अधिकारियों के नाम जिनको कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अध्ययन दौरे पर विदेशों में कार्य सौंपा गया था तथा उन देशों के नाम जहां वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान इन्हें भेजा गया

1.4.1982 से 31.3.1983 तक

क्रम सं०	अधिकारी का नाम और पद	वह देश जिसका दौरा किया गया	वित्तीय/बैंकिंग के नाम
1	2	3	4
1.	श्री सी० विपीनचन्दन, उप मुख्य अधिकारी' एग्रीकल्चर क्रैडिट डिपार्टमेंट बंबई	फिलीपीन्स थाइलैंड	इंटरनैशनल कोआपरेटिव एलायंस i) एशियन एंड पेसिफिक रीजनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन

1	2	3	4
			ii) बैंक फार एग्रीकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल को०
		इन्डोनेशिया	बैंक बक्यात इंडोनेशिया
		मलेशिया	बैंक पार्टेनियन मलेशिया
2.	श्रीमती ए०ए० वैद्य अनुसंधान अधिकारी डिपार्टमेंट आफ इकालोमिक्स एनालेसिस एंड पालिसी, बम्बई	यू०एस०ए०	i) इंटरनेशनल मोनिटरी फंड इंस्टीटयूट ii) फडरल रिजर्व बैंक आफ यार्क
		यू०के०	बैंक आफ इंगलैंड
		फ्रांस	बैंक आफ फ्रांस
3.	श्री एन०डी० करमारकर निदेशक एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन बंबई ।	कोरिया	नेशनल एग्रीकल्चर को० फैडरेशनल
		थाइलैंड	बैंक फार एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल को०
4.	श्री एस०एन० व्यास, उप मुख्य अधिकारी, एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, बम्बई ।	मलेशिया	बैंक पार्टेनियन, मलेशिया
5.	श्री एम०एल० इन्सू, संयुक्त मुख्य अधिकारी डिपार्टमेंट आफ बैंकिंग ओपरेशन एंड डवलपमेंट, बम्बई ।	प० जर्मनी	डयूसिच बंदेशबैंक
		यू०के०	
		यू०एस०ए०	फैडरल रिजर्व बैंक आफ न्यू यार्क
6.	डा० के०के० मुखर्जी सं० मुख्य अधिकारी बैंकिंग कार्यचालन और विकास विभाग मद्रास ।	प० जर्मनी	डयूसिच बैंक
		स्विटजरलैंड	i) स्वीस बैंक कार०
			ii) बैंक फार इंटरनेशल सैटलमेंट बैंक आफ इंगलैंड
			i) डवलपमेंट बैंक आफ दी फिलीपीन्स

1	2	3	4
7.	श्री डब्ल्यू०जी०डी० "सा, उप निदेशक एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन, बंगलौर	यू०के०	ii) सेंट्रल बैंक आफ फिलीपीन्स
		फिलीपीन्स	iii) लैंड बैंक आफ दी फिलीपीन्स
		थाइलैंड	बैंक फार एग्रीकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल को०
		इंडोनेशिया	बैंक बक्यात, इंडोनेशिया
		मलेशिया	बैंक पार्टेरियन, मलेशिया
8.	श्री एस०डी० राहंसा, उप मुख्य अधिकारी, एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, बम्बई।	फिलीपीन्स	i) डवलपमेंट बैंक आफ दी फिलीपीन्स
			ii) सेंट्रल बैंक आफ दी फिलीपीन्स
			iii) लैंड बैंक आफ दी फिलीपीन्स
		थाइलैंड	बैंक फार एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर कोआपरेटिव
		जापान	i) बैंक आफ जापान
			ii) मोरिनटकिन बैंक
		कोरिया	नेशनल एग्रीकल्चर को० फैडरेशनल
9.	श्रीमती के०जे० परदेशी, सहायक प्रबन्धक, प्रशासन विभाग, बंबई	जापान	बैंक आफ जापान
		फिलीपीन्स	सेंट्रल बैंक आफ फिलीपीन्स
		थाइलैंड	बैंक आफ थाइलैंड
10.	श्री एन० वेंकटेश्वरन, संकाय सदस्य, बैंकर्स प्रशिक्षण कालिज, बम्बई	स्विटजरलैंड	स्वीस बैंक कारपोरेशन
		प० जर्मनी	डेसडनर बैंक
		फ्रांस	क्रेडिट ल्योनियस
		यू०के०	बारोलेस इंटरनेशनल लि०
11.	श्री एस०ए० हुसैन, करंसी आफिसर, हैदराबाद	सिंगापुर	मोनिटरी अथारिटी आफ सिंगापुर

1	2	3	4
12.	श्री आर० वेंकटेशन, करंसी आफिसर नागपुर	फिलीपीन्स	सेंट्रल बैंक आफ दी फिलीपीन्स
		थाईलैंड	बैंक आफ थाईलैंड
13.	श्री ए०के० रबोस, सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड, बंबई	यू०एस०ए०	फेडरल रिजर्व बैंक आफ न्यू यार्क
		यू०के०	i) बैंक आफ इंगलैंड ii) मिडलैंड बैंक पी०एल०सी०
14.	श्री डी०एस०आर० राजू, उप मुख्य अधिकारी, बैंकिंग कार्यचालन तथा विकास विभाग, त्रिवेन्द्रम	प० जर्मनी	ड्यूसिच बैंक
		यू०के०	बैंक आफ इंगलैंड
		फ्रांस	बैंक्यू नेशनल डे पेरिस
15.	श्री डी०एस०आर० सिम्हुदु, उप नियंत्रक, एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट बंबई	प० जर्मनी	डयूसिच दुनदेन बैंक
		स्विटजरलैंड	i) यूनियन बैंक आफ स्वीटजरलैंड ii) बैंक फार इंटरनेशनल सैटलमैंट्स
		यू०के०	i) बैंक आफ इंगलैंड ii) मिडलैंड बैंक पी एल सी
16.	श्री जी०के० उदेशी, उप मुख्य अधिकारी, इंडस्ट्रियल क्रेडिट डिपार्टमेंट, बम्बई ;	प० जर्मनी	डयूसिच बैंक
		यू०के०	बैंक आफ इंगलैंड
		स्वीटजरलैंड	स्वीस बैंक कारपोरेशन
		फ्रांस	बैंक्यू नेशनल डे पेरिस
17.	श्री ए०एल० वर्मा अनुसंधान अधिकारी, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, नई दिल्ली	प० जर्मनी	डयूसिच बंदेश बैंक
		फ्रांस	आर्गेनाइजेशन फार ईको० कोआपरेशन एंड डवलपमेंट
		हालैंड	ईरा समय यूनिवर्सिटी
		यू०के०	बैंक आफ इंगलैंड
18.	श्री एस०डी० डवर सहायक लेखा अधिकारी, सरकारी विभाग एंड बैंक एकाउंट, बम्बई	सिंगापुर	i) मारविल लैंच ii) सिटी बैंक iii) केमिकल बैंक और दूसरे भारतीय बैंक

2	2	3	4
19.	श्री जे०आर० प्रभू, उप मुख्य अधि० ग्रामीण आयोजनों और ऋण विभाग, बम्बई	हांग कांग	नोमुरा सिक्यूरिटीज
			ii) सिटी बैंक
			iii) भारतीय स्टेट बैंक
		जापान	यामिची सिक्यूरिटी
20.	श्री आर० कृष्णन संयुक्त कानूनी सलाहकार, बम्बई	यू०के०	i) प्रोवींशन एंड इंडेमिनीटी क्लब
			ii) बैंक आफ इंगलैंड
21.	डा० वाई० बी० दागले सलाहकार, प्रबन्धक सर्विसिज विभाग. बम्बई	प० जर्मनी यू०के० यू०एस०ए०	विभिन्न संस्थान
22.	श्री एम० सुन्दरेसन उप मुख्य अधिकारी, डिपार्टमेंट आफ करेंसी मैनेजमेंट, बम्बई	प० जर्मनी यू०के० फ्रांस इटली स्वीटजरलैंड	प्रत्येक देश के सेंट्रल बैंक

11.4.1983 से 24.3.1984

1.	श्री पी०बी० कुलकर्णी, सँयुक्त मुख्य लेखाकार सरकारी विभाग और बैंक एकाउंट्स, बम्बई	सिंगापुर	मोनेटरी अथारिटी आफ सिंगापुर, सिटी बैंक, मेरिली लिंच, केमिकल बैंक दूसरे भारतीय बैंक
		हांग कांग	न्यू जापान सिक्यूरिटी कं लि० मैन्यू० हनोवार (एशिया) लि० डी०बी० फाइनेंस (हाँग काँग) लि० दीवा सिक्यूरिटीस
		जापान	नोमूरा सिक्यूरिटी लि०
	फिलीपीन्स i) एशियन डेवलपमेंट बैंक	यू०एस०ए०	वर्लड बैंक
	ii) सेंट्रल बैंक आफ फिलीपीन्स		

1	2	3	4
		इंडोनेशिया	बैंक रक्यात इंडोनेशिया,
		थाईलैंड	बैंक फार एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल कोआपरेटिवस
2.	श्री एस०एम० तकी हुसैनी,	प० जर्मनी	डयूसिच बंदेश बैंक
	उप नियंत्रक,	स्वीटजरलैंड	स्वीस बैंक कारपोरेशन
	एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट, बम्बई	यू०के०	i) बैंक आफ इंगलैंड ii) स्टेट बैंक आफ इंडिया iii) मिडलैंड बैंक पी एल सी
3.	श्री जी०आई० हेगड़े	यू०एस०ए०	i) इंटरनेशनल मोनेटरी फंड
	उप निदेशक,		ii) फैडरल रिजर्व बैंक आफ न्यू यार्क
	आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, बम्बई	यू०के०	बैंक आफ इंगलैंड
		फ्रांस	बैंक आफ फ्रांस
		स्वीटजरलैंड	बैंक फार इंटरनेशनल सैटलमैंट्स
4.	श्री वी०पी० नारगोलकार	यू०एस०ए०	सालोमन ब्रो० मोरगान गारंटरी कं० लि०
	सं० मुख्य लेखाकार, सरकारी विभाग एंड बैंक एकाउंट्स बंबई	बेलजियम	सोसिएट जनरल डे बैंक्यू
		फ्रांस	बैंक आफ फ्रांस
5.	श्री मोहम्मद ताहिर	यू०के०	i) बैंक आफ इंगलैंड
	सहायक निदेश मैनेजमेंट सर्विसिज डिपार्टमेंट, बम्बई		ii) मिडलैंड बैंक पी एल सी०
6.	श्री आर०वी० बोरकर	यू०एस०ए०	i) इंटरनेशनल मोनिटरी फंड इंस्टीट्यूट
	अनुसंधान अधिकारी, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, बम्बई ।		ii) फैडरेल रिजर्व बैंक आफ न्यूयार्क
		यू०के०	बैंक आफ इंगलैंड
		फ्रांस	बैंक आफ फ्रांस

1	2	3	4
7.	श्री एस०डी०जे० पांडियन मैम्बर आफ फैक्यूलिटी, रिजर्व बैंक स्टाफ कालिज, मद्रास	प० जर्मनी स्वीटजरलैंड फ्रांस यू०के०	ड्यूसिच बंदेश बैंक बैंक फार इंटरनेशनल सैटलमेंट्स बैंक आफ फ्रांस बैंक आफ इंगलैंड
8.	श्री आर०के० चौधरी, संयुक्त नियंत्रक, एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट, कलकत्ता	प० जर्मनी स्वीटजरलैंड यू०के०	ड्यूसिच बैंक स्वीस बैंक कारपोरेशन i) बैंक आफ इंगलैंड ii) नेशनल वैस्टमिनिस्टर बैंक
9.	श्री बी० कामथ, उप मुख्य अधिकारी, डिपार्टमेंट आफ नॉन बैंकिंग कम्पनिज, कलकत्ता	प० जर्मनी यू०के०	ड्यूसिच बैंक बैंक आफ इंगलैंड
10.	श्री डी०एन० समर्थ, उप मुख्य अधिकारी रूलर प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट, जयपुर।	कोरिया जापान फिलिपीन्स	नेशनल एग्रीकल्चरल को० फैडरेशन नोरिचुकीन बैंक i) एशियन डवलपमेंट बैंक ii) डबलपमेंट बैंक आफ दी फिलिपीन्स
11.	श्री एम०डी० झा, सहायक नियंत्रक, एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट, बम्बई	जापान सिंगापुर	i) बैंक आफ जापान ii) स्टेट बैंक आफ इंडिया iii) बैंक आफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक
12.	श्री एम०एल०टी० फरनांडिस सचिव, रिजर्व बैंक आफ इंडिया बम्बई	जापान फिलीपीन्स मलेशिया	i) मितसई बैंक ii) बैंक आफ जापान सेंट्रल बैंक इंडिया बैंक नेगारा मलेशिया

1	2	3	4
13.	डा० एम०आर० कोटडावाला, मुख्य अधिकारी, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट बम्बई	चीन	एग्रीकल्चरल बैंक आफ चीन
		मलेशिया	i) फारमर्स आर्गेनाइजेशन अथारिटी
			ii) बैंक पार्टेनियन मलेशिया
			iii) फार्मर्स (कोआपरेटिव)
			iv) कृषि मन्त्रालय
			v) फैडरेल एग्रीकल्चरल मार्किटींग अथारिटी
14.	श्री वी०एच० मोतवानी निदेशक, आर्थिक विश्लेषण	यू०एस०ए०	i) इंटरनेशनल मोनेटरी फंड इंस्टीट्यूट
	और नीति विभाग, बम्बई		ii) फैडरेल रिजर्व बैंक आफ
		स्वीटजरलैंड	i) न्यू यार्क
		यू०के०	i) उकटाड जेनेवा
		फ्रांस	ii) जी स्टीटी जेनेवा
15.	श्री आर०के० जालन, संयुक्त नियंत्रक, एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट, बम्बई	प० जर्मनी	डयूसिच बैंक
		स्वीटजरलैंड	स्वीस बैंक कारपोरेशन
		यू०के०	i) बैंक आफ इंगलैंड
			ii) मिडलैंड बैंक पी एल सी
16.	श्री पी०आर० अनन्तरमन, उप मुख्य लेखाकार डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेंट एंड बैंक एकाउंट्स, बम्बई।	जापान	यामाछि सिक्यूरिटी लि०
		सिंगापुर	i) मोनेटरी अथारिटी आफ सिंगापुर
			ii) मेरिलेंलिच, सिटी बैंक, इत्यादि
		हांग कौंग	i) सोसाइटी जनरल, हाँग काँग
			ii) मितसुबिसी बैंक
			Iii) बैंक आफ टोक्यो
			iv) नोमुरा सिक्यूरिटीस
17.	श्री वी०बी० जोशी उप प्रबन्धक, डिपार्टमेंट आफ एडमिनिस्ट्रेशन, बम्बई	जापान	मितसुबिसी बैंक
		हांग कांग	i) स्टेट बैंक आफ इंडिया
			ii) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक

1	2	3	4
		सिंगापुर	i) बैंक आफ इंडिया
			ii) इंडियन ओवरसीज बैंक
18.	श्री एस०के० दत्ता, संकाय सदस्य, बैंकर्स ट्रेनिंग कालिज, बम्बई	कुआलामपुर	इंटरनेशनल मोदलार सेमिनार आर्गेनाजड बाई नेशनल प्रोडक्टीविटी काउंसिल इन एसोसिएशन विध आई एल ओ
19.	श्री पी०के० विश्वास संकाय सदस्य, कालिज आफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, पुणे	फिलिपीन्स इंडोनेशिया मलेशिया	सेंट्रल बैंक आफ फ़िलीपीन्स बैंक रक्यात इंडोनेशिया, बैंक पार्टेनियन मलेशिया
20.	डा० वाई०बी० डामले, सलाहकार, मैनेजमेंट सर्विसिज डिपार्टमेंट, बंबई ।	हांगकांग सिंगापुर	बहुत से संस्थान
			बैंक आफ इंगलैंड
			i) बैंक आफ फ्रांस
			ii) आर्गेनाइजेशन फार इकोनामिक कारपोरेशन एंड डेवलपमेंट

गुजरात में भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें खोलना

5771. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये शाखाएं खोलने का विचार है ; और

(ग) इस समय गुजरात में भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सितम्बर, 1983 के अंत में गुजरात में भारतीय स्टेट बैंक की 351 शाखाएं कार्यरत थी । इनमें से 207 शाखाएं ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्रों में हैं अभी भी गुजरात के ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंक के पास 14 प्राधिकार पत्र है । स्थान-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जिला	केन्द्र का नाम ग्रामीण केन्द्र
भावनगर	1. तिमाही
	2. करमड
बरोच	3. अम्बावाडी
	4. रोहिद
	5. चावज-काम्पलेक्स
बल्सर	6. देवसर
जूनागढ़	7. लोधावा
	8. काणन्य
साबरकांठा	9. खडोल
	10. पटेल ढुंडा
	11. कलिकनपुर
	12. म्नाझयुस
सुरेन्द्र नगर	13. खेरवा
	अर्ध-शहरी केन्द्र
गांधी नगर	14. गांधी नगर जी०आई०डी० सी० इलेक्ट्रोनिकी क्षेत्र

जापान के इस्पात कारखानें और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बीच लौह अयस्क के निर्यात के लिए अनुबन्ध

5773. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के इस्पात कारखानों और राज्य के स्वामित्व वाली खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बीच लौह अयस्क के निर्यात के लिए किसी अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) समझौते के अन्तर्गत भारतीय जहाजों के उपयोग करने का निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, खनिज व धातु व्यापार निगम ने 1984-85 के दौरान जापान को आठ मिलियन मे. टन लौह अयस्क निर्यात करने के लिए जापानी इस्पात मिलों के साथ एक संविदा की है ।

(ख) तथा (ग) जापानी इस्पात मिलें भारतीय जहाजरानी निगम के जलयानों में पारादीप पत्तन से संपूर्ण मात्रा तथा विजाग और मद्रास पत्तनों से 50 प्रतिशत मात्रा उठाने के लिए सहमत हो गए हैं । इस संविदा के कार्यान्वयन के संबंध में खनिज व धातु व्यापार निगम कार्यवाही कर रहा है ।

छठी योजना के दौरान उड़ीसा में विकास के लिए चुने गये यात्रा सर्किट

5774. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में विकास के लिए किन-किन यात्रा सर्किटों को चुना गया है ;

(ख) उपर्युक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में चुने गए यात्रा सर्किटों के विकास के लिए अब तक कितना केन्द्रीय आबंटन किया गया है ; और

(ग) अब तक उन यात्रा सर्किटों में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र राज्य और प्राइवेट सैक्टर के मिश्रित संसाधनों द्वारा पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित दो यात्रा परिपथ निर्धारित किए हैं :

1. भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क-धौली-रत्नगिरी-ललितगिरी-उदयगिरि-भद्रक-चांदीपुर-खिचिंग जोशीपुर, (सिमलीपाल) और वापस ।

2. भुवनेश्वर-चिल्का झील-गोपालपुर-समुद्रतट-तप्तापानी-कोरापुट-बोलनगीर-झरसुगदा-अंगुल-टिकरपाड़ा-तलचेर-भुवनेश्वर ।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभाग ने निम्नलिखित स्कीमों को पहले ही प्रारम्भ कर दिया है ।

	अनुमानित लागत	रिलीज की गई राशि/ रिलीज करने के लिए प्रस्तावित राशि
	(लाख रुपयों में)	
1) ललितगिरि उद्यगिरि और रत्नगिरि की मास्टर प्लान तैयार करना	4.00	3.20
2) नंदन कानन में लायन सफारी पार्क का विकास	21.01	19.23
3) शिमलीपाल में वन-गृह	36.76	10.80
4) कोणार्क में टायलट ब्लाक	3.49	2.61
5) चिलका झील में नौकाओं की व्यवस्था	1.998	1.80
6) खंदागिर, उदयगिरि में प्रकाश-पुंज व्यवस्था	8.10	7.29

उपर्युक्त स्कीमों के अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम की उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से पुरी में 134 लाख रु० की अनुमानित लागत पर 50 कमरों का एक संयुक्त उद्यम होटल स्थापित करने की योजनाएं हैं। भारत पर्यटन विकास निगम ने 102 लाख रु० की अनुमानित लागत पर होठल कलिंग, भुवनेश्वर में 30 अतिरिक्त कमरों का निर्माण करके इसका विस्तार करने का भी निर्णय लिया है।

भारतीय यात्री आवास विकास समिति पुरी में एक याचिका का निर्माण करेगी जिसके लिए भूमि का अधिगृहण कर लिया गया है। भुवनेश्वर में एक परिवहन यूनिट की स्थापना की गई है। भुवनेश्वर को दिल्ली, वाराणसी, कलकत्ता, हैदराबाद आदि से हवाई सेवा द्वारा जोड़ा गया है।

छठी योजना अवधि के दौरान पर्यटक ग्रामों (टूरिस्ट विलेज) के लिए किया गया आबंटन

5775. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान कितने पर्यटक ग्राम बनाए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) पर्यटक ग्राम स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों में किन-किन स्थानों को चुना गया है ;

(ग) इन पर्यटक ग्रामों की स्थापना के लिए कितना आबंटन किया गया है ; और

(घ) उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) फिलहाल छठी योजना के दौरान केवल एक पर्यटक ग्राम बनाया जा रहा है। यह प्रायोगिक परियोजना मध्य प्रदेश के अन्तर्गत शिवपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है। शिवपुरी पर्यटक ग्राम की कुल अनुमानित लागत 34.04 लाख रुपये हैं ; जिसमें 20 लाख रुपये पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं और शेष 1984-85 के दौरान रिलीज किए जाएंगे। इस परियोजना पर निर्माण कार्य पहले से प्रगति पर है।

फेवरिट स्माल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

5776. **श्री अनवार अहमद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेवरिट स्माल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, का पंजीकृत और मुख्य कार्यालय 83, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता भारतीय रिजर्व बैंक की किसी गारंटी या नियम/विनियम के अधीन कार्य कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह भी "सहारा सेविंग स्कीम" की तरह घोखाधड़ी सिद्ध नहीं होगा और इस संभावना को ध्यान में रखते हुए भविष्य में जनता के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) फेवरिट स्माल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का पंजीकृत और मुख्य कार्यालय 83, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता द्वारा कुछ ऐसी स्कीमें चलाई जा रही हैं जो कि ईनामी चिट तथा धनपरिचालन स्कीम (पाबंदी अधिनियम), 1978 के अधिकार क्षेत्र में तथा पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा बनाए गए ईनामी चिट तथा धन परिचालन योजना (पाबंदी) (पश्चिमी बंगाल) नियम, 1979 के अन्तर्गत आती है। उपर्युक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अनुसरण में पश्चिम बंगाल सरकार ने 10-8-1979 को इस कम्पनी को अपने परिसमापन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया था। अलबत्ता, इस कम्पनी ने केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें यह दावा किया गया था कि उसका कारबार उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता और उसने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। यह मामला अभी न्यायाधीन है।

थाणे जिले में गहरे समुद्र में एक पोत से निषिद्ध माल का पकड़ा जाना

5777. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने हाल ही में थाणे जिले में, गहरे समुन्द्र में एक पोत से निषिद्ध माल पकड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निषिद्ध वस्तु खरीदने वालों के यहां कोई छापा मारा है ; और

(ग) तस्करों की गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां दिनांक 27/28 फरवरी, 1984 की रात को बम्बई में तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों ने थाणे जिले में अर्नाला से कुछ दूरी पर एक "फिशिंग ट्रॉलर" को रोका था जिसकी पंजीकरण सं० बी० एस० एफ० एन० 2671 थी और उन्होंने उससे निषिद्ध माल, यथा कलाई घड़ियां, घड़ियों के पुर्जे, टैक्सटाइल और इलैक्ट्रॉनिकी का माल पकड़ा जिनका कुल मूल्य 22.88 लाख रुपए आंका गया। उस जालयान को भी, जिसका मूल्य एक लाख रुपए आंका गया, अभिगृहीत कर लिया गया है। इस संबंध में, अन्तर्ग्रस्त नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें जलयान का मालिक भी शामिल है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क बने रहने के आदेश दिए गये हैं। पश्चिमी समुद्रतट के सुगम्य क्षेत्रों में कर्मचारियों तथा उपकरणों की दृष्टि से, सीमा शुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बना दिया गया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके तस्करी-निवारण उपाय तेज कर दिये गए हैं।

तस्करों के खिलाफ विभागीय तौर पर और साथ ही अदालत में मुकद्मे दायर करके सख्त कार्रवाई की जाती है। समुचित मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन नजरबंदी भी की जाती है। इस मामले की सतत समीक्षा की जाती रहती है और यथावश्यक उचित उपाय भी किए जाते हैं।

इक्विटी अन्तरण के लिए मार्ग निदेश

5778. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इक्विटी अन्तरण के लिए हाल ही में जारी किए गए मार्ग निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

(ख) नए मार्ग निदेश जारी करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में यदि शेयर होल्डरों की कोई प्रतिक्रिया है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने परिवर्तनीयता खण्ड के विषय पर नरसिंहम् समिति की सिफारिशों के अनुसरण में 1 मार्च, 1984 को वित्तीय संस्थाओं के नाम मार्गनिर्देश जारी किए हैं। मार्गनिर्देशों की कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं:-

(1) सभी उचित मामलों में, परिवर्तनीयता खन्ड इस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए कि वह सम्बन्ध कानूनों अथवा चार्टर के समर्थक उपबन्धों के साथ पढ़े जाने वाले कम्पनी अधिनियम की धारा 81 (3) के उपबन्धों के अनुरूप हों जिसके अधीन वित्तीय संस्थाएं स्थापित अथवा निगमित की गयी हों (जैसी भी स्थिति हो)।

(2) परिवर्तनीयता खण्ड केवल मंजूर किए गए रुपया ऋणों और/अथवा अभिदत्त रुपया डिबेंचरों और अथवा किसी डिबेंचर निर्गम की हामीदारी सुविधाओं के परिणामस्वरूप अन्तरण के सम्बन्ध में ही परिकल्पित की जानी चाहिए।

(3) मार्गनिर्देशों में अन्यथा की गयी व्यवस्था को छोड़कर वित्तीय सहायता से सम्बन्द्ध करारों में परिवर्तनीयता के खण्ड की परिकल्पना सभी मामलों में, जिसमें बकाया राशियों सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता की राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक हो, अनिवार्य होंगी।

(4) उन मामलों में परिवर्तनीयता खण्ड की परिकल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है जिनमें सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (निवेश संस्थाओं सहित) की कुल शेयर-धारिता एम. आर. टी. पी. भिन्न कम्पनियों के मामले में 26% और एम. आर. टी. पी. कम्पनियों, बड़े घरानों के मामले में 40% से अधिक हो। लेकिन संस्थागत ऋणों की वापसी अदायगी में चूक के कारण और कम्पनी के कार्यों के कुप्रबन्ध के कारण वित्तीय संस्थाएं 5 करोड़ रुपये से अधिक की संचित सहायता वाली वित्त-पोषित परियोजनाओं के मामले में परिवर्तनीयता खण्ड के अधिकार को बराबर बनाए रखेगी चाहे उनकी शेयर-धारिता कितनी भी हो। "उद्योग रहित जिलों और विशेष क्षेत्रों के "क" क्षेत्र में स्थापित की जा रही एमo आरoटीo पी० और एमoआरo टीoपीo भिन्न कम्पनियों की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ऋणों के बारे में परिवर्तनीयता खण्ड की परियोजना परिकल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है।

(5) संस्थाओं द्वारा पहले वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में उदार ऋण योजना के अन्तर्गत और आधुनिकीकरण सहायता के अंतर्गत अथवा वर्तमान क्षमता के भीतर अतिरिक्त संतुलनकारी उपस्करों की खरीद के लिए सहायता के मामले में परिवर्तनीयता खण्ड लागू नहीं होगा।

(ग) सरकार को किसी शेयर होल्डर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

वाणिज्य मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

5779. **श्री भीखा भाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय और मन्त्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की वर्ग-वार कुल कितनी संख्या है।

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ग) इन आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"एलेज्ड किंगपिन हैल्ड इन स्मगलिंग" शीर्षक से समाचार

5780. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 3 मार्च, 1984 के "टाइम्स आफ इण्डिया" बम्बई संस्करण में "एलैज्ड किंगपिन हैल्ड इन स्मगलिंग" शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की तस्करी की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) दिनांक 3 मार्च 1984 के "टइम्स आफ इण्डिया" (बम्बई से प्रकाशित) में "एलैज्ड किंगपिन हैल्ड इन स्मगलिंग" नामक शीर्षक से छपी खबर की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया गया है। यह खबर दिनांक 27-28 फरवरी, 1984 की बम्बई में तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई कुल 22.88 लाख रुपये मूल्य की कलाई घड़ियों, घड़ियों के पुर्जों, टैक्सटाइल तथा इलैक्ट्रानिकी के माल के बारे में थी। इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :-

दिनांक 27-28 फरवरी, 1984 की रात को, बम्बई में तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों ने थाणे जिले में अर्नाला से कुछ दूरी पर मछली पकड़ने वाले एक ट्रालर को, जिसकी पंजीकरण संख्या बी० एस० एन० 267 है, रोका था और उससे 22.88 लाख रुपये मूल्य का निषिद्ध माल बरामद हुआ, जिसका अभिग्रहण कर लिया गया था। एक लाख के मूल्य के इस जलयान का भी अभिग्रहण कर लिया गया है।

इस सिलसिले में, अन्तर्ग्रस्त नौ व्यक्तियों को, जिसमें जलयान का मालिक भी शामिल है, गिरफतार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरास्त में भेज दिया गया। इस मामले की और आगे जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) देश में तस्करी के तरीकों की सतत् समीक्षा तथा जिन्स, दोनों को मद्देनजर रख कर की जाती है तस्करी की इस समीक्षा और विश्लेषण के आधार पर तस्करी निवारक तथा आसूचना तंत्र की तस्करी की असंका वाले क्षेत्रों तथा तस्करी के आकर्षण वाली मदों के संदर्भ में सुदृढ़ बनाया जाता है। पश्चिमी समुद्रतट क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करके तस्करी-निवारण कार्यवाही तेज कर दी गई है। पश्चिमी समुद्र तट क्षेत्र में निवारक और आसूचना तंत्र को भी कर्मचारी तथा उपकरण देकर सुदृढ़ बनाया गया है।

तस्करों के खिलाफ विभागीय तौर पर तथा न्यायालयों में मुकदमे के जरिये कड़ी कार्यवाही की जाती है। उचित मामलों में, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन नजरबन्दी भी की जाती है। इस मामले की सतत् समीक्षा की जाती है और यथावश्यक उचित उपाय किये जाते हैं।

सशस्त्र सेनाओं में एन. सी. सी. की लड़कियों के लिए अवसर

5781. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन. सी. सी.) में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या लगभग 1,28,000 है; और

(ख) यदि हां, तो जब उन्हें सशस्त्र सेनाओं में सेवा हेतु आदमियों के बराबर अवसर नहीं दिए जाते तो उन्हें यह प्रशिक्षण देने का क्या प्रयोजन है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) राष्ट्रीय कैडेट कोर में बालिका कैडेटों की प्राधिकृत संख्या 1,29,000 है।

(ख) स्कूलों और कालेजों में छात्रों को कुछ सैनिक प्रशिक्षण देने, जिससे वे सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हो सकें, के अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर के बहुत से अन्य उद्देश्य हैं अर्थात नेतृत्व

के गुण विकसित करना, चरित्र निर्माण, मैत्री, खिलाड़ीपन की भावना तथा सेवा-आदर्श । इसका उद्देश्य एक अनुशासित और प्रशिक्षित जनशक्ति का एक दल खड़ा करना भी है जो कि आपात स्थिति में देश की मदद कर सके । बालिकाओं के प्रशिक्षण के मामले में उनके व्यक्तित्व को विकसित करने, उनमें आत्म-विश्वास तथा साहस पैदा करने पर विशेष बल दिया जाता है । उन्हें प्राथमिक चिकित्सा, बच्चों की देख-भाल, योग प्रशिक्षण, संकेत देना, मातृ-कौशल, स्वच्छता, आत्म-रक्षा और सफाई जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं जो कि न केवल उनके दैनिक जीवन के लिए लाभप्रद हैं बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए भी लाभदायक है । राष्ट्रीय कैडेट कोर में आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए साहसिक कार्यकलापों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है । राष्ट्रीय केडेट कोर प्रशिक्षण से उन्हें सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और सेना परिचर्या सेवा में भर्ती होने में भी मदद मिलती है । वे राष्ट्रीय कैडेट कोर में पूर्णकालिक/अंशकालिक अफसर के रूप में कमीशन भी प्राप्त कर सकते हैं तथा उसमें अंडर आफिसर इंस्पैक्टर के रूप में भर्ती हो सकते हैं ।

पर्यटन सुविधाओं में वृद्धि के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन

5782. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जनवरी, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इनसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर फार टूरिज्म रोल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है और उक्त प्रोत्साहन किन-किन क्षेत्रों में तथा किस-किस रूप में दिये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमोदित होटल, यात्रा अभिकर्ता, यात्रा प्रचालक और कार प्रचालक मशीनरी, उपस्करों और अन्य सामग्री का आयात करने एवं संवर्धनात्मक दौरों, प्रचार और वाहकों (ट्रांसपोर्टर्स) को ऋण जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों के हकदार होते हैं । अनुमोदित होटल कर में रियायत और एल०पी० जी० टेलीफोनों तथा टैलेक्सों में प्राथमिकता जैसे प्रोत्साहनों के भी हकदार होते हैं ।

इसी प्रकार राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा उद्योग के विभिन्न घटकों को उसी प्रकार से रियायतें उपलब्ध कराएं जिस प्रकार से अन्य निर्यात अभिमुख उद्योगों को उपलब्ध हैं । कुछ राज्य सरकारों ने अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है ।

"इनवेस्टमेंट अपोरच्यूनिटीज इन लीजिंग कम्पनीज" शीर्षक समाचार

5783. श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 अक्टूबर, 1983 के बम्बई के साप्ताहिक "कामर्स" में "इन-वेस्टमेंट अपोरच्यूनिटी इन लीजिंग कम्पनीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; यदि हां, तो लीज पर लीजिंग वित्त कम्पनियों की बेइन्तहा वृद्धि के क्या कारण हैं :

(ख) इस प्रकार की कम्पनियों में जनता के पूंजीनिवेश की रक्षा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या ये लीजिंग कम्पनियां अनेक लाभों का उपयोग करती हैं;

(घ) इससे कहां तक देश की अर्थव्यवस्था पर और बाजार में क्रेता के रूप में आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) क्या यह सच है कि बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के अनेक सेवानिवृत्त चेयरमैन, प्रबंध निदेशक तथा निदेशक इस क्षेत्र में आ गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) प्रश्न में उल्लिखित, "इनवेस्टमेंट अपोरच्यूनिटीज इन लीजिंग कम्पनीज शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार को सरकार ने देखा है। लीजिंग वित्त कारोबार की वाणिज्यिक और आर्थिक संभावनाओं को देखते हुए गत वर्षों में, भारत में सामान्यत: लीजिंग वित्त कम्पनियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, 1977 के अनुसार लीजिंग वित्त कम्पनियां शेयर होल्डरों की जमा राशियों, बेजमानती डिबेंचरों की जमा राशियों, निदेशकों द्वारा गारंटी शुदा जमा राशियों के रूप में अपनी निवल धनराशियों के 15% तक जमा राशियां स्वीकार कर सकती हैं। ये राशियां अन्य जमा राशियों के रूप में निवल धनराशियों के 25% के अतिरिक्त हैं। कम्पनियों द्वारा जमा राशियां जुटाने को सीमित करने और उसके साथ-साथ कम्पनियों में प्रवर्तकों की कुछ सीमा तक जोखिम सुनिश्चित करके इन कम्पनियों में सार्वजनिक निवेश की सुरक्षा की जा रही है।

लीजिंग वित्त कारोबार से औद्योगिक विकास में तेजी आयेगी और इस सीमा तक उसका देश की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय सस्थाओं के अध्यक्षों एवं प्रबंधकों को उनके रिटायर होने के 2 वर्ष के अन्दर-अन्दर किसी वाणिज्यिक पद को स्वीकार करने के लिए

जिसमें कम्पनियों के निदेशक का पद भी शामिल है, केन्द्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होती है। अतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कुछ अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशकों को सरकार द्वारा लीजिंग कम्पनियों सहित अन्य कम्पनियों की अध्यक्षता निदेशक पद को स्वीकार करने की अनुमति दी गयी है, जहाँ तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों का सवाल है, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से रिटायर होने के बाद किसी वाणिज्यिक पद को स्वीकार करने के लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। अतः ऐसे निदेशकों के बारे में, जिन्होंने लीजिंग कम्पनियों में पद स्वीकार किये हैं, सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

गैर-सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण

5784. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गैर-सरकारी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है;

(ख) देश में इस समय कार्य कर रहे निजी बैंकों के क्या नाम हैं जो इन मानदण्डों को पूरा करते हैं; और क्या उनका राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ग) सरकार ने 1969 और 1980 में कुछ बैंकिंग कम्पनियों को उनके आकार, साधनों व्याप्ति और संगठन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत किया था। राष्ट्रीय नीति और उद्देश्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं को क्रमिक रूप से पूरा किया जा सके और पहले से अच्छी सेवा प्रदान की जा सके तथा जनता के कल्याण कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके। इन बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा राशियां भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली की कुल जमा राशियों का 91.5 प्रतिशत बैठती है। स्थिति की बराबर समीक्षा की जाती है तथा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर ऐसी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के अनुसार विचार किया जायेगा।

विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजनायें

5785. **प्रो. नारायण चंद पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई परियोजनायें मंजूर की हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और केन्द्रीय क्षेत्रवार उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा भेजी गई कोई परियोजनायें विश्व बैंक के पास अनुमोदन के लिए पड़ी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके अब तक लम्बित रहने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) ऐसी परियोजनाओं का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसके लिए 1982, 1983 और 1984 (9 फरवरी, 1984 तक) के वित्तीय वर्षों में विश्व बैंक ने सहायता की मंजूरी दी है ।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष परियोजनाओं की एक सूची तैयार की जाती है । उन परियोजनाओं की ठीक संख्या, जिनके लिए सहायता की राशि को संहबद्ध किया जा सकता है तथा ऐसी सहायता की मात्रा बैंक समूह की धन राशियों की उपलब्धता तथा परियोजनाओं की तैयारी और प्रगति की स्थिति पर निर्भर करती है ।

विवरण

राजकोषीय वर्ष 1982, 1983 और 1984 (9 फरवरी, 1984 तक) में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक समूह द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की सूची (राजकोषीय वर्ष 1982 पहली जुलाई, 1981 से 30 जून, 1982 तक है)

I. केन्द्रीय क्षेत्र

परियोजना का नाम	राजकोषीय वर्ष	अन्तर्राष्ट्रीय बैंक समूह की सहायता की राशि		टिप्पणी
		(करोड़ अमेरिकी डालर)		
		अंतर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. द्वितीय रामगुंडम तापीय बिजली परियोजना	1982	30.000		
2. चौथी कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ऋण परियोजना		19.000	16.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. तेल साफ करने के कारखानों की युक्तिकरण परियोजना	,,	20.000		
4. तीसरी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना	,,	30.450		
5. द्वितीय कोरबातापीय बिजली परियोजना	,,	—	40.000	
6. आई. सी. आई. सी. आई. को 14वां ऋण	,,	15.000		गैर-सरकारी
7. रेलवे का आधुनिकीकरण और अनुरक्षण-II	1983	20.000	20.000	
8. हिमालयन जल विभाजक प्रबंध	,,	4.620	—	यह एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार भागीदार है।
9. कृष्णा-गोदावरी अन्वेषण	,,	16.550	—	
10. दक्षिणी बेसिन गैस विकास	,,	22 230	—	
11. केन्द्रीय विद्युत पारेषण परियोजा	,,	25.070	—	
12. तीसरी जनसंख्या परियोजना	1984	—	7.000	केन्द्रीय और राज्य योजना
II राज्य क्षेत्र				
1. करलाडा सिंचाई और वृक्षारोपण विकास	1982	2,030	6.000	
2. तमिलनाडु न्यूजप्रिन्ट	,,	10,000	—	

1	2	2	4
3. मध्य प्रदेश वृहद् सिंचाई परियोजना	,,	—	2.200
4. पश्चिम बंगाल सामाजिक वनपालन	,,	—	2.900
5. कानपुर शहरी विकास	,,	—	2.500
6. आंध्र प्रदेश कृषि विस्तार	,,	—	0.600
7. अपर इन्द्रावती पन बिजली परियोजना	1983	15·640	17.000
8. गुजरात जलपूर्ति	,,	—	7.200
9. कलकत्ता शहरी विकास-III	,,	—	14.700
10. मध्य प्रदेश शहरी विकास	,,	2.410	—
11. चम्बल (मध्य प्रदेश) सिंचाई दौर-II	,,	—	3 100
12. हरियाणा सिंचाई दौर-II	,,	—	15.000
13. उत्तर प्रदेश ट्यूबवैल दौर-II	,,	—	10.100
14. सुबर्णरेखा सिंचाई	,,	—	12.700
15. महाराष्ट्र जल उपयोग	,,	2.270	3.200
16. हरियाणा/जम्मू और कश्मीर सामाजिक वन-पालन	1983	—	3.300
17. मध्य प्रदेश शहरी विकास	1984	2.410	—
18. उड़ीसा सिंचाई	,,	—	10.500
19. कर्नाटक सामाजिक वनपालन	,,	—	2.700
20. वर्षा पोषित क्षेत्रों में जल विभाजक विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना	,,	—	3.100

पारादीप बन्दरगाह से निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा

5786. **श्री चिन्ता मणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981, 1982 तथा 1983 के दौरान पारादीप बन्दरगाह से कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1984 के दौरान पारादीप बन्दरगाह के माध्यम लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) पारादीप पत्तन से पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित लौह अयस्क की मात्रा निम्नांकित प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (लाख टन)
1981	15.71
1982	10.48
1983	11.50

(ख) जी हां ।

(ग) पारादीप पत्तन के माध्यम से लोह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए, नए सिरे से तथा ठोस प्रयास करने का विनिश्चय किया गया है ताकि खरीदारों को लौह अयस्क की अपनी आवश्यकताएं पारादीप पत्तन से यथासंभव सीमा तक पूरी करने के लिए राजी किया जा सके । इस दिशा में निम्नोक्त प्रमुख उपाय किए गए हैं :

(i) खनिज व धातु व्यापार निगम से उन देशों में लौह अयस्क के निर्यात के लिए नये बाजारों का पता लगाने के लिए कहा गया है जो पारादीप पत्तन के लिए अपने छोटे जलयान नियोजित करने के इच्छुक हों । खनिज व धातु व्यापार निगम ने दक्षिण कोरिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य तथा रूमानिया को चालू वर्ष के दौरान पारादीप पत्तन से लगभग 7 लाख मे. टन लौह अयस्क उठाने के लिए राजी कर लिया है इस प्रकार 1983-84 के दौरान पारादीप से कुल संभावित निर्यात लगभग एक मिलियन मे. टन हो गए हैं । 1984-85 में भी ऐसी संभावना है कि दक्षिण कोरिया 4 लाख मे. टन, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य 3 लाख मे. टन तथा जापान 5 लाख मे. टन अयस्क लेगा, इस प्रकार 1984-85 के लिए उनके अनुमानित निर्यात लगभग 1.2 मिलियन मे. टन हो जायेंगे ।

(2) खनिज व धातु व्यापार निगम पारादीप पत्तन से अयस्क उठाने में अन्तर्ग्रत अधिक भाड़े के लिए खरीदारों की कीमतों में छूट देकर प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत है ।

(3) दोनों पत्तनों की लदान क्षमता, अर्थात् पारादीप पर प्रारम्भिक लदान तथा मद्रास पत्तन पर माल उठाने की संभाव्यता तथा आर्थिक क्षमता का खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ।

(4) पारादीप पत्तन पर लौह अयस्क की लदान सुविधाओं में हाल ही में पर्याप्त लागत पर काफी सुधार आया है ।

(5) रात्रि के समय जलयानों को संचालित करने के लिए रात्रि नौचालन आरम्भ किया गया है ।

(6) उड़ीसा सरकार जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय के साथ परामर्श करके पत्तन की लदान क्षमता बढ़ाने के लिए तथा दलदल की समस्या का निरंतर उपाय खोजने के लिए पारादीप पत्तन पर ट्रांसशिपर-कम-ड्रेगर स्थापित करने की संभाव्यता का अध्ययन कर रही है ।

अलीगढ़ को श्रेणी-"ख" नगर के रूप में घोषित करना

5787. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर श्रेणी 'ख' नगर के रूप में घोषित किया गया है ;

(ख) क्या अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के सुझाव पर अलीगढ़ नगर को वर्ष 1983 के श्रेणी 'ख' का नगर वर्गीकृत किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या वहां काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) नगरों के वर्गीकरण में 'ख' श्रेणी नगर के रूप में कोई श्रेणी नहीं है । नगरों को या तो 'ख'-1 श्रेणी अथवा "ख-2" श्रेणी के रूप में इस प्रयोजन के लिए जनसख्या के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है । अलीगढ़ नगर को 1981 की जनगणना के आधार पर उसकी जनसंख्या के अनुसार न तो ख-1 श्रेणी अथवा न ख-2 श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र पाया गया है ।

(ग) और (घ) 1981 की जनगणना के आधार पर, अलीगढ़ नगर को 'ग' श्रेणी नगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, अलीगढ़ में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 'ग' श्रेणी नगरों के लिए निर्धारित दरों पर मकान किराया भत्ता स्वीकार्य है, किन्तु 'ग' श्रेणी नगरों में प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

लौह अयस्क की खरीद और निर्यात के लिए अभिकरण

5788. **श्री नवीन रावणी :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में अब तक कुल कितनी मात्रा और कितने मूल्य का लौह अयस्क निर्यात किया गया ;

(ख) भारत में किस अभिकरण के द्वारा लोह अयस्क की खरीद और निर्यात किया जा रहा है ;

(ग) भारत से लोह अयस्क का आयात करने वाले देश/देशों के क्या नाम हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय खनिज और घरेलू व्यापार निगम लौह अयस्क के निर्यात के लिए उसकी कीमतों में हाल ही में भारी कटौती की है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या इसका लोह अयस्क के निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ेगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री तिहार रंजन लास्कर) : (क) तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हुए निर्यात की कुल मात्रा तथा उसके मूल्य के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :-

	मात्रा (मिलियन टन)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1981-82	25.85	386
1982-83	21.96	397
1983-84 (29-2-84 तक अनन्तिम)	20.38	367

(ख) लौह अयस्क का निर्यात प्रमुख रूप से भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि. की मार्फत सरणीवद्ध किया जाता है जो सीधे खान मालिकों (सार्वजनिक क्षेत्र सहित) से निर्यात के लिए अयस्क की खरीद करता है। तथापि, गोआ मूल के लौह अयस्क, गोआ की कतिपय पार्टियों द्वारा जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और पश्चिमी यूरोप को निर्यात करने की अनुमति है। कुद्रेमुख आयरन और कं० लि० को भी उनके द्वारा उत्पादित लौह अयस्क कंसन्ट्रेट्स निर्यात करने की अनुमति है।

(ग) भारत से लौह अयस्क का प्रमुख खरीदार जापान है और उसके बाद अन्य खरीदारों में रूमानिया, दक्षिण कोरिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य तथा अन्य देश हैं।

(घ) तथा (ङ) चूंकि गत वर्षों के मूल्यों की तुलना में 1983-84 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लौह अयस्क की कीमत में गिरावट आई, इसलिए भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम को (बेलाडिला के लौह अयस्क के अतिरिक्त) लौह अयस्क की एक्सप्लोटा एफ० ओ० आर० वसूली कीमतों में पिछले वर्ष की अपेक्षा 1 से 3 प्रतिशत की मामूली कमी करनी पड़ी।

(च) जी, नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों पर शुल्क-मुक्त दूकानों में कारोबार

5789. **श्री नवीन रावणी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82, 1982-83 और 1983-84 वर्षों के दौरान भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों में, दुकान-वार कितना कारोबार हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितना मुनाफा कमाया गया ;

(ग) इन दुकानों पर बेची जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या आगमन दीर्घाओं में शुल्क मुक्त दुकानें खोलने का भी कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम की शुल्क मुक्त दुकानों पर जिन वस्तुओं की बिक्री की जाती है, वे हैं-सिगरेटें, तम्बाकू, इत्र, घड़ियां, कैमरे, इलैक्ट्रोनिक आइटम, उपहार की वस्तुएं आदि।

(घ) और (ङ) भारत पर्यटन विकास निगम ने जुलाई, 1983 के दौरान पहले से ही दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों की आगमन-दीर्घाओं में शुल्क मुक्त दुकानों की स्थापना की हुई है। भारत पर्यटन विकास निगम ने मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे की आगमन-दीर्घा में एक शुल्क दुकान स्थापित करने का निर्णय भी लिया है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

	कारोबार (टर्नओवर)			निवल लाभ/हानि		
	1981-82	1982-83 (अंतिम)	1983-84	1981-82	1982-83 (अंतिम)	1983-84
1. दिल्ली	122.47	157.26	174.00	42.45	45.74	59.00
2. बम्बई	112.46	162.86	240.00	30.20	44.69	67.50
3. कलकत्ता	39.92	39.47	50.00	11.26	17.26	13.50
4. मद्रास	14.49*	14.83	13.00	1.85*	(—) 0.38	1.80

*त्रिवेन्द्रम शुल्क मुक्त दुकानों सहित।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों की समिति गठित करना

5791. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार व बैंकों के प्रबंध कार्यों में गैर-सरकारी निदेशकों का हस्तक्षेप रोकने के लिए सरकारी क्षेत्र के निदेशकों की समिति बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन होंगे ;

(ग) क्या गैर-सरकारी निदेशकों ने सरकार के उक्त निर्णय के प्रति विरोध प्रकट किया है क्योंकि ऐसा करने का तात्पर्य उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना है ;

(घ) क्या ऐसा देखने में आया है कि गैर-सरकारी निदेशक गत कई वर्षों से बैंकों के प्रबन्ध और कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करते आ रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां; तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों की इस निदेशक मंडल समिति की नियुक्ति से इस प्रकार का हस्तक्षेप समाप्त करने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा हाल ही में गठित पदोन्नति विषयक समिति से है । अधिकारी सेवा विनियम के विनियम 17 के संदर्भ में राष्ट्रीयकृत बैंकों में सभी अधिकारियों के ग्रेडों की पदोन्नतियां सरकार के मार्गनिदेशों को देखते हुए यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में वरिष्ठ और उच्च कार्यपालक ग्रेडों की पदोन्नतियां एक समान और वस्तुनिष्ठ मानदण्ड तथा निष्पक्ष रूप से होती है, सरकार ने बैंकों के नाम सहायक महाप्रबन्धकों और उससे ऊपर के पदों की पदोन्नति के संबंध में 28 सितम्बर, 1983 को मार्गनिदेश जारी किये थे जिन में उन्हें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सरकारी निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशकों की पदोन्नति समितियां गठित करने का परामर्श दिया गया है। ये मार्गनिदेश भारतीय स्टेट बैंक और इसके 7 अनुषंगी बैंकों को भी उनके विचारार्थ भेजे गये थे ।

बैंकों के निदेशक मण्डलों के संकल्पों के तदनुरूप पदोन्नति समितियां गठित कर दी गई हैं ।

भारत और चीन के बीच व्यापार

5792. **श्री बी० बी० देशाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह सुझाव दिया गया है कि भारत और चीन समुद्र के रास्ते माल-परिवहन के मामले में कोई समझौता कर सकते हैं क्योंकि ऐसा समझौता न होने के कारण अन्य देश इसका लाभ उठा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन ने भारत सरकार का सुझाव स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इस मामले पर दिल्ली में अक्तूबर, 1983 में हुई व्यापार वार्ताओं के चौथे दौर के दौरान विचार-विमर्श किया गया ।

(ख) तथा (ग) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया ।

भारत और ओमन के बीच संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देने हेतु समझौता

5793. **श्री बी० बी० देशाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ओमान परस्पर किसी भी देश में औद्योगिक क्षेत्र में संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देने और भारतीय निर्यात के विस्तार द्वारा व्यापार बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में हाल में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे ;

(ग) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) दोनों देशों के बीच चालू वर्ष के दौरान संयुक्त-परियोजनाओं और व्यापार में सुधार लाया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) फरवरी, 1984 में ओमान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभाव्यताओं पर विचार-विमर्श किया गया। तथापि, इस संबंध में किसी विशिष्ट करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए। दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि के लिए सामान्य इच्छा भी व्यक्त की गई।

बकाया ऋणों की वसूली

5794. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि उड़ीसा स्थित सहकारी बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के ऋण संस्थान ऋणों की वसूली के मामले में पहली बार गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है तथा इसकी वसूली में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार जून, 1981 के अंत में उड़ीसा में अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों दिए गए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के संबंध में वसूली के मुकाबले मांग का अनुपात 34.9 प्रतिशत था। आंकड़ा सूचना प्रणाली से विभिन्न क्षेत्रों को दी गई ऋण सहायता के संबंध में संबंध में सूचना प्राप्त होती है न कि वित्तीय संस्थाओं के अनुसार। प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों (जिनके संबंध में केवल वसूली स्थिति बनाये रखी जाती है) की बकाया राशि दिसम्बर, 1982 के अंत में 9352.90 लाख रुपये थी जब दिसंबर 1981 के अंत में यह 6779.50 लाख रुपये थी। ऋण की वसूली में मुख्यत: ऋणकर्ताओं द्वारा जानबूझ कर चूक किए जाने में या बहुत से अन्य कारणों से अदायगी न किए जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्येक मामले को न्यायालय में ले जाना संभव नहीं क्योंकि यह तरीका खर्चीला और समय साध्य है।

सरकारी क्षेत्र के पंचतारा होटलों में कमरों के किराए पर उठे रहने की दर

5795. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार सरकारी क्षेत्र के कितने पंचतारा होटल हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) जनवरी, 1984 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें कमरों के किराए पर उठे रहने की वर्ष-वार दर क्या थी;

(ग) पहली जनवरी, 1984 को विभिन्न श्रेणियों के आवास अर्थात सिंगल रूम, डबल बैड सूट्स और डीलक्स सूट की किराया दरें क्या थीं;

(घ) श्रेणी-वार आवास के किराए पर उठे रहने की दर क्या है; और

(ङ) 1983 के दौरान कितने मेहमान आए और प्रत्येक होटल में कितने भारतीय राष्ट्रिक और कितने विदेशी राष्ट्रिक ठहरे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

होटल का नाम और राज्य जहां स्थित हैं।	औसत आकुपेंसी			1.1.1984 के अनुसार टैरिफ की स्थिति				1983 के दौरान होटलों में ठहरे अतिथियों की संख्या	
	1981%	1982%	1983%	जनवरी 84	सिंगल रूम (रु०)	डबल (रूम रु०)	डीलक्स सूट (रु०)	भारतीय राष्ट्रिक	विदेशी राष्ट्रिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				भारत पर्यटन विकास निगम					
1. अशोक होटल नई दिल्ली (दिल्ली)	61	57	40	53	675	2.00	4000	18351	13938
2. अकबर होटल नई दिल्ली (दिल्ली)	75	71	54	31	5550	1100 एग्जीक्यूटिव सूट	1450	21675	22071
3. होटल अशोक बंगलौर (कर्नाटक)	70	60	43	76	350	750	1250	9754	6692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. कोवलम अशोक बीच रिसार्ट 4 (केरेला)	45	43	39	71	450	शून्य	695	9314	5270
5. कुतुब होटल नई दिल्ली (दिल्ली)	76	77	60	53	350	शून्य	शून्य	2427	—
6. ललित महल पैलेस होटल (मैसूर) (कर्नाटक)	44	48	40	62	325 एसी 225 एनएसी	600	2000 (वायसराय 2835 1200 (डुप्लेक्त)		
7. होटल एअरपोर्ट अशोक कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	60	57	47	62	500	850	शून्य	13708	12759
8. सम्राट होटल नई दिल्ली (दिल्ली)	चालू नहीं हुआ	46	33	27	625	शून्य	3000 (वृन्दावन 8221 4000 (बीजापुर)		6355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				भारतीय होटल निगम					
1.	सैन्टौर होटल, नई दिल्ली (दिल्ली)	चालू नहीं हुआ	80.66	53.36	59.21	550	625 1000 (एग्जिक्यूटिव सूट) (3000 प्रेजिडेंशल सूट)	48774	18724
2.	सैन्टोर होटल, बम्बई (महाराष्ट्र)	104.43 (80-81)	103 (81-82)	101.75 (82-83)	100 103	595	625 3000(प्रेजिडेंशल सूट) 1100 (सिंगल) 1175 (डबल) 1650 (डीलक्स)	157209 विदेशी (1982-83) राष्ट्रिकों को शामिल करते हुये)	

टिप्पणी : श्रेणीदार आकुपेंसी दर होटलों द्वारा रखी नहीं जाती है ।

रक्षा लेखा नियन्त्रक, पटना के फालतू कर्मचारियों की बाहर नियुक्ति

5796. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने दिनांक 27-7-1982 के अपने अर्धशासकीय पत्र में गोहाटी में रक्षा लेखा नियन्त्रक का कार्यालय खोलने के बावजुद भी रक्षा लेखा नियन्त्रक मुख्य कार्यालय, पटना (बिहार) में यथास्थिति बनाये रखने का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि रक्षा लेखा नियन्त्रक, पटना द्वारा महानियन्त्रण रक्षा लेखा, नई दिल्ली को दी गई गलत कार्य-रिपोर्टो के आधार पर पटना स्थित मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या को फालतू घोषित किया जा रहा है, जिसके कारण पटना कार्यालय को बहुत हानि पहुंची है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पटना और बिहार के बाहर अधिक कर्मचारी नियुक्य किये जाते हैं और यहां बहुंत कम कर्मचारी लाये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो अपना आश्वासन पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं। माननीय वित्त मन्त्री ने अपने 27 जुलाई, 1982 के अर्ध सरकारी पत्र सख्या 1979/198 में यह कहा था कि नियन्त्रक रक्षा लेखा, पटना के कार्यालय को बन्द करने या गोहाटी में स्थानान्तरित करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) नियन्त्रक रक्षा लेखा, पटना को सौंपे गए कुल कार्यभार को जांचने और अनुमोदित मानदण्डों के आधार पर मुख्य कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या-शक्ति का पुर्नमूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन से यह पता चलता है कि मुख्य कार्यालय में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं।

(ग) और (घ) बिहार में और बिहार से बाहर कर्मचारियों का स्थानान्तरण सेवा की अपेक्षा पर निर्भर करता है। इसलिए बिहार से बाहर स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों और बिहार में तैनात किये गये कर्मचारियों की संख्या के बीच हर समय बराबरी नहीं बनाए रखी जा सकती है।

चाय उद्योग के लिए सातवीं योजना का प्रारूप

5798. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने चाय उद्योग के लिये सरकार को सातवीं योजना का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) सातवीं योजना के लिये चाय सम्बन्धी उप-समिति की मसौदा रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिलेवार संभाव्यता पर विचार करने के बाद अभिज्ञात करके नये रोपण, पुनर्रोपण, नकीकरण छटनी और पुनर्भरण, जल-निकासी, सिंचाई आदि जैसे विभिन्न उपायों के जरिये सातवीं योजना के अन्त तक लगभग 766 मिलियन किग्रा० के स्तर तक चाय उत्पादन में वृद्धि पर विचार किया गया है इसका उद्देश्य न केवल सातवी योजना में उत्पादन में वृद्धि करना है बल्कि वृद्धि की सम्भाव्यता को भी बनाना है ताकि भारत चाय के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखे। विभिन्न स्रोतों से निधियों की आवश्यकता का 900 करोड़ रु० का अनुमान लगाया गया है।

विश्व बैंक द्वारा शेयरों का आबंटन

5799. **श्री पी० एम० सईद** :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने प्रस्तावित 8 बिलियन की चुनीन्दा पूंजी वृद्धि के पश्चात शेयरों में आबंटन के प्रश्न का समाधान करने के लिये एक और प्रयास किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की आपत्ति को दूर करने के लिये ब्रिटेन सरकार के समझौते फार्मूले के अध्ययन के लिये बैठक एक बार फिर स्थगित की गई ;

(ग) क्या चीन को भारत से अधिक शेयर प्राप्त होगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक द्वारा कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो भारत को विश्व बैंक के शेयरों में किस सीमा तक कमी की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) चयनात्मक आधार पर पूंजी वृद्धि के लिये प्रबन्धकों द्वारा परिचालित प्रस्ताव के आधार पर, बैंक प्रबन्धकों और सदस्य देशों तथा स्वयं सदस्य देशों के बीच बातचीत और परामर्श जारी है। अभी निर्णय लिया जाना शेष है ।

कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

5800. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण करने संबंधी इसकी जरूरतें पूरी करने के लिए सभी सम्भव वित्तीय सहायता देने का कपड़ा उद्योग को आश्वासन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग से यह भी कहा गया है कि यदि आर्थिक ढांचे में यह अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है तो यह अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता हूं तो यह अपनी स्थिति को व्यवस्थित करें और बेहतर कार्य निष्पादन प्रदर्शित करें;

(ग) यदि हां, तो कपड़ा मिलों के अपने काम-काज में सुधार के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(घ) ऐसी कपड़ा मिलों की संख्या क्या है, जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई और उन्होंने उसका भली भांति उपयोग किया ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :(क) से (घ) वस्त्र उद्योग को आधुनिकीकरण के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से सरकार उदार ऋण योजना चलाती है। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 31 दिसम्बर, 1983 तक वस्त्र एककों के लिए 554.21 करोड़ रु० मंजूर किये हैं। इस राशि में से उक्त तारीख तक वितरित राशि 343.80 करोड़ रु० है। इसके अलावा, आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम को भी सहायता दी गई है।

आधुनिकीकरण योजनाओं की वित्तीय लागत को कम करने के लिए सरकार ने उदार ऋण योजना के अन्तर्गत और आगे 4 करोड़ रु० तक के ऋणों के लिए ब्याज की दर घटाकर 11.5% कर दी है। कमजोर एककों को 10% की ब्याज दर पर सहायता दी जायेगी। इस के अलावा कंपनियां आय कर पर सरचार्ज की पूरी राशि आई. डी. बी. आई. के पास जमा करा सकती है। जो आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध होगी।

प्रस्तावों की विस्तृत जांच के बाद वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता की मंजूरी तथा वितरण किया जाता है। एककों द्वारा निधियों के उपयोग करने की भी वित्तीय संस्थानों द्वारा देखरेख की जाती है।

दिल्ली में दर्जियों द्वारा धोखाधड़ी

5801. **डॉ० ए० यू० आजमी** : क्या वित्त मंत्री दिल्ली में दर्जियों द्वारा धोखाधड़ी के बारे में 16-12-83 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4051 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आयकर अधिनियम की धारा 133ए के अन्तर्गत इस बीच सर्वेक्षण कर लिया गया है और यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किस क्षेत्र में किया गया और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य बड़े शहरों में भी इस प्रकार का सर्वेक्षण कराने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयकर प्राधिकारियों ने जनवरी, 1984 में करोल बाग, ग्रेटर कैलाश, भाग I और II, खान मार्किट, मोहन सिंह प्लेस और कनॉट प्लेस में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133क के अन्तर्गत सर्वेक्षण किया था जिसमें 86 परिसर सम्मिलित थे । इनमें से 49 कर निर्धारिती पुराने थे, 13 छोटे कर-निर्धारिती थे और 24 मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिए गए हैं ।

(ख) यदि दर्जियों द्वारा कर अपवंचन किए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त होगी तो आयकर विभाग, अन्य बड़े शहरों में भी ऐसे सर्वेक्षण कर सकता है ।

सेवा निवृत्ति संबंधी लाभों के मामलों का निपटारा

5802. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में सशस्त्र सेना मुख्यालयों में काम करने वाले गैर-सैनिक कर्मचारियों के वेतन चिट्टों (पे-रोल) और सामान्य भविष्य निधि खातों का कम्प्यूटीकरण करने का प्रस्ताव है ताकि कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों का जल्द से जल्द फायदा उठा सकें; और

(ख) पिछले 12 महीनों के दौरान कितने कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए और कितने मामलों में सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों का निपटारा कर दिया गया है और अगले 6 महीनों के दौरान कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे और क्या यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि उनके सेवा-निवृत्त संबंधी लाभों का निपटारा उनके सेवानिवृत्त होने की अन्तिम तारीख से पूर्व हो कर दिया जाएगा ताकि उन्हें अपने सेवानिवृत्त संबंधी लाभों के निपटार के लिए कार्यालय आने की परेशानी से बचाया जा सके ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी नहीं ।

(ख) पिछले बारह महीनों (मार्च 83 से फरवरी, 84 तक) के दौरान सशस्त्र सेना मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठनों से 371 सिविलियन कर्मचारी सेनानिवृत्त हुए । जिन मामलों में सेवानिवृत्ति लाभ चुकता किए जा चुके हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

पेंशन	—	367
मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान	—	366
छुट्टी नगदीकरण	—	325
सामान्य भविष्य निधि	—	324
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना	—	332

शेष मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

अगले छः महीनों (मार्च 1984 से अगस्त 1984 तक) में सशस्त्र सेना मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठनों से 180 सिविलियन कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे।

कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से पहले पेंशन संबंधी लाभों को निपटाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन छुट्टी का नगदीकरण, सामान्य भविश्य निधि और बीमा लाभ की अदायगी सेवानिवृत्त होने की तारीख के बाद ही चुकता किए जा सकते हैं।

बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन

5803. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के वाणिज्यिक और राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों तथा अन्य श्रेणीयों के कर्मचारियों के कितने प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के लोगों और आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) क्या वाणिज्यक और राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों के लोगों और आदिवासियों की भर्ती उक्त प्रतिशत के अनुसार की जा रही है;

(ग) वाणिज्यिक और राष्ट्रीयकृत बैंकों में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकारी तथा अन्य श्रेणी के पदों पर अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों की नियुक्ति की गई;

(घ) उन बैंकों के क्या नाम हैं जिन्होंने निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भर्ती नहीं की; और

(ङ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर आरक्षण लागू किया है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:—

1.	अखिल भारतीय आधार पर प्रत्यक्ष भरती (अधिकारी)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
	(क) खुली प्रतियोगिता	15%	7½%
	(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त	16-2/3%	7½%
2.	क्लर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों की सीधी भरती		प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिशतता अलग-अलग है
3.	पदोन्नतियां	15%	7½%

छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में वाणिज्यिक/राष्ट्रायकृत बैंकों के विभिन्न संवर्गों में नियुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1,01,512 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्य 1 जनवरी, 1983 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों में काम कर रहे थे सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भरती/पदोन्नति के मामले में उच्चतम आयु सीमा, न्यूनतम शैक्षनिक अर्हता में ढील दी जाती है और आवेदन शुल्क के मामले में रियायत दी जाती है तथा उनको रियायती मानकों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। बैंकों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के बकाया आरक्षित पदों को भरने के लिए ठोस उपाय करने का परामर्श दिया गया है।

अखिल भारतीय ग्रामीण (चेकिंग) सेवा का गठन

5804. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न बैंकों के अधिकारी तथा कर्मचारी आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में कार्य नहीं करना चाहते ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए समर्पित और उत्साही व्यक्तियों की सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से, बैंकों में आकर्षक सेवा शर्तों और वेतनमानों का ग्रामीण संवर्ग करने का सरकार का विचार है।

(ग) क्या कम वेतनमानों और कम सुविधाओं के कारण सक्षम और योग्य व्यक्ति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सेवा करने के लिए उपलब्ध नहीं है;

(घ) क्या सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सेवा करने के लिए योग्य व्यक्ति उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक "अखिल भारतीय ग्रामीण बैंकिंग सेवा" गठित करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रचलित सेवा शर्तों के अधीन सभी अधिकारियों का भारत में कहीं भी, किसी भी स्थान पर तबादला किया जा सकता है। इसी प्रकार लिपिकीय स्टाफ का भी राज्य/भाषा क्षेत्र के अन्दर तबादला किया जा सकता है। यद्यपि यह सम्भव है कि कुछ कर्मचारियों ने शहरी केन्द्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर अपनी अनिच्छा जाहिर की हो; लेकिन सभी बैंकों ने आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित अपनी ग्रामीण शाखाओं के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की समुचित संख्या में तैनाती करने के वास्ते कदम उठाए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को योग्य और अर्हता प्राप्त व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(च) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपेक्षित लिपिक और अधिकारियों का चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है और योग्यता के आधार पर बनाई गई सूची में से ही नियुक्तियां की जाति हैं। इन बैंकों में सिर्फ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य क्षेत्र के निवासी उम्मीदवार ही बैंक लिपिक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं इसी प्रकार केवल वे व्यक्ति जो सम्बन्धित राज्य के वास्तविक निवासी हों या उस राज्य में बस गए हों जहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित हो, बैंक में अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और लिपिकों के वेतन और भत्ते इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि उनकी तुलना उस राज्य की सरकार में प्रचलित वेतनमानों से की जा सकती है जिसमें कुछ बड़े बैंक विशेष स्थित हों। इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है।

उत्पादन शुल्क का भुगतान न करने वाली कम्पनियों को ऋणों की मंजूरी स्थगित करना

5805. श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थानों ने उन कम्पनियों की परियोजनाओं के लिए आवधिक ऋणों की मंजूरी और वितरण स्थगित कर दिया है, जिन्होंने अब तक अपने उत्पादन शुल्क का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कदम इन चूककर्ता कम्पनियों को उत्पादन शुल्क और अन्य सांविधिक अदायगियों को तत्काल भुगतान करने को बाध्य करने हेतु उठाया गया है;

(ग) क्या कई कम्पनियों ने 1500 करोड़ रुपये की धनराशि रोक रखी है;

(घ) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) वित्तीय संस्थाओं ने उन कम्पनियों की परियोजनाओं के लिए नई स्वीकृतियां और संवितरण स्थगित नहीं किए हैं जिन्होंने अभी तक उत्पाद शुल्क की बकाया रकमें नहीं चुकाई हैं।

उत्पाद शुल्कों का संग्रह और अदायगी एक निरंतर प्रक्रिया है जो निर्माताओ के कारखानों से शुल्क-योग्य वस्तुओं की निकासी पर निर्भर करती है । लेकिन शुल्क योग्य माल के वर्गीकरण मूल्यांकन आदि के ऐसे विवाद हैं और ऐसे कुछ विवाद उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भी ले जाए गए हैं । इन मामलों के निर्णय समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं और इसलिए इस समय अनुमान लगाना सम्भव नहीं कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की इस समय बकाया राशि कितनी है । उन कम्पनियों की संख्या बहुत अधिक है और ऐसे कम्पनियां देश भर में फैली हैं जिनके नाम उत्पाद-शुल्क की रकमें बकाया हैं और इसलिए इस सूचना को इकठ्ठा करने समेकित करने और प्रस्तुत करने में जितना समय और कम लगेगा वह बहुत अधिक होगा तथा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा ।

सरकार निरक्षण तथा लेखापरीक्षा निदेशालय में स्थापित एक स्वीकृत कक्ष के जरिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की बकाया रकमों के संग्रह पर नजर रखती है । इस सम्बन्ध में यथोचित प्रशासनिक तथा कानूनी उपाय बराबर किए जा रहे हैं । अदालतों में बड़े विचाराधीन मामलों और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के पास पड़े मामलों को जल्दी निपटवाने के लिए भी बराबर उपाय किए जाते हैं ।

उड़ानों का निर्धारित समय पर चलना

5806. **श्री टी. आर. शमन्ना:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि आजकल बहुत सी उड़ानें अपने निर्धारित समय पर नहीं चल रही हैं; और

(ख) क्या सरकार उड़ानों को निर्धारित समय पर चलाने के लिए कदम उठाएगी ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं । दोनों एयरलाइनों की उड़ानों की समय-पालन की स्थिति सामान्यत: सन्तोषजनक रही है ।

(ख) वाणिज्यिक तथा इन्जीनियरी जैसे ऐसे कारणों की वजह से उड़ानों में होने वाली देरियों का, जो एयरलाइनों के नियंत्रण में हैं, लगातार प्रबोधन किया जाता है तथा उनकी घटनाओं को कम से कम करने के लिए उपचारी कार्यवाही की जाती है ।

सांची के अशोक यात्री निवास को हो रहा घाटा

5808. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे अशोक यात्री निवास को पिछले कुछ वर्षों से घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) तत्संबंधी कारणों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम सांची में किसी अशोक यात्री-निवास का परिचालन नहीं करता ; तथापि, भारत पर्यटन विकास-निगम द्वारा सांची में अशोक यात्री-गृह के नाम से एक यात्री-गृह चलाया जा रहा है । इस गृह में घाटा होने के मुख्य कारण ये हैं :-

(1) आकुपेंसी का कभी-कभार होना ।

(2)दूरस्थ अवस्थिति और सीमित आवास होने के कारण मात्र सीजनल कारोबार ।

(3) ऊंची अनुरक्षण लागत और ऊपरी व्यय ।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम गृह के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए निम्न-लिखित कदम उठा रहा है ।

(1) सामग्री, स्टाफ और ऊपरी व्यय को यथासंभव कम करना ।

(2) टैरिफ स्ट्रक्चर का सुसंगत रूप से पुनर्गठन ।

(3) सुख-सुविधाएं में बृद्धि और इन सुविधाओं का प्रचार करना ।

(4) यात्रा अभिकर्ताओं को कमीशन, ग्रुप कनसेशन आदि के द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करना ।

सांची को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थान के रूप में विकसित करने की योजनायें

5809. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांची को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने और पर्यटकों को अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिए, पिछले चार वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएं मंजूर की गई हैं ;

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ; और

(ग) पर्यटन की दृष्टि से इस स्थान के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए अगली पंच वर्षीय योजना के दौरान सांची के योजना बद्ध विकास के लिए सरकार की क्या योजना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क), (ख) और (ग) विभाग ने सांची में एक पर्यटन गृह का निर्माण किया है जिसका प्रबंध संचालन भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है । विभाग ने सांची में जल-आपूर्ति योजना का भी वित्तपोषण किया ।

सांची को मध्य प्रदेश के यात्रा-परिपथों में से एक यात्रा परिपथ में शामिल किया गया है और निधियों की उपलब्धता एवं परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के संयुक्त संसाधनों से यह निगम, और अधिक पर्यटक सुविधाएं जुटाई जाएगीं ।

इस समय राज्य सरकार के पास 1.77 लाख रु० की अनुमानित लागत से सांची में मेन रोड को सुन्दर बनाने तथा सुधार करने की एक स्कीम है और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने सांची में अल्पाहारगृह के निर्माण के लिए 3 लाख रु० की मंजूरी भी दी है ।

मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की छतरा गोबरूरा, विष्णुपुर और मनमोहन शाखाओं द्वारा ऋणों की स्वीकृति

5810. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की छतरा, गोबरूरा विष्णुपुर शाखाओं द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और शिकायतों की जांच के बारे में 2 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 930 के उत्तर के संबंध में मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की छतरा, गोबरूरा, बिष्णुपुर और मनमोहन शाखाओं द्वारा कई दर्जन स्वीकृत ऋणों का कमजोर वर्ग के ऋण प्राप्तकर्ताओं को यह मामला संसद में उठाए जाने के बाद ही भुगतान किया गया तथा विष्णुपुर में अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वसूली योग्य ब्याज के संबंध में तथा ऋण देने हेतु नियत धन की निष्क्रिय पूंजी के रूप में रखने के संबंध में क्या जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या विष्णुपुर और मनमोहन में ऋण की राशि को आंशिक रूप में हड़पने की शिकायतें थी और एक दाण्डिक मामला भी दायर किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा अब तक क्या विशिष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ;और

(ङ) कुछ अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्ययन के क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अतबत्ता, यह उल्लेखनीय है कि ऋण आवेदनों की मंजूरी और उनके वास्तविक संवितरण के बीच कुछ समय लग सकता है इसके बड़े कारण हो सकते हैं जैसे ऋणकर्ताओं द्वारा उत्तर में देरी या प्रस्तावित परिसंपत्तियों में परिवर्तन। ऋण राशि से खरीदी जाने वाली प्रस्तावित परिसम्पत्ति की अनुपलब्धता। पशु मेलों आदि के आयोजन में देरी, जिससे पशु खरीदे जाने हों आर्थिक सहायता के समायोजनमें बिलम्ब आदि। फिर भी, जहां कहीं उपयुक्त कारणों के बिना खासतौर असावारण देरी हुई, वहां उपयुक्त उरचारात्मक कार्यवाही के वास्ते देरी के कारणों की जांच की जा सकती है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कुछेक अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऋणों की मंजूरी और संवितरण की प्रक्रियाओं की जांच कर रहा है ताकि उपयुक्त मार्गनिर्देश तैयार किए जा सकें। जहां कहीं विशिष्ट मामलों की रिपोर्ट/शिकायतें प्राप्त होती है वहां बैंक ऋणकर्ताओं के गृह बचत खातों के समायोजन में देरी के कारणों का भी पता लगा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी

5811

5011. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च, 1984 तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की कितनी किस्तें देय हो चुकी हैं ;

(ख) इन किस्तों की अदायगी कब तक की जाएगी ; और

(ग) इन किस्तों की अदायगी में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 15 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1.8.1983, 1.10.1983, 1.11.1983, 1.1.1984, और 1.2.1984 से मंहगाई भत्तों की पांच किस्तें विचार किए जाने योग्य हो, गई हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते और पेंशन-भोगियों को राहत की प्रत्येक किस्त की अदायगी करने पर राजकोष को प्रतिवर्ष क्रमश: लगभग 70 करोड़ रुपए और 8 करोड़ रुपए की लागत आती है। इसलिए मंहगाई भत्ते की प्रत्येक किस्त की अदायगी के प्रश्न पर आर्थिक स्थिति और बजट पर उसके कारण पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार करना होता है। इन किस्तों की अदायगी से सम्बन्धित स्वीकृति के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है। फिर भी, इस बारे में निर्णय लिए जाने के संबंध में किसी समय-सीमा को बताना संभव नहीं है।

अफगानिस्तान को निर्यात तथा वहां से आयात

5812. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान को मुख्यत: क्या-क्या निर्यात तथा वहां से क्या-क्या आयात किया जाता है ; और

(ख) भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) अफगानिस्तान को किए जाने वाले निर्यातों की प्रमुख मदें है; चाय, पटसन, वनस्पति सामग्री, धातु विनिर्मित माल, मशीनरी, तथा परिवहन उपकरण । अफगानिस्तान से आयात की जाने वाली प्रमुख मदें हैं : ताजे फल तथा मेवे, हींग, जीरा तथा औषधीय जड़ी बूटियां ।

(ख) भारत और अफगानिस्तान के बीच और व्यापार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(I) दोनों देशों की बैंकिंग संस्थाओं के बीच सीधे अभिकर्ता बैंकिंग संबंध स्थापित किए गए हैं ;

(II) भारत से अफगानिस्तान की वायुयान/समुद्र द्वारा दिए जाने वाले परिवहन में सामने आने वाली बाधाओं को कम करने की सम्भाव्यताओं का पता लगाया जा रहा है ; और

(III) वाणिज्यिक मामलों में आपसी सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एवं आपसी हित की विशिष्ट मदें अभिज्ञात करने के लिए दोनों देशों के बीच नियमित रूप से व्यापार समीक्षा वार्ताएं की जा रही हैं ।

भारत के अधिक राशि के बीजक और निर्यात की राशि के बीजक तैयार करने के मामले

5813. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ववर्ती तीन वर्षों और दिसम्बर 1983 के दौरान आयात के अधिक राशि के बीजक और निर्यात के कम राशि के बीजक तैयार करने के कितने मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं ;

(ख) इसमें शामिल व्यक्तियों और फर्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा विनियमों के विरुद्ध इस प्रकार के धोखे को रोकने के लिए कानूनों में अथवा विनियमों या नियमों में कोई परिवर्तन किए जाने पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता है ।

वाराणसी में घड़ियां बरामद होना

5814. **श्री दलबीर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1983 में वाराणसी में एक गिरोह के सरगना एक महिला से बड़ी संख्या में घड़ियां बरामद की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उसमें शामिल सभी व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सीमा-शुल्क कर्मचारियों की मिलीभगत से वाराणसी में तस्करी फिर शुरू हो गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में तस्करी रोकने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सीमाशुल्क अधिकारियों ने पूर्व-सूचना मिलने पर दिनांक 3-11-1983 को श्रीमती श्यामलता शर्मा, पत्नी श्री एन० के० शर्मा, के० डी 48/148-बी, मिसिर पोखरा, वाराणसी स्थित आवासीय परिसर की तलाशी ली । इस तलाशी के परिणामस्वरूप कतिपय अपराधारोपनीय दस्तावेज सहित 2.87 लाख रुपये की विदेशी मूल का निषिद्ध वस्तुएं सीमा-शुल्क अधिनियम के तहत अभिगृहीत की गई । इन अभिगृहीत वस्तुओं में 1195 कलाई घड़ियां, इलैक्ट्रनिक सैल, घड़ियों के फीते/चैन, स्टीरियो टेप रिकार्डर आदि शामिल हैं । श्रीमती श्यामलता शर्मा को भी सीमाशुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया । आगे जांच-पड़ताल जारी हैं ।

(ग) और (घ) तस्करी की गतिविधियों में साधारणतया सीमाशुल्क कर्मचारियों की सांठ-गांठ का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु जब कभी भी कोई मामला-विशेष जानकारी

में आता है, तो उस मामले की जांच की जाती है और यथोपेक्षित उचित कार्यवाही की जाती है।

इस क्षेत्र में स्थित सीमाशुल्क कार्यालयों को सतर्क बने रहने के अनुदेश दे दिये गये हैं। इस क्षेत्र में सीमा शुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तन्त्र को, कर्मचारियों और उपकरणों की दृष्टि से, सुदृढ़ बना दिया गया है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सम्बन्धित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ तालमेल से तस्करी के तरीकों की सतत समीक्षा की जाती है।

राजस्थान से लगी पाकिस्तान की सीमा पर गायों की तस्करी

5815. **श्री विरदा राम फुलबरिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान से लगी पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान को गायों की खुले आम तस्करी की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1983-84 के दौरान गायों की तस्करी के आरोप में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं और इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान की सीमा के साथ लगी पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि में सूखे की स्थिति के कारण गायों सहित पशुओं का पाकिस्तान को कुछ तस्कर-निर्यात हुआ है।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान गायों की तस्करी के जुर्म में कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ग) भारत-पाक सीमा के आर-पार तस्करी की गतिविधियों को, जिनमें पशुओं की तस्करी भी शामिल है, रोक-थाम के लिए इस क्षेत्र में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को समुचित रूप से सतर्क कर दिया गया है। इस क्षेत्र में सीमाशुल्क विभाग के निवारक और असूचना तन्त्र को, कर्मचारियों और उपकरणों की दृष्टि से, सुदृढ़ बना दिया गया है। केन्द्रीय और राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल से तस्करी-निवारण उपायों को कड़ा कर दिया गया है।

निरीक्षण महानिदेशालय में स्थायी रूप से सेकेण्डेड सेवा अधिकारियों के संवर्ग की समीक्षा

5816. **श्री दया राम शाक्य** :

श्री सी. चिन्नास्वामी : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निरीक्षण महानिदेशालय में स्थायी रूप से सेकेण्डेड सेवा अधिकारियों के संवर्ग की समीक्षा करने की घोषणा की गई है;

(ख) प्रारम्भ में उनके संवर्ग में अधिकारियों की संख्या कितनी थी और क्या प्रारम्भ में उनके संवर्ग के अधिकारियों की संख्या से संबंधित नियम की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ग) सिविलियनों अथवा नियमित सेवा अधिकारियों पर लागू होने वाले मानदण्डों का अनुकरण किये बिना क्या सेवा अधिकारियों के संवर्ग के बारे में पुनर्विचार किया गया है; और

(घ) क्या स्थायी रूप से सेकेण्डेड अधिकारियों के लिए सेवा निमय केवल मुफ्त राशन, मुफ्त आवास, छुट्टी और चिकित्सा लाभ आदि के लिए लागू होते हैं और युद्ध दायित्व मेडिकल किटनेस और सेवा निवृत्ति उम्र के संबंध में नहीं होते हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) सेना अफसरों और सिविलियन अफसरों के बीच विभिन्न पदों की अलग श्रेणियां बनाए जाने के परिणामस्वरूप निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में सेना अफसरों की संवर्ग संख्या-शक्ति 367 नियत की गई थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा पहले अपनाए गए नमूने के आधार पर सेना अफसरों के लिए संवर्ग की समीक्षा की गई थी जिसे हाल में मंजूर किया गया है। संवर्ग समीक्षा के परिणामस्वरूप सेना अफसरों की संख्या-शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) राशन, आवास, छुट्टी, चिकित्सा-लाभ और सेवानिवृत्ति आयु के मामलों में निरीक्षण महानिदेशालय के उपनियुक्ति पर स्थायी रूप से नियुक्त सेना अफसर थलसेना नियमों द्वारा शासित होते हैं। इन अफसरों की चिकित्सा उपयुक्तता का मानदण्ड सेना चिकित्सा कोर की तरह है। इन अफसरों को सक्रिय सेवा के लिए भी बुलाया जा सकता है।

घड़ियों का आयात और निर्यात

5817. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में घड़ियों का आयात भी किया जाता है और देश से उनका निर्यात भी किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 में देश वार कितनी घड़ियों का आयात और निर्यात किया गया; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1983-84 की आयात नीति में उपभोक्ता मद के रूप में मुकम्मल घड़ियों के आयात पर रोक है। तथापि, इस देश से घड़ियों का निर्यात किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1983-84 के लिए वास्तविक आयात और वास्तविक निर्यात के देश-वार आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

सैनिक कर्मचारियों के प्रयोग के लिए सेना मुख्यालय को रेल आरक्षण कोटा

5818. डा. ए यू. आजमी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वर्ष में कितने व्यक्तियों ने सार्वजनिक हित में तथा अल्प सूचना पर छुट्टी पर जाने की स्थिति में, पृथक-पृथक, सैनिक कर्मचारियों के प्रयोग के लिए सेना मुख्यालयों को दिये जाने वाले रेल, आरक्षण कोटे की सुविधा का लाभ उठाया है और उनमें से कितने व्यक्ति अधिकारियों के रिस्तेदार थे; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि इस कोटे का दुरुपयोग न हो तथा केवल सैनिक कर्मचारियों को सरकारी कर्तव्य-पालन अथवा अल्प सूचना पर छुट्टी पर जाने के लिए ही यह कोटा दिया जाये ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 की अवधि के दौरान थलसेना मुख्यालय को दिये जाने वाले रक्षा विभाग कोटे में रेल आरक्षण सुविधा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

(1)	सेना कार्मिक, जिन्होंने सार्वजनिक हित या किसी प्रकार की छुट्टी में यात्रा की।	6651
(2)	सेना कार्मिकों के परिवारों के सदस्य, जिन्होंने उपर्युक्त कोटे का लाभ उठाया।	2787

आरक्षण रजिस्टर में ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है कि किसी व्यक्ति ने यात्रा ड्यूटी पर की है या किसी प्रकार की छुट्टी में यात्रा की। कोटा देते समय, सार्वजनिक हित में ड्यूटी पर यात्रा करने वाले सेना कार्मिकों को सबसे पहले अग्रता दी जाती है। सेना कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए यह कोटा निर्धारित रखा जाता है। इस कोटे के अन्तर्गत सेना कार्मिकों का कोई भी रिस्तेदार यात्रा नहीं कर सकता है। हमारे ध्यान में इसके दुरुपयोग के मामले नहीं आए हैं।

रक्षा मुख्यालयों में नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया जाना

5819. डा. ए. यू. आजमी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मुख्यालयों में मुख्यालय और अन्तर-सेवा संगठन वार कितने नैमित्तिक मजदूर कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने नियमित हैं और कितने अस्थायी हैं;

(ग) उन्हें किस कार्य के लिए नियोजित किया गया था और वस्तुतः क्या कार्य करते हैं;

(घ) क्या यह नैमित्तिक मजदूर चपरासी का कार्य करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रक्षा संबंधी कागजात/डाक ले जाते हैं तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों पर कार्य कर रहे हैं;

(ङ) उनकी मजदूरी पर प्रति माह कितना व्यय किया जाता है; और

(च) क्या उनके मंत्रालय का विचार चपरासियों की भर्ती हेतु लगातार मांग को देखते हुए उनकी भर्ती के मामले में लगी रोक को हटाने का और नैमित्तिक मजदूरों के स्थान पर नियमित चपरासियों की भर्ती करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) सशस्त्र सेना मुख्यालयों और अन्तः सेवा संगठनों में कार्यरत नैमित्तिक मजदूरों की संख्या जरूरत के अनुसार प्रतिदिन अलग-अलग होती है । 23 मार्च, 1984 तक नैमित्तिक मजदूरों की संख्या इस प्रकार थी :—

(क) थल सेना मुख्यालय	33
(ख) अन्तः सेवा संगठन:	
(1) निरीक्षण महानिदेशालय	4
(2) अनुसंधान तथा विकास संगठन	2
(3) राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय	2
(4) रक्षा भूमि तथा छावनी महानिदेशालय	2
(5) मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय	19
(6) राडार तथा संचार परियोजना कार्यालय	2
(7) संयुक्त बीजलेखा ब्यूरो	2
(8) रक्षा पुस्तकालय	2
(9) जन सम्पर्क निदेशालय	3
(10) तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (वायु)	1
(11) मानकीकरण निदेशालय	1
(12) एम. एफ. एल.	1

(13) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय	5
(14) सुरक्षा कार्यालय	2
(ग) नौ सेना मुख्यालय	49
(घ) वायुसेना मुख्यालय	57
कुल	187

(ख) दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को नियमित अथवा अस्थाई मजदूरों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है ।

(ग) इन्हें उन नैमित्तिक और आकस्मिक कार्य पर लगाया जाता है जिसके लिए उन्हें नियोजित किया जाता है । सरकारी सामान, रिकार्ड तथा फर्नीचर को एक ब्लाक से दूसरे अथवा उसी ब्लाक में ले जाना, जरूरत पड़ने पर, अतरिक्त सफाई कार्य आदि ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) नैमित्तिक मजदूरों के वेतन पर किया जाने वाला मासिक खर्च हर महीने अलग-अलग होता है । जनवरी, 1984 में इनके वेतन की रकम 50,744.20 रु० थी ।

(च) जी, नहीं । नैमित्तिक मजदूरों को नैमित्तिक और आकस्मिक किस्म के अतिरिक्त कार्यों में लगाया जाता है और ये कार्य नियमित चपरासियों द्वारा नहीं किए जा सकते हैं ।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा किया गया कारोबार

5820. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा कितना कारोबार किया गया और इस अवधि के दौरान उन्हें अलग-अलग कितना लाभ हुआ; और

(ख) 1984-85 में इन्हें कितना लाभ होने की सम्भावना है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अभी तक के वित्तीय निष्पादन के आधार पर, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स को 1983-84 के लिए क्रमश: 789 करोड़ रुपए तथा 524 करोड़ रुपए का कुल राजस्व अर्जित करने की आशा है जिससे दोनों एयरलाइनों को क्रमश: लगभग 57 करोड़ रुपए तथा 32 करोड़ रुपए का निवल लाभ होगा ।

(ख) वर्ष 1984-85 के लिए एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के बजट प्राक्कलनों में, जोकि अभी तैयार किए जा रहे हैं, क्रमश: 869 करोड़ रुपए तथा 578 करोड़ का कुल राजस्व और 805 करोड़ तथा 547 करोड़ रुपए का व्यय दर्शाया गया है जिससे क्रमश: लगभग 64 करोड़ रुपए तथा 35 करोड़ रुपए का निवल लाभ होने का अनुमान है ।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खाली पद

5821. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में वर्ष 1983-84 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कितने पद खाली हैं और उन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) ग्रेड I से ग्रेड IV तक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित, खाली पदों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गया (बिहार) जिले में रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनि पहाड़ियों में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थानों की सुरक्षा और संरक्षण

5822. **श्री सूरज भान** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री रामशिला और प्रेतशिला में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थानों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में 6 मई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10427 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गया के रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनि में धार्मिक पहाड़ियों में जो कि पर्यटकों को आकर्षित करने वाली और संरक्षित पहाड़ियां हैं गैर-कानूनी खनन और विस्फोट के मामलों से निपटाने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या राज्य सरकार अपने आश्वासनों को पूरा करने में सफल नहीं हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य के मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव से सम्पर्क किया है और राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 1970 में राज्य सरकार द्वारा किए गए आश्वासनों को पूरा करने और उसकी वर्तमान स्थिति के संबंध में बातचीत की है ; और

(घ) यदि हां, तो इन तीन संरक्षित पहाड़ियों के सम्पूर्ण क्षेत्र में गैर-कानूनी खनन और विस्फोट को रोकने के लिए सरकार के समक्ष क्या कठिनाई आ रही है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) :(क) से (घ) इन सभी मुद्दों पर बिहार सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

वर्ष 1984-85 के दौरान हवाई अड्डों के विकास और सौन्दर्यकरण के लिए निर्धारित धनराशि

5823. **श्री मनमोहन टुडू** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान देश में हवाई अड्डों के विकास, व्यवस्था और सौन्दर्य-करण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ख) उसके लिए, हवाई अड्डे वार क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ;

(ग) ये योजनाएं कब कार्यान्वित की जाएंगी ; और

(घ) इस मामले में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वर्ष 1984-85 के लिए देश में अंतर्देशीय विमानक्षेत्रों के विकास, प्रबंध तथा सौंदर्यकरण के लिए आवंटित राशि 4948.61 लाख रुपए है । वर्ष 1984-85 के दौरान चार अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों के विकास/सौंदर्यकरण तथा प्रबंध के लिए क्रमश: 3800.00 लाख रुपए तथा 4512.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 8066/84]

(ग) और (घ) परियोजनाओं का निरन्तर प्रबोधन किया जाता है । अधिकांश स्कीमों के वर्ष 1984-85 में पूरा हो जाने की संभावना है ।

वर्ष 1984-85 के दौरान हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

5824. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1984-85 के दौरान देश में कुछ हवाई अड्डों का आधुनिकी-करण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन प्रमुख हवाई अड्डों का चयन किया गया है : और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8067/84]

बम्बई और कांडला पत्तनों के नजदीक तस्करी सम्बन्धी गतिविधियां

5827. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और कांडला पत्तनों के नजदीक हाल के महीनों में तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) इस प्रकार की गतिविधियों में अंतर्गस्त बड़े पैमाने पर माल को पकड़ने के लिए किन उपकरणों तथा तेज गति से चलने वाली नौकाओं की व्यवस्था करने की संभावना है । और

(ग) पकड़े गए तस्करी के माल में से केन्द्रीय कोष को कितनी धनराशि दी जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत का पश्चिमी समुद्र तट तस्करी की आशंका वाला क्षेत्र बना हुआ है । देश में तस्करी के तरीकों की सतत समीक्षा, क्षेत्र, तथा जिन्स, दोनों को मद्देनजर रखकर की जाती है । तस्करी की इस समीक्षा और विश्लेषण के आधार पर तस्करी निवारक तथा आसूचना तन्त्र को तस्करी की आशंका वाले क्षेत्रों तथा तस्करी के आकर्षण वाली मदों के संदर्भ में सुदृढ़ बनाया जाता रहा है । पश्चिमी समुद्र तट क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करके तस्करी-निवारण कार्यवाही तेज कर दी गई है । पश्चिमी समुद्रतट क्षेत्र में निवारक और आसूचना तंत्र को भी कर्मचारी तथा उपकरण देकर सुदृढ़ बना दिया गया है ।

स्थिति का मुकाबला करने के लिए सीमाशुल्क गश्ती जलयान सहित तस्करी-निवारण उपकरणों में भी वृद्धि की जा रही है । तथापि, यह बताना उचित नहीं होगा कि इस क्षेत्र में तस्करी रोकने के लिए सरकार का निवारक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु और क्या विशिष्ट उपाय करने का विचार है ।

(ग) वर्ष 1982, 1983 और 1984 (फरवरी तक) के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा देश-भर में पकड़े गए माल का कुल मूल्य इस प्रकार है:—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये)	
1982	66.39	
1983	89.22	(आंकड़े अनन्तिम हैं।)
1984 (फरवरी तक)	16.41	—वही—

फिर भी, इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक अनुमान लगा पाना संभव नहीं है कि सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये माल से केन्द्रीय राजकोष को कितना धन मिल सकेगा। यह उल्लेखनीय है कि विभागीय न्यायनिर्णयन कार्यवाही आदि के पूरा हो जाने पर, तस्करी के अभिगृहीत माल को अन्ततोगत्वा सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है। ऐसे माल का निपटान करके उसकी बिक्री से प्राप्त समस्त धन-राशि सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक-सेवा का बिगड़ना

5828. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्राहक सेवाओं के बिगड़ने की जानकारी है, जिसके कारण आम जनता में निराशा की भावना फैल गई है ;

(ख) आम जनता जोकि राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में बैंक कर्मचारियों से बेहतर सेवा और विनम्रता की अपेक्षा कर रही है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबन्धकों को क्या नए अधिकार दिए गए हैं; और

(ग) जनता के प्रति राष्ट्रीयकृत बैंकों के व्यवहार को सुधारने के लिए किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (ख) से (ग) सरकार को बैंकों के साथ व्यवहार करने में ग्राहकों को पेश आने वाली कठिनाइयों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यों की बराबर समीक्षा करते रहते हैं ताकि बैंकों की सेवा की कोटि पर नजर रखी जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनकी सेवा जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त रिपोर्ट से यह पता चलता है कि बैंक ग्राहक सेवा सुधारने की ईमानदारी

से कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में शाखा प्रबन्धकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाना अन्य बातों के साथ-साथ शाखा के आकार परिचालनों की मात्रा और शाखा का स्थान और शाखा प्रबन्धक के रूप में तैनात अधिकारी के स्तर पर निर्भर करता है। ग्राहक सेवा में सुधार लाने के प्रयोजन से इन शक्तियों की बैंक द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को सलाह दी है कि उन्हें और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को ग्रामीण शाखाओं सहित कार्यालयों/शाखाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिये ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों में अनुशासन और समय की पाबंदी में सुधार किया जा सके, बैंकों की शाखाओं में सफाई, नियमित और कुशल संचालन, ग्राहकों के साथ शिष्टाचार और विनम्रतापूर्वक व्यवहार को सुनिश्चित किया जा सके। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी परामर्श दिया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी पूरे दिन का काम करे और वे अनुशासनहीनता संबंधी तथा समय की पाबन्दी न करने वाले मामलों को सख्ती से निपटें। ग्राहकों की शिकायतों को जल्दी दूर करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मैसर्स साउथ इण्डिया विस्कोस लि० द्वारा शेयरों की खरीद

5829. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को साउथ इण्डिया विसकोस लिमिटेड के वर्तमान मालिकों द्वारा इटली के शेयर जारी करने वालों से शेयरों की खरीद में की गयी हेराफेरी और अनियमितताओं की जानकारी है ;

(ख) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की स्वीकृति के बिना अन्तरण किया गया है ;और

(ग) क्या कम्पनी सम्बन्धी मामलों के विभाग ने आरोपों के बारे में कोई जांच कराई थी, यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार के पास ऐसी बहुत सी शिकायतें पहुंची हैं जिनमें इस कंपनी पर अनियमितताएं करने का आरोप लगाया गया है। इनमें एक अनियमितता शेयरों के अन्तरण के बारे में है। साउथ इंडिया विस्कोस लिमिटेड की चुकता पूंजी का 24.43 प्रतिशत भाग मेसर्स सेपिना के पास है, जो कि "स्निया विस्कोसा" की सहायक कंपनी है यह भी मालूम हुआ है कि स्निया विस्कोसा ने सेपिना को ही मरकत कंस्ट्रक्शन कंपनी, मरकत के हाथों बेच दिया है। इस प्रकार, यद्यपि मेसर्स सेपिना भारतीय कंपनी के शेयरों को धारित किए हुए हैं, तथापि इसका स्वामित्व एक अनिवासी से दूसरे अनिवासी के हाथ में चला गया है। विदेशी कंपनी के स्वामित्व विषयक नियंत्रण में इस प्रकार के परिवर्तन के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 19 के उपबन्ध भी लागू नहीं होते।

आल इंडिया नेशनल कैडेट कोर (एन०सी०सी०) आफिसर्स एसोसिएशन की धमकी

5830. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया नेशनल कैडेट कोर (एन०सी०सी०) आफिसर्स एसोसिएशन ने धमकी दी है कि यदि सरकार ने नवम्बर में राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस तक उनकी मांगें स्वीकार नहीं की तो देश में राष्ट्रीय कैडेट कोर के सभी अधिकारी सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देंगे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) आल इंडिया एन. सी. सी. आफिसर्स एसोसिएशन मान्यता प्राप्त एसोसिएशन नहीं है। इस एसोसिएशन के सदस्य वे अंशकालिक अफसर हैं जो राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों या निजी रूप से चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी हैं और अपने-अपने संस्थानों में अंशकालिक आधार पर राष्ट्रीय कैडेट कोर का काम देखते हैं। सरकार के पास इस एसोसिएशन की सदस्यता या ऐसे सदस्यों की संख्या, यदि कोई हो तो, का कोई विवरण नहीं है जिन्होंने 19.2.1984 को बैठक में भाग लिया जिसमें मांगों के एक सेट को संकल्प के रूप में अपनाने की बात कही गई है। मांगों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यों में परिवर्तन किया जाना चाहिये। इसकी कार्यपद्धति और प्रशिक्षण कैडेटों के लिए रोजगारोन्मुख बनाए जाने चाहिए।

(2) सशस्त्र सेनाओं में कमीशन के लिए और पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्य परा-सैनिक संगठनों में राजपत्रित पदों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के "सी" प्रमाण पत्र को अनिवार्य अर्हता के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।

(3) राष्ट्रीय कैडेट कोर नियमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रमाण पत्र परीक्षाओं के उपबन्धों को कानूनी बनाया जाए।

(4) सभी रैंकों में स्थायी अनुदेशात्मक कर्मचारियों का कम से कम 2/3 राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों का होना चाहिये उन्हें ग्रेजुएशन करने के बाद नियोजित किया जाना चाहिये जिनके पास एन सी सी का उच्चतम प्रमाण पत्र हो।

(5) एन सी सी अफसरों की नियुक्ति की अवधि 58 वर्ष की आयु तक एक समान होनी चाहिए।

(6) जूनियर डिवीजन और बालिका डिवीजन के जूनियर विंग के लिए एन सी सी अफसरों की मानदेय की राशि 400.00 रुपये तथा सीनियर डिवीजन और बालिका डिवीजन अफसरों के सीनियर विंग के लिए 600.00 रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होनी चाहिये। भविष्य के लिए मानदेय की राशि को मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए।

(7) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1984 की धारा 9 के उपबन्धों के अनुसार एन सी सी की सभी यूनिटें शैक्षणिक संस्थानों से एन सी सी अफसरों की कमान के अधीन दे दी जानी चाहिये।

(8) सशस्त्र सेना और प्रादेशिक सेना के अफसरों की तुलना में राष्ट्रीय कैडेट कोर के अफसरों की वरिष्ठता, कमीशन की तारीख के अनुसार उसी रैंक में निश्चित की जानी चाहिये। जूनियर डिवीजन एन सी सी के अफसर सशस्त्र सेनाओं के सभी एन सी ओ तथा थलसेना के जे सी ओ से वरिष्ठ घोषित किये जाने चाहिये।

(9) जूनियर डिवीजन एन सी सी के अफसरों की रैंक संरचना पुन: की जानी चाहिये तथा उसे सशस्त्र सेनाओं के समान किया जाना चाहिए कमीशन प्राप्त अफसरों के बैजों को ध्यान में रखते हुए उनके रैंक बैज भी बदले जाने चाहिये।

(10) शैक्षणिक संस्थानों में चलाए जा रहे एन सी सी के सब-यूनिट मुख्यालयों को यूनिट के अनुपात में प्रशासनिक और वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

(11) राष्ट्रीय कैडेट कोर के अफसरों की ड्यूटी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम, 1948 के नियम 25 का उल्लंघन करने वाले किसी भी अनुदेश या आदेश को रद्द किया जाना चाहिए (राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम 1948 के नियम 25 के अधीन किसी भी एन सी सी अफसर से केवल दो ड्यूटियां करने की अपेक्षा की जाती है, उदाहरणार्थ प्रशिक्षण की जिम्मेदारी तथा कैडेटों का अनुशासन उसे अन्य कोई ड्यूटी नहीं दी जा सकती)।

(12) राष्ट्रीय कैडेट कोर एक एकीकृत और स्वावलम्बी संगठन होना चाहिये। धीरे-धीरे सशस्त्र सेनाओं से अफसरों, जे सी ओ और अन्य रैंकों की अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति बन्द की जानी चाहिये। सशस्त्र सेनाओं से सब कुछ उधार लेने के बजाए राष्ट्रीय कैडेट कोर के अपने उपस्कर तथा कर्मचारी होने चाहिये। राष्ट्रीय कैडेट कोर में कार्यरत सभी सिविलियन कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए।

(13) राष्ट्रीय कैडेट कोर (बालिका डिवीजन) नियम, 1949 रद्द किये जाने चाहिए ताकि महिला अफसरों को भी पुरुष अफसरों के समान अधिकार मिल सकें।

(14) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम की धारा 4 के अधीन यूनिट/सब-यूनिट को भंग करने के सम्बन्ध में नियम बनाए जाने चाहिए।

(15) आल इंडिया एन सी सी आफिसर्स एसोशिएशन (गाजियाबाद मुख्यालय) को सरकार द्वारा तत्काल मान्यता दी जानी चाहिये।

प्रत्यक्षतः ये मांगें अवास्तविक हैं और राष्ट्रीय कैडेट कोर अभियान, इसके सुचारू कार्यकरण, कुशलता और अनुशासन के हित में नहीं है।

आय और व्यय की सीमा निर्धारित करने की योजना

5831. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आय और व्यय की सीमा निर्धारित करने हेतु एक योजना तैयार करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आय और व्यय की अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, आय की असमानताओं में कमी करना देश की दीर्घावधिक आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और राजकोषीय एंव अन्य उपायों के जरिये इस प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के ऋण संस्थानों से लिये गये ऋणों का भुगतान

5832. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार से सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की अदायगी करते समय लोगों को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी है ;

(ख) क्या लोग न केवल अपने ऋणों का परिसमापन कराने के लिए आगे आ रहे हैं बल्कि लोगों में ऋणों की अदायगी न करने की प्रवृत्ति घर कर गयी है जो एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है ;

(ग) क्या भारत सरकार की नवीनतम मार्गनिर्देश उड़ीसा के लिए एक चेतावनी भी है कि लम्बे समय से चले आ रहे पुराने बकाया ऋणों की अदायगी न होने पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास

एजेंसी या रिजर्व बैंक आफ इंडिया अथवा एन. ए. बी. ए. आर. डी में से किसी से भी उसे ऋण नहीं मिल सकेगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या यदि ऋण लेने वाले व्यक्ति अदायगी न करें तो उन्हें आगे से बैंकों से ऋण नहीं मिलेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारत सरकार उड़ीसा सहित सभी राज्यों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वसूली सम्बन्धी स्थिति के बारे में गम्भीर रूप से चिंतित है जून, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत अखिल भारतीय 52.9 के औसत की तुलना में 34.9 प्रतिशत था । बैंकों पर अपनी वसूली संबंधी स्थिति को सुधारने के लिए जोर दिया गया है और वे इस दिशा में कई उपाय कर रहे हैं । वसूली की खराब स्थिति का एक कारण यह है कि कुछ ऋणकर्ता जानबूझ कर चूक करते हैं । बैंक जानबूझ कर चूक करने वालों को और ऋण नहीं देते । लेकिन यदि चूक, चूककर्ता के नियन्त्रण से बाहर की हो, जैसेकि प्राकृति विपदाएं, तो बैंकों को ऋण की वापसी अदायगी के कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण कर अथवा वापसी अदायगी की अवधि को बढ़ा कर और यहां तक कि ऋणकर्ता की ऋण लेने और कमाई करने की क्षमता को देखते हुए नई सीमाएं मंजूर कर सहायता प्रदान करने के लिए भी कहा गया है ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए पुनर्वित्त सम्बन्धी मार्गनिर्देश निर्धारित कर दिए हैं । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से बैंकों द्वारा लिए जाने वाले पुनर्वित्त को वसूली की स्थिति के साथ जोड़ दिया गया है । आशा है कि बैंक वसूली सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के लिए उपाय करेंगे और इस प्रकार अपने आप को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से और अधिक पुनर्वित्त प्राप्त करने का पात्र बनाएंगे ।

बिड़ला मिल्स का अधिग्रहण

5833. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कपड़ा मजदूर लाल झंडा यूनियन और टैक्सटाइल मजदूर कांग्रेस की ओर से बिड़ला का मिल्स सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने की मांग के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मिलों का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) इस एकक का अधिग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है । श्रम आयुक्त, दिल्ली से कहा गया है कि वे इस समस्या की जांच करें और विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए भरसक प्रयास करें ।

मध्य प्रदेश में सिंथेटिक स्पिनिंग मिलों की स्थापना

5834. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए सिंथेटिक स्पीनिंग मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसी सिंथेटिक स्पीनिंग मिल मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उस राज्य में ऐसी मिल स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कताई मानव निर्मित रेशों के लिए देश में अनुमोदित 47 मिलें हैं ।

(ख) जी हां । मध्य प्रदेश में तीन मिलें हैं जो वाणिज्यिक उत्पादन कर रही हैं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उद्योग में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

5835. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) उक्त नीति के अनुकरण में अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रत्येक उद्योग में 1980-81 से आज तक, वर्ष-वार कितनी पूंजी लगाई गई है ; और

(ग) इस निवेश के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से आरक्षित उद्योगों के नाम क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार ने अनिवासी भारतीयों को निवेश करने के लिए उदारतापूर्ण सुविधाएं प्रदान की हैं । औद्योगिक क्षेत्र में,

उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में निवेश की अनुमति है। अनिवासी भारतीय पूर्ण प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित वर्तमान/नई कंपनियों के नए निर्गमों के 40 प्रतिशत तक का अभिदान कर सकते हैं। इसी प्रकार वे औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित क्षेत्रों सम्बन्धी कम्पनियों में तथा निर्यात प्रधान उद्यमों के निर्गमों में 74 प्रतिशत तक का अभिदान भी कर सकते हैं। नई नीति अप्रैल, 1982 से लागू हो गई है। एक विवरण संलग्न है जिसमें अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेशों के आंकड़े दिए गए हैं।

विवरण

स्कीम	प्रस्तावों की संख्या	राशि
40 प्रतिशत की योजना	229	84.82 करोड़ रुपए
74 प्रतिशत की योजना	10	22.68 करोड़ रुपए

टिप्पणी : उपर्युक्त आंकड़े अप्रैल, 1982 से 31 जनवरी, 1984 तक की अवधि के लिए है।

रेलवे के विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ऋण

5836. श्री बी०वी० देसाई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक रेलवे क्षेत्र में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए स्वदेशी टेंडरों के लिए सहमत हो गया ;

(ख) क्या विश्व बैंक रेलवे विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 350 मिलियन डालर का ऋण दे रहा है ;

(ग) क्या विश्व बैंक आधुनिकीकरण योजना के लिए पहले ही 200 मिलियन डालर की सहायता देने के लिए कह चुका है ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या रेलवे इस पेशकश को स्वीकार करने को सहमत हो गई है ; और

(ङ) विश्व बैंक की सहायता से किन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। विश्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार विश्व बैंक ऋण अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण से वित्त-पोषित परियोजना

के लिए आवश्यक वस्तुएं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक बिल्डिग के जरिए खरीदी जानी चाहिए, जिसमें स्वदेशी विनिर्माता भी भाग ले सकते हैं और उन्हें कीमतों में 15 प्रतिशत की तरजीह मिलेगी ।

(ख) से (ङ) विश्व बैंक ने रेलवे विद्युतीकरण और वर्कशाप आधुनिकीकरण के लिए 35 करोड़ संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर की संभावित सहायता की एक परियोजना का मूल्यांकन किया है । इस परियोजना के अन्तर्गत भारतीय रेलवे के लगभग 3000 किलोमीटर लम्बे मुख्य रेल मार्गों के विद्युतीकरण और 8 चुने हुए वर्कशापों के आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है । इस परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत अभी भी चल रही है ।

विदेशों की यात्रा पर गए संसद-सदस्यों के प्रतिनिधि मण्डल

5837. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने सरकारी प्रतिनिधि मण्डल विदेशों की यात्रा पर गए ; और

(ख) उन पर सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना उपलब्ध नहीं है तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जानी है । इस सूचना को एकत्रित करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा तथा इससे प्राप्त होने वाला परिणाम सूचना को एकत्रित करने में लगने वाले समय तथा श्रम के अनुरूप नहीं होगा ।

———

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैंने आपको एक स्थगत प्रस्ताव दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बारी बारी से आपको बुलाऊंगा । यदि सभी बोलते हैं तो मैं सुन नहीं सकता । मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा ।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : सरकार श्री लका के मामलों का निपटान करने में अक्षम है । भारत सरकार ने श्री लंका के मामले का निपटरा करने के संबंध में हमें आश्वासन दिया था । श्रीमती गांधी और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि वे इस मामले को बिल्कुल ठीक प्रकार से निपटा रहे है । श्री लंका की सरकार तामिलों को मारने के लिए वायु सेना का उपयोग कर रही है । सरकार क्या कर रही है? क्या आप इस बारे में कोई वक्तव्य देने जा रहे हैं अथवा नहीं ? मैने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था । क्या आप इस बारे में कोई वक्तव्य देने जा रहे हैं ? या आप स्थगत प्रस्ताव की अनुमति दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप के स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गयी है। सरकार इन बातों को जानती है।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। सैंकड़ों लोगों को वायु सेना द्वारा मारा जा रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में समय दूंगा। अब डा० कृपासिन्धु बोलेंगे। मैं आप सभी को बोलने का समय दूंगा।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : आपको पी.वी. नरसिंह राव से पूछिये। मेरे विचार में वह इसके बारे में बहुत ही विन्तित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को बुलाऊंगा और जब मैं एक सदस्य को बोलने के लिए कहता हूं तो दूसरे सभी सदस्यों को अवश्य ही बैठ जाना चाहिए। मैं आप को पहले ही समय दे चुका हूं। अब डा. कृपा सिन्धु भोई बोलेंगे।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : श्री लंका के सम्बन्ध में आप का विनिर्णय क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने कोई बात कही है और मैंने कहा है कि सरकार इस से अवगत है।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : सरकार क्या कर रही है? आप विदेश मन्त्री को वक्तव्य देने के लिए निर्देश दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कल इस मामले को तामिलनाडु के कुछ सदस्यों द्वारा उठाया गया था। वे सभी चाहते थे कि विदेश मन्त्री को वक्तव्य देना चाहिए। मैंने इन सदस्यों को बता दिया था कि मैं इस बात को सरकार तक पहुंचा दूंगा।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या हुआ? अधिक से अधिक लोगों को मारा जा रहा है। आप विदेश मन्त्री को वक्तव्य देने के लिए कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं एक सदस्य को बोलने के लिए कहता हूं, तो उस सदस्य को इस बात को कहने के लिए सन्तुष्ट हो जाना चाहिए जो बात भी वह चाहता है। मैं सभी सदस्यों को बारी बारी से बोलने के लिए समय दे रहा हूं। डा. सुब्रहमण्यम स्वामी को सब से पहले समय दिया गया है। डा० सुब्रहमण्यम स्वामी को सब से पहले समय दिया गया है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को अपना अवसर मिल चुका है और वह अपनी बात कह चुके हैं। किन्तु वह सन्तुष्ट नहीं हैं। वह नहीं चाहते हैं कि दूसरे सदस्यों को उनका अवसर मिले। अत: आप सभी बैठ जाइये।

श्री बापू साहिब पहलेकर (रत्नगिरि) : मेरी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने डा. कृपा सिन्धु भोई को बोलने के लिए कहा है। आप जानते हैं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटासिंह) : कृपया मुझे बताया जाये कि उनका व्यवस्था का प्रश्न क्या है। सभा में किस बारे में चर्चा की जा रही है। इसमें अव्यवस्था का प्रश्न क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं जब माननीय सभा के समक्ष कोई विषय नहीं होता है, जब सभा में किसी विषय वस्तु पर चर्चा नहीं की जा रही होती है, उस समय यदि कोई सदस्य किसी व्यवस्था के प्रश्न को उठाना चाहता है, तो, उसे पीठासीन अधिकारी से अनुमति अवश्य ही लेनी चाहिए और माननीय सदस्य ने केवल अनुमति मांगी है किन्तु मैंने डा. कृपासिन्धु भोई को बोलने के लिए कहा है। इसलिए सभी को अवश्य ही बैठ जाना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों को एक एक करके बोलने के लिए अवसर दूंगा। यदि इसे ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है, तो जैसाकि मैंने कल कहा था कि विषय वस्तु की अगली मद के बारे में चर्चा शुरू करा दूंगा। तब आप मुझे दोष मत देना।

डा. भोई : ···(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हमारे समय को बर्बाद किया जा रहा है।

डा. कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : डाक्टरों द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण सफदरजंग अस्पताल में गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। रोगी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रसूति मामलों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कृपया इस मामले में हस्ताक्षेप करें ताकि सामान्य स्थिति फिर से लाई जा सके··· मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया है···।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक एक करके बोलिये। श्री राकेश, कृपया बैठ जाइये। यदि आप बैठे भी होंगे, तो भी मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

श्री बापू साहिब परूलेकर : इस श्री लंका के मामले के सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है और मुझे आपके कार्यालय के द्वारा आप के निर्णय के बारे में बताया गया है कि मेरा स्थगन प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्योंकि वह एक लोक महत्व का मामला है और यह सभा में कार्यवाही के परिचालन के लिए आवश्यक है क्योंकि आमतौर से चैम्बर में लिए गये निर्णय के बारे में हमें बताया जाता है।

मैं आप का ध्यान एक विनिर्णय की ओर दिलाता हूं कि यदि स्थगन प्रस्ताव प्रथम दृष्टि में ही नियमों के अनुसार नहीं है, तो केवल तभी ही अध्यक्ष को इसे नामंजूर करने का अधिकार

मिलता है। अन्यथा यदि अध्यक्ष सूचना एकत्र करना चाहता है अथवा अध्यक्ष ने कोई निर्णय नहीं लिया है अथवा यदि यह एक संशयपूर्ण मामला है, तो अध्यक्ष का कर्तव्य हो जाता है कि वह उस माननीय सदस्य को अवसर दें जिसने यह स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसे वक्तव्य देने की अनुमति दे और अध्यक्ष को उस स्थगन प्रस्ताव को पढ़ना चाहिए और तब कोई निर्णय लेना चाहिये। मैं आपका ध्यान इस पूर्वदृष्टान्त की ओर दिलाता हूं ...।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कौन सा नियम है ?

श्री बापू साहिब परूलेकर : कोई नियम नहीं, क्योंकि आप ने बार बार कहा है कि हम पूर्व विनिर्णयों द्वारा भी नियंत्रित हैं और कई बार पूर्व दृष्टान्त नियमों को रद्द कर देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ये परम्परायें हैं।

श्री बापू साहिब परूलेकर : यही कुछ आपने कल हमें बताया था। मैं इसे पढ़ूंगा :—

"जहां अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि किसी स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रथमदृष्टि में ही ग्राह्य है ..।

इसका अभिप्राय यह है कि यह नियम 58 का उल्लंघन करता है जिसकी ओर कल श्री राम विलास पासवान ने आपका ध्यान आकर्षित किया था। केवल तभी वह इसे नामंजूर कर सकता है। अन्यथा विनिर्णय में कहा गया है :

"जहां यह एक संशयपूर्ण मामला है अथवा यदि अध्यक्ष के पास ग्राह्यता के बारे में निर्णय करने के लिए पूरे तथ्य नहीं होते हैं, वहां वह इस प्रस्ताव की प्राप्ति की सूचना के बारे में सभा में उल्लेख करेगा और सदस्य तथा सम्बन्धित मंत्री से संक्षिप्त वक्तव्य सुनने के पश्चात, कि क्या इस मामले की चर्चा की मांग नियमों के अन्तर्गत की गई है, गुण दोष के आधार पर अपना निर्णय देगा।"

अतः, आप चैम्बर में निर्णय नहीं ले सकते तथा कह सकते कि इसे नामंजुर कर दिया गया है और सदस्य को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

अतः मैं चाहता हूं कि आप कोई विनिर्णय दें क्या यह एक क्रियाविधि है जिसका आप पालन करेंगे तथा भविष्य में आप इसे नामंजूर कर देंगे... (व्यवधान) एक बात और कहनी है। मैं आपका ध्यान नियम 58 की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि स्थगन प्रस्ताव नियम 58 के अनुसार है और यदि किसी निश्चित विषय के सम्बन्ध से है और आदि, आदि, तो आप उसे उस तरह से नामंजूर नहीं कर सकते हैं। आपने हमारी बात को सुनना होता है और आपने सभा में इस सूचना के बारे में उल्लेख करना होता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या श्री लंका में मारे जाने का विषय आप की चिन्ता का नहीं है ?···मैं जानना चाहता हूं । आप उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहें । यह कुछ भी नहीं कर रही है··· (व्यवधान) ।

श्री बूटा सिंह : वह अनावश्यक रूप से उपाध्यक्ष को इस मामले में ला रहे हैं। इससे इसकी कोई संबद्धता नहीं है । (व्यवधान) ।

श्री बापूसाहिब परूलेकर : मन्त्री महोदय अव्यवस्था के प्रश्न के बारे में कह रहे हैं । हम नियमों के बारे में चिन्तित हैं । आप संसदीय कार्य मन्त्री है । आप जो कुछ कह रहे हैं वह अव्यवस्था के प्रश्न के बारे में है ।

श्री बूटा सिंह : यह आप का विशेषाधिकार नहीं है कि आप कुछ भी कह सकते हैं । आप कोई भी बात शोर मचाकर नहीं कह सकते । (व्यवधान) ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह सरकार अव्यवस्था की सरकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : "श्री परूलेकर मैं आपको तथा इस सभा को बताना चाहता हूं कि 21 मार्च, 1980 को प्रश्नकाल के पश्चात कई सदस्य उठ खड़े हुए और उनके द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्तावों की सूचना के सम्बन्ध में चर्चा की मांग की । श्री एन०के० शेजवलकर जानना चाहते थे कि किन कारणों से ग्वालियर में कुछ पुलिस कर्मियों और अधिवक्ताओं के बीच हुई झड़प के सम्बन्ध में उनके स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया । अध्यक्ष ने नियमों पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात कहा कि उन्होंने इस सूचना की अनुमति नहीं दी थी और यदि आवश्यक है तो सदस्य उनके चैम्बर में आ सकते हैं और उनके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं । उन्होंने कहा था कि पीठासीन अधिकारी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने की सहमति प्रदान न करने के लिए कारण बताये । अतः, आप उनके चैम्बर में जाइये··· (व्यवधान) ।

श्री बापूसाहिब परूलेकर : आप अपना विनिर्णय दीजिये···(व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये । मुझे फंसाने का प्रयास मत कीजिये । आपने कुछ पूर्वदृष्टान्तों और परम्पराओं तथा आदि, आदि उद्धरण दिया है । आपने पूर्वदृष्टान्तों के लिए कहा था और मैंने पूर्वदृष्टान्तों का उद्धरण दे दिया है ।

श्री बापूसाहिब परूलेकर : मैंने कारण नहीं पूछे थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल आपसे यह पूछ रहा हूं कि यदि आप मेरे द्वारा दिये गये कारणों से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो आप अब सभा में मुझ से कारणों के बारे में नहीं पूछ सकते । आप मुझे चैम्बर में मिल सकते हैं । और तब हम चर्चा करेंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीलंका में, लोगों के मारे जाने के बारे में क्या हुआ ? क्या हम उस पर चर्चा कर सकते हैं ? (**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी छठी बार खड़े हो रहे हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीलंका के तामिलों को मारे जाने के सम्बन्ध में सौ बार भी खड़े होने के लिए तैयार हूं । (**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि किसी देश की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करते समय हमें संयम से काम लेना चाहिए । श्री लंका एक बहुत ही अच्छा मित्र देश है और इसलिए मैं चाहूंगा''' । (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे भारत सरकार की निन्दा कर रहे हैं, वे हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा मामला है जिसका समाधान भारत सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए । (**व्यवधान**) । आप सभी कृपा करके बैठ जाइये । श्री राकेश ।

प्रो० मधु दण्डवते खड़े हुए ।

श्री आर०एन० राकेश (चैल) : प्रो० साहब के पश्चात मैं बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । प्रो० दण्डवते, आप बोलिये ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मुझे एक अनुरोध करना है । मैं एक मामले को उठा रहा हूं''' ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को पहले ही उठा चुके हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मेरी बात सुनिये । मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं जो आप कहते हैं । मैं एक ऐसा मामला उठा रहा हूं जो समूचे रूप से संसद की दोनों सभाओं के साथ संबंधित है । आज लगभग सभी समाचारपत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के एक संकल्प द्वारा सांविधानिक संकट के बारे में राष्ट्रपति को लिखे गये एक पत्र को वापिस ले लिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष ने पहले ही आपको बता दिया है । आप मुझ से क्या प्राप्त कर लेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : आप मुझे अपनी बात पूरी करने नहीं दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को दो दिन पूर्व उठाया गया था। जब अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा था कि आप सभी को उनके चैम्बर में जाना चाहिये और केवल तभी शान्तिपूर्वक से विचार विमर्श किया जायेगा। हम विचार विमर्श कर सकते हैं और उसके पश्चात यदि आप चाहेंगे तो इस सभा में इस के बारे उचित रूप में हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त आप क्या चाहते हैं ? आप अब इस के अतिरिक्त मुझ से किस बात की आशा रखते हैं कि आप इस मामले को पुनः उठा रहे हैं ? अध्यक्ष के आने तक मैं आपको केवल प्रतीक्षा करने का अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष के आने तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी।

प्रो० मधु दण्डवते : आप हमें चुप नहीं करा सकते। मैं समूचे मामले को नहीं उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे केवल अध्यक्ष की प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा हूं। वह पहले ही कह चुके हैं कि वह विरोधी पक्ष के सदस्यों तथा सभी नेताओं को बुलायेंगे··· (**व्यवधान**)।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपके विनिर्णय का विरोध नहीं कर रहा हूं। (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया आप सभी बैठ जाइये। (**व्यवधान**)। श्री हरिकेश बहादुर क्या आप प्रो० मधु दण्डवते की बात के समर्थक हैं ? मेरे विचार में आप इस बात को हम दोनों पर छोड़ दीजिये।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप मुझे इसे समाप्त करने दीजिए। क्या मैं आपकी आज्ञानुसार बोल सकता हूं ? मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप से बोलूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। हमेशा स्थिति को स्पष्ट करना बेहतर होता है। मैं इस मामले को उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं केवल एक सुझाव दूंगा। महोदय, चूंकि आज परिषद के संकल्प द्वारा राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र को वापिस ले लिया गया है, इसलिए मुझे केवल एक सुझाव देना है और इस सम्बन्ध में समस्त सभा एक मत होगी। सभी समस्याये इसलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि विशेषाधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया है जिससे समाचारपत्र कठिनाई में पड़ गए हैं। इसके साथ-साथ हम सहज रूप से सर्वोच्चता के बारे में कहते हैं किन्तु सांविधानिक ढांचे के अन्तर्गत लोगों, संसद तथा न्यायपालिका की स्थिति को फिर से स्पष्ट रूप से बताना होगा ताकि इस सहज शब्दावली का पुनः प्रयोग न किया जा सके। मेरा सुझाव यह है कि चूंकि राष्ट्रपति का निर्णय सदैव केन्द्रीय सरकार की सहायता तथा परामर्श से ही होता है और जब अब केन्द्रीय सरकार का भी संबंधित हो गई है, इसलिए मैं आप से यह सुनिश्चित करने के लिए अपने पद का सदोपयोग करने का अनुरोध करूंगा ग्रुप नेताओं को जिस बैठक का वचन दिया गया है उसे शीघ्र बुलाया जाना चाहिए ताकि दिन प्रतिदिन इस मामले को न उठाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे अध्यक्ष की अनपस्थिति में करना चाहते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब ठीक है । कृपा करके बैठ जाइये ।

सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी सदस्य को एक बार समय दे दिया जाता है और यदि वह यदा कदा उठ खड़ा होता है और तब वह सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहा होता है । **(व्यवधान)** ।

श्री भुवनेश्वर भूयन (गोहाटी) । मैं लाल बाजार में पुलिस हिरासत में इदरीस मियां की हत्या के मामले को उठाना चाहता हूं । यह बहुत ही गम्भीर मामला है । कानून को लागू करने वाले प्राधिकारियों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह राज्य विषय है । मुझे खेद है । मैं अब कार्यसूची की अगली मद को लेने जा रहा हूं । **(व्यवधान)** ।

12.17 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कृषि मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं कृषि मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल. टी 8050-84]** ।

काफी बोर्ड, बंगलौर और वूल रिसर्च एसोसिएशन थाणे का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) काफी बोर्ड, बंगलौर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) ।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8051/84]।

(2) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित, लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8052/84]।

सिंचाई मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की ब्यौरेवार मांगें

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : श्री राम निवास मिर्धा की ओर से मैं सिंचाई मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8053/84]।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीनाथ मिश्र): मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी. 8054/84]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का 30.6.1983 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 219 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 9 फरवरी, 1981 की अधिसूचना संख्या 13-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं, ताकि

मशीनरी के फालतु पुर्जों, खपने वाली सामग्री, सामग्री की उठाई-धराई करने वाले उपस्करों-जैसे फोर्कलिफ्ट और शिरोपरि क्रेन, नमूनों और मूलाकृतियों प्रत्येक प्रकार के ये नमूने दो से अधिक न हों और रेखाचित्रों, ब्ल्यूप्रिंटों, तकनीकी नक्शों तथा चार्टों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल उपसंगी और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट दी जा सके। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 8055/84]।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 224 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 24 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापक, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1970 की अधिसूचना संख्या 51/70-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि इलेक्ट्रोनिक स्टेसिल स्कैनरों को केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क की मद 33घ के अन्तर्गत कार्यालय मशीनों की शुल्क्य वस्तु सूची में शामिल किया जा सके। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 8056/84]।

(3) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संबंध में 30 जून, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेणी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 8057/84]।

स्विचगियर और कंट्रोलगियर का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1984 और भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ, नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : महोदय, श्री पी० ए० संगमा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, स्विच-गियर और कंट्रोलगियर का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 10 मार्च, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 730 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 8058/84]।

(2) (एक) भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल. टी. 8059/84] ।

———

12.18 म० पू०

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 23 मार्च, 1984 को सभा को सूचित करने के पश्चात वर्तमान सत्र के दौरान संसद, की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित 11 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) एशियाटिक सोसाइटी विधेयक, 1984

(2) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984

(3) विनियोग विधेयक, 1984

(4) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1984

(5) विनियोग (रेल) विधेयक, 1984

(6) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1984

(7) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1984

(8) पांडिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984

(9) पांडिचेरी विनियोग विधेयक, 1984

(10) पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984

(11) पंजाब विनियोग विधेयक, 1984

———

12.19 म. प.

लोक लेखा समिति

185वां प्रतिवेदन

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मैं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की प्राप्तियां-स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस-स्टाम्प शुल्क की ऊंची दरों के अपवंचन/परिहार के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 150-वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 185-वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

(व्यवधान)

12.20 म. प.

(इस समय श्री आर० एन० राकेश और श्री ए. नीलालोहितदसन नाडार सभा-पटल के निकट आकर फर्श पर बैठ गये)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री प्रणव मुकर्जी वक्तव्य देंगे।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, लगातार अप्राधिकृत ओवरड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए 23 मार्च, 1984 को भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से...।

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : आप यह वक्तव्य चाहते थे। अतः मैं यह दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, आप वक्तव्य दिये जाने के बाद माननीय सदस्य को बुला सकते हैं।

(इस समय श्री आर० एन० राकेश और श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार वहाँ से उठकर अपने अपने स्थान पर चले गये)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जाना है। उन्हें कुछ और भी काम है। मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सहयोग दें। सदस्यों को अवश्य सहयोग देना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । यह कोई तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है, आप समझते नहीं । मैंने कहा था कि अब वक्तव्य देने दिया जाए, क्योंकि यह दिया जाना जरूरी है । कृपया सुनिये :

एक माननीय सदस्य : कृपया एक बार फिर बोलिये ।

श्री प्रणव मुखर्जी : जी हां, मैं इसे आरम्भ से ही पढ़ रहा हूं ।

— — —

12.21 म.प.

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतानों के निलम्बन के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : लगातार अप्राधिकृत ओवरड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए, 23 मार्च, 1984 को भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से की जाने वाली अदायगियां रोक दी थीं । कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह मामला सदन में उठाया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित परिस्थितियों के बारे में समाचार पत्रों में अनेक गलत कथन प्रकाशित हुए थे । इसलिए मैं इस मामले से सम्बन्धित तथ्य सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ।

2. स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई वित्तीय व्यवस्था के हाल के इतिहास की ब्यौरे-वार जांच करना आवश्यक है । स्मरण होगा कि राज्य सरकारों के बढ़ते हुए ओवरड्राफ्टों की समस्या को सुलझाने के लिए अनेक उपायों की घोषणा करते हुए मैंने 8.7.1982 को इस सदन में एक वक्तव्य दिया था । उस वक्तव्य में मैंने यह घोषणा की थी कि 1972 में लागू की गई और 1978 में संशोधित की गई ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना कड़ाई से लागू की जाएगी । तथापि, राज्य सरकारों को नए सिरे से आरम्भ करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से 1981-82 के अन्त में राज्यों के इतिशेष घाटे का निपटान करने के लिए 1743 करोड़ रुपये की राशि के ऋण मंजूर करने का निर्णय किया गया था । यह भी घोषणा की गई थी कि रिजर्व बैंक राज्यों की अर्थोपाय सीमा को दुगना कर रहा है ताकि उनकी प्राप्तियों और व्यय के बीच अस्थायी असतुलनों के लिए उनके पास अपेक्षाकृत अधिक गुंजाइश रहे ।

3. जुलाई, 1982 में दी गई 1743 करोड़ रुपये की ऋण सहायता में से, 340 करोड़ रु० का सबसे अधिक ऋण पश्चिम बंगाल को दिया गया था। अर्थोपाय सीमा में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य की जायज अर्थोपाय सीमा 43.81 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी।

4. पिछले समय के अन्तरित घाटे के निपटान के लिए दी गई ऐसी सहायता के बावजूद पश्चिम बंगाल अपनी 1982-83 की आयोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए वित्तीय कठिनाई में था। 1980-81 और 1981-82 दोनों में, भारतीय रिजर्व बैंक से भारी ओवरड्राफ्ट लेने के बावजूद, राज्य सरकार का आयोजनाओं संबंधी व्यय योजना आयोग द्वारा अनुमोदित स्तर से काफी कम था। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार को आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता दिये जाने के मामले में भी केन्द्र को विशेष ध्यान देना पड़ा। केन्द्र ने यह स्वीकार किया कि राज्य को देय 146 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त, 144 करोड़ रुपये की अग्रिम आयोजनागत सहायता भी दी जायेगी ताकि राज्य दोबारा ओवरड्राफ्ट के बिना 1982-83 के दौरान 490 करोड़ रुपये के आयोजनागत परिव्यय को वित्त पोषित कर सके। राज्य सरकार ने बजटीय और राज्य के सरकारी क्षेत्र के अंशदानों और खुले बाजार, जीवन-बीमा निगम आदि से ऋण लेकर 200 करोड़ रुपये का अंशदान करना स्वीकार किया।

5. लेकिन इस विशेष व्यवस्था के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने सुधारात्मक उपाय नहीं किये जिसके परिणामस्वरूप वह राज्य आयोजना 1982-83 के लिए 200 करोड़ रुपये का अपना शेयर देने में फिर असफल रही। ओवरड्राफ्ट पुनः उत्पन्न हो गये और लगातार चलते रहे। वर्ष 1982-83 के अन्त में राज्य सरकार के पास 82 करोड़ रुपये का नया घाटा था।

6. इस स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, 1983-84 के शुरू से ही वित्त मंत्रालय की राज्य सरकार के साथ सरकारी तथा मंत्री दोनों स्तर पर लगातार बातचीत होती रही है। इस दौरान कुछ ऐसी अन्य राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत होती रही जिनके साथ 1982-83 के इतिशेष घाटों तथा 1983-84 में ओवरड्राफ्टों की समस्या थी। ये राज्य सरकारें अपनी वित्तीय व्यवस्था में सुधार करने के लिए तरीका निकालने के लिए सहमत हो गई थीं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हो रहा था।

7. जून, 1983 में राज्य के वित्त मंत्री से बातचीत के बाद मैंने चालू आयोजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की व्यापक समीक्षा करते हुए जुलाई 1983 में मुख्य मंत्री को लिखा। मैंने उन विशिष्ट क्षेत्रों की ओर ध्यान दिलाया जहां आयोजना के लिए राज्य के अपने हिस्से में इतनी कमियां रहीं जो किसी अन्य राज्य में नहीं पाई गई। राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई विशिष्ट सहायता का उल्लेख करते हुए, मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि जब तक राज्य सरकार सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है तथा ओवरड्राफ्ट को समाप्त करने की कार्यवाही नहीं करती है, तब तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास पश्चिम बंगाल सरकार के खाते में अदायगियों को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

8. फिर भी राज्य सरकार ने अर्थोपाय स्थिति सुधारने के लिए समुचित कार्यवाही नहीं की है। राज्य सरकार के 192 करोड़ रुपये के ओवरड्राफ्ट की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाते हुए तथा उस ओवरड्राफ्ट को समाप्त करने की कार्यवाही की योजना को अनुरोध करते हुए मैंने 28 अक्टूबर, 1983 को पुन: एक सन्देश भेजा। चूँकि कार्यवाही की ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई, इसलिए वित्त मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 8 नवम्बर, 1983 को अनुस्मारक के रूप में एक संदेश भेजा। लेकिन राज्य सरकार की अर्थोपाय स्थिति के सम्बन्ध में उसके प्रयत्नों पर इसमें से किसी का भी स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा।

9. लगभग इसी समय अगले वर्ष की आयोजना के लिए संसाधनों का निर्धारण करने के लिए सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श हुआ। यह पाया गया कि कुछ राज्यों के सम्बन्ध में 1983-84 का इतिशेष घाटा अगले वर्ष के लिए उचित आयोजना परिव्यय निर्धारित करने में गम्भीर समस्या उत्पन्न करेगा। इसलिए राज्यों को समायोजन के बिना उनकी स्वीकार्य अर्थोपाय सीमा तक घाटे को आगे ले जाने की स्वीकृति दी गई। उन मामलों में जहां अर्थोपाय सीमा से ऊपर परिलक्षित ओवरड्राफ्ट बहुत अधिक थे, मैंने मुख्य मंत्रियों के साथ समस्या पर विचार-विमर्श किया। इन विचार-विमर्शों में मुख्य मंत्री संयुक्त रूप से सहमत हुए स्तरों तक अपने इतिशेष ओवरड्राफ्ट को सीमित करने के लिए राजी हो गये थे, और मैंने उस ओवरड्राफ्ट को पूरा करने के लिए सहायता देना स्वीकार कर लिया था। तदनुसार राज्य सरकारों ने कार्यवाही की योजना बनाई थी और उन्हें वित्त मंत्रालय को भेजा था। पश्चिम बंगाल के बारे में 1983-84 के लिए परिलक्षित इतिशेष घाटा 222 करोड़ रुपये था, जिसमें से 178 करोड़ रुपये ओवरड्राफ्ट का भाग था। 24.1.1984 को हुए विचार-विमर्श के दौरान मैंने मुख्य मंत्री को यह सुझाव दिया था कि राज्य सरकार इस ओवरड्राफ्ट को घटाकर आधा अर्थात् 90 करोड़ रुपये कर दे। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि राज्य सरकार ऐसा करने के लिए सहमत हो जाती है तो केन्द्र परिलक्षित ओवरड्राफ्ट के आधे भाग को अर्थात् लगभग 90 करोड़ रुपये की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करेगा।

10. 21.1.1984 तक राज्य का ओवरड्राफ्ट 187 करोड़ रुपये था जो वर्ष के अन्त के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अनुमान से अधिक था। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया कि ओवरड्राफ्ट में आगे और वृद्धि न हो। 24.1.1984 को हुए विचार-विमर्श के तुरन्त बाद मैंने वर्ष के अन्त में होने वाले ओवरड्राफ्ट में 90 करोड़ रुपये की कमी करने संबंधी कार्यवाही की योजना के लिए अनुरोध करते हुए और यह सूचित करते हुए मुख्य मंत्री को यह लिखा था कि यदि सात दिन से अधिक के लिए 187 करोड़ रुपये के वर्तमान स्तर से अधिक ओवरड्राफ्ट होंगे तो रिजर्व बैंक अदायगियां रोक देगा। तदानुसार, रिजर्व बैंक को भी सलाह दे दी गई थी। 24.2.1984 को इस सदन में अतारांकित प्रश्न के उत्तर में भी यह बता दिया गया था।

11. अधिकारी स्तर पर अनुस्मारक जारी करने के बावजूद भी राज्य सरकार के लिए अपनी कार्यवाही की योजना बताना सम्भव नहीं हो सका है। जनवरी, 1984 के विचार-विमर्श के बाद कुछ समय के लिए राज्य सरकार की अर्थोपाय स्थिति में सुधार हुआ था लेकिन मार्च, 1984 में स्थिति पुन: खराब हो गई। 9.3.1984 को स्थिति की समीक्षा करने के बाद मैंने एक पत्र और बेतार संदेश द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया और उन्हें अदायगियों को रोके जाने की सम्भावना के बारे में एक बार फिर सतर्क किया। 13 मार्च को ओवरड्राफ्ट 187 करोड़ रुपये की सीमा को पार कर गया। 14 मार्च को भी भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से यह सूचित किया था कि यदि ओवरड्राफ्ट 7 दिनों से अधिक के लिए 187 करोड़ रुपये से ऊपर बना रहा तो अदायगियां रोक दी जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार को ओवरड्राफ्ट कम करने के लिए हर रोज संदेश भी भेजे। इन सब चेतावनियों के बावजूद भी ओवरड्राफ्ट लगातार 8 कार्य दिवसों से अधिक 187 करोड़ रुपये के स्तर से अधिक बना रहा। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 23.3.1984 को अदायगियां रोक दी। उस दिन को राज्य 7 दिनों की स्वीकार्य समय-सीमा की तुलना में लगातार 217 दिनों के लिए ओवरड्राफ्ट में रहा। चूंकि उस दिन की प्राप्तियों के परिणामस्वरूप ओवरड्राफ्ट 187 करोड़ रुपये की सीमा से नीचे आ गया, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 24.3.1984 को अदायगियां शुरू कर दीं।

12. इसके बावजूद भी कि राज्य सरकार वर्ष के अन्त में ओवरड्राफ्ट को घटाकर आधा करने संबंधी कार्यवाही की योजना को बताने में असफल रही है, अपनी ओर से मैंने शेष आधे के संबंध में पश्चिम बंगाल को 73 करोड़ रुपये का मध्यवर्ती ऋण देने का निर्णय किया है। लेकिन यदि वर्ष के अन्त तक राज्य सरकार अपने प्रयासों के परिणामस्वरूप 90 करोड़ रुपये का सुधार नहीं कर पाती तो ऋण की वसूली अगले वर्ष ही कर ली जाएगी।

13. उपर्युक्त रिकार्ड से स्पष्ट है कि बार-बार याद दिलाये जाने और मंत्री स्तर पर विचार किए जाने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल सरकार ने लगातार लम्बी अवधि तक बड़ी मात्रा में अप्राधिकृत ओवरड्राफ्ट को कम करने के उपाय नहीं किए हैं। उन्हें घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्र द्वारा सबसे अधिक विशेष सहायता दी गई है लेकिन वे योजना में अंशदान संबंधी वचन बद्धताओं को पूरा करने में सफल नहीं रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को जुलाई, 1983 में ही यह सूचित कर दिया गया था कि वह अपनी बिगड़ी हुई वित्तीय स्थिति को रोके और यदि सुधारात्मक उपाय न किए गए तो अदायगियों को रोकने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। 24 जनवरी, 1984 को राज्य सरकार को यह सूचित किया गया था कि सुधारात्मक उपाय किए जाने तक ओवरड्राफ्ट 187 करोड़ रुपये की विद्यमान सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार को 9 मार्च, 1984 को दोबारा सतर्क किया गया था। लेकिन वे कारगर कार्यवाही करने में असफल रही और ओवरड्राफ्ट इतनी ऊंची राशि को भी पार कर

गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने हर दिन नोटिस जारी किए लेकिन ओवरड्राफ्ट 187 करोड़ रुपये की सीमा से नीचे नहीं आया। इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के पास अदायगियों को रोकने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहटा) : हम चाहते हैं कि इस विषय पर चर्चा की जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय पहले ही कह चुके हैं कि यदि आप इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो यह की जा सकती है वह पहले ही आश्वासन दे चुके हैं। इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार करके चर्चा की जा सकती है। (व्यवधान) इस पर अवश्य चर्चा होगी।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं इसे सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। भारत सरकार तथा विभिन्न केन्द्रीय संस्थाओं ने पश्चिमी बंगाल सरकार को 100 करोड़ रुपये देने हैं, जिसका उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया है। इन बातों के कारण भारत सरकार तथा वित्त मन्त्री पश्चिम बंगाल सरकार को तंग कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि वे राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रहे हैं ...।

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : चर्चा के दौरान आप इन सब प्रश्नों को उठा सकते हैं तथा मैं हर एक का उत्तर दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील मैत्रा जी, अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि चर्चा होगी, तब आप ये सब प्रश्न उठा सकते हैं।

अब श्री के. पी. सिंह देव, तत्पश्चात् मैं आपको बुलाऊंगा।

प्रो. मधु दण्डवते : चर्चा दूसरे कक्ष में नहीं, इसी कक्ष में होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उसी में सही, जैसा कि आप चाहते हैं। अब श्री सिंह देव।

जामनगर में बमों का लदान किए जाते समय उनके विस्फोट के बारे में वक्तव्य

12.35 म० पू०

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : वायु सेना स्टेशन, जामनगर में 27 मार्च, 1984 को 12 बजकर 40 मिनट पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बारे में मैं सदन को बड़े दुःख के साथ सूचित कर रहा हूं।

2. वायु सेना स्टेशन, जामनगर से प्राप्त सूचना के अनुसार इस बेस में नित्यक्रमों के दौरान यह दुर्घटना बम लादते समय हुई। बिना तैयार किए हुए कुछ बम स्टाक अन्तरण आधार पर इस बेस से दूसरे वायु सेना स्टेशन को भेजे जा रहे थे। तीन सिविलियन ट्रकों को बिना तैयार किए हुए इन बमों को सड़क से ले जाना था। इनमें से दो ट्रक लादे जा चुके थे और जाने ही वाले थे, जब कि तीसरे ट्रक में लदान किया जा रहा था।

3. उसी समय, इसी स्टेशन में दूसरी जगह ले जाने के लिए एक ट्राली जिस पर कुछ बम लादे हुए थे, बमों के अस्थायी गोदाम के बाहरी दरवाजे के पास खड़ी थी। ये बम संक्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए लदान के वास्ते विमान में भेजे जाने थे।

4. ट्राली पर लदे बमों में अचानक विस्फोट हो गया जिसके फलस्वरूप बमों से लदा एक सिविलियन ट्रक लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया। अन्य दो ट्रकों को अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ। इन ट्रकों में लदे बिना तैयार किए हुए बम भी बिखर गए और क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन फटे नहीं। बमों के अस्थायी गोदाम के क्षेत्र में कई बार आग लगी जिसे वायु सेना फायर ब्रिगेड ने बुझा दिया।

5. इस बारे में रिपोर्ट मिलने तक इस दुर्घटना में 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी जिनमें 4 सेना कार्मिक और तीन ट्रक ड्राइवर थे। 3 वायु सेनिकों, रक्षा सुरक्षा कोर के एक जवान और एक सिविलियन कर्मचारी सहित कुल 5 आदमी गंम्भीर रूप से जख्मी हुए। लगभग 12 व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार किया गया। जख्मी कार्मिकों का स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

6. दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए वायु सेना मुख्यालय ने जांच अदालत बिठाने के आदेश दे दिये हैं।

7. दक्षिण-पश्चिम वायु कमान के एयर अफसर कमांडिंग-इन-चीफ तथा वायुसेनाध्यक्ष ने इस स्टेशन का दौरा किया। दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक सिविलियन कार्मिक के परिवार को वायुसेनाध्यक्ष की निधि से दिए गए 2000 रुपये समेत इस दुर्घटना के शिकार हुए कार्मिकों के परिवारों को तत्तकाल वित्तीय राहत दी गई है। जांच अदालत की रिपोर्ट का निर्णय होने के

बाद इस दुर्घटना के शिकार हुए सिविलियनों को और मुआवजा दिया जायेगा। इस दुर्घटना में मारे गये वायु सेना कार्मिकों के परिवारों को देय पेंशन और अन्य सेवान्त लाभ देने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

———

12.38 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

चाय बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं श्री बिश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1)(ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3)(च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1)(ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (3)(च) के अनुसरण में, इस सभा के सस्दय ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री राकेश। केवल एक मिनट। कृपया आप सब अपना सहयोग दें।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, 1975 में*****

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है । व्यक्तिगत आरोपों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री आर० एन० राकेश : * *···

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के बारे में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई है । मैंने आप को सुन लिया है । अब श्री नाडार ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : फिर यह नियमानुसार नहीं है । मैं क्या कर सकता हूं ? मुझे अगली मद को लेना पड़ेगा । मैं एक-एक करके बुलाऊंगा । यदि आप नहीं बैठ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं ? मैं अगली मद को ले रहा हूं । मुझे बड़ा खेद है । ध्यानाकर्षण -- श्री रामगोपाल रेड्डी ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी सहयोग नहीं देना चाहता । मैंने प्रो० मधु दण्डवते को बोलने की अनुमति दी थी । जब चार सदस्य बोल रहे हों, तब मैं कैसे सुन सकता हूं । कृपया बैठ जाइये । मैं कार्यवाही का संचालन कैसे कर सकता हूं ? यदि आप मेरी तरह इस आसन पर बैठे हों, तो आप क्या करेंगे । आप बारी बारी से बोल सकते हैं । आपको अन्य सदस्यों पर भी नियंत्रण रखना है ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मेरा आपकी उस टिप्पणी के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है, जिसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है । आपने कहा, विदेश नीति सम्बन्धी मामलों में हमें बहुत सावधान होना चाहिये । श्रीलंका एक मित्र देश है, किन्तु श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार की निन्दा की है । यह आज समाचार पत्रों में छपा है । वे अपने लोगों को वायु सेना की सहायता से खत्म कर रहे हैं । मंत्री महोदय यहां बैठे हैं । आप कैसे कह सकते हैं कि वह एक मित्र देश है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीलंका भारत का मित्र है ।

सुब्रहमण्यम स्वामी : भारत सरकार को निन्दा करने के पश्चात्··· **(व्यवधान)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरे लोगों को कहें, वे बैठ जायें । मैं भी देखूं कि आप कैसे संभालते हैं ?

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : मैं एक गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। यह एक शर्म की बात है। कांग्रेस (इ) के केरल सरकार के एक मंत्री ने खुले आम कहा है···।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पहले ही अस्वीकार कर दिया है। व्यक्तिगत आरोप कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। कृपया इन्हें सम्मिलित मत कीजिये।

(व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : **·····।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी है।

श्री हरकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लेखा विभाग को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। अगर यह लेखा विभाग दो हिस्सों में बंट जायेगा, तो कर्मचारियों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इसको न बांटा जाये। इस मामले को हम बहुत बार उठा चुके हैं, पता नहीं, सरकार इसके लिए क्या कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक प्रशासनिक समस्या है और इस पर कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम कैसे कर सकते हैं ? मैं लेखा परीक्षा और लेखा रखने की इस समस्या को जानता हूं। अब श्री पासवान। आप सभी अन्य सदस्यों को बैठने के लिए कहें।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : श्री नाडार ने कांग्रेस (इ) और केरल के मंत्री की निन्दा की है। क्या इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको तथा माननीय सदस्यों को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि तथाकथित शून्य काल में भी यदि कोई आरोप लगाये जायेंगे, अनादरपूर्ण बातें कही जायेंगी या भड़काने वाले भाषण दिये जायेंगे, तो उन्हें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अतः आपको इस बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिये। हम इस बारे में सावधान रहेंगे। हम नियमों को जानते हैं।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारे रूल्स आफ प्रोसीजर को देखा है लेकिन उनमें कहीं पर भी 'चेम्बर' शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चेअर किस रूल के तहत मेम्बर को चेम्बर में बुलाती है? लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों में 'चेम्बर' शब्द कहीं भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मान लीजिये, कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष को मिलना चाहता है, तो वह अध्यक्ष को कहां मिलेगा ?

श्री राम विलास पासवान : यह नियमों का उल्लंघन है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम कहता है :

"ऐसे सभी मामले, जिनके लिये इन नियमों में विशिष्ट उपबन्ध नहीं है, तथा विस्तृत कार्यकरण से सम्बन्धित सभी प्रश्न इस तरह विनियमित किये जायेंगे जैसा कि अध्यक्ष समय समय पर निदेश दे।"

ये अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है और आज के नव भारत टाइम्स में भी इसके बारे में काफी दिया है। किंग्सवे केंप में बैगर्स होम है वहां पर रेलवे स्टेशन से लोगों को पकड़ कर लाया जाता है और बंद कर दिया जाता है। उसमें करीब एक हजार बैगर्स हैं। बैगर्स होम में घोटाले के बारे में चर्चा अवश्य होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अलग से चर्चा करना चाहते हैं, तो आप अलग नोटिस दीजिये। यदि आप पहले दे चुके हैं, तो वह अवश्य विचाराधीन होगा। अन्यथा आप अलग नोटिस दीजिये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 5-6 वर्ष पहले हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि शेड्यूल कास्ट के बंजारा, नट, जादूगर, बाजीकर, इन सब जातियों को विमुक्त जाति घोषित किया जाए। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 23 मार्च से वोट क्लब पर अनशन चल रहा है। 4-6 आदमी वहां पर बुरे तरीके से परेशान हैं। एक आदमी की हालत इतनी खराब है कि उसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में गृह मंत्री को लिख सकते हैं। यहां उठाने की बजाये, आप इसे नियम 377 के अधीन उठा सकते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह नियम 377 का मामला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब इस पर चर्चा नहीं हो सकती। आप अलग नोटिस दीजिये। आप नियम 377 के अधीन वक्तव्य दे सकते हैं और अलग नोटिस भी दे सकते हैं। यदि आप चर्चा करना चाहते हैं, तो आप अलग नोटिस दीजिये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : दो आदमी मौत के मुंह में जा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट का मामला है। इतना बड़ा अनशन हो रहा है, आमरण अनशन हो रहा है। हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया है अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति अन्याय हो रहा है। अगर आप इसके ऊपर डिसकशन नहीं करवाते हैं तो मैं इसके विरोध में वाक-आउट करता हूं।

(इस समय श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री सभा भवन से बाहर चले गये)

——

12.48 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पाकिस्तान और चीन के बीच कथित नाभिकीय सहयोग से उत्पन्न स्थिति

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :—

"पाकिस्तान और चीन के बीच कथित नाभिकीय सहयोग से उत्पन्न स्थिति और उस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया।"

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, ए० जी० आफिस इलाहाबाद के बायफरकेशन के खिलाफ मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, उसका क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है। हमने अगली मद को ले लिया है। स्थगन प्रस्ताव को पहले ही अस्वीकृत किया जा चुका है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया आप गम्भीर हो जायें।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम की संभावनाओं का मामला, जिसके आयाम शान्तिपूर्ण नहीं है, भारत के लिए चिन्ता का विषय रहा है, जो स्वाभाविक ही है। चीन पाकिस्तान नाभिकीय सहयोग की खबरों को और पाकिस्तान के प्रमुख नाभिकीय वैज्ञानिकों के दावों को सरकार ने इसी संदर्भ में देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जरूरी हो तो पाकिस्तान की नाभिकीय संस्थापना नाभिकीय

अस्त्रों के निर्माण की क्षमता रखती है । इस साक्षात्कार के व्यापक प्रचार के बाद इसका खण्डन किया गया ।

समय-समय पर ऐसी खबरें मिलती रहती हैं जिनसे ऐसा लगता है कि नाभिकीय अस्त्र विकसित करने के पाकिस्तान के प्रयासों में चीन का सहयोग हो सकता है । न्यूयार्क से प्रकाशित पत्रिका "न्यूक्लियोनिक्सवीक" के अगस्त, 1982 के अंक में प्रकाशित एक इन्टरव्यू में अमरीका के सहायक विदेशमंत्री और अमरीकी प्रशासन के मुख्य नाभिकीय संधिवार्ताकार (चीफ न्यूक्लीयर नेगोशिएटर) श्री जेम्स मेलोन ने कहा था कि चीन ने स्पष्टतः पाकिस्तान को ईन्धन संबंधी मदों से इतर सामग्री भी दी है जिसका स्पष्टीकरण देने से उसने इन्कार कर दिया है । हाऊस आफ रिप्रेजेंटेटिव की एशिया और प्रशान्त संबंधी उपसमिति के समक्ष एक साक्ष्य में 1983 के शुरू में अमरीकी सरकार के उप सहायक विदेश मंत्री श्री हावर्ड शैफर ने इस बात की पुष्टि की थी कि चीन और पाकिस्तान के बीच एक नाभिकीय संबंध है । इस संबंध का यद्यपि ब्यौरा नहीं बताया गया लेकिन उप समिति को इस विषय पर आसूचना रिपोर्ट दे दी गई थी । हाल ही में वासिंगटन के न्यूक्लीयर कंट्रोल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष श्री पाल लेविनथल ने भी इस बात की पुष्टि की है कि चीन ने संवेदनशील नाभिकीय अस्त्रों के डिजाइन से संबद्ध जानकारी पाकिस्तान को दी है । अमरीका के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के ये ब्यान अपनी बात खुद कहते हैं ।

पाकिस्तान के प्रवक्ताओं ने यह कहा है कि पाकिस्तान सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही नाभिकीय प्रौद्योगिकी अर्जित करना चाहता है और नाभिकीय अस्त्र बनाने का उसका कोई इरादा नहीं है । चीन और पाकिस्तान के बीच नाभिकीय सहयोग के बारे में विभिन्न खबरों का चीन की सरकार ने साफ शब्दों में तो कोई खंडन नहीं किया है, लेकिन जनवरी 1984 में अमरीका की यात्रा के दौरान चीन के प्रधान मंत्री ने कहा था "हम खुद ही नाभिकीय फैलाव नहीं करते और न हम नाभिकीय अस्त्र विकसित करने में दूसरे देशों की मदद करते हैं" ।

इस मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान और चीन के बीच नाभिकीय क्षेत्र में संपर्कों की खबरों पर हमारा चिन्तित होना लाजमी ही है । लेकिन मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर बराबर नजर रख रही है, जिनका भारत की सुरक्षा से संबंध है, और भविष्य में भी सरकार अपनी पूरी सतर्कता के साथ यह काम करती रहेगी ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मंत्री के इस वक्तव्य में सभी महत्वपूर्ण बातें आ गई हैं । तथापि मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने "चिंता" शब्द का प्रयोग क्यों किया है ? इन दोनों शक्तियों के बीच सहयोग पर हमें क्यों चिंतित होना चाहिये ? पाकिस्तान के मन में 1947 से भारत के विरुद्ध दुर्भावना है, 1949 से हम चीन की सहायता करते रहे । हमने चीन को सबसे पहले मान्यता दी और हमने ही संयुक्त राष्ट्रसंघ में उसकी सहायता का प्रस्ताव पेश किया । इसके बावजूद चीन ने हमें 1962 में धोखा दिया । पाकिस्तान ने हम पर चार बार आक्रमण

किया। इसके बावजूद सरकार केवल यह कहती है कि यह चिंता का विषय है। जो कुछ हो रहा है, उसे भारत सरकार काफी पहले से जानती हैं। प्रधान मंत्री ने भी अनेक बार कहा है कि उनके पास पूरा ब्यौरा है। रक्षा मंत्री ने भी यही कहा है। हमने शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए एक अणु बम का विस्फोट किया है। हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा केन्द्र हैं जहां 1095 मैगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। 1971 में हमने पाकिस्तान के अनेक हजार किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। परन्तु शिमला सन्धि के पश्चात् हमने उसे खाली कर दिया। हमने लगभग एक लाख युद्ध-बंदियों को भी रिहा कर दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान के मन में हमारे विरुद्ध दुर्भावना है। पाकिस्तान एक धर्मतंत्रवादी राज्य है। चीन निरा साम्यवादी देश है। इन दोनों देशों के बीच सहयोग का आधार भारत के विरुद्ध दुर्भावना के सिवाये और कुछ नहीं हैं। वे भारत को, जब भी सम्भव हो, हानि पहुंचाना चाहते हैं। परन्तु मैं नहीं समझता कि उनके लिए ऐसा करना कभी सम्भव होगा। चीन वह सब कुछ भूल गया जो हमने उसकी भलाई के लिए किया था। 1962 में चीन द्वारा आक्रमण किये जाने पर भी हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का समर्थन करना नहीं छोड़ा। हमने जो 1949 में किया था, वह पाकिस्तान सहित अमरीका तथा अन्य देशों ने अब 20 वर्ष के पश्चात् किया है। वे बहुत देर के बाद चीन की सहायता करने आये हैं। अब यह बड़े दुःख की बात है कि चीन अब उनके साथ मिलकर हमारे देश की प्रगति में बाधा डाल रहा है। इस गठजोड़ के कारण हम रक्षा पर भारी धनराशि खर्च कर रहे हैं जिसका उपयोग अन्यथा देश के निर्माण पर किया होता। हमें अधिक धनराशि खर्च करने पर आपत्ति नहीं है। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि हम कब तक नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की नीति का अनुसरण करते रहेंगे जब पाकिस्तान अणु बम बना रहा है और सम्भावना है कि चीन पाकिस्तान के निकट बम्बे हाई और अन्य स्थानों पर बम फेंकने के लिए पाकिस्तान को अणु बम देने के लिए तैयार हो जायेगा।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : चीन इसे छोड़ नहीं सकता। वह ऐसा केवल पाकिस्तान के माध्यम से ही कर सकता है।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : महोदय, मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि चीन पाकिस्तान से अधिक चालाक है चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है और वह पाकिस्तान से लगभग 20 गुणा बड़ा है। हम 'धृतराष्ट्रीय आलिंगन' को जानते हैं। इसे आप भी जानते हैं क्योंकि वह एक प्रसिद्ध कथा है। मुझे डर है कि किसी दिन चीन पाकिस्तान को हड़प जायेगा। वह दिन हमारे देश के लिए भी एक बुरा दिन होगा क्योंकि पाकिस्तान हमारा भाई है हालांकि वह हमसे 1947 में अलग हो गया था लेकिन हमें उससे कोई द्वेष-भाव नहीं है। यदि हमें उससे कोई द्वेषभाव होता तो हम उनकी वह भूमि खाली न करते जो हमने युद्ध के दौरान अपने अधिकार में ले ली थी। जब हमने उनकी भूमि को खाली किया था। तब हमारे देश में और संसद में इसका भारी विरोध किया गया था। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा था कि अब प्रधान मत्री अपनी सीट न बचा सकेंगी। इसके बावजूद प्रधानमन्त्री ने शिमला-समझौता किया। हम रोजाना ऐसी बातें करते हैं कि

शिमला-समझौता केवल शिमला तक ही सीमित रह गया है और वह पाकिस्तान पर लागू नहीं होता है क्योंकि शिमला समझौते की भावना पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पाई है। वास्तव में हमारी प्रधानी मंत्री पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने की भरसक कोशिश कर रही हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान भी ऐसे ही प्रयास निष्ठापूर्वक कर रहा है। हर दिन कोई न कोई ऐसा वक्तव्य दे देता है और वे ऐसी बात करते हैं कि वे भारत से आगे निकल गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने ऐसे क्या उपाय किये हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परमाणु क्षेत्र में हम उनसे ऊपर बने रहें। यह रक्षा मंत्रालय और विदेश मन्त्रालय का संयुक्त दायित्व है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री से विस्तृत उत्तर चाहता हूं।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में कोई और स्पष्टीकरण देने की जरूरत है लेकिन मैं इस विषय पर लोक सभा में परसों पूछे गए प्रश्न के प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रश्न का विषय लगभग वैसा ही था जैसाकि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का है। उन्होंने कहा था :

> "इस मामले में सरकार जागरूक है। हमारे वैज्ञानिकों को आधुनिक और सम्बद्ध प्राद्योगिकी के विकास और अनुसंधान के सभी पक्षों की जानकारी है।"

मैं समझता हूं कि इस बात से सरकार का पक्ष स्पष्ट हो जाता है और इस बारे में अधिक स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : फिर मंत्री ने इन गतिविधियों पर चिंता व्यक्त क्यों की है ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : चूंकि हम इससे सीधे प्रभावित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इन पर हमें भी चिंता है और आपको भी चिंता है। क्या आपको इस बारे में चिंता नहीं है ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हम केवल समस्या के बारे में चिंतित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति इस पर चिंतित है। मंत्री महोदय ने यही कहा है इस पर आपको भी चिंता है और हमें भी चिंता है।

श्री चिंतामणि जैना (बालासोर) : महोदय, मैं विदेश मन्त्री को उनके उस वक्तव्य के लिए बधाई देता हूं जो उन्होंने सभा में दिया था और जो बहुत ही सावधानीपूर्वक उपयुक्त भाषा में तैयार किया गया था। यद्यपि मन्त्री महोदय ने यह माना है कि नाभिकीय बम या ऊर्जा आदि के उत्पादन के प्रयोजनार्थ पाकिस्तान और चीन के बीच सम्बन्ध होने की प्रमाणिक जानकारी

उनके पास है। परन्तु इस पर उन्होंने केवल सरकार की ओर से चिंता ही व्यक्त की है। पाकिस्तान ने नाभिकीय बम होने को नकारा है। परन्तु इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

1.00 म०प०

पाकिस्तान बम के जनक डा० अब्दुल कादिर ने कई बार स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान समृद्ध यूरेनियम बनाने की क्षमता रखता है और वह परमाणु बम तैयार कर सकता है। यह उन्होंने प्रेस संवाददाताओं के सामने कहा था। इस सन्दर्भ में हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान एटम बम बनाने जा रहा है चाहे वह ऐसा चीन की सहायता से कर रहा हो या अन्य देश की।

इस बारे में जहां तक चीन और पाकिस्तान के सम्बन्धों का प्रश्न है, कुछ समाचार आए हैं जिनमें यह विवाद होने का पता चलता है कि पाकिस्तान द्वारा तैयार किए गए परमाणु बम का परीक्षण किस स्थान पर किया जाये। हीरोशीमा में एटम बम डालने से पहले आक्रामक ने यह सोचा ही नहीं था कि उस बम का परीक्षण किया जाये या उस बम का किस स्थान पर परीक्षण किया जाये। इसलिए इस प्रश्न पर विवाद होने की कोई बात नहीं है। पश्चिमी तथा अन्य समाचार माध्यमों ने कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि पाकिस्तान नाभिकीय बम बना सकता है।

चीन और पाकिस्तान के बीच में यह जो अपवित्र गठबन्धन हुआ है उसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि हाल ही में चीन के प्रेजीडेंट ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। चौदह वर्ष के बाद चीन के प्रेजीडेंट का पद हाल ही में भरा गया। सत्ता में आने के बाद चीन के वर्तमान प्रेजीडेंट ने सरकारी तौर पर सबसे पहले पाकिस्तान की यात्रा की। इसलिए चीन-पाकिस्तान के बीच पनप रहे सम्बन्धों की यदि हम उपेक्षा करेंगे तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है।

यह अपवित्र गठबन्धन एक दिन में विकसित नहीं हुआ है। यह कोई नई बात नहीं है। इसके बीज तो 50 वाले दशक में ही बो दिए गए थे। जब चीन के साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़ गये और जब रूस-चीन सम्बन्ध तनावपर्ण हो गए, तब पाकिस्तान ने चीन के साथ सम्बन्ध घनिष्ठ बनाने का प्रयास किया और वह इस सिद्धान्त पर था कि शत्रु का शत्रु अपना दोस्त होता है। तब ये दोनों देश हमारे शत्रु हो गए थे और हमारे देश के बड़े भाग पर अपना-अपना दावा जताने लगे थे।

1.04 म.प.

(श्री एफ०एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

इस सबके बावजूद संयुक्त राष्ट्र-संघ में चीन के प्रवेश के प्रस्ताव का हमारा देश समर्थन करता रहा, जबकि पाकिस्तान इसका विरोध करता रहा। 1961 में पाकिस्तान ने अपना रुख बदला और संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन के प्रवेश पर हुए मतदान में पक्ष में मत दिया।

पाकिस्तान के शासकों ने काश्मीर को हथियाने के लिए सभी सिद्धांतों को ताक पर रख दिया। प्रजीडेंट अय्यूब खान ने हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से एक बार कहा था···।

सभापति महोदय : आपने एक लम्बा भाषण दे दिया है। अब आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री चिन्तामणि जेना : उसने पालम हवाई अड्डे पर हमारे प्रधान मंत्री से यह कहा था कि···।

श्री बीजू पटनायक : महोदय इनका प्रश्न क्या है ?

सभापति महोदय (श्री एफ०एच० मोहसिन) : श्री जैना यह लम्बा भाषण देने के लिए उपयुक्त अवसर नहीं है। आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय मैं इस प्रकार की जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि श्री पटनायक और श्री जार्ज फर्नान्डीस जैसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अब भी भारत-पाकिस्तान के मधुर सम्बन्धों का स्वपन ले रहे हैं, परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि जैसे ही पाकिस्तान भारत भूमि पर बम्बारी करेगा तैसे ही ये मधुर स्वप्न टूट जायेंगे।

महोदय पाकिस्तान प्रेजीडेंट ने उस समय कहा था :

> "जब तक कि हम अपने सम्बन्धों में सुधार नहीं करते और बाहरी शक्तियों का मिलकर मुकाबला नहीं करते तो हम या तो हार जायेंगे या हम पर या आप पर पड़े दबाव के कारण हम किसी बाहरी शक्ति को निमंत्रित कर लेंगे। प्रधान मंत्री जी मैं आशा करता हूं कि किसी बाहरी शक्ति को निमंत्रण देने की बात को आप गलत न समझेंगे मानव स्वभाव ही ऐसा होता है कि जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो वह दुष्ट के साथ भी बैठकर खाना-पीना पसन्द करता है।"

सभापति महोदय : श्री जैना यह लम्ब भाषण करने का समय नहीं है। यदि आप इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना होगा। माननीय सदस्य इस विषय की ओर उनका ध्यान पहले ही दिला चुके हैं और मंत्री महोदय भी वक्तव्य दे चुके हैं। यदि आप कोई विशिष्ट बात पूछना चाहते हैं तो अपना प्रश्न पूछिए।

श्री चिन्तामणि जैना : महोदय ऐसी स्थिति में कई समाचारपत्रों और विदेशी समाचार पत्रों में जो खबर छपी है उस पर हम सभी को चिन्ता है। भारत सरकार और तत्कालीन विदेश मंत्री तथा हमारे सम्माननीय प्रधान मंत्री ने सभा में और सभा से बाहर कई बार ऐसा कहा है कि हम विश्व के देशों से अपनी मित्रता बनाए रखना चाहते हैं और हम अपनी मित्रता, सहयोग और शान्ति बनाए रखने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। परन्तु मुख्य समस्या यह है कि मैत्री की इच्छा दूसरी ओर भी तो होनी चाहिए। यदि मित्रता सहयोग और शांति दूसरी ओर से नहीं आती और केवल यह एक पक्षीय होती है और जब इस प्रकार के समाचार छपते हैं तथा इस प्रकार की जानकारी मिलती है और जब वे हमारे विरोध के बावजूद कोराकोरम मार्ग को जोड़ रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री से यह चाहूंगा कि वह इस संदर्भ में भारत पाकिस्तान संबंधों की समीक्षा करें। यह उपयुक्त समय है जबकि दोनों देशों के बीच संबंधों की समीक्षा की जानी चाहिए।

श्री बीजू पटनायक : महोदय विदेशों से संबंधित मामलों में बहुत अधिक रुचि होने के बावजूद सभा में मुश्किल से 30 सदस्य हैं और सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय (श्री एफ०एच० मोहसिन) : यह अपरान्ह भोजन का समय है। और इस समय गणपूर्ति के प्रश्न को उठाने की परम्परा नहीं है।

श्री चिन्तामणि जैना : महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान के शासक ने हमारे माननीय सदस्यों श्री पटनायक और श्री फर्नान्डीस को यह आश्वासन दिया था कि वह भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह अपने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और चीन के साथ अपने सम्बन्धों पर पुनः विचार करे।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान जो बातें पूछी गई हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। तथापि मैं "स्टोप प्रेस" जैसे संदेश जो हमें कल रात ही मिला था और आज प्रातः समाचारपत्रों में छपा है, के बारे में सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इस बारे में सभा को विश्वास में लेना चाहता हूं। वह यह है कि सीनेट की विदेश सम्बन्ध समीति ने कल ही पाकिस्तान को इस शर्त पर सहायता देने का निर्णय किया है कि इस्लामाबाद यह प्रमाणित करदे कि उसके पास परमाणु शस्त्र नहीं है और वह परमाणुशत्र बनाने नहीं जा रहा है यह एक गोलमोल बात है और इससे हर आदमी अपना अलग निष्कर्ष निकाल सकता है। हम तत्सम्बन्धी तथ्यों की जांच कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी तथ्य हमारे पास उपलब्ध है उसके बारे में मैं सभा को विश्वास में ले लूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, इससे पहले भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। मन्त्री महोदय ने जो रिपोर्ट दी है उसको मैंने पढ़ा है लेकिन उसमें तो कुछ भी

नहीं है। यहां पर लाइब्रेरी में रेफरन्स सेक्शन है और इससे ज्यादा रिपोर्ट तो हमारे पास ही है। मन्त्री जी ने कहा कि पाकिस्तान के अखबार में यह कहा गया, समय समय पर ऐसी रिपोर्ट निकली और 'टाइम्स' ने यह कहा, पाकिस्तान के प्रवक्ता ने यह कहा यह तो सारी पेपर की न्यूज हैं। अमरीका के अखबार 'पोस्ट' ने यह कह दिया लेकिन हम तो आपसे यह जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कहती है। आपके जो अपने सोर्स हैं और जो आपकी इंटेलिजेंस है, वह क्या कहती है? हमारे मंत्री जी तो बड़े क्लेवर हैं, उन्होंने सारी चीजें बतला दीं कि अमरीका और पाकिस्तान में क्या कहा गया और अभी भी वहां की सिनेट ने यह कह दिया है। और अब लोग अपने अपने कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं लेकिन हम तो यह जानना चाहेंगे कि भारत सरकार क्या कंक्लूजन ड्रा कर रही है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार को बताना चाहिए कि वास्तव में स्थिति क्या है? पाकिस्तान और चीन की साठ-गांठ है या नहीं? आप सीधे सीधे इस बात को बतलाइये। आप सदन को क्यों गुमराह कर रहे हैं? आप बतलाइये कि दोनों की साठ-गांठ है या नहीं और अगर साठ-गांठ है तो उसको आप कैसे रोकेंगे?

मैं आपसे सीधी बात कहता हूं कि आप सीधे पाकिस्तान से कहिए कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं पटनायक साहब और जार्ज साहब पाकिस्तान गए थे, उनका एक वर्जन है और आपका दूसरा वर्जन है। हम आपके वर्जन को ही आथेंटिक मानते हैं। सीधी सी बात यह है कि आप पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं या नहीं। हमने 1977 से 1979 तक पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और उस समय आपको मालूम होगा कि कभी भी विदेश मन्त्री या प्रधान मन्त्री ने नहीं कहा कि देश पर विदेशी खतरा मंडरा रहा है जबकि आप तो रोज ही कहते रहते हैं कि देश पर विदेशी खतरा मंडरा रहा है। आपने चीन के साथ मिलकर हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा लगाया था लेकिन चीन ने 1962 में एक झपट्टा मारा और उसके बाद यह भी दिखला दिया कि थर्ड वर्ल्ड पावर वह है, आप नहीं हैं। आज भी चीन तिब्बत के माध्यम से न्यूक्लियर वीपन लगा रहा है। और जैसी हमारी जानकारी है चीन के पास हजार बम होंगे लेकिन आपके पास क्या है? जैसा कि चाइना का रुख है, आप चाइना की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? सीधी सी बात आप कहिए कि दोस्ती का हाथ आप बढ़ाते हैं। दोस्ती होगी, फिसफुल होगा। शांति है तो शांति है। शान्ति नहीं होती है और आपने कहा है पाकिस्तान कहता है कि न्यूक्लियर बॉम वह बना रहा है, यह आपको जानकारी है। आपने कहा कि यू. एस. ए. ने यह कह दिया, आप सीधे क्यों नहीं यू. एस ए. की सरकार से बात करते हैं। इस बारे में ज्यादा भाषण देने की तो आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? क्या बम्ब बनाने की है? आप कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। इससे देश की जनता गुमराह हो रही है।

श्री पी. वी नरसिंह राव : श्रीमन् ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य ने दिया है, मैंने नहीं दिया था। आपका प्रस्ताव जो होगा, उसी का जवाब भी होगा। आपने पाकिस्तान और चीन

की सांठगांठ के बारे में पूछा है । हमने अपनी पास जो जानकारी है, वह आपके सामने रख दी है । एक तरफ यह कहा है कि यह जानकारी इस सम्बन्ध में मिल रही है कि इन दोनों में सांठगांठ हो सकती है या है । दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि यह सही नहीं है । उससे इन्कार किया जा रहा है । वह भी आपके सामने रखा है । अब सवाल यह है कि हम क्या कहना चाहते हैं ? और क्या कहना चाहते हैं ? जिसका बहुत ही सुन्दर जवाब परसों, 28 तारीख, को प्रधान मन्त्री जी ने दिया है, जिसको मैंने अभी पढ़ कर सुनाया । इससे आगे और इसमें जोड़ने को कुछ नहीं रह जाता । आप चाहे कितनी बार पूछें, हमारी जो पॉलिसी है, वह अपनी जगह पर है, जिसका स्पष्टीकरण हम कई बार कर चुके हैं । साथ ही साथ यह भी कह चुके हैं कि हमारे आसपास जो गतिविधियां हैं, उनसे हम आखें मुंदे नहीं हैं, हम उनको देख रहे हैं । उनके अनुसार हमारे वैज्ञानिक भी अपना काम कर रहे हैं । अपना अनुसंधान किए जा रहे हैं, यह प्रधान मन्त्री जी ने कहा है । इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है ?

श्री राम विलास पासवान : आपने जनरल पालिसी के संबंध में कहा है । स्पैसिफिक प्रश्न न्यूक्लियर पालिसी के सम्बन्ध में है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इसको रूल आउट किया है कि इंडिया मेकिंग न्यूक्लियर बम । आप इसको सदा के लिए बन्द करना चाहते हैं या आपके दरवाजे खुले हुए हैं ?

सभापति महोदय : उन्होंने यही बात दूसरे शब्दों में कही है ।

श्री राम विलास पासवान : मेरा सीधा सा सवाल है ।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : आप जितना सीधा पूछ रहे हैं, उतना ही सीधा जवाब प्रधान मन्त्री जी ने दिया है । यही मैं कहना चाहता हूं । मैं पढ़ कर सुना चुका हूं :—

> "भारतीय वैज्ञानिक को आधुनिक और सम्बद्ध प्रौद्योगिकी के विकास और अनुसंधान के सभी पक्षों की जानकारी है ।"

श्री राम विलास पासवान : आप इसकी व्याख्या कीजिए कि इसका मतलब क्या है ? प्रधान मन्त्री जी होती तो मैं उनसे व्याख्या करवा लेता ।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : प्रधान मन्त्री जी के वक्तव्य पर मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूं । यह अपनी-अपनी समझ का सवाल है ।

श्री राम विलास पासवान : मैं संतुष्ट नहीं हूं ।

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु, यह उपयुक्त समय नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : आप चेयर पर हैं । आप मेरी बात सुनिए । प्रधान मन्त्री जी ने जो कहा, वह एक शब्द में कह दिया । एक लाइन में कह दिया कि हमारे साइन्टिस्ट लोग

रिसर्च कर रहे हैं। आप विदेश मन्त्री हैं, यह आप की जवाबदेही है, मैं पूछना चाहता हूं कि न्यूक्लियर पालिसी क्या है ? सीधी सी बात मैंने कही है— क्या यह आपके विचाराधीन है, या न्यूक्लियर पालिसी को रद्द नहीं किया है या रूल आउट किया है ?

सभापति महोदय : मैं पहले ही दूसरे व्यक्ति को बुला चुका हूं। आप चर्चा के लिए कोई दूसरा समय ले सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : यह कॉलिंग एटेंशन है, इससे ज्यादा और क्या सवाल हो सकता है।

श्री बीजू पटनायक : आपने उन्हें पूरा भाषण देने दिया है। अब वह प्रश्न पूछ रहे हैं।

सभापति महोदय : आपको यह समझना होगा।

श्री राम विलास पासवान : आपने क्या समझा है।

सभापति महोदय : मैं समझ गया हूं।

श्री राम विलास पासवान : क्या ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यह प्रश्न काल नहीं हैं। यह केवल स्पष्टीकरण के लिए, जो मैं दे चुका हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं और देश भी जानता है हम शस्त्रास्त्रों की दौड़ के पक्ष में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त हम परमाणु युद्ध का घोर विरोध करते हैं। हमारे देश के लोगों की यह एक आम राय है। इसलिए किसी भी स्थिति में यह प्रश्न नहीं उठता है कि हम शस्त्रों के लिए हो रही दौड़ में, विशेष रूप से परमाणु शस्त्रों की दौड़ में भाग लेंगे।

लेकिन कुछ प्रश्न अवश्य उठते हैं जिनके बारे में स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। वक्तव्य के अनुसार माननीय मंत्री ने यह कहा है :

> "चीन और पाकिस्तान के बीच नाभिकीय सहयोग के बारे में विभिन्न खबरों का चीन की सरकार ने साफ शब्दों में तो कोई खण्डन नहीं किया है, लेकिन जनवरी 1984 में अमरीका की यात्रा के दौरान चीन के प्रधान मंत्री ने यह कहा था।
>
> "हम खुद ही नाभिकीय फैलाव नहीं करते और न हम नाभिकीय अस्त्र विकसित करने में दूसरे देशों की मदद करते हैं।"

चीन के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध हैं तथा अन्य प्रकार के सम्बन्ध भी हैं। हम उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। हम उनके साथ सम्बन्धों को न केवल सामान्य बनाने के पक्ष में हैं बल्कि उनके साथ अपने सम्बन्धों को सुधारना भी चाहते हैं।

क्या हमारे विदेश मंत्री ने यह पता लगाने के लिए कभी कोई जांच की है या प्रत्यक्ष रूप से बात की है कि चीन-पाकिस्तान सम्बन्धों का भारत की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है ? यदि ऐसा हुआ है तो इस बारे में चीन सरकार के अधिकारियों का उत्तर क्या है ?

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं । एक समय था जब अमरीका को यह संदेह था और मेरे विचार से उन्हें अब भी यह संदेह है कि पाकिस्तान परमाणु क्षमता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है । इस बात को लेकर अमरीका ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देना भी एक बार बंद कर दिया था परन्तु अब वह पाकिस्तान को पुन: सहायता देने लगा है । मेरे विचार से इस मामले पर अमरीका का भी एक विशेष दृष्टिकोण है और श्री शल्ज से यह कहा गया था कि वह पीकिंग की अपनी यात्रा के दौरान इस मामले को स्पष्ट करें ।

चूंकि अमरीका के साथ हमारे संबंध हैं और अमरीका यह दावा कर रहा है कि ये संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण हैं तथा अमरीका इन्हें और भी अधिक मैत्रीपूर्ण बनाना चाहता है, इस बात को देखते हुए क्या सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास किया है । आप यह न कहें कि हमने इस प्रकार का एक वक्तव्य देखा है, उस वक्तव्य का अर्थ आप कुछ ले सकते हैं और हम कुछ और ले सकते हैं ; आप की पहुंच वहां तक अधिक हो सकती है हमारी कम हो सकती है लेकिन सरकार के नाते आपको संसद और लोगों को इस संबंध में प्रमाणित जानकारी अवश्य ही देनी चाहिए कि क्या परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पाकिस्तान ने किसी अन्य देश की सहायता से प्राप्त कर ली है या नहीं । यदि किसी अन्य देश से पाकिस्तान के पास जानकारी नहीं आती तो वह स्वयं यह क्षमता प्राप्त करने में असमर्थ है ।

मेरी जानकारी के अनुसार, जो समाचार पत्रों के आधार पर है, पश्चिमी देशों ने गुप्त तरीके से परमाणु हथियारों से संबंधित तकनीकी जानकारी पाकिस्तान को दी है जिसके आधार पर पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने का प्रयास कर रहा है । पाकिस्तान के प्रेजीडेंट जिया ने भी स्पष्ट तौर पर यह कहा था :

> "यदि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के लिए यह आवश्यक समझा गया तो एक विस्फोट किया जायेगा ।"

यद्यपि प्रेजीडेंट जिया ने ऐसा कई बार कहा है कि पाकिस्तान की परमाणु शक्ति बनने की कोई महत्त्वाकांक्षा नहीं है लेकिन प्रेजीडेंट जिया ने यह भी कहा है जो कि रिकोर्ड पर है मैं यह पाकिस्तान के वैज्ञानिक सज्जाद या डा० खान के बारे में नहीं कह रहा हूं बल्कि पाकिस्तान के प्रेजीडेंट ने ऐसा कहा था यदि आवश्यक हुआ तो विस्फोट किया जा सकता है और किया जायेगा । आणविक क्षमता, बम बनाने अथवा आणविक अस्त्र बनाने की शत प्रतिशत क्षमता नहीं हो सकती । परन्तु यह खबर मिली है कि वे कभी भी अस्त्र बनाना आरम्भ कर सकते हैं । इस दावे को किसी ने भी अस्वीकार नहीं किया है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने तो

इसे स्वीकार भी किया है। ऐसी स्थिति में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से अथवा चोरी छिपे सहायता प्राप्त करके उतनी क्षमता प्राप्त कर सका है, इस ओर सरकार का दृष्टिकोण क्या है और क्या सरकार ने उन देशों से इस मामले को उठाया है जो इस संबंध में जानकारी तथा अन्य सामग्री सप्लाई कर रहे हैं। यदि उनके पास ऐसी कोई जानकारी है तो क्या सरकार हमें वह बतायेगी ?

अन्त में, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्रधान मंत्री के उत्तर को नोट कर लिया है। पाकिस्तान के आणविक हथियार बनाने संबंधी प्रश्न से क्या हमारे वैज्ञानिक ही संबंधित हैं क्योंकि उसका हमारी आन्तरिक नीति, विदेश नीति आर्थिक नीति और रक्षा नीति पर प्रभाव पड़ता है। क्या सरकार ने इसका जायजा लिया है ? नई नीति क्या होगी ? हमारे देश की इस मुख्य नीति की नई दिशा क्या होगी ? यदि सरकार ने मूल्यांकन किया है तो उसका वास्तविक परिणाम क्या है ? मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि किसी देश के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की हमारी नीति हमारे किसी अन्य देश के साथ सम्बन्धों पर निर्भर नहीं करती। इसलिए जब हम किसी एक देश की बात करते हैं तो हम उस देश के साथ अपने संबंधों तक ही सीमित रहते हैं। सभा को मालूम है कि हम चीन के साथ अपने संबंध सामान्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने अन्य क्षेत्रों में भी कुछ प्रगति की है। परन्तु सीमा के मुख्य प्रश्न के संबंध में हमने चार बार वार्ता करने के बावजूद भी कोई प्रगति नहीं की है। यह एक नाजूक मामला है। अगली वार्ता शीघ्र आरम्भ होगी और हमें वहां अपना प्रतिनिधि मंडल भेजना होगा। वार्ता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री चित्त बसु इस बात को मानेंगे कि हमें अपनी वार्ता को कुछ सीमाओं और कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रखना होगा। यह पहली बात है।

दूसरी बात पाकिस्तान की क्षमता के बारे में है। इस क्षमता के बारे में हमें अलग-अलग खबरें मिलती हैं। हम किसी एक खबर को एक दम मिथ्या और दूसरी को एक दम सत्य नहीं मान सकते। हमें उनकी जांच पड़ताल करनी होगी और सतर्क रहना होगा। हम यही कर रहे हैं और जैसा प्रधान मंत्री ने कहा, यह एक सतत प्रक्रिया है।

यह कहां से आरम्भ होती है ? जहां तक इस विषय का संबंध है, हमारी जिम्मेदारी और सतर्कता वैज्ञानिकों से आरम्भ होती है और यही बात प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से कही है।

अतः यह वैज्ञानिकों से आरम्भ होती है। परन्तु यह उन पर खत्म नहीं होती। मेरे विचार में प्रधान मंत्री ने स्थिति एक दम ठीक बताई है। मुझे इसमें और कुछ नहीं जोड़ना है।

श्री चित्त बसु : पाकिस्तान द्वारा अन्य देशों से सामग्री प्राप्त करने संबंधी खबरों के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ऐसी खबरें बहुत बार छपी हैं। मैंने उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। और मैं सभा में बता चुका हूं कि कहां से क्या सामग्री चोरी छिपे प्राप्त की गई है।

मेरे विचार में यह बातें सर्वविदित हैं।

———

सभापति महोदय : (श्री एफ. एच. मोहसिन) : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेते हैं। श्री सुल्तानपुरी)

1331 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हिमाचल प्रदेश में पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, देश के अन्य प्रदेशों में हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां विद्युत का अधिक उत्पादन है और उत्पादन बढ़ाये जाने के लिए भी लगभग 1200 मेगावाट से अधिक बिजली वहां के दरियाओं, नदियों पर पन-बांध बनाकर पैदा की जा सकती है, जिसका ब्यौरा राज्य सरकार के पास मौजूद है। बहुत से कारखाने दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में लग सकते हैं और इलैक्ट्रोनिक के छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए भी वहां की जलवायु अच्छी है। इसके अलावा यह प्रदेश शांतिप्रिय है। वहां से बहुत से अन्य राज्यों को पन-बिजली सप्लाई की जाती है। परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार को भाखड़ा डैम व जोगिन्दर नगर पन-बिजली में से जब पंजाब का विभाजन हुआ उसमें उन्हे 7,19 फीसदी बिजली की रायल्टी मिलनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक यह रायल्टी की राशि दो प्रतिशत ही मिल रही है। इसलिए मैं भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति का सुधार करने के लिए जब से पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल रिआर्गेनाइज हुए हैं उस समय से लेकर आज तक जो बकाया धनराशि हिमाचल प्रदेश की रायल्टी राज्यों को देनी है उसे दिलाई जाये। हिमाचल के इन दरियाओं पर पन-बिजली लगाने हेतु भारत सरकार अधिक राशि दे ताकि हिमाचल में उद्योग लग सकें और वहां की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और मैं मांग करूंगा कि दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किये जायें।

(दो) खाना पकाने की गैस के डीलरों द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, देश के विभिन्न स्थानों पर खाना पकाने की गैस के सिलैण्डरों की भारी कमी है जिसके कारण उपभोक्ताओं को बड़ी भारी

परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की आम शिकायत है कि गैस बेचने वाले एजेन्ट्स निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा उपभोक्ताओं से लेते हैं और फिर भी महीने बीस दिन बाद उनको गैस देते हैं। यह भी शिकायत है कि जिन लोगों के पास गैस के कनैक्शन नहीं है उनको गैस के एजेन्ट मनमानी कीमत लेकर गैस सप्लाई करते हैं। यह बड़ी विकट समस्या है। मेरे जिला अलीगढ़ में भी यही हाल है।

मेरा सुझाव है कि सरकार किसी गुप्त और उच्च स्तरीय एजेन्सी से सभी गैस डीलरों की जांच करायें और दोषी पाये जाने वाले डीलरों की डीलरशिप निरस्त करायें ताकि दूसरे डीलरों को भी सबक मिले और उपभोक्ताओं को राहत मिले।

(तीन) कोयला खान श्रम कल्याण संगठन को कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ मिलाये जाने से पहले इसके कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अन्तिम रूप देने की आवश्यकता

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : भारत सरकार ने 1980 में कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के अधीन कार्यरत 11 क्षेत्रीय अस्पतालों को कोल इण्डिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कम्पनियों के अधीन स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया था और तदनुसार विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाले 520 से अधिक कर्मचारियों को कोल इंडिया लिमिटेड की शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा और उनके प्रोराटा लाभों को भी अंतिम रूप से तय नहीं किया गया था।

कर्मचारियों द्वारा लगातार संघर्ष करने के बाद ऊर्जा मंत्री ने 3-12-83 के अपने पत्र द्वारा आश्वासन दिया था कि सभी सीमान्त सुविधाओं को अंतिम रूप से शीघ्र ही तय कर लिया जायेगा और इसके लिए एक विभाग बना दिया गया। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया था कि संगठन के पूर्ण विलय का कोई प्रश्न नहीं है और यदि यह प्रश्न उठा भी तो मामले पर दिल्ली में एसोसिएशन के प्रतिनिधि के साथ चर्चा की जायेगी।

परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार ने इस संगठन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को अंतिम रूप दिये बिना और कर्मचारियों के संगठन को दिये गये आश्वासनों की परवाह किये बिना कोयला खान श्रम कल्याण संगठन को समाप्त करने का एक तरफा फैसला किया। जिस ढंग से स्थानान्तरण, विलय के मामले को लिया गया है वह कोष के कर्मचारियों की सुरक्षा के उपायों के विरुद्ध है। ये कर्मचारी अपनी सेवा संबंधी सुविधाओं को खतरे में महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि कोयला खान श्रम कल्याण संगठन को कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाने से पूर्व संघ के साथ बातचीत करके उस संगठन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को अंतिम रूप से तय करें, जैसा कि आश्वासन दिया गया था।

(चार) उत्तर प्रदेश के स्कूलों तथा कालेजों के शिक्षकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक संघ एवं महाविद्यालयों के अध्यापकों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। इन लोगों की मांगों पर न तो केन्द्र सरकार ने ध्यान दिया और न ही राज्य सरकार ने। उक्त आंदोलन शिक्षा जगत की बुनियादी समस्याओं एवं अध्यापकगण की सेवा शर्तों आदि से संबंधित है। शिक्षा के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन एवं शिक्षा की बुनियादी समस्याओं के समाधान हेतु सरकार का सक्रिय होना एवं रचनात्मक उपाय ढूढ़ना अति आवश्यक है। अध्यापकगण की मांगों पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और संतोषजनक समाधान हेतु कारगर कदम उठाने चाहिएं।

(पांच) श्री लंका में तमिलों की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री चित्त बसु (बारासाट) : जाफना क्षेत्रों में हुई घटनाओं के फलस्वरूप श्रीलंका में गम्भीर संकट पैदा हो गया है। इस घटना की प्रतिक्रिया श्री लंका और भारत में भी होगी। विभिन्न भागों में तमिल निवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

सेंशरशिप लगाये जाने के कारण सूचना के सामान्य माध्यम पुनः अस्तव्यस्त हो गये हैं। विभिन्न साधनों से जो सूचनाएं मिल रही हैं वे बहुत कम हैं और उनसे घटनाओं की पूरी जानकारी नहीं मिलती जिसके कारण अफवाहों आदि के कारण कुछ अवांछनीय घटनाएं हो सकती हैं।

जातीय समस्या के समाधान के लिए गोल मेज वार्ता मई तक स्थगित कर दी गई है। इस बीच विभिन्न स्थानों से उत्तेजनात्मक वक्तव्य दिए जा रहे हैं जिनमें श्रीलंका के आन्तरिक मामलों में भारत के हस्तक्षेप के आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे देश के लोगों में गहरी चिन्ता व्याप्त है।

यह सुनिश्चित करना सरकार की जिमेदारी है कि जातीय समस्या के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए तैयार किए गए अनुकूल वातावरण को खराब न किया जाये।

भारत सरकार को स्थिति का पूरा ब्यौरा देने वाला एक वक्तव्य देना चाहिए। सरकार को श्रीलंका में तमिल-भाषी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय भी करने चाहिए।

(छः) कैसेटों की तस्करी को रोकने हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता

श्री आर० पी० गायकवाड़ (बड़ौदा) : श्रीमन्, हमारे देश में कैसेट का संगीत बहुत अधिक प्रचलित हो गया है। एच०एम०वी० जैसी महत्वपूर्ण कम्पनियां सारे देश में प्रीरिकार्डिड

कैसेटों के कारण नुकसान उठा रही है। एच०एम०वी० और म्यूजिक इंडिया जैसी वास्तविक फर्में रिकार्डिंग का व्यय करती हैं और कलाकरों को भुगतान करती हैं। यदि रिकार्डिग गैर-फिल्मी है तो उनकी रिकार्डिंग बाजार में बिकने नहीं पाती जबकि चोरी करने वाले लोग जाली कैसेट तैयार कर लेते हैं जोकि बाजार में बहुत लोकप्रिय हो गये हैं। सबसे बड़ी परेशानी उस समय होती है जब चोरी छिपे तैयार किए गए सस्ते टेपों की कीमत केवल 12 रुपये होती है जबकि बढ़िया किस्म के मूल कैसेट की लागत 18 रुपए होती है और उत्पाद शुल्क हटाने से भी इन कम्पनियों को कोई लाभ नहीं हुआ है और उन्हें गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में चोरी छिपे तैयार किए गए ये कैसेट मार्किट में खूब बिक रहे हैं। इन कैसेटों में क्वालिटी आदि का ध्यान नहीं रखा जाता वहां तो केवल कीमत का ध्यान रखा जाता है और इस प्रकार कम्पनियों और कलाकारों को अपने लाभ से वंचित रहना पड़ता है। दिल्ली के लाजपतराय मार्किट में यह व्यापार बड़े जोरों पर है। यदि कड़े कदम नहीं उठाये गए तो पिछले कई दशकों से बढ़िया संगीत प्रदान करने वाली ये कम्पनियां संगीत-प्रेमियों को अच्छा संगीत नहीं दे पायेंगी और वे दिवालिया हो जायेंगी और अन्ततः बन्द हो जायेंगी।

(सात) मंडल आयोग की सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : श्रीमन्, भारत के राष्ट्रपति ने 1 जनवरी, 1979 को अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत बी०पी० मण्डल पिछड़ी जाति आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 31 दिसम्बर, 1980 को दिया। इस प्रतिवेदन पर लोक सभा में 3 बार चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने आयोग की सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन की जोरदार मांग की। परन्तु सरकार ने उसके कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। इससे न केवल पिछड़े लोगों में बल्कि उन सभी लोगों में भारी रोष व्याप्त है जो देश के शासनिक ढांचे में ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं जिसके अन्तर्गत समाज के विभिन्न क्षेत्रों को लोकतंत्र की सही मायनों में स्थापना करने के लिए प्रतिनिधित्व मिल सके और वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन ला सकें। मैं इस देश के लाखों लोगों की भावनाओं का व्यक्त कर रहा हूं कि सरकार को उस आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करके अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करें।

———

1.42 म.प.

अनुदानों की माँगें (सामान्य) —1984-85

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय—जारी

सभापति महोदय : अब हम विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : श्रीमन्, मैं कल न्यायाधीशों के स्थानांतरण तथा इस सम्बन्ध में बनाई गई नीति और सम्बन्धित अधिकारियों को परिचालित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में कह रहा था ।

मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस नीति को बड़ी ईमानदारी के साथ क्रियान्वित किया है । यह तर्क जो इस नीति के प्रारम्भ से ही दिया जा रहा है कि यह नीति देश में बहुत से भाषाई क्षत्रों के कारण सफल नहीं होगी, गलत सिद्ध हुई है । न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की इस नीति की सफलताएं यह प्रदर्शित करती हैं कि देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों संबंधी तर्क निर्थरक हैं । भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं । वहां बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं । वे उन भाषाओं को अपना लेते हैं और इस प्रकार वे सफल अधिकारी सिद्ध हुए हैं । विभिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न बार एसोसिएशनों ने इस नीति के कार्यान्वयन के बारे में सन्तोष व्यक्त किया है और इसकी सराहना की है ।

इस समय देश का ध्यान एक बात की ओर लगा हुआ है और वह निर्वाचन विधियों के बारे में है ।

श्रीमन, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्री ने इस बात को बड़ी गम्भीरता से लिया है और उन्हें सारे मामले की जानकारी है । हमारा तजुर्बा है कि विभिन्न राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं वहां राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों और आम जनता से बहुत सी शिकायतें आई हैं कि जम्मू और काश्मीर, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में किस प्रकार चुनावों में हेराफेरी हुई है । श्रीमन्, जब विधि आयोग की शक्ति को चुनौती दी जाती है तो यह विधि मंत्री के लिए नहीं बल्कि समस्त संसद के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है । इसलिए संसद को यह देखना चाहिए कि निर्वाचन आयोग जो देश में निर्वाचन निष्पक्ष रूप से कराने के लिए जिम्मेदार है वह राज्य सरकारों की सहायता से और अपने सभी संसाधनों से अपने कर्तव्य का बिना किसी राजनीतिक दबाव में आये निर्वहन करे । राज्य सरकार स्वयं चुनावों में हेराफेरी कराती है और कदाचार बरतती है । यह हम सब के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है । हमने देखा है कि जम्मू और कश्मीर में राज्य सरकार ने सभी स्थायी आदेशों, स्थापित सिद्धांतों और चुनावों के सभी तरीकों का उल्लंघन किया है । पिछले वर्ष जम्मू और कश्मीर में चुनावों में भारी हेराफेरी हुई । विभिन्न राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों से ही नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग से भी उस आशय की शिकायतें आई हैं । इसलिए यह हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है और इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए । तथा माननीय विधि मंत्री को संगत विधियों में उपयुक्त संशोधन और रूप भेद करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए ।

इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में यह अनुभव रहा है कि न्यायपालिका के लिए एक अलग बजट होना चाहिए और उस बजट में समय-समय पर

सरकार की ओर से विभिन्न कटौतियां नहीं की जानी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह न्यायपालिका से पृथक हो। मैं आशा करता हूं कि माननीय विधि मंत्री इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देंगे कि एक स्थायी और नियमित बजट की व्यवस्था की जाये जिसमें कार्यपालिका द्वारा कटौती अथवा अनुमोदन की आवश्यकता न हो यह एक महत्वपूर्ण मामला है मुख्य न्यायाधीशों के एक सम्मेलन में जो नई दिल्ली में मार्च में हुआ था यह चिन्ता व्यक्त की गई है और उन्होंने यह इच्छा जाहिर की है कि इस संबंध में सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

यहां मैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के वेतन और सम्बलगों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। पिछले 100 वर्षों से उन्हें वही वेतन मिल रहा है। विभाजन से पूर्व जब संघ की फैडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 7000 रुपये प्रति मास वेतन दिया जाता था अब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 5000 रुपया प्रति मास मिल रहा है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 4000 रुपये प्रति मास वेतन मिल रहा है उन्हें ये वेतन संविधान के भाग (घ) को द्वितीय अनुसूची के अनुसार मिल रहा है। इस प्रकार उन्हें फैडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन की अपेक्षा 2000 रुपये कम मिल रहे हैं। यह कटौती इसलिए की गई है क्योंकि संघ के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल कम वेतन ले रहे हैं और इसलिए उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति अथवा राज्यपालों से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिए। मेरे विचार में मुख्य न्यायाधीश के वेतन को निर्धारित करते समय इस सिद्धांत को मानना उचित नहीं होगा।

श्री एन० के० शेजवलकर : राष्ट्रपति का वेतन 10,000 रुपये है।

श्री राम सिंह यादव : संविधान बनाते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 5000 रुपये प्रति मास और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन 4000 रुपये प्रति मास इसी आधार पर निश्चिय किया गया था। संविधान सभा में यह तर्क दिया गया था। परन्तु इस समय वह सिद्धांत लागू नहीं होता है। आज अच्छे वकील जज नहीं बनना चाहते। यद्यपि माननीय विधि मंत्री और संघ सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका के उत्तर में लिखित रूप में कहा है कि क्योंकि यह एक करार है और जब करार हो जाता है तो दोनों पक्षों को उस पर अमल करना चाहिए और जज के पद की स्वीकार करने वाला व्यक्ति इस करार के अन्तर्गत आता है। इसलिए उसे यह नहीं कहना चाहिए कि उसका वेतन पर्याप्त नहीं है। परन्तु इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को आयकर से मुक्त किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री को इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अन्त में मैं माननीय विधि मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे देश में परिवार न्यायालय स्थापित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें। निर्वाचन सुधारों संबंधी विधियों में उपयुक्त

संशोधन और परिवर्तन करें। तथा बाल अपराधियों, दहेज के कारण होने वाली मौतों तथा पद-दलितों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों संबंधी विधियों में परिवर्तन तथा संशोधन करें। उन्हें राज्य के विदेशक तत्वों पर अमल करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए और कानून बनाने चाहिए। समाज के निर्धन वर्गों को दिए जाने वाले लाभों के लिए तुरन्त कानून बनाये जायें ताकि राज्य नीति के निदेशक तत्व इन लोगों के लिए वास्तव में लाभप्रद सिद्ध हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री को एक बार फिर बधाई देता हूं और उनके मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : सभापति महोदय, श्रीमान, हम मंत्रालय की मांगों पर लगभग आठ वर्षों के बाद चर्चा कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 1976 में इस मंत्रालय की मांगों पर वाद-विवाद हुआ था। यह दुर्भाग्य की बात है कि चर्चा के लिए केवल चार घंटे निर्धारित किए गए हैं जबकि मंत्री महोदय को बहुत सी बातें बताने की हैं।

इस वाद-विवाद का लाभ उठाते हुए मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। एक है, न्यायिक प्रणाली सुधार दो निर्वाचन प्रणाली सुधार, और तीन, आन्ध्र प्रदेश में उत्पन्न वर्तमान स्थिति, जिसे सरकार के थोड़ा सतर्क रहने पर बचा जा सकता था। क्योंकि यह पहला अवसर नहीं है जबकि ऐसी स्थिति पैदा हुई है। पहली बार यह मामला 1954 में उठा तथा उसके बाद कम से कम छः बार, जबकि उच्चतम न्यायालय से इस मामले पर परामर्श मांगा गया, और परामार्श दिया गया।

मैं विधि मंत्रालय द्वारा दी गई रिपोर्ट से कतई खुश नहीं हूं। यह एक रूढ़िबद्ध रिपोर्ट है। कुछ आंकड़े दिए गए हैं कुछ समस्याएं रखी गई हैं परन्तु कोई समाधान नहीं सुझाए गए। उदाहरण के तौर पर यदि उसके बचे हुए काम को लेते हैं उसके लिए कोई कारण नहीं बताये गए और न ही रिपोर्ट में बचे हुए काम को निपटान के कोई सुझाव दिये गये हैं। स्वतंत्रता के बाद से हमारी न्यायिक प्रणाली पर भारी दबाव है तथा न्यायालयों में बहुत से मामले बचे पड़े है तथा कई मामलों में स्थिति नियंत्रण से बारह हो गई है, हमारे उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में अपवाद नहीं हैं, बचे हुए काम के बढ़ते रहने के सभी शिकार हैं। मैंने इसके कारण जानने के लिए रिपोर्ट का अध्ययन किया, क्या मैं विधि मंत्रालय से जान सकता हूं कि इसके क्या कारण हैं ?

महोदय, आप बकाया काम के आंकड़े रिपोर्ट में पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। यदि मैं यह कहूं कि, आंकड़े सही नहीं हैं क्योंकि सभा में दिए गये उत्तरों के अनुसार उनमें अंतर है मैं ऐसे प्रश्न उत्तर उद्धृत करूंगा।

कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में कुल 136313 मामले लम्बित हैं तथा 28.2.84 के उत्तर दिये गये आतारांकित प्रश्न संख्या 584 के उत्तर में बताया गया है कि उनकी संख्या 10,46,169 है।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों की बढ़ती हुई संख्या से आपको आश्चर्य होगा। इसी आतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि बकाया मामलों की संख्या 1968 में 10 थी। 1978 में, 2093, 1982 में 7363 और 1983 में 13062। ऐसा क्यों हुआ है ? यदि आप न्यायाधीशों की संख्या पर विचार करें— यदि कोई भी मामला उच्चतम न्यायालय में दायर नहीं किया जाता तो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों का निपटारा कितने वर्षों अथवा दशकों में किया जा सकेगा।

जहां तक उच्च न्यायालयों का सम्बन्ध है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 185,842 मामले लम्बित पड़े हैं जबकि 19 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। यदि बकाया मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और आप रिक्त स्थानों को भर नहीं पाते, तब बकाया मामलों का निपटारा कैसे होगा ? संभवतः इसी कारण आप समस्या का समाधान नहीं कर पाये।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में 101000 मामले बकाया हैं तथा मद्रास उच्च न्यायालय में 101000 और कर्नाटक उच्च न्यायालय में 1,24,000 मामले बकाया पड़े हैं यह क्या है ? न्यायाधीश क्या कर रहे हैं ? क्या हमारी प्रणाली अथवा न्यायिक प्रणाली में कोई मूलभूत बुराई है।

यदि आप अधिक विश्लेषण करें तो आप अधिक विभिन्न परिणामों पर पहुंचेंगे। परन्तु मेरे पास इन सभी बातों पर ध्यान देने का समय नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है, विशेषतः जबकि मेरे पास ग्रंथालय से दिये गये आंकड़े हैं, जिससे पता चलता है कि मामले बकाया पड़े हैं तथा हमारे न्यायालय भारत की जन संख्या की 10% आवश्यकता को पूरा कर पाते हैं। यदि उन सामाजिक कानूनों के जिनका कि हम निर्माण कर रहे हैं, यदि हमें 25% से 25% आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है, तब क्या स्थिति होगी ? हम वर्तमान बकाया मामलों का निपटारा नहीं कर पाते, और यदि उनमें अधिक वृद्धि होती है तो हमारी न्यायिक प्रणाली विफल हो जायेगी। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस विशेष मामले पर गम्भीरता से विचार करें।

जब मैंने इस पर विचार किया, तथा इस विशेष प्रकार के बकाया मामलों के कारण जानने चाहे, तो पहली बात जो मेरे मन में आयी थी कि क्या बहुविध कानूनों के आधार पर तैयार हुए अधीनस्थ कानून के कारण ऐसा हुआ है ? क्या इस पर विचार किया गया है। जब मैं कानूनी मामलों पर ध्यान देता हूं तो मैं समझता हूं कि इसका उत्तर हां ही होगा।

दूसरा संगत प्रश्न है कि न्यायाधीशों की योग्यता घटने के कारण बकाया मामले बढ़े हैं। अथवा न्यायाधीशों की नियुक्ति में होने वाले विलम्ब के कारण ऐसा हुआ है, जिस ओर कि मैं पहले ही ध्यान दिला चुका हूं। अथवा यह न्यायालयों में मामलों पर अनावश्यक स्थगनों के है जोकि अधिवक्ता लेते हैं, जिन पर कि न्यायलयों की ओर से कोई रोक नहीं है। अथवा यह

उन तुच्छ मामलों के कारण है जो कि अनुच्छेद 136 के अधीन उठाये जाते हैं जिनका उद्देश्य मात्र रोकादेश लेना होता है।

अनुच्छेद 136 के अधीन कोई गरीब आदमी उच्चतम न्यायालय नहीं जाता। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि क्या अनुच्छेद 136 में परिवर्तन अनिवार्य हैं। रिट की अपीलें वर्षों से विचाराधीन हैं। कोई निर्धन व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकता।

2.00 म. प.

इसका उपयोग धनी व्यक्तियों के द्वारा निर्धन व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाता है, अतः इससे गरीब लोग ही पीड़ित हैं। उच्चतम न्यायालय में रिट अपीलें चार वर्ष से बकाया पड़ी हैं, तथा रोका देश जारी किये जाते है। इससे इस देश के गरीब से गरीब लोगों को हांनि होती है।

जहां तक उच्चतम न्यायालय का प्रश्न है एक अत्यन्त रोचक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें कहा गया है कि यदि उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के कार्य को देखा जाता है तो वे सप्ताह में केवल 28 घण्टे काम करते हैं। क्या यह सच है ? वेशक यह मार्च, 1983 में छपी थी परन्तु अभी तक इसका खण्डन नहीं किया गया। उसमें कहा गया है :

> "उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रति सप्ताह 500 मामले स्वीकृति के लिए आते हैं। यह सप्ताह में पांच दिन कार्य करती है। सभी सोमवार तथा शुक्रवार उन पर लगाये जाते हैं। शेष तीन दिन, अर्थात मंगल, बुद्ध एवं गुरूवार को नियमित सुनवाई तथा मामलों पर अन्तिम सुनवाई के लिए दिये जाते हैं, 2 से 2½ घण्टे अति शीघ्रता वाले विभिन्न मामलों पर लग जाते हैं। न्यायालय दिन में 4½ घण्टे कार्य करता है। उन तीन दिनों में कठिनता से 2 से ढ़ाई घण्टे बकाया मामलों पर अन्तिम सुनवाई के लिए बचते हैं।

उसकी चार बेंचें हैं, और 28 घण्टे समय मिलता है। यदि यह सच है, एक लाख 43,000 को 28 घण्टे प्रति सप्ताह से भाग करने से हमें पता चलता है कि हम किस प्रकार का न्याय लोगों को दे सकते हैं। यदि यह सच है, क्योंकि मैं इस बारे में विश्वस्त नहीं हूं, क्योंकि मैं उच्चतम न्यायालय में कार्य नहीं करता। परन्तु कुछ परिवर्तन किया जाना है तथा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश से बात करें ताकि इसका समाधान निकाला जा सके। अन्यथा हमारा समग्र न्यायिक तंत्र ढ़ह जायेगा। तथा लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जोकि हजारों रुपये व्यय करके जहां पर आते हैं, यह ऐसा न्याय नहीं है जो गरीब आदमी को मिल सके।

अनुच्छेद 136 पर विचार करने के लिए मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अनुच्छेद 226 पर भी विचार करें, परन्तु उतनी गम्भीरता से नहीं जितनी कि अनुच्छेद 136 पर, क्योंकि इस अनुच्छेद का उपयोग गरीब व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता

है । मैं निवेदन करूंगा कि अनुच्छेद 136 पर गम्भीरता से विचार करें क्योंकि इससे हम समस्या का कुछ हद तक समाधान कर पायेंगे । मुझे पूरा विश्वास है इस देश की जनता के हित में यह अत्यन्त आवश्यक है ।

वास्तव में हमारे देश में किनको न्याय मिलता है तथा किस कीमत पर मिलता । इस पर अनुच्छेद 136 के संदर्भ तथा अनुच्छेद 14 जिस पर कि हम प्रायः सभा में तथा बाहर भी विचार किया जायेगा, जबकि अधिकांश भारतीयों के लिए न्याय के समान अवसर दिलाने हों। वास्तव में मैं समझता हूं कि यह प्रणाली गरीब लोगों की अपेक्षा अमीर लोगों का तथा शक्ति हीनों के विरुद्ध शक्तिशालियों का पक्ष लेता है, यह विचार किसी साधारण व्यक्ति के नहीं अपितु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हैं ।

इस प्रणाली से हमें किस तरह का न्याय मिलता है तथा भारतीय दर्शन तथा सांविधानिक मूल्यों की तुलना में यह न्याय किस प्रकार का है, इस पहलु पर भी गम्भीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है । इस संदर्भ में मैं भारत के मुख्य—न्यायाधीश को उद्धृत करना चाहता हूं । उनका कथन है :

> "न्यायालय न्यायाधीशों अथवा अधिवक्ताओं के लिए नहीं बताये गये, और यदि यह प्रणाली गरीब तथा अमीर दोनों को समान, सस्ता तथा शीघ्र न्याय नहीं दे पाती, तो यह प्रणाली अपनी न्याय संगतता खो देगी तथा इसका अन्त विनाशजनक होगा ।"

अतः यह टिप्पणी भारत के मुख्य-न्यायाधीश ने अपने अनुभव के आधार पर की है, संभवतः वे समझते हैं कि वर्तमान न्यायिक प्रणाली के अधीन, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पाता ; वे इस देश के उच्चतम न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते अतः हमें उनकी राय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ।

इन कारणों से विचार के लिए प्रश्न पैदा होता है कि क्या हमारी प्रणाली में कुछ फेर-बदल की आवश्यकता है अथवा उसमें कुछ सुधार वांछनीय हैं, और मैं जानता हूं कि सरकार ने इस सभा में "न्यायिक सुधार आयेगा" की स्थापना का वचन दिया था । परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकार ने इस पर ढील दिखाई, जिसके कारण मैं नहीं जानता । क्या मैं विधि मन्त्री से जान सकता हूं कि उस आश्वासन का क्या बना ? क्या यह उचित समय नहीं है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें तथा देखें कि कैसे इस न्यायिक प्रणाली को सुधारा जा सकता है ?

सुधारों पर विचार करते समय मैं कहना चाहता हूं कि हमें कुछ वास्तविकताओं पर ध्यान देना है यदि हम वास्तव में न्यापिक प्रणाली का पुनर्गठन करना चाहते हैं । फिर जैसा कि मैंने बताया कि यह प्रणाली केवल 10 प्रतिशत लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है । हमें सामाजिक विधियों के कारण ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 25% लोग न्यायालयों का लाभ

उठा सकें तथा उससे हमें योजना बनानी है । एक न्यायाधीश का कहना है कि इस देश के निर्धनतम व्यक्ति भारत की जनसंख्या का 20 प्रतिशत हैं, और कारण यह नहीं है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, परन्तु चूंकि वे कानून से अपरिचित हैं उन्हें प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, तथा उनके पास न्यायालय जाने के साधन नहीं हैं वे विधिक परामर्श नहीं प्राप्त कर सकते । यदि आप जाकर देखें कि उच्चतम न्यायालय में क्या होता है, तो आप देखेंगे कि मुकदमेबाज तथा गरीब लोग उच्चतम न्यायालय के मैदान में होते हैं । वे वकीलों के 1500 से 5000 फीस के रूप में देने के समय नहीं होते । ऐसा कोई सेल नहीं है । एक कानूनी सहायता कक्ष है परन्तु वे इस बारे में जानते नहीं । वे मैदान में बैठते हैं, कोई टाऊट वहां जाता है तथा धन ऐंठ कर ले जाता है । क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय मिल सके । क्या हम अति गरीब लोगों से न्याय कर रहे हैं ।

सरकार की कुछ योजनाएं हैं । परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है । योजनाएं अच्छी हैं । अच्छी योजनाएं बनाने के लिए मैं विधि मन्त्री को धन्यवाद देता हूं । यदि उन योजनाओं से गरीब लोगों को लाभ नहीं पहुंचता तो उनका लाभ ही क्या ? इस महान सभा में योजनायें बनाने का लाभ क्या है ?

फिर सुधारों के बारे में, इस समय गरीब अमीर में असमानता के युद्ध का अंत होना चाहिए । इस प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए । लोगों के परस्पर द्वन्द्व तथा न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थ का कार्य करने की प्रणाली का अंत होना चाहिए । वह स्वीकार्यता, संगतता पर विचार करता है तथा दो व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं । इस प्रकार की न्याय व्यवस्था हमारे देश में है । यही समय है कि इस प्रणाली को बदला जाये, जिसमें कि जनता लाभ उठा सके । इस प्रणाली में इस बारे में परिवर्तन की नितान्त आवश्यकता है ।

इसके बाद भाषा का प्रश्न आता है । विधियां बहुत से लोगों को विदित नहीं हैं । न केवल ग्रामीण लोगों को अपितु शहरी लोगों को भी । दुर्भाग्य से अंग्रेजी से अनुदित विधियों को कोई मान्यता नहीं है । अभी तक संविधान का हिन्दी अनुवाद भी न्यायालयों द्वारा प्रमाणित नहीं माना जाता । विधि मंत्री महोदय, जब मैंने आपसे प्रश्न किया था कि क्या संविधान के हिन्दी अनुवाद को न्यायालय मानते हैं, तब आपने कोई उत्तर नहीं दिया था ।

श्री चित्त बसु : क्या इसे माना नहीं जाता ?

श्री बापू साहिब परूलेकर : नहीं, इसे स्वीकार नहीं किया जाता केवल अंग्रेजी संस्करण का ही माना जाता है ।

इस प्रकार हमारे ऐसे कानून हैं जिन्हें लोग समझते नहीं, जिसे लोग पढ़ नहीं सकते, हमें अधिवक्ताओं के पास जाना पड़ता है उन्हें 5000 रुपए फीस देनी पड़ती है । मैं उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं । किसी भी वकील को 3000 रुपये देने पड़ते हैं ।

फिर इस पृष्ठभूमि में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव उन परिवर्तनों के बारे में है जोकि हमारी न्यायिक प्रणाली में अनिवार्य हैं क्योंकि देश के 80% लोगों को न्यायालय जाना पड़ता है। मेरे पास परिवर्तनों का सुझाव देने का समय नहीं है। कृपया आप विचार करें कि क्या यह आवश्यक है अथवा नहीं। वैवाहिक मामलों के लिए नहीं परिवारिक न्यायालयों की स्थापना के लिए बार बार निवेदन किया गया था, जिनमें कि महिलाएं ही पीड़ित होती हैं। इसका हमें उत्तर नहीं दिया जा रहा।

फिर अधिक अनौपचारिक प्रक्रिया की आवश्यकता है।

आपने कई बार कहा है कि बकाया कार्य के निपटान के लिए उच्चतम न्यायालय के सांविधानिक कार्यों को पृथक किया जाएगा। मैं नहीं जानता कि क्या निर्णय लिया गया है। यह नितान्त आवश्यक है क्योंकि सांविधानिक मामले उच्चतम न्यायालय का पूरा समय ले लेते हैं तथा अपनी भूमि का दावा करने वाले गरीब दावेदारों को समय नहीं मिल पाता। परदादा द्वारा शुरू किये गये मुकदमे का फल परपोते को मिलता है मुझे और कुछ नहीं कहना। परन्तु मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया में सुधार की इस समय अत्यन्त आवश्यकता है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि क्या कोई सुधार वांछनीय है, यदि है, तो वे कैसे किये जा सकते हैं।

इन दिनों उच्चतम न्यायालय सहित न्यायालयों की गरिमा गिर रही है तथा यह गिरावट उन व्यक्तियों द्वारा लाई गई है जो बॉर एट-ल हैं कानून को जानते हैं तथा उसका व्यवसाय करते हैं। अनुच्छेद 1212 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि भारत के सभी नागरिकों पर लागू होती है तथा सभी इससे बाध्य हैं। जब किसी न्यायालय में ऐसा व्यक्ति बारिस्टर है तथा कानून से संबद्ध है यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया कोई निर्णय संविधान की अवहेलना करता है, तथा इस मामले को बाजारों में ले जाता है तो उसे दण्ड देने के लिए हमारे पास कोई विधि नहीं है। ऐसे मामले हाल ही में हमारे देश में हुए हैं। न्यायालयों की गरिमा की रक्षा करने के लिए कठोर कानून बनाये जाने चाहिएं।

आंध्र प्रदेश की घटनाओं के संदर्भ में बम्बई के 'वल्टिज' के सम्पादक के विरुद्ध एक मामला था, 1964 में केशवसिंह का मामला था, तब केरल के 'देशाभिमानी' का मामला था तथा कई अन्य मामले थे जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सभा में जो कुछ भी विशेषाधिकार का मामला है वे पूर्णतः न्यायालय के बाहर का विषय है। तीन मामले न्यायालय में विचार योग्य हैं, यदि स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना होती है यदि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती ; तथा यदि कार्यवाही दुर्भावना से की गई हो। ऐसे निर्णय हुए हैं। मैं विधि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह उन्हें पढें। इन सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां उन्हें अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत अभिव्यक्त की स्वतन्त्रता, भाषण की स्वतन्त्रता

तथा यदि सभा की कोई कार्यवाही मेरे द्वारा निर्दिष्ट तीन कसौटियों का उल्लंघन करती है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है तब उस मामले पर उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बन जाता है। आप 1954 से अब तक चुप रहे हैं। इसका अर्थ है आप इसे स्वीकार करते हैं। जब हम यह कहते हैं कि संसद तथा संविधान इस मामले में सर्वोच्च है। मैं अनुरोध करता हूं कि विशेषाधिकारों को परिभाषित करना होगा। अब इसका क्या प्रभाव है ? विधायकों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यायाधीश प्रभावित नहीं होते हैं। आयुक्तों, डी० एस० पी० एस० जैसे अधीनस्थ लोग ही प्रभावित होते हैं। वे नहीं जानते हैं कि क्या करना है। यह दोहरे प्रशासन का सिद्धान्त है, यदि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश को नहीं मानता है तो वह एक अनुच्छेद का उल्लंघन करता है और यदि वह सभा के सभापति के आदेश को नहीं मानता है, तो वह दूसरे अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। यह एक सिपाई की तरह का मामला है जिसे किसी व्यक्ति विशेष पर गोली चलाने तथा उसे मारने के लिए कहा जाता है, यदि वह गोली नहीं चलाता है तो वह एक ऐसा अपराध करता है जो कोर्ट मार्शल के अधीन अपराध बन जाता है और यदि वह ऐसा करता है तो, वह 302 के अन्तर्गत अपराध करता है। उसे क्या करना चाहिए ? वास्तव में एक बेचारे आयुक्त का भाग्य ही ऐसा है जो इस विशेष समस्या का सामना कर रहा है।

मैं माननीय विधि मंत्री से चुनाव सम्बन्धी सुधारों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं जिनके बारे में आपने कई बार सभा में, सलाहकार समितियों के बैठकों में तथा बाहर कहा है, किन्तु आज तक कोई भी सुधार नहीं किया गया है। केवल यही उत्तर आप देते रहे हैं कि आप इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि यह गम्भीरता कब समाप्त होगी। एक बार आपने हमें बताया था कि ये सुधार अगामी चुनावों से पूर्व कर दिये जायेंगे।

मैं आपका उद्धहरण दे सकता हूं। मुझे नहीं मालूम है कि क्या आपने इस बारे में कुछ किया है अथवा कुछ करने के लिए तैयार हैं किन्तु आपके इस वक्तव्य के पश्चात आपने कहा है कि आप ने कई और काम करने होते है, इसलिए यह सम्भव नहीं है। कृपया मुझे बताइये कि अब मुझे किस वक्तव्य को स्वीकार करना चाहिये ? अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपा करके वह हमें चुनाब सबंधी सुधारों के बारे में बतायें। सभापति महोदय, आपकी बात ठीक है, आपने घंटी बजा दी है, इसलिए मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। इस अनुरोध के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं किन्तु मुझे खेद है कि आपके मंत्रालय में इस सब गड़बड़ी के होते हुए मैं आपकी मांगों का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

श्री एन. के. शेजवलकर (ग्वालियर) : मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। वास्तव में मेरे मित्र श्री परुलेकर ने काफी कुछ कहा है और मैं उनकी भावनाओं के बारे में उनसे सहमत हूं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि विधि मंत्रालय इस प्रकार छोटा मंत्रालय के रूप में क्यों माना जा रहा है कि इसे केवल चार घंटे का

समय दिया जा रहा है और वह भी आठ वर्षों के पश्चात मैं नहीं जानता कि क्या सरकार वास्तव में महसूस करती है कि विधि मंत्रालय क्या है ।

सभापति महोदय : क्या आप कार्य मंत्रणा समिति में नही हैं ।

श्री एन. के. शेजवलकर : जी नहीं, अब मैं इस समिति में नहीं हूं । मैं सभा को केवल यह बताना चाहता था कि इस मंत्रालय के बारे में मेरे विचार क्या हैं । हमारे लोकतंत्र में जिसे हम विधि प्रशासन कहते हैं, तीन सतम्भ है जिन्हें हम न्यायपालिका, विधान मण्डल और कार्यपालिका कहते हैं । इन तीन सतम्भों में से दो, विधायी विभाग तथा न्यायिक विभाग उनके अधीन है ।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : किन्तु विधान मण्डल मेरे अधीन नहीं है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं विधायी विभाग उस भावना से नहीं कह रहा हूं किन्तु इस भावना से मैं विधायी विभाग कह रहा हूं कि आखिरकार आप सभी बनाये जाने वाले सभी कानूनों के बारे में सलाह देते हैं । मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप इतने वरिष्ठ हैं और मैं आपका इतना आदर तथा सम्मान करता हूं किन्तु आखिरकार सिद्धान्त यह है कि कानून को समाज के अनुसार बनाना होता है, इसे बर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार बनाना होता है । यदि इन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो परिणाम क्या होगें, मेरे मित्र ने उसके बारे में केवल कुछ थोड़े से विचार रखे हैं । चाहे ये न्यायपालिका, न्यायिक पद्धति अथवा चुनाव सम्बन्धी सुधारों, अथवा न्यायपालिका तथा विधान मण्डलों के बीच अब हो रहे विवादों संबंधी अन्य मामलों का प्रतिपादन ही है तथापि अब उपयुक्त समय है कि आपका विभाग लोगों की सहायता करे । मेरे विचार में यह विभाग केवल मात्र भगवान ब्रह्मा की तरह है । इसे सृष्टि की रचना करनी होती है । यह कुछ कानून के अन्तर्गत कुछ मानदण्डों की रचना करता है और इसके पश्चात यह इन्हें लागू करने के लिए एक प्राधिकारी की सृष्टि करता है और उसके बाद वह प्राधिकारी इन्हें लागू करता है । अत: विधि मंत्रालय का यह आधारभूत कार्य है जिसे करना होता है और यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है, मैं नहीं जानता कि क्यों इसे ऐसा नहीं समझा जाता है । इसलिए मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि न केवल इसके लिए आबंटित किया गया समय बहुत कम है, बल्कि इस सभा के अन्य माननीय सदस्य भी इसे अधिक महत्व देते दिखायी नहीं देते हैं । यहां बहुत ही कम उपस्थिति है जिससे यह पता चलता है कि हम कितने गम्भीर हैं । मुझे मार्क ट्वेन की याद आती हैं । जब वह बोल रहा था, तो उसको सुनने के लिए केवल एक व्यक्ति मौजूद था । अत: उसने कहा "आप यहां क्यों बैठे हैं ? उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद । उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, "जी नहीं, मैं यहां इस मेज आदि" को ले जाने के लिए बैठा हूं" । अत:, शायद यहां भी थोड़े से परिवर्तन के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि जिन्होंने बोलना है और जिन माननीय मंत्रियों ने सुनना है अन्यथा···।

···(व्यवधान)···

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं यहां हूं ।

श्री एन०के० शेजवलकर : वह अगली मद के लिए है जिसे 3.30 म० प० पर लिया जाना है ।

सभापति महोदय : कम से कम पीठासीन अधिकारी तो सुनता है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : आप के बिना सभा का गठन नहीं होता है । मेरे मित्र ने पहले न्यायिक पद्धति और सब से बाद में चुनाव सम्बन्धी सुधारों का उल्लेख किया है । मैं पहले चुनावों संबंधी सुधारों को विचारार्थ लेने का सुझाव देता हूं ।

श्री बापू साहिब परूलेकर : यदि विधि मंत्री ब्रह्मा हैं, तो राज्य मंत्री का दर्जा क्या है ?

श्री एन० के० शेजवलकर : यदि आप चुनाव सम्बन्धी सभा में दिये गये वचनों तथा आश्वासनों के अनुसार चलते हैं, तो वे शीघ्र ही पर्याप्त मात्रा में दिये जायेंगे । जब मैंने यह प्रश्न पूछा था, तो मुझे उत्तर दिया गया था कि इस मामले को मंत्री मण्डलीय समिति के पास भेजा गया है और मंत्री मण्डलीय समिति द्वारा निर्णय ले लिये जाने के पश्चात इस मामले पर दलों के नेताओं द्वारा विचार किया जायेगा । किन्तु स्थिति क्या है ? मंत्रि मण्डलीय समिति की गत बैठक 18 फरवरी, 1983 को हुई थी, उसमें कुछ भी नहीं किया गया था । तत्पश्चात उसे 7 जून, 1983, बाद में 6 दिसम्बर, 1983 और 6 फरवरी, 1984 तक स्थगित कर दिया गया था । मेरी सूचना के अनुसार कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है ।

1972 में ही चुनाव संबंधी सुधारों के लिए एक समिति का गठत किया गया था और उस समिति ने प्रतिवेदित किया था कि ऐसी प्रक्रियाओं को शुरू किया जाना चाहिए जिनके द्वारा इस समय उम्मेदवार अथवा राजनीतिक दलों द्वारा वाहन किये जा रहे वैध व्यय को उत्तरोत्तर सरकार द्वारा वाहन किया जाना चाहिए । इस के अतिरिक्त, और कई सुझाव दिये गये हैं । अभी हाल ही में सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा एक विस्तार गोष्टि आयोजित की गयी थी जहां निर्वाचन आयुक्त भी उपस्थित थे । उन्होंने धनराशि के बारे में कुछ सुझाव दिये थे ।

ऐसी अनेक बातें हैं जिन पर चुनाव के संबंध विचार किया जाना था । चुनाव के संबंध में जो कुछ हो रहा है क्या आप उससे सन्तुष्ट हैं ? अभी उस दिन उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि इलक्ट्रानिक पद्धति को कानूनी मंजूरी प्राप्त नहीं है । आप इलक्ट्रानिक पद्धति के बारे में आगे की कार्यवाही कर रहे हैं अथवा नहीं ? आप विचार कर सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है । किन्तु यदि आप का विचार यह है कि यह आवश्यक है, यद्यपि न्यायालय ने वैसा विचार व्यक्त किया है, तथापि आप उस अपेक्षित सांविधिक अनुमोदन क्यों प्रदान नहीं कर

देते ? आशा है कि इससे कई कदाचार समाप्त हो जायेंगे । इससे मत पत्रों की लागत में बचत होगी और मतगणना करने की कठिनाइयां कम हो जायेंगी और जाली मतदान नहीं होगा और इसमें चुनाव के पश्चात मत पेटिकाओं का उपयुक्त स्थानों पर न पहुंचने का खतरा नहीं है । मतदाता को केवल एक बटन दबाना होता है और इसके अनेक लाभ हैं । अत :, मैं नहीं जानता कि सरकार इस बारे में मौन क्यों है । यदि अभी नहीं, तो कम से कम भविष्य में तो इस पद्धति को रखा जा सकता है । यद्यपि इस सरकार ने अपने कार्यकाल के चार वर्ष 1980 से 1984 तक पूरे कर लिये हैं, तथापि चुनाव संबंधी सुधारों के बारे में इसके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है ।

धन शक्ति के बारे में बहुत बातें कही गयी हैं । उच्चतम न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायमूर्ति ने यह कहा :

> "धन शक्ति हमारे चुनावों को बुरी तरह से प्रभावित करती है और प्रलोभन का सामना करने हेतु विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अत्यधिक व्यय का राजनीतिक नजराना दलों के लिए बहुत ही मोहक होता है···यदि अभियान उन्मन्नता का रूप ले लेते हैं और असीमित व्यय नियम बन जाते हैं, तो आम चुनाव राष्ट्रीय कुस्वप्न बन जाते हैं और हमारी स्वतंत्रता का ढ़ांचा हिल जाता है···चुनाव संबंधी प्रक्रिया (इसलिए) हमारे गणतंत्र का धर्म है ।"

धन शक्ति को, जिनके बारे में हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, कम करने के लिए हमने क्या क्या पग उठाये हैं ? यह पहली घटना नहीं है । राज्य सभा चुनावों में क्या हुआ है ? राजस्थान में कांग्रेस का अधिकृत मनोनीत उम्मेदवार अधिक मतों को प्राप्त नहीं कर सका । अधिकतम मत श्री के० के० बिड़ला द्वारा प्राप्त किये गये ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : कांग्रेस उम्मीदवार भी बिजयी रहा है ।

श्री **एन० के० शेजवलकर** : यह बात ठीक है । यह उनका अच्छा भाग्य है । किन्तु उस समय क्या हुआ जब भाभु भाई चिनायी चुने गये थे और उन्होंने दल द्वारा मनोनीत उम्मीदवार श्री वेशम्पयेन को बम्बई में हराया और हमारे एक मुख्य मंत्री खुले आम कहते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी चुना जाये, किन्तु मैं ही सरकार बनाऊंगा । यह क्या है ? क्या यह शक्ति नहीं है जिसका प्रभुत्व है ? आप इस पर क्या रोक लगायेंगे ।

श्री मूल चन्द डागा : यह एक बड़ी शक्ति है जो काम कर रही है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : महोदय लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं । इसी कारण से मैंने आरम्भ में कहा था कि मंत्रालय वास्तव में भगवान ब्रह्मा है । यदि आप ऐसी परिस्थितियां बना दें कि ऐसे भ्रष्टाचारों को करने तथा भ्रष्ट तरीकों को अपनाने की घटनाओं के होने का

अवसर ही न रह जाये, तो ये बातें नहीं होगी। लाखों रुपयों को चुनावों के लिए खर्च किया जाता है। इनका दमन करने के लिए सुझाव दिये गये हैं और आपने इन सुझावों को रद्द कर दिया है। एक सुझाव यह दिया गया था कि लोक सभा और विधान सभा के चुनावों को एक साथ क्यों नहीं कराया जाता है ? इसके लिए दूसरी सभा में एक गैर सरकारी सदस्य का विधेयक पेश किया गया था, किन्तु सरकार ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

महोदय, मुझे नहीं मालूम कि आप हमें लोक तंत्र कैसे कह सकते हैं जब आप अपनी जेब से एक चिट निकालते हैं और कहते हैं कि कल अधिसूचना जारी की जायेगी और 15 मई को चुनाव होंगे ? क्या यह लोक तंत्र है ? क्या हमें आश्चर्य चकित करना होगा ? सांविधिक उपबन्ध यह है कि किसी समय इस सभा को भंग किया जा सकता है। किन्तु मैं पूछता हूं कि क्या यह न्याय संगत है। कानून के अनुसार यह निर्णय किया जाता है कि किसी निश्चित समय के भीतर चुनाव कराये जाने चाहिए। जब तक कुछ आयात परिस्थितियां न हों, तब तक कानून को अवश्य ही बदला नहीं जाना चाहिए। किन्तु ऐसा होता नहीं है। अतः, इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि चुनाव सम्बन्धी ये सभी सुधारों को लाया जाय। कानूनों, जिनके लिए आवश्यक सामाजिक विधानों की आवश्यकता है, की ओर ध्यान देना होगा। डाक घर अधिनियम तथा पुलिस अधिनियम की तरफ के सभी कानूनों को, जो पुराने हो चुके हैं, निरस्त किया जाना चाहिए। बदला जाना चाहिए अथवा अद्यतन बताया जाना चाहिए। ये सभी बातें बहुत ही आवश्यक हैं।

महोदय, सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह चुनावों के बारे में सहयोग करे। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि मै जानता हूं कि समय बहुत ही कम है। 4 दिसम्बर के 'इलैस्ट्रेटिड वीकली' में एक लेख प्रकाशित हुआ है। 20 पृष्ट पर इसमें विभिन्न देशों की तुलना की गई है कि किस प्रकार जनसंचार माध्यम का दुरुपयोग किया जा रहा है। हर कोई कहता है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। वे यह कह सकते हैं कि ऐसा 1977 में हुआ था और हम यह कह सकते हैं कि 1980 में ऐसा हुआ था। किन्तु क्यों न इसे समाप्त कर दिया जाये ? कुछ सिद्धान्त बनाइये। उस समय सरकार ने इसे निगम बनाने के लिए एक विधेयक पेश किया था, किन्तु तब सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। और अब वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। महोदय दूरदर्शन तथा रेडियो की सुविधा सभी दलों को उपलब्ध की जानी चाहिए। इसी प्रकार सरकार को कुछ परिस्थितियों में व्यय बहन करना चाहिए। लेख में बताया गया है कि यदि पात्र उम्मेदवारों को यह सुविधा दी भी जाती है, तो पांच वर्षों में मुश्किल से 24.14 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी और यदि विधान सभाओं के चुनावों को साथ साथ कराया जाता है तो यह व्यय केवल आधा ही होगा। मुझे यह अवश्य ही निवेदन करना चाहिए कि ये बातें हैं जिन पर मंत्रालय यथा शीघ्र विचार कर सकता है।

इसी तरह दल-बदल के मामले पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। किन्तु सरकार दल बदल के मामले पर बिलकुल ही विचार ही नहीं कर रही है। दल बदल क्या है,

कोई भी इस बारे में निर्णय नहीं करना चाहता। यदि कोई इस ओर से उस ओर दल बदल करके जाता है, तो बात बुरी है और इसी तरह यदि कोई उस ओर से इस ओर दल बदल करके आता है, तो भी बुरी बात है। क्यों नहीं एक ऐसा विधान बना दिया जाये कि यदि कोई चुने जाने के पश्चात दल को छोड़ना चाहता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए और तत्पश्चात उसे नए सिरे से चुनाव लड़ना चाहिये। यह बात कुछ समझ में आने योग्य है। किन्तु यदि इसे रोका नहीं जाता है, तो मौली टेप और अन्य प्रकार के वादविवाद बार बार उठ खड़े होंगे। हर समय जब भी किसी सरकार को गिराने का प्रयास किया जाता है तो स्वाभाविक ही है कि दल बदल होंगे। अतः, इस समय यह बहुत ही आवश्यक है कि ऐसी बातों को रोकने के लिए कुछ न कुछ किया जाये।

इस सम्बन्ध में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि विधायकों को प्रभावित करने का एक और तरीका है वह विभिन्न समितियों तथा निगमों के सभापति बनाना है। मध्य प्रदेश में न केवल उन्हें सभापति बनाया जाता है, बल्कि उन्हें एक मन्त्री का दर्जा भी दिया जाता है और वे विधान मण्डलों के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते हैं क्योंकि वे स्वायतशासी निकायों के अध्यक्ष हैं और वे अपने संगठनों के राजा हैं। मैं लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति का सदस्य हूं और हम संविधान में एक संशोधन करने का सुझाव देने के बारे में सोच रहे हैं। आज बात यह है कि हमारा संघीय ढांचा है किन्तु न तो यह एकिक है और न यह संघीय है। यह बात सच है कि केन्द्र और राज्यों के बीच बहुत सी बातें सामान्य हैं। किन्तु क्यों न राज्यों से यह शक्ति ले ली जाये और एक ऐसा संशोधन कर दिया जाये कि वे सदस्यों की अर्हरता को दूर करने में समर्थ नहीं होंगे क्यों वे लाभ के पदों पर कार्य कर रहे है ? देश भर में कोई एक समान कानून बनाया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का एक समान कानून होना चाहिए। आज हो क्या रहा है। एक संसद सदस्य को किसी निगम का सदस्य बनने के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है। किन्तु विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया जायेगा क्योंकि इसका निराकरण करने के लिए उन्होंने उनकी अनर्हता को दूर कर दिया है। किसी निगम के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने पर किसी को भी अयोग्य नहीं ठहराया जायेगा यह कानून है जिसे उन्होंने बताया है। मैं मध्य प्रदेश और अन्य अनेक राज्यों के बारे में कह रहा हूं। क्या यह उपयुक्त समय नहीं है···(व्यवधान)। राजस्थान भी है। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : एक तरफ तो सेन्टर और स्टेट रिलेशन्स के बारे में बात करते हो और दूसरी तरफ इस तरह की बातें करते हो।

श्री एन०के० शेजवलकर : जो कुछ भी हो, आपका धन्यवाद। मैं कह रहा था कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनके बारे में हमें एक समान कानून बनाना होगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह हस्तक्षेप है किन्तु हमें एक समान कानून बनाना होगा। अब मैं चुनावों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दूंगा तब मैं इस विषय के सम्बन्ध में अपना भाषण समाप्त करूंगा।

पहली बात, जो मैंने कही है, वह यह है कि दल बदल के लिए कोई कानून होना चाहिए। धनशक्ति पर भी कोई न कोई नियंत्रण होना चाहिए। और इस समय दलों द्वारा खर्च

की जा रही धनराशि को चुनाव सम्बन्धी व्ययों में शामिल नहीं किया जाता है। सभी इसे शामिल किया जाना चाहिए और राजनैतिक दलों को पंजीकरण कराने के लिए कहा जाना चाहिए। और उनके लेखों की लेखा परीक्षा करायी जानी चाहिये और हर बार उम्मेदवार के लिए दल के द्वारा किए गए खर्च को चुनाव व्यय माना जाना चाहिए।

विधान सभाओं के चुनावों के साथ संसद चुनावों का सम्बन्ध होना चाहिए।

एक बात और है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाना चाहिए। उदहारणार्थ विज्ञापन/निर्वाचन आयोग ने कुछ मानदण्ड निर्धारित किये थे। उन्हें कानून का दर्जा क्यों नहीं दे दिया जाता ? उसने आचार संहिता जारी की है, कोई भी जो कोई भी सत्ता में होता है, उनका पालन नहीं करता है। इन्हें कानूनी रूप क्यों नहीं दे दिया जाता ताकि इन सभी का पालन किया जाये ?

मैं जन संचार माध्यम के बारे में पहले ही कह चुका हूं। हर एक के लिए समय को किसी प्रकार से बांटा जाना चाहिए। इलैक्ट्रानिक यन्त्र का उपयोग सभी स्थानों में किया जाना चाहिए। वैसे ही निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में, राज्यों के निर्वाचन अधिकारी जोकि बहुधा स्थानीय अधिकारी होते हैं, प्रायः भारतीय प्रशासन में सेवा के अधिकारी होते हैं। परन्तु मैं सुझाव दूंगा कि निर्वाचन अधिकारियों का स्वतंत्र संवर्ग होना चाहिए जोकि किसी राज्य के अधीन नहीं हैं, परन्तु उन्हें सीधे निर्वाचन आयोग के अधीन रखा जाये। यह अत्यावश्यक है।

वाहनों के उपयोग के बारे में मैं सुझाव दूंगा कि निर्वाचन के दौरान कम से कम सरकारी वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए। वाहनों पर काफी धन का अपव्यय किया जाता है। नियम यह है कि मतदाताओं को वाहनों द्वारा नहीं लाया जाना चाहिए। परन्तु मेरा अनुभव है कि सभी पार्टियां मतदाताओं को मोटरों में ले जाती है, जितने अधिक मतदाताओं को जो पार्टी मतदान केन्द्रों तक ले जाती है, उतनी ही उसे सफलता मिलती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन सभी बातों पर विचार करके कानून बनायें।

अब मैं न्यायिक प्रणाली को लेता हूं। मेरे माननीय मित्र श्री परूलेकर ने पहले ही न्यायिक प्रणाली के बारे में बताया है। न्यायिक प्रणाली के बारे में दो तीन बातें अत्यावश्यक होती हैं। पहले इसे सस्ती होना चाहिए। महोदय आपके इस पावन पद के संभालने से पूर्व मुझे आपके साथ समिति में कार्य करने का गौरव प्राप्त था। आपने स्वयं सुझाव दिया था कि न्यायालय की फीस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हमारी संस्कृति के अनुसार कानून को खरीदा नहीं जा सकता। कोर्ट फीस को समाप्त क्यों नहीं किया जाता। न्याय को सस्ता क्यों नहीं करते ?

श्री मूल चन्द डागा : राज्य इसे नहीं मानते।

श्री एन०के० शेजवलकर : यदि आप इसे महत्वपूर्ण समझते हैं, यदि आप इन्हें 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वित करने पर विवश नहीं कर सकते तो क्यों नहीं इसे 21वां सूत्र बना दिया जाता। यदि आप का इरादा हो तो आप रास्ता निकाल सकते हैं। यदि आपका इरादा ही नहीं है तो दूसरी बात है। आप बिक्री कर समाप्त करने का विचार कर रहें हैं। उसके लिए भी आप रास्ता निकाल रहे हैं। यह राजस्व का भाग एक प्रतिशत है। अत: आप कृपया इस पर विचार करें।

दूसरे न्याय दिलाने में विलम्ब नहीं होना चाहिए। विलम्ब के लिए कई बातें जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट के पृष्ठ 27 पर आपने लिखा है कि न्यायाधीशों के 62 पद रिक्त पड़े हैं। 100 न्यायाधीशों में से आप केवल 64 न्यायाधीश नियुक्त कर पाये हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलम्ब होता है। सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों के अलावा उनके 62 पद रिक्त पड़े हैं। मैं नहीं जानता आप कैसे प्रबन्ध करेंगे।

कानून की यह स्थिति है। यदि लोगों का न्यायिक प्रणाली में विश्वास न रहे, यदि सभी का उससे विश्वास उठ जाये, तो क्या होगा। तब संसद भी असंगत रह जायेगी।

बकाया मामलों की संख्या इस समय बढ़ती जा रही है उच्चतम न्यायालय द्वारा 1980 में 16904 मामले निपटाये गये तथा 26565 मामले दायर हुए। पिछले तीन वर्षों के दौरान दायर किये जाने वाले मामलों एवं निपटाये गये मामलों का अन्तर बढ़ता जा रहा है। इस कमी को आप कैसे पूरा करेंगे जोकि तीव्रगति से बढ़ती जा रही है। इसका समाधान क्या है ? क्या आप न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल सकते हैं ? क्या उच्चतम न्यायालय में 13 न्यायाधीश रखना पर्याप्त है ? आप न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भर नहीं रहे। यह कठिन कार्य है। जब तक आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीषों तथा अन्य न्यायाधीशों के पदों की संख्या नहीं बढ़ाते, आप बकाया मामलों का निपटारा कैसे कर सकते हैं। आप स्थिति में सुधार कैसे ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बकाया मामलों की संख्या निर्धारित है। यह प्रति वर्ष बढ़ रही है। एक बार बकाया मामलों की संख्या 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत बढ़ रही है। अत: आपको इस बारे में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

अधीनस्थ न्यायालयों की भी वैसी ही स्थिति है। साक्ष्य अधिनियम के बारे में तथा अन्य फौजदारी तथा सिविल मामलों में तथा अपीलों की सख्या के बारे में आप जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं, जब तक न्यायाधीशों की संख्या नहीं बढ़ेगी, मुझे भय है समस्या का समाधान नहीं होगा। महोदय आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप जानते हैं कि कभी-कभी पोता डिग्री प्राप्त करता है। डिग्रियों के बारे में श्री सोनवाले ने एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने अपनी पुस्तक उन लोगों को समर्पित की है जो डिग्रियों का फल प्राप्त करते हैं। यह निष्ठा है यह बात पुस्तक के पहले पृष्ठ पर है। यदि आप इस मामले को गम्भीरता से नहीं लेते तथा न्यायालयों को न्याय करने का अवसर नहीं दिया जाता तो हम कहां जायेंगे ? यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। न्यायपालिका पर मैं अधिक समय नहीं लेता। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले पर एक स्वरूप

परम्परा कायम की जानी चाहिए। 1973 में ऐसा हुआ कि तीन न्यायाधीशों की वरीयता की अवहेलना करके भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई, जिसे कथित वचनबद्धता के सिद्धान्त के अन्तर्गत किया गया। अब यह विद्यमान नहीं है। परन्तु इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए आपको घोषणा करनी चाहिए कि न्यायपालिका सदा सदा स्वतंत्र रहे।

न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के हम पक्ष में हैं। यह बात नहीं है कि उन्हें स्थानान्तरित न किया जाये। परन्तु यह कार्यवाही उन पर दण्ड स्वरूप लादी नहीं जानी चाहिए जोकि उन्हें सरकार के विरुद्ध लिए गए निर्णय के कारण भुगतना पड़े। ऐसी सभी बातों का प्रशासन कार्य भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए स्वस्थ परम्परा कायम की जानी चाहिए, वरिष्ठ न्यायाधीश के स्थान कनिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। यह परम्परा जनता शासन में स्थापित हुई। फिर भी उसे भूल जाइए। किसी भी समय, इस परम्परा का, कि न्यायपालिका के मुख्य अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सिफारिशों के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाना चाहिए। वही प्रथा उच्च न्यायालयों के लिए भी लागू की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को पूरी शक्ति दी जानी चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : अधिक विलम्ब हो सकता है।

श्री एन० के० शेजवलकर : यदि किसी विशिष्ट मामले में विलम्ब होता है, तो मुख्य न्यायाधीश को उस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए। मैं कभी नहीं कहा कि स्थानान्तरण नहीं होने चाहिए, परन्तु बात यह है कि स्थानान्तरण कैसे करें।

प्रो० एन० जी० रंगा : सरकार तब आप संसद में सरकार पर आरोप लगा सकते हैं। दूसरे पर दोष कौन लगा सकता है ? उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। (व्यवधान)।

श्री एन० के० शेजवलकर : दुर्भाग्य से पूर्व अनुभव के कारण हमें मानना पड़ता है। अन्यथा हम वह बात न पूछते। 1973 के पहले कभी हस्तक्षेप नहीं हुआ। 1973 में सरकार ने वचनबद्धता के सिद्धान्त के आधार पर घोषणा की कि वह ऐसा करेगी। आपने उस सिद्धान्त को शुरू किया।

न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उनकी केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त कहीं भी नियुक्ति पर रोक लगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आपको यह बात स्वीकार करनी चाहिए। एक माननीय सदस्य श्री यादव ने बताया है कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आपको उन्हें वही वेतन देने चाहिए। अन्यथा वे इस बात पर ध्यान देंगे कि आप उनको कौन सा कार्य देते हैं। निःसन्देह ऐसा हर समय नही किया जा सकता। परन्तु साथ

कुछ इस तरह का वातावरण भी होना चाहिए जोकि उन्हें पुनः नहीं मिलेगा ? न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में पर्याप्त सुधार होने चाहिए तथा उन्हें वेतन के बराबर पेंशन दी जानी चाहिए ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की जानी चाहिए ? जैसाकि उच्चमम न्यायालय के न्यायाधीशों की है । छोटे न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति आयु 60 वर्ष की जानी चाहिए । मैं यह नहीं समझ सका कि उच्चतम न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्त आयु में अन्तर क्यों रखा जाता है । उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकें । इस पर विचार किया जाना चाहिए । कुछ सुझाव देने की चेष्टा करूंगा ।

मैं विधि मंत्री को हिन्दी लागू करने के लिए बधाई देता हूं । अब तक यह कार्य अत्यन्त धीमा चल रहा था । परन्तु मैं देख रहा हूं कि पिछले एक वर्ष से वह इस ओर प्रयत्न कर रहे हैं । दुर्भाग्य से अभी भी कुछ कमियाँ हैं । सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं समय पर नहीं निकल रही । इससे इनका लाभ कम हो जाता है । आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

अन्त में मैं कम्पनी कानून के बारे में एक बात करूंगा । मैं नहीं जानता इन मामलों पर आपका कितना नियंत्रण है । एस्कार्ट्स तथा डी०सी०एम० के मामले में श्री नन्दा तथा श्री भरत राम—वे निश्चय ही सत्तारूढ़ दल को सहायता करते रहे होंगे—

प्रो० एन० जी० रंगा : वे सबको सहायता देते हैं ।

श्री एन० के० शेजवलकर : इस्कार्ट्स में जीवन बीमा निगम के 30% शेयर हैं अतः निदेशकों को बदलने का प्रस्ताव रखने का उन्हें पूरा अधिकार है ।

श्री मूल चन्द डागा : यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : आपकी जानकारी के लिए, मामले पर निर्णय हो चुका है । उच्च न्यायालय ने अपील पर निर्णय दे दिया है । मामला न्यायालय के विचाराधीन नहीं है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं समझता था कि अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री जगन्नाथ कौशल : दस दिनों की सुनवाई के बाद रिट को स्वीकार कर लिया गया है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या आप कृपया एक बात की जांच करेंगे ? मैं नहीं जानता आप कितना कार्य कर सकते हैं । जून के महीने में कुछ निदेशक नियुक्त किये गये थे जिसके बारे में जीवन बीमा निगम ने सहमति दी थी । अब वह उन्हें हटाना चाहते हैं । वे सरकार के बड़े उच्च अधिकारी, श्री बलीगा तथा अन्य हैं । मैं इतना ही कहना चाहता हूं वे चारों सरकार के उच्च अधिकारी जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और अब वे उन्हें हटाना

चाहते हैं । क्यों ? इसलिए कि प्रत्यक्षत: वे किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम्पनी कार्य विभाग को इसे रोकने की चेष्टा करनी चाहिए ।

कम्पनी कार्य विभाग की रिपोर्ट के पृष्ठ 86 में एक वक्तव्य है । मामलों की जांच अभी जारी है । मद 1, जीयाजी राव कॉटन मिल्स लि० - जांच आदेश की तारीख 7-12-67; जोकि धाटा 237 (क) के अन्तर्गत है तथा टिप्पणी दी गई है—"न्यायालय के विचाराधीन मामला ।" क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे कि इसका क्या अर्थ है । 1967 से 1984—17 वर्ष हो गए हैं । अन्य मामले भी हैं : हिन्दुस्तान डिवल्पमेंट कार्पोरेशन का भी एक मामला है । जांच की तारीख 4-9-75 है, यह धारा 239 (ख) के अधीन है तथा इस पर टिप्पणी की गई है "न्यायालय में विचाराधीन मामला ।" परन्तु जीयाजी राव कॉटन मिल्स लि० का मामला सबसे पुराना है । यह 7-12-67 का है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : न्यायालय सर्वोपरि है । वे 17 वर्ष तक भी काम बकाया रख सकती हैं ।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं समझता हूं कि सभी कानूनों, चाहे वे निर्वाचन विधि के हों, सामाजिक विधि के हों अथवा कोई अन्य विधि के हों, अथवा देश की न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन का प्रश्न हो, यह सब विधि मंत्रालय का दायित्व है । यदि यह सभी समस्याएं विधि मंत्रालय द्वारा हल करली जाती हैं, तो उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न अधिकांश समस्याएं भी समाप्त हो जायेंगी ।

धन्यवाद ।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मिनिस्ट्री आफ ला, जस्टिस एण्ड कम्पनी अफेयर्स पर बोलने का मौका दिया । यह मिनिस्ट्री जो इस समय काम कर रही है उसके लिए काबिले मुबारकवाद है और मंत्री महोदय भी काबिले मुबारकवाद हैं कि उन्होंने थोड़े से अरसे में बहुत अच्छा काम किया है । लेकिन जैसाकि दूसरे साथियों ने कहा है इस में वजारत में बहुत कम वक्त दिया गया है । ज्यादा वक्त होना चाहिए था क्योंकि इस ऐवान की जिन्दगी भी कानून की बुनियाद पर है और लोगों के जो हक हकूक हैं वह भी कानून की बुनियाद पर है । सारा मुल्क कानून की बुनियाद पर चल रहा है । इसलिए इसके लिए ज्यादा वक्त होना चाहिए । जहां तक मुझे याद पड़ता है 74-75 के बाद पहली बार यह मिनिस्ट्री डिस्कशन के लिए ली गई है । इसलिए इस पर ज्यादा वक्त और मौका मिलना चाहिए था ।

यह मिनिस्ट्री चार बड़े डिपार्टमेंट्स को देखती है— लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट आफ जस्टिस और कम्पनी अफेयर्स । मैं आप की इजाजत से चन्द आस्पेक्ट्स पर ही बोलूंगा । मुझे उम्मीद है मंत्री महोदय उस पर गौर फरमाएंगे और कोई ऐसा तरीका अख्त्यार करेंगे कि एक अच्छा हल इसका निकल सके ।

मैं लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की बात ही करता हूं। बहुत से डिपार्टमेंट्स इसके तहत हैं। उस में से मैं सिर्फ दो ही के मुताल्लिक अर्ज करूंगा। एक तो एलेक्शन कमीशन जिस पर कि इस मिनिस्ट्री का ऐडमिदिस्ट्रेटिव कंटोल है और दूसरा ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ला एण्ड जस्टिस। हमारे मंत्री महोदय काबिले मुबारकवाद हैं, वह हमारे साथ कंसल्टेटिव कमेटी के मेम्बर थे और उनके सेक्रेटरी साहब भी काबिले मुबारकवाद हैं क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत से ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिस को पढ़ने से पता चलता है कि कुछ अच्छा नतीजा शायद इसी सेशन में आने ही वाला है। मैं बहुत ही सफाई से इस बात को कहना चाहता हूं कि काफी अच्छा काम वक्त वक्त के मुताविक हुआ है जिसको मैं दूसरे वक्त रेफर करूंगा।

फिलहाल एलेक्शन कमीशन की बात मैं करूंगा। इसमें टोटल स्टाफ 38 है। 38 में से 23 सैक्शन आफिसर, हिन्दी आफिसर और पी ए वगैरह हैं, कुल मिला कर बच गए 15 अफसर आप मुलाहिज फरमाइए कि 70 करोड़ की आबादी और 15 अफसर उसके लिए तो वही मिसाल हो गई कि ऊंट के मुंह में जीरा। इतनी आबादी के लिए यह एलेक्शन कमीशन इंतजाम करे यह मुझे नामुमकिन मालूम होता है। यह कहा जाता है कि स्टेट के आफिसर्स इसकी मदद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें बहुत सी इल्लीगलिटी और इरैगुलैरिटीज होती हैं और होती आ रही हैं। मुझको खास ग्रीवान्स है कि एलेक्शन कमीशन के इन्स्ट्रक्शन्स के बावजूद मेरे जिले पूर्णिया और उससे मिले हुए जिले कटिहार में 15 हज़ार ऐसे लोगों के नाम खारिज कर दिये गये जिन्होंने 1971 में वोट दिया, फिर 1972 में असेम्बली एलेक्शन में वोट दिया, 1975 में जब जब एलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन हुआ तो उसमें भी उनका नाम था, फिर 1977 में वोट दिया और फिर 1980 में भी वोट दिया लेकिन 1983 में उनके नाम कट गए। इस बात का काफी रिपरकशन हुआ है उन दोनों ही जिलों में और हमने इस बात की तरफ एलेक्शन कमीशन का ध्यान खींचा है लेकिन उसने अनसुनी कर दी है। जिसका कि हमें बहुत ही रंज व अफसोस है। आखिर इसकी क्या वजह है ? या तो एलेक्शन कमीशन के पास इनएडिक्वैसी आफ स्टाफ की वजह से पूरा स्टाफ नहीं है कि वे जेन्युइन ग्रीवांसेज को भी देख सकें या फिर कुछ लोगों के दवाब में आकर, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, वह नाम काट दिए गए हैं। उन लोगों के पास जबानी और डाकूमेन्टरी, दोनों ही प्रूफ मोजूद हैं। उनमें रिटायर्ड गवर्नमेंट आफिसर्स हैं, टीचर्स हैं और हैल्थ डिपार्टमेंट में काम करके रिटायर हुए लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए हैं। इस बात की तरफ मैंने लीडर आफ दि कन्ट्री का भी ध्यान खींचा है और उन्होंने उसके जवाब में लेटर no 304-पी. एम .ओ. । 84, 19 मार्च, 1984 में कहा गया है कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के पास आब्जर्वेशन्स देने के लिए भेज दिया गया है क्योंकि मेरे लेटर में कहा गया था कि लोकल आफिसर्स गलत तरीके से किसी पार्टी के दबाव में आकर जायज आदमियों के नाम नाजायज तरीके से खारिज कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप एलेक्शन कमीशन को एडीक्वैटली स्टाफ करें। साथ ही साथ प्राविन्सेज में भी जो एलेक्शन आफिसेज हैं, उनको भी एडीक्वैटली स्टाफ करें और उन पर अपना पूरा कन्ट्रोल रखें ताकि किसी तरह की नाजायज बातें न हो सकें और किसी भी हिन्दुस्तानी शहरी को नाजायज तरीके से परेशान न किया जाए।

2.57 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं एक सजेशन और देना चाहता हूं। इन मसलों को देखने की जिम्मेदारी अगर पंचायत कमेटी की लेविल पर सौंप दी जाये तो बेहतर होगा क्योंकि वहां पर सरकारी अफसरान भी मौजूद हैं। उनके जिम्मे यह काम किया जाये तो सही बात सही ढंग से सामने आ सकती है। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत लेविल पर वी. एल. डब्लू, रहता है, ग्राम-सेवक होता है, चौकीदार होता है और वी. डी. ओ, सी. ओ. इस किस्म के लोग वहां पर होते हैं जोकि सही बात बता सकेंगे कि कोई आदमी उस पंचायत का रहने वाला है या नहीं।

जहां तक गरीब आदमियों को लीगल एण्ड देने की बात है, मैं अर्ज करूंगा कि जस्टिस भगवती साहब ने यह बहुत अच्छा काम किया है। जिसकी मैं बहुत कद्र करता हूं। उन्होंने रेकमेन्ड किया है कि 6 हजार सालाना तक जिनकी आमदनी होगी, उनको लीगल एड जरूर दी जाये। मेरी गुजारिश है कि सोशल जस्टिस देने की बात हो तो उसका क्राइटीरिया एकोनामिक होना चाहिए। हम जरूर चाहते हैं कि शेड्यल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को मदद मिले, वीमेन को भी मदद मिले लेकिन उसके साथ साथ हमारा नजरिया यही होना चाहिए कि एकोनामिकली जो लोग पूवर हैं, चाहे वे किसी भी कास्ट के क्यों न हों, उनको लीगल एड दी जाएगी।

3.00 म. प.

चूंकि वे भी भारत के सीटिजन्स हैं। लीगल एड कमेटी का इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए। इसके लिए एडीक्वेट फण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं हैं, सभी इस बात से सहमत हैं कि गरीबों की भरपूर मदद की जानी चाहिए। यदि कोई आज मुकद्मा दायर करेगा तो उसकी जिन्दगी के 8-10-12-9 साल तो यों ही गुजर जायेंगे। ...(व्यवधान)... आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए इसको इफैक्टिव बनाइए। इस बात से सारे सदन के लोग सहमत हैं। यदि आप इसको और मजबूत बनाना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत एक्ट बना है, वह अभी तक इनइफैक्टिव है, उसको इफैक्टिव बनाइए। ताकि गरीब जो गांव में रहता है, उनको जल्दी इन्साफ मिल सके। बजाय इसके कि वह कोर्ट के चक्कर लगता रहे।

अब मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां के बारे में चन्द बातें कहना चाहता हूं। पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एसिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर, गवर्नमेंट प्लीडर और ऐसी स्टेट गवर्नमेंट प्लीडर या दूसरे लायर, जो सरकारी काम से संबंधित हैं, उनको एडीक्वेट पेमेंट होना चाहिए। इस प्रकार की एविडेंस भी आई है कि एक तरफ मान लीजिए पालकीवाला हो दूसरी जमीलुर्रहमान, तो मैं क्या करूंगा। पालकीवाले जैसा ही आदमी होना चाहिए, उसको वैसा ही पैमेंट करना चाहिए।

ताकि वह मजबूती के साथ केस को लड़ सके । मुझे इसका तर्जुबा है, जब मैं पब्लिक प्रोसीक्यूटर था ; तो सरकारी आदमी बेदिल से केस को लड़ता था । यदि उसको एडीक्वेट पेमेंट किया जाए वह दिल से केस को लड़ेगा । वह सही मायनों में देश की सेवा कर सकेगा । यदि इसके बारे लॉ में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, तो वह भी किया जाना चाहिए । उनकी सोशियो-सिक्यो-रिटी होनी चाहिए ।

यह बड़े दु:ख की बात है, जैसा कि अखबारों में आ रहा है, कि बार और बेंच में झगड़ा है । इससे मुल्क पर बड़ा बुरा असर पड़ता है । ऐसा मालूम होता है कि जैसे बहुत बड़ा तूफान आ गया है । मैं चाहता हूं कि इन दोनों से रिलेशनशिप मजबूत होनी चाहिए । ताकि लोगों की सेवा हो सके । यदि आपस में कोई झगड़ा है, तो उसको बैठ कर निपटाया जाना चाहिए । बजाय इसके कि प्रेस में आयें, चाहे वह जजेज का मामला हो या लायर्स का मामला हो । इस किस्म की बातें होती हैं, तो बहुत सी बातें इन बातों से जन्म लेती हैं । करप्शन और फेवरेटिज्म को जन्म देती है । स्मूथ फंगशनिंग के लिए बार और बेंच में एक अच्छा रिश्ता कायम होना चाहिए ।

एक बात अब मैं लॉ-कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं । इसने अच्छा काम किया है । काबिले तारीफ है ···(व्यवधान)··· काबिले तारीफ है । यही बात है, कि उस दिन भी चक्रवर्ती जी को उर्दू समझ में नहीं आई थी और उस दिन झगड़ा हो गया था । उनकी रिकमेंडेशन हैं— एलीमिनेशन ऑफ डिले, स्पीडी क्लीयरेंस, सिम्पलीफिकेशन आफ प्रोसीजर, एलीमिनेशन ऑफ टैक्नीकैलेटिज— बहुत सही रिकमेंडेशन्स उन्होंने की है ।

आप सब जानते हैं—टैक्नीकेलिटीज में मद्रास से कागज दिल्ली आयेंगे और दिल्ली से मद्रास जायेंगे, तब तक बात खत्म हो जायेगी । इसलिए टैकनीकैलिटीज के झझट में मत पड़िये । इसमें कुछ सुधार लाइये ताकि इस जमूरियत में अवाम का फायदा हो । जो प्रिन्सिपल्ज ला-कमीशन ने ले डाउन किये हैं, वे निहायत माकूल है, बहुत अच्छे हैं, उन को इम्प्लीमेन्ट कीजिए । आप की मिनिस्ट्री के लिए यह क्वेश्चन-मार्क हैं कि आप इसे कहां तक इम्प्लीमेन्ट करते हैं ।

बहुत ज्यादा तादात में लिटिगेशन्ज पेण्डिग हैं, 10-10 और 12-12 साल से पैण्डिग हैं । लोगों की मेहनत, खर्चा बार-बार आना-जाना जब ये सब चीजें होती हैं तो फेवरेटिज्म को रूल-आउट नहीं किया जा सकता है । इस तरफ भी आपको ध्यान देना होगा । इस सिलसिले में भी ला कमीशन की रिकमेण्डेशन्ज एक्जीक्यूट हों, इम्प्लीमेन्ट हों, फुल-फिल हों-यह जिम्मेदारी हमारी मिनिस्ट्री पर है ।

चन्द बातें मैं लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । इस डिपार्टमेन्ट ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उर्दू दां तबका मोहतरिम वजीर साहब, श्रीमती इन्दिरा गांधी, आप के डिपार्टमेन्ट के अफसरान के बहुत शुक्रगुजार हैं । आप ने कानुनों का बहुत सी रीजनल लैंग्वेज में दो जुबान तरजुमा कराया है । लेकिन एक बात सुन कर बड़ा दुख हुआ— जैसा मेरे भाई शेजवालकर साहब फरमा रहे थे —कॉंस्टीचूशन का जो हिन्दी तर्जूमा हुआ है,

उस को कोर्ट महत्व नहीं देती है। इस को हल करने का रास्ता क्या वे आउट हो सकता है, इस के बारे में आप को गौर करना चाहिए। सैन्ट्रल एक्ट्स के जो उर्दू तर्जुमे आपने कराये हैं उन के लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं और आप वधाई के पात्र हैं। जितने इम्पार्टेन्ट एक्ट्स हैं उन के तर्जुमे रीजनल लैंग्वेजेजवार दो में होने चाहिए ताकि वे गांवों के लोगों तक पहुंच सकें और वे उन को संजीदगी से समझ सकें। इन को रीजनल लैंग्वेजेज में छपाने के लिए अगर आप के पास फण्डस की कमी हो तो मैं आप से गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा फण्डस हासिल करने की कोशिश करें ताकि यह काम पूरा हो सके। एक बात और, कानूनों का रीजनल लैंग्वेजेज में छप जाना ही काफी नहीं हैं, कोर्टस भी उन को महत्व दें—यह बड़ी बात है, इस तरफ भी आप को गौर करना चाहिये।

कुछ बातें मैं वक्फ के बारे में कहना चाहता हूं। वक्फ एडिमिनिस्ट्रेशन ख्वाजा अजमेर शरीफ में जो काम कर रहा है वह बहुत अच्छा है, लेकिन इस में और ज्यादा इम्प्रूवमेन्ट की जरूरत है। एक सब से जरूरी मसला वक्फ प्रापर्टीज की प्रोटेक्शन, सेफगार्डिंग आफ वक्फ प्रापर्टीज का है। माइनारिटी कम्यूनिटीज के जरिये जो एजूकेशनल इंस्टीचूशन्ज चलाई जा रही हैं, उन के एडवांसमेन्ट का मसला है। अभी तक वक्फ प्रापर्टीज के सर्वे का काम पूरा नहीं हो सका है। आप की रिपोर्ट में कुछ स्टेट्स का जिक्र है, लेकिन बकाया काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। इस काम को 35-36 साल हो गये हैं, अगर आप इस काम को पूरा करा दें तो यह सेहरा आपके सिर मंडेगा। एक बात मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं—मुशलमानों के अन्दर इस बात का बड़ा एप्रीहेन्शन है कि जितनी डिले हो रही है उस का नतीजा है कि अनस्क्रुपुलस लोग प्रापर्टीज को डिस्पोज— आफ कर रहे हैं या गवर्नमेन्ट उन पर कब्जा कर रही है। इस एप्रीहैन्शन को दूर करने की जरूरत है। हमारी नीयत साफ है, हम इस काम को करना चाहते हैं, इस में कोई शुव्हा नहीं है लेकिन प्राइम मिनिस्टर के डायरैक्टिव के बावजूद रेस्टोरेशन आफ प्रापर्टीज नहीं हो पाया है, यह बहुत अफसोसनाक बात है। आप डी० डी० ए को देख लीजिए। जो भी वक्फ की जायदाद है, उस सब को ग्रीन एरिया डैक्लेयर कर दिया और मस्जिदें जो हैं वे आर्कियोलाजीकल डिपार्टमेंट के कब्जे में है और जो दूसरी प्रापर्टी है, वह दूसरे लोगों के कब्जे में चली गई है। आखिर इस को कौन देखेगा। आप का डिपार्टमेंट जामिन है वक्फ जायदाद का। वह नहीं देखेगा, तो कौन इस को देखेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस को आप रेस्टोर कीजिए और प्राइम मिनिस्टर की डाइरेक्शन्स पर अमल कराइए और रेस्टोर करा कर वक्फ बोर्ड के कब्जे में दिलवाइए ताकि काम ठीक से हो सके।

वक्फ एमेंडमेंट एक्ट के बारे में कई बार अखबारों में पढ़ चुके हैं और रिपोर्ट के अन्दर भी यह है। यह बहुत दिनों से पैन्डिग है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप इस को इस सैशन में लाएंगे। बीच में एक बर्नी कमैटी भी बनी थी और फखरुद्दीन साहब मरहम के वक्त में भी इस बारे में बात हुई थी लेकिन अभी तक यह नहीं हो पाया है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि वक्फ एमेडमैंट एक्ट को आप जल्दी से जल्दी लाइए ताकि इस मसले पर जो मुसलमानों के दिलों में कसक है, वह दूर हो सके।

मैं घूम-फिर कर देखता हूं कि इस डिपार्टमैंट में स्टाफ बहुत कम है और जब ऐसी बात है, तो काम कैसे होगा। इसलिए इस को आप एडीकैट स्टाफ दीजिए। इतना बड़ा वक्फ का मामला है, इतना बड़ा ट्रान्सलेशन का काम है, रीजनल लैंगुएजेज में इतने सारे एक्टों का तरजुमा करना है और आप के पास स्टाफ सिर्फ एक हजार या डेढ़ हजार है। इतने स्टाफ से कैसे काम चलेगा। डिपार्टमैंट इतना भारी है और काम इतना ज्यादा है, तो कैसे इतने कम स्टाफ से काम होगा। यह मैं सभी विभागों के बारे में कह रहा हूं और सिर्फ एक विभाग के बारे में नहीं कह रहा हूं। अगर आप स्टाफ बढ़ा देते हैं, फिर देखिये कि काम होता या नहीं।

लास्ट प्वाइन्ट मुझे जूडीशियेरी के बारे में कहना है। जूडीशियेरी को देखने के बाद मुझे एक छोटा सा शैर याद आ जाता है :

हम खाक हो जायेंगे, तुझ तक खबर होने तक।

जूडीशियेरी की यह हालत है कि 1-4-1984 में सुपीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिला कर कुल 18 आनरेबिल जजेज हैं और 1-4-83 तक आनरेबिल हाई कोर्ट्स में केवल 333 जजेज थे जबकि इन की स्ट्रेंथ 418 है। इसी तरीके से आप केसेज को ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में 30-11-83 तक रेगूलर हियरिंग के लिए 42,146 कैस थे और एडमीशन मैटर्स 3,361 थे। इसी तरह से हाई कोर्टस में 31-12-82 तक कुल 9,76,781 कैस पेन्डिग थे। सैशन्स कोर्टस में औरीजनल कैसेज 91,776 थे 30-6-82 तक रिवीजन के 39,322 और अपील के 51,926 थे। मेजिस्ट्रेट कोर्ट्स में 30-6-82 तक 63,84,727 थे और सिविल कोर्ट्स 30-6-82 तक औरीजनल कैसेज 30,63,550 थे और अपील में 2,37,780 कैसेज थे और स्ट्रेंथ को आप देखिये। दिम्सबर, 1982 तक डिस्ट्रिक्ट जज और सैशन्स जज 2,786 थे। अब अगर कैसेज की संख्या को देखा जाए, तो सैशन्स जज और डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर हो जायेंगे और कैसेज पैन्डिग पड़े रहेंगे अगर उन की संख्या को जजेज की संख्या से भाग दे दें। तो क्या नतीजा निकलेगा।

श्री आर० एन० राकेश (हौल) : इस में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने हैं ?

श्री जमीलुर्रहमान : आप जरा मेरी बात सुन लीजिए। मुन्सिफ और मेजिस्ट्रेट कुल 5,044 हैं। ये फीगर्स मैंने आप की रिपोर्ट से ली है। अब सवाल यह पैदा होता है कि किस तरह से इतने सारे कैसेज निपटेंगे।

एक भाई ने अभी सवाल उठाया था कि कितने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जजेज हैं।

यह रिजर्वेशन की बात है और इसका कांस्टीच्युशन में प्रोविजन हैं। जो कांस्टीच्युशन में प्रोविजन है, उस पर पूरा अमल-दरामद होना चाहिए। अगर यह हुआ है तो गलत बात है।

कोर्ट में जो केसिज का मसला है, जहां तक मैं रीड कर पाया हूं अगर इनमें से सर्विसिज के केसिज हटा दिये जाएं और इफेक्टिव ट्रिब्युनल्स बैठा दिये जाएं तो बहुत हद तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का लोड कम हो जाएगा ।

हमारे लायक वजीर, मेरे वकील भाई कौशल जी कंसलटेटिव कमेटी के मैम्बर थे, उसमें हमने कोर्ट फ़ी के बारे में जोड़-तोड़ कर देखा था और पाया था कि .01 परसेन्ट कोर्ट फी का कांट्रीब्युशन आल इंडिया में हमारे रेवेन्यु में है । अगर आप पुअर लोगों को जस्टिश देने की बात करते हैं तो यह 0.1 परसेंट आप टैक्स बढ़ाकर भी रेवेन्यु में हासिल कर सकते हैं । हमारे यहां कोर्ट फी ज्यादा होने की वजह से गरीबों को जस्टिश नहीं मिल पाता है । अगर मान लीजिए मैं किसी मकान का मालिक हूं और कोई इंट्रूडर उसमें कब्जा करके बैठ जाता है, उस मकान का इवेल्युशन दो लाख रुपये का हुआ है तो मैं कोर्ट फी न दे सकने की वजह से उस इंट्रूडर को मकान से नहीं निकाल सकूंगा और वह उस में बैठा रहेगा । अगर आप पुअर आदमियों और छोटे आदमियों को जस्टिस देने की बात करते हैं जिसका कि इस रिपोर्ट में भी तस्किरा किया गया है तो इस कोर्ट फी को खत्म करने के बारे में आपको जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी चाहिए ।

सर, हमारे यहां आबादी में औरतें बराबर हैं । इसलिए हमारी औरतें भी बराबर की तादाद में जजिज होनी चाहिएं । इसका औरतों पर एक इम्पेक्ट पड़ेगा । आजकल जो औरतों पर क्राइम सुनने में आते हैं उनको दूर करने में भी इसका एक इम्पेक्ट होगा । इसलिए औरतों को भी बराबर की तादाद में जजिज मुकर्रर किया जाना चाहिए ।

यह जो बाराणसी में शिया और सुन्नी लोगों का संगीन मसला है. यह बड़ा ही दर्दनाक है । अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एक बात हो गई है, इसलिए मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता । लेकिन मैं अपने लायक और काबिले तारीफ वजीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे कोई इसका रास्ता निकालें । नहीं तो यह एक बड़ी ही भयानक बात होने वाली है । लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि कोई रास्ता निकालिये, वरना बड़ी भयानक बात होने वाली है । अगर यह बात भयानक हो गई तो इसका बहुत देर तक असर रहेगा ।

इलेक्शन रिफार्म की बात कही गई है, वे होने चाहिएं । आप उनके बारे में सोच-समझ कर कदम उठाइये ।

आखिर में मै आपसे डिस्ट्रिक्ट लेबल से आनरेबल हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में जजिज के अपोइंटमेंट के बारे में कहना चाहता हूं कि उसमें फेअर रिप्रेजेन्टेशन मुसलिम अक्लियत को भी मिलना चाहिए । अक्लियत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं हैं ।

आखिर में मैं अपने लायक वजीर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इन मांगों को यहां रखा । इन मांगों की मैं ताईद करता हूं ।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं विधि मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विधि विभाग को बड़े अच्छे ढंग से चलाया है और विधि विभाग तथा विधान संबंधी बहुत सी कठिनाईयों को दूर किया है। अब मैं उन कुछ कठिनाईयों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन्हें हम अनुभव कर रहे हैं तथा मुझे आशा है कि उन पर ध्यान दिया जाएगा।

आज देश की मूल समस्या यह है कि बहुत से मामले अनिर्णीत पड़े हैं जिनका उल्लेख बहुत से माननीय सदस्यों ने भी किया है। कुछ तो ऐसे मामले हैं जो तीस वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं तथा कुछ देश के विभाजन के पहले के हैं। इस समस्या का शीघ्र हल निकाला जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है ऐसे भी मामले हमारे सामने हैं जो देश के स्वतंत्र होने से पूर्व से लम्बित पड़े हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि बकाया मामलों की संख्या कितनी अधिक है।

इन समस्याओं को अल्पावधि में तथा दीर्घावधि में हल किया जा सकता है। पहले मैं अल्पावधि उपायों का उल्लेख करना चाहता हूं। एक उपाय तो यह है कि विभिन्न न्यायालयों में जिला स्तर के न्यायालयों में उच्च न्यायालयों में तथा उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं जिससे बकाया मामलों की समस्या को जल्द से जल्द हल किया जा सके। यदि न्यायाधीशों की तदर्थ नियुक्ति की जाती है और यदि उनकी संख्या दुगुनी भी हो जाती है तो इससे स्थायी न्यायाधीशों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे यह समस्या उत्पन्न होगी कि उन्हें कहां बैठाया जाए। इसके लिए हमें कोई अपरम्परागत तरीका अपनाना होगा। एक तरीका तो यह अपनाया जा सकता है कि न्यायालयों में दो पारियां चलायी जाएं और वर्तमान भवनों का उपयोग किया जाए तथा इस बीच नए भवनों का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया जाए तथा उनके तैयार होने पर वहां काम आरम्भ कर दिया जाए। हम इस बात की प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि बीस वर्ष बाद भवन बनेंगे और तब अनिर्णीत मामलों की समस्या की समाधान होगा। जहां भी बकाया मामले हों वहां तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किये जाने चाहिए ताकि 30-40 वर्षों से अनिर्णीत पड़े मामलों को निपटाया जा सके। अल्पावधि उपाय के बारे में मेरा यह सुझाव है।

एक माननीय सदस्य : वकीलों की पर्याप्त संख्या के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री विक्रम महाजन : वकीलों की संख्या काफी है। वास्तव में उनकी संख्या आवश्यकता से अधिक है। वे प्रस्ताव से प्रसन्न होंगे। जिनका धंधा अब नहीं चलता वह फिर चलने लग जाएगा।

जैसाकि मैंने कहा है, अब समय आ गया है जब हमें इस समस्या का अपरम्परागत उपाय निकालना होगा तथा अल्पावधि में इस का हल निकालने के लिए निर्णय करना होगा। इस समस्या का तुरन्त हल निकाला जाना चाहिए तथा हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

दूसरे, मैं यह नहीं मानता कि जिन लोगों को उचित वेतन नहीं मिलता वे उच्च श्रेणी के लोग नहीं हैं। परन्तु यदि आप चाहते हैं कि सक्षतम व्यक्ति न्यायाधीश बनें तो आपको उन्हें अच्छा वेतन देना चाहिए। आपको इसे इस दृष्टि से देखना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि हमारा देश समाजवादी देश है इसलिए यहां वेतन नहीं बढ़ाया जा सकता। उस दशा में, हमें अपनी आंखों पर पट्टी डालना होगा। मूल बात यह है कि यदि आप चाहते हैं कि सक्षतम व्यक्ति नियुक्त किये जाएं तो आपको उन्हें अच्छा वेतन देना होगा और न्यायपालिका के हित की रक्षा करनी होगी। यदि न्याय जल्दी मिलता है तो इससे अन्ततोगत्वा गरीब तथा जनसाधारण को लाभ होता है। इसके पीछे धारणा यह है कि लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाया जाए।

मेरे एक और निवेदन यह है कि कानून को सरल बनाया जाए। हर रोज हम ऐसे कानून बना रहे हैं जो पहले बने हुए कानूनों से भी बदत्तर होते हैं। कानून का प्रारूप ठीक होना चाहिए क्योंकि यदि कानून खराब है या उसका प्रारूप उचित नहीं है तो इससे मामलों की संख्या और बढ़ेगी।

एक और समस्या, जो संसद् और राज्य विधान मण्डलों के सामने बार-बार आ रही है वह सभा के विशेषाधिकारों, न्यायालयों के विशेषाधिकारों, प्रैस के विशेषाधिकारों और जन साधारण के मूल भूत अधिकारों की समस्या है। यह समस्या हर 4 या 5 वर्षों के बाद इस संसद् के सामने आती रहती है। हम ब्रिटेन के हाऊस आफ कामन्स के विशेषाधिकारों का पहले से ही अनुकरण कर रहे हैं। किन्तु अब समय आ गया है जब हम सब को एक साथ मिलकर संसद् सदस्यों, प्रैस जनों और न्यायाधीशों की एक संसदीय समिति बनानी चाहिए ताकि हम छोटे छोटे मामलों पर, जो बाद में महत्वपूर्ण बन जाते हैं, तथा न्यायपालिका और विधायिका के बीच झगड़े का कारण बन जाते हैं, बार बार झगड़ते न रहें।

एक बार पहले भी झगड़ा हुआ था जब किसी एक व्यक्ति का मामला सभा के सामने आया था। इसके अलावा एक और मामले में भी झगड़ा हुआ था।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि संसद् सर्वोच्च है। किन्तु संसद् ने स्वयं, निर्वाचित संविधान सभा के रूप में, भारत के संविधान को अंगीकार किया था जिसमें हमने न्यायापालिका को स्वतंत्र बनाया है। हमें निर्णय लेना होगा कि उसकी शक्तियों को हम किसी सीमा तक कम करना चाहते हैं, किस सीमा तक न्यायापलिका को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, किस सीमा तक जन साधारण को मूल भूत अधिकारों की न्यायालय रक्षा कर सकते हैं, जन साधारण को किस सीमा तक रक्षा प्रदान की जानी चाहिए तथा संसद् के विशेषाधिकार क्या होने चाहिए। संसद् को हाउस आफ कामन्स के विशेषाधिकारों पर निर्भर करने के बजाए इस बारे में निर्णय लेना चाहिए। हमें इस मामले को हमेशा के लिए तय कर लेना चाहिए।

मैं दूसरे प्रश्न भी उठाना चाहता था, परन्तु क्योंकि मेरे विद्वान मित्र ने मुझे बोलने के लिए थोड़ा सा ही समय दिया था, इसलिए अब मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मैं मंत्री महोदय

को एक बार फिर वधाई देता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह मेरी उन सब बातों पर विचार करें जो मैंने चर्चा के दौरान उठाई हैं।

(धन्यवाद)।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि 1976 के बाद लॉ मिनिस्ट्री पर हम लोग विचार कर रहे हैं। लगभग आठ साल से इस हाउस के अन्दर लॉ मिनिस्ट्री पर चर्चा नहीं हुई। वैसे यह सबजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन समय का लिहाज रखते हुए मैं, जो कंपनी कार्य विभाग इसका एक अंग है, उस पर अपनी बात रखूंगा। कम्पनी लॉ, काला-धन पैदा करने का एक बहुत बड़ा साधन है। आज, हम लोग देखते हैं कि बराबर मिलों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है और इसके साथ ही साथ कम्पनी लॉ के अन्तर्गत जो प्राईवेट और पब्लिक कम्पनियां हैं, उनमें एम०डी० और चेयरमैन नियुक्त किये जा रहे हैं। हम यह देखते हैं कि एम०डी और० चेयरमैन प्राय: कम्पनियों में एक ही होते हैं। एक पुरानी कहावत बताना चाहूंगा जैसे कि "मलाई की रक्षा करने के लिए बिलाई को कार्य सौंप दिया जाए"। मैं, यह बताना चाहूंगा कि देश की एक सबसे बड़ी कम्पनी समाचार-भारती है। यह एक मात्र ऐसी कपम्नी है जिसके समाचारों और कर्मचारियों की विश्वसनीयता है। तीन वर्ष से अधिक हो गए, इस कम्पनी के शेयर-होल्डरों की मीटिंग नहीं हुई। डायरेक्टर, मनमाने ढंग से बना लिए जाते हैं। कम्पनी का हिसाब पांच वर्षों से और तीन वर्षों से आडिट नहीं हुआ। इसकी कोई जांच नहीं की गई। समाचार-भारती के कर्मचारियों को पिछले काफी दिनों से वेतन नहीं मिला है।

मैनेजिंग डायरेक्टर घनश्याम पंकज जी रोम की यात्रा करने जा रहे हैं। इन्होंने तीन वर्ष में पांच बार विदेश यात्रा की है। यह हमारी इस कम्पनी की स्थिति है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन मनमानी करते हैं और यहां तक होता है कि बोर्ड कोई फैसला लेता है तो उसको बदल देते हैं, प्रौसीडिंग्ज तक को बदल दिया जाता है। अभी अभी घनश्याम पंकज जी ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिन की वजह से छोटे कर्मचारियों की स्थिति हास्यास्पद हो गई है। यह पार्टी का सवाल नहीं है। ला मिनिस्टर बैठे हुए हैं। वह जानते हैं कि राज्य सभा के कांग्रेस आई के मैम्बर श्री श्रीकान्त वर्मा ने जब यह महसूस किया कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन ऐसे तत्व है जिन की वजह से इस कम्पनी का भविष्य अंधकारमय बन गया है तो उन्होंने स्वयं इससे त्यागपत्र तक दे दिया है। इतना बड़ा इसमें घोटाला है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि जब ला मिनिष्टर उत्तर दें तो बताएं कि वस्तुत: समाचार भारती का क्या मामला है। मैं जानना चाहता हूं कि छोटे जो कर्मचारी हैं उनकी स्थिति कंपनी ला के मुताबिक क्या है घनश्याम जी पंकज ने तो कह दिया है कि ये शोभा के तत्व है। इससे उनकी स्थिति काफी हास्यास्पद बन गई। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में ये शोभा के तत्व हैं ? मैं समझता हूं कि कम्पनी ला में हम को सुधार करना होगा, उसको बदलना होगा ताकि समाचार भारती जैसी स्थिति अन्य कम्पनियों की न होने पाए।

एक कम्पनी की सैलिंग एजेंसी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। एक सैलिंग एजेंट्स हैं, उनको 68.64 लाख कमिशन के दिए गए एक बार और दूसरी बार 88.45 लाख दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां रुक जाएं, क्योंकि हमें 3.30 म.प. पर गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करना है। आप अपना भाषण सोमवार को जारी कर सकते हैं।

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

72वां प्रतिवेदन

श्री चित्त बसु (बसीरहाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 28 मार्च, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 72 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 28 मार्च, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 72वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

बेरोजगारी के संबंध में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री टी०एस० नेगी द्वारा 16 दिसम्बर, 1983 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :

"यह सभा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए बेरोजगार व्यक्तियों की भूमि-सेना का निर्माण करने हेतु तुरन्त कार्यवाही करें :

(क) बड़ी नदियों के तल गहरे करने का कार्य ;

(ख) हिमालय क्षेत्र सहित समूचे देश में वन-रोपण कार्यक्रम को इस प्रकार चलाना कि भूमि का कम से कम एक तिहाई भाग वन प्रदेश हो जाए ;

(ग) व्यापक भूमि संरक्षण कार्यक्रम ;

(घ) देश की बड़ी नदियों को दूसरी नदियों के साथ मिलाना ;

और सिफारिश करती है कि सरकार को सभी बेरोजगार व्यक्तियों को कम से कम 100 रुपये प्रति मास बेरोजगारी भत्ते के रूप में देने चाहिएं ।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जटिया अपना भाषण दे रहे थे । वह इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं । अत: यह समझ लिया जायेगा कि उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर लिया है । हमने इस विषय पर 4 घंटे ले लिये हैं, अत: मैं समझता हूं कि हम इस पर आज चर्चा समाप्त कर देंगे । कुछ और सदस्यों ने अभी अपना भाषण देना है । श्री गिरधारी लाल व्यास ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री नेगी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं, मगर एक बात मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एम्पलायमेंट की समस्या ऐसी है जिसे हल किये बिना हमारा देश ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए इसे फंडामैंटल राइट में इन्क्लूड किया जाना चाहिए । अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है, जिससे लोगों को रोजगार और धन्धा मिल सके, हालांकि सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चालू किये हैं जिससे लाखों-करोड़ों को कामकाज मिल सके, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की गारन्टी सरकार की तरफ से होनी चाहिये, वह अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आप गारन्टी की बात करते हैं, आप आबादी बढ़ाते जाइये और गवर्नमैंट को बोलिए कि नौकरी दें, यह ठीक नहीं है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह आपके हाथ में नहीं है । अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चे के लिए तरसते हैं, जिनके बच्चा नहीं होता है । अलग अलग तरह की बातें हैं । इस बारे में आप अपने घर से कोशिश कीजिए, चैरिटी बिगिन्स एट होम ।

मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें कोई भी आदमी बगैर कामकाज के न रहे ।

मैं इस बात से इतिफाक नहीं करता जैसाकि कुछ लोग कहते हैं कि 100 रुपए अन-एम्पलायमैंट का भत्ता दिया जाये । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें कोई भी आदमी बेरोजगार न रहे । इसे आप कैसे लागू करेंगे, यह आपके देखने का काम है ।

एन आर ई पी का प्रोग्राम आपने लागू किया जिसमें लाखों लोगों को धन्धा देने की बात है, लेकिन क्या यह प्रोग्राम ठीक प्रकार से लागू हो रहा है ? बहुत सी स्टेट्स के पास एन आर ई पी के लिए फंड अवेलेबल नहीं है । इसलिए लाखों लोग जिनको भारत सरकार रोजगार देना चाहती है, इंदिरा जी का जो 20-सूत्री कार्यक्रम है, उसको स्टेट गवर्नमैंट्स इम्पलीमैंट नहीं कर

पा रही हैं क्योंकि उनके पास फंडज़ नहीं हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को या तो भारत सरकार खुद चलाये या फिर ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे राज्य अगर अपना कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं देती, जिसके कारण प्रोग्राम फेल हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये जिससे ये प्रोग्राम व्यवस्थित तरीके से ठीक बैठ सके।

हमारे बहुत से भाइयों ने फूड फार वर्क कार्यक्रम की बात कही है। इस कार्यक्रम को जनता पार्टी के समय में चलाया गया था। हमारे वैस्ट बंगाल के भाई इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमने यह देखा है कि इस प्रोग्राम में बहुत से लोगों ने अपने घर बनाने के सिवाय और कोई काम नहीं किया है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कहां किया है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : कई जगह ऐसा हुआ है कि इस कार्यक्रम में जितना गेंहूं लोगों को देने के लिए दिया गया, वह बांटने वालों द्वारा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बांट दिया गया या उसका उपयोग वहां के सरपंच ने और ऐसे प्रतिनिधियों ने गलत तरीके से किया जिसकी वजह से जिनको काम के बदले अनाज चाहिये था, वह नहीं मिल सका।

जनता पार्टी की सरकार की बदनामी इसी वजह से हुई कि गांव-गांव में जो सरपंच बैठे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया जिसके कारण हिन्दुस्तान की जनता ने उनको पहचान लिया कि जनता पार्टी के लोग करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। आज जो लोग करप्शन की बात यहां करते हैं, इस करप्शन की सबसे बड़ी देन जनता पार्टी की तरफ से हुई है। इन लोगों ने लोगों को भ्रष्ट करने के सिवाय और किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया।

एन आर ई पी में ऐसी खराब व्यवस्था आज भी हो रही है जिसको देखना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि सरपंच या दूसरे ऐसे लोगों को जो काम करने के लिए देते हैं, वह ठीक प्रकार से इम्पलीमैंट हो रहा है या नहीं। यह देखना नितांत आवश्यक है कि एन आर ई पी की हालत वह न हो जाए, जो जनता पार्टी के शासन-काल में फूड-फार वर्क कार्यक्रम की थी। अगर इस कार्यक्रम को ठीक प्रकार से चलाया जाए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा विकास होगा। लेबर मिनिस्टर की यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिये कि क्या एन आर ई पी के लिए स्टेट्स के कान्ट्रीब्यूटरी फंड्ज ऐवेलेबल हैं या नहीं और क्या इस योजना के अन्तर्गत लोगों को काम मिल रहा है।

भारत सरकार ने आई आर डी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया है, जिसके अन्तर्गत हर एक ब्लाक में 600 फैमिलीज को और देश भर में एक करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाएगा। मगर क्या श्रम मंत्री ने जाकर देखा है कि क्या आई आर डी पी का काम ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट हो रहा है ? मैं समझता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट इस बारे में बिल्कुल निष्क्रिय है और उसने किसी भी ब्लाक में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति को देखने की कोशिश नहीं की है।

इस योजना के अधीन जो सबसिडी का पैसा दिया जाता है, उस पर विकास अधिकारी, बैंकों के अधिकारी और जानवरों के डाक्टर गिद्ध की तरह निगाह रखते हैं और उसका आधे से ज्यादा पैसा वे खा जाते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि सबसिडी की व्यवस्था को समाप्त कर के लोगों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाए, जिससे उनको पूरा पैसा मिल सके और वे मेहनत कर के अपने स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर सकें। क्या श्रम मंत्रालय भारत सरकार को यह सुझाव देगा, जिससे बैंकों के जरिये से की जा रही इस लूट-पाट को बन्द किया जा सके ?

हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या ट्राइसम की योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से काम करने वाले कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए सब सुविधाएं दी गई हैं। क्या उनको बैंकों के ऋण मिल रहे हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग की ठीक व्यवस्था है और क्या उनको नियमित रूप से स्कालरशिप दिए जा रहे हैं, श्रम विभाग को इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इन योजनाओं को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करना चाहिए।

यह काम बहुत बड़ा है और इसके लिए बहुत बड़ी मशीनरी की जरूरत है। मैं समझता हूं कि वर्तमान मशीनरी इस काम को ठीक प्रकार से नहीं कर सकेगी। तो क्या आप कोई ऐसी नयी व्यवस्था बनायेंगे कि जिस से ये जो कार्यक्रम हैं जो हमारी प्रधान मन्त्री जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिए दिए हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों को एम्पलायमेंट मिलने की व्यवस्था है वह ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट किए जा सकें। उसके लिए कोई ऐसी नयी मशीनरी इंवाल्व करेंगे जो इसकी देख रेख रखे कि यह ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट हो रहे हैं या नहीं।

इन सारे कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से इम्प्लीमैन्ट करने के लिए आप ने और क्या क्या किया है ? बहुत सी जगह जैसे इंडस्ट्रीज है, इन के जरिए से लाखों लोगों को इस देश के अन्दर एम्पलायमैंट मिला है। खादी ग्रामोद्योग के जरिए 70-80 लाख लोगों को एम्पलायमैंट मिलता है। इन चीजों को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है जिससे कि हम बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दे कर उन की गरीबी दूर कर सकें और एम्पलायमैंट की प्रावलम को हल कर सकें।

अभी थोड़े दिन पहले एक बिल यहां पर लाया गया था। उस पर बोलते हुए मैंने उस दिन भी कहा था कि बड़े-बड़े लोग काटेज इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़े-बड़े मोनोपली हाउसेज हैं इस में प्रवेश कर रहे हैं। इन की बजह से जो छोटे उद्योग हैं जो छोटे लोगों द्वारा चलाए जाने चाहिए उस में ये बड़े-बड़े लोग घुस कर इस जूरिस्डिक्शन में नाजायज हस्तक्षेप कर रहे हैं।

3.47 म.प.

(श्री आर. एस. स्पैरो पीठासीन हुए)

ये मौनोपली हाउसेज उस के जरिए से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे छपाई का काम है जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के जरिए से होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बड़े-बड़े

लोग जो कम्पोजिट मिल वाले हैं, जैसे भिवानी में विरला की मिल है, उसने टैक्सटाइल का सारा काम समाप्त कर दिया और दो ढाई हजार मजदूरों को बेकार कर दिया, पैसा कमाने के लिए दूसरी जगह से कपड़ा ला कर अब वह वहां उस में छपाई का काम करते हैं जो कि स्माल स्केल इंडस्ट्री से होना चाहिए। तो इस तरह से ये बड़े-बड़े लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिस से गरीब लोगों को एम्पलायमैंट न मिल सके, और अपनी मशीनों के जरिए से उन्होंने छपाई करना शुरू कर दिया है। इस तरह से इस सारी व्यवस्था को वह बिगाड़ रहे हैं। तो ये जो मौनोपली हाउसेज स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं उन को रोकने की आवश्यकता है, तभी जा कर गरीब लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा उपलब्ध हो सकता है, और उन को कामकाज उपलब्ध हो सकता है।

आप के तहत एम्पलायमैंट एक्सचेंज के दफ्तर हैं। उन के अन्दर ऐसी व्यवस्था है कि जो पैसा दे दे उस को तो नौकरी का कार्ड भी मिल जायगा और रोजगार भी मिल जायगा लेकिन जो दस दस, पन्द्रह पन्द्रह और 20-20 साल से उस में रजिस्टर्ड हैं उन का वहां पर एम्पलायमैंट का कार्ड ही नहीं मिलता और हमारे जैसा आदमी कोई कभी कह दे कि पांच सात साल से इन का रजिस्ट्रेशन आप के यहां है, इसके बाद भी कार्ड क्यों नहीं निकलता तो वह कहते हैं कि आप हमारे काम में नाजायज हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस प्रकार के अधिकारी आप ने वहां बैठा रखे हैं। अधिकारी तो वहां ऐसे होने चाहिएं जो लोगों के घरों में जा कर पूछें कि तुम को काम धन्धा मिला या नहीं। लेकिन ऐसे ब्यूरोक्रेटस को आप ने बैठा रखा है कि जो उन की ओर आंखें निकाले और पब्लिक के चुने हुए लोगों के साथ गुर्राएं। ऐसे लोग एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज में रहेंगे तो निश्चित तरीके से आप की पालिसीज को वह कभी भी इम्पलीमैंट नहीं कर पायेंगे। इसलिए इस व्यवस्था को भी बदलने की जरूरत है।

खादी और ग्रामोद्योग बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को एम्पलायमैंट दे सकता है लेकिन क्या वह ठीक प्रकार से चल रहा है ? आज खादी ग्रामोद्योग की बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो फर्म्स हैं और करोड़ों रुपये इन संस्थाओं के इन्होंने समाप्त कर दिए। इस चीज को और आगे बढ़ाने की जरूरत है लेकिन यह आप को देखना चाहिए कि कौन कौन सी संस्थाएं ऐसी हैं जो सरकारी धन ले कर उस का दुरुपयोग कर गई। उस के जरिए से जो एम्पलायमेंट जुलाहों, बुनकरों और कतिनों को मिल सकता है वह मिला है या नहीं ? इसका कपड़ा बुनने के लिए लोगों को दिया जाना चाहिए, वह उन को मिला है या नहीं ? अगर नहीं मिला है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

अगर आप हर क्षेत्र में माकूल व्यवस्था करेंगे तभी जो हमारे कार्यक्रम हैं उनको कार्यान्वित करने में सफल हो सकेंगे। आज जितने भी लोग अनएम्पलायड हैं, चाहे वे रूरल एरियाज के हों या अरबन एरियाज के हों, उनको रोजगार देने के लिए आप पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या विशेष व्यवस्था करने जा रहे हैं ? जब तक आप उचित प्रकार से पूरी व्यवस्था नहीं करेंगे, यह अनएम्पलायमैंट की जो प्राबलम है वह साल्व नहीं हो पायेगी। नेगी जी ने जो यहां पर

कहा है उससे तो मैं इत्तफाक नहीं रखता कि एम्पलायमैंट भत्ता दिया जाए बल्कि मैं तो इस विचार का हूं कि सभी को काम मिलना चाहिए। और सभी को काम देने के लिए आपको उसके लिए उचित व्यवस्था करनी होगी। जैसे आज जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है, उसको आप समाप्त कर दीजिए—वह चाहे पी डब्लू डी में हो, शिपिंग ऐंड ट्रांसपोर्ट में हो, फारेस्ट डिपार्टमैंट में हो, कम्युनिकेशन डिपार्टमैंट में हो - जहां भी ठेकेदारों को काम दिया जाता है, उस प्रथा को आप समाप्त कीजिए। आज ठेकेदार जिस प्रकार से शोषण करते हैं उसको देखते हुए इस प्रथा को समाप्त करना नितान्त आवश्यक है। इन सारे कार्यों को आप डिपार्टमैंट के तहत करवाइये ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से सारे कार्यक्रमों को इम्पलायमैंट करने के लिए आप एक समुचित मशीनरी इंवाल्व करें और उसके जरिए से अन-एम्पलायमैंट की प्राब्लम को साल्व करने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिए आवंटित समय समाप्त हो गया है। यदि सभा चाहे, तो हम समय एक घन्टा और बढ़ा सकते हैं। क्या सभा यह चाहती है कि समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, ।

सभापति महोदय : ठीक है, समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है। चुंकि अनेक सदस्यों ने चर्चा में भाग लेने के लिए इच्छा व्यक्त की है, मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमान, देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और सरकार इस समस्या पर अपना नियंत्रण खो बैठी है। जब इस सरकार ने बागडोर सम्भाली थी, तब बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ से कम थी। जैसा कि सेवा नियोजनालयों के रजिस्टरों से पता चलता है। अब इनकी संख्या बढ़ कर 2.5 करोड़ हो गई है। इससे सरकार के कार्यकरण का पता चलता है। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सरकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने में पूर्णतया असफल रही है। हाल ही में संसद् के समक्ष रखे गये आयव्ययक में बेरोजगारी को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में न ही कोई निदेश दिया गया है और न ही कोई संकेत दिया गया है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि जहां तक पिछड़े हुए क्षेत्रों का सम्बन्ध है, सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन क्षेत्रों के विकास पर बल नहीं दिया है। इससे पता चलता है कि सरकार का आज इस राष्ट्र के समक्ष बेरोजगारी की चुनौती का सामना करने का कोई इरादा नहीं है।

हर जगह कोई न कोई संकट आया हुआ है। आज इस देश के 70 प्रतिशत लोग निर्धनता की पंक्ति से नीचे हैं। सरकार का कहना है कि इनकी संख्या कोई 40,50 प्रतिशत है,

किन्तु वास्तविकता यह है कि आज भी 70 प्रतिशत लोगों को वे सुविधाएं और सुखसुविधाएं प्राप्त नहीं है जो प्राकृतिक रूप से आवश्यक और बुनियादी हैं।

हमें मालूम हुआ है कि सरकार ने निर्धनता की पंक्ति की परिभाषा को बदलने का निश्चय किया है जिससे निर्धनता की पंक्ति से नीचे वाले लोगों को बताया जा सके कि वे निर्धनता की पंक्ति से नीचे नहीं हैं और कि उनकी निर्धनता दूर कर दी गई है। इस तरह की प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। अत : मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह लोगों की आर्थिक दशा सुधारने की बजाये परिभाषा में परिवर्तन करने का प्रयास न करें।

श्रीमान, सब से अधिक हैरानी की बात तो यह है कि सरकार ने जो प्राथमिकताएं निश्चित की हैं उनके बारे में खेद ही व्यक्त किया जा सकता है। हम आज भी देख रहे हैं कि देश के विभिन्न भागों में भुखमरी से मौतें हो रही हैं, अनेक गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, मलेरिया, कालाज्वर, चेचक जैसे रोगों में वृद्धि हो रही है और इनसे लोगों की मौतें हो रही हैं। ये सभी चीजें है, परन्तु सरकार इन समस्याओं को हल नहीं कर रही है। जो प्राथमिकताएं नियत की गई हैं, वे कुछ और ही हैं। प्राथमिकताएं, पांच सितारा होटलों के निर्माण, टेलीवीजन सेटों के उत्पादन, एशियाड तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए हैं। मैने इन सब बातों का उल्लेख यह बताने के लिए किया है कि सरकार बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं, जो आज वास्तव में लोगों से सम्बन्धित हैं, को हल करने के लिए इतनी गम्भीर नहीं है। सरकार की प्राथमिकताएं दूसरी हैं।

बैंक ऋण की सुविधाओं का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि यह बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है, परंतु हम देखते हैं कि इसमें बहुत घोटाला हो रहा है। जरूरतमंद को ऋण देने के मामले में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का बोलवाला है। मेरे जिले में, मैं यह कह सकता हूं कि, ऐसे लोग हैं जो आवेदन करने वालों से धनराशि लेते हैं और तभी ऋण दिया जाता है। मैंने इस बारे में एक पत्र गृह मंत्री को लिखा है, परन्तु मैं नहीं जानता कि इस कदाचार को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है। पहले जब किसी व्यक्ति को कोई ऋण दिया जाता था, तब परियोजना की रिपोर्ट या स्कीम बैंक में पेश की जाती थी, अब इस प्रक्रिया को समाप्त किया जा रहा है और केवल धनराशि वितरित की जा रही है। यदि वे धनराशि वितरित कर ही रहे हैं, तो उन्हें व्यक्ति विशेष को कोई परियोजना या स्कीम देनी चाहिये जिससे वह उस परियोजना को क्रियान्वित कर सके। लेकिन सरकार यह भी नहीं कर रही है। इससे पता चलता है कि सरकार बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए आज जो कुछ कर रही है, वह आगामी चुनावों में मत प्राप्त करने के लिए लोकप्रियता का एक नारा है। परंतु, श्रीमान् मैं चेतावनी देता हूं कि इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बिगड़ जायेगी और बेरोजगारी की समस्या भी हल नहीं होगी।

मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि भूमि सुधार ठीक तरह से लागू किये जायं। जब तक भूमि सुधार ठीक तरह से लागू नहीं किये जाते तब तक देश से बेरोजगारी को समाप्त नहीं किया जा सकता।

सरकार को पशु पालन कार्यक्रम पर भी अवश्य बल देना चाहिये जिससे कुछ लोगों को इस क्षेत्र में लगाकर बेरोजगारी को कुछ हद तक समाप्त किया जा सके।

जैसाकि माननीय सदस्य, श्री टी० एस० नेगी ने संकल्प में कहा है, नदियों को गहरा करना, बनारोपण, भूमि रक्षण और नदियों को जोड़ने के कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये। यदि इन कार्यों को कर दिया जाता है, तो इस देश के अनेक लोगों को, जो आज बेरोजगार हैं, रोजगार मिल जायेगा और बेरोजगारी को एक बड़ी हद तक समाप्त किया जा सकेगा।

महोदय, माननीय मंत्री को उसके समक्ष रखी गयीं इन सभी बातों और सुझावों की ओर ध्यान देना चाहिये।

श्रीमान, यहां पर नहरों को जोड़ने की एक योजना थी। इस योजना के अनुसार इस देश की कई नदियों को नहरों द्वारा जोड़ दिया होता और अनेक लोगों को रोजगार मिल गया होता।

4 00 म० प०

इस कार्य में अनेक लोगों को रोजगार मिल गया होता। परन्तु मैं नहीं जानता, सरकार इस प्रकार के उपाय करना चाहती है या नहीं। क्या सरकार ने इस योजना के बारे में अध्ययन किया या नहीं? श्रीमान, मैं आप के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि उसे इस संकट को दूर करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आरम्भ करने चाहिएं जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सके।

जहां तक बेरोजगारी भत्ते का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल सरकार ऐसा भत्ता दे रही है, परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। कुछ राज्य सरकारें पहले ही भत्ता दे रही हैं। केरल में भी पूर्ववर्ती सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही थी, परन्तु वर्तमान सरकार जो कांग्रेस (इ) की सरकार है, यह भत्ता नहीं दे रही है। अत: सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं नहीं कहता कि वे इसका तुरन्त भुगतान करना आरम्भ कर दें, फिर भी मै चाहता हूं कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये और यदि इस संबंध में कुछ हो सकता है, तो वह आवश्यक किया जाना चाहिये।

जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्र रोजगार कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस में बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है और आज लोग

ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं । हमने अनेक कार्यक्रम तैयार किये हैं परन्तु आम तौर से यह पाया गया है कि इस कार्यक्रम से सम्बन्धित व्यक्ति इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं । अतः राज्य सरकारों को स्पष्ट निदेश दिये जाने चाहिएं और इसकी क्रियान्विति में सुधार किया जाना चाहिए जिससे कि यह राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्र रोजगार कार्यक्रम की स्कीम निरंतर चलती रहे जिसमें बहुत अधिक लोगों को रोजगार मिल सके ।

जहां तक पिछड़े क्षेत्रों के विकास का संबंध है, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में अभी दिलचस्पी नहीं ले रही है । इस देश में उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में विभिन्न भागों को पिछड़े क्षेत्र घोषित किया गया है । जहां तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का सम्बन्ध है, वह तो क्षेत्र ही पिछड़ा हुआ है । उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र भी पिछड़े हुए हैं । परन्तु सरकार इन क्षेत्रों के विकास में इतनी अधिक दिलचस्पी नहीं ले रही है । मेरा सुझाव है कि इन क्षेत्रों के विकास की व्यवस्था की जानी चाहिये और इस प्रयोजन के लिए उपाय किए जाने चाहिये ।

जहां तक हमारे क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव है कि हम उस क्षेत्र में खोई पर आधारित कागज उद्योग की स्थापना के बारे में पहले ही कई बार चर्चा कर चुके हैं। वहां पर पर्याप्त मात्रा में खोई उपलब्ध है । अतः वहां पर खोई पर आधारित कागज उद्योगस्थापित किया जाना चाहिये । इस बारे में कुछ अवश्य किया जाना चाहिये । जब भी हमने यह मामला सरकार के समक्ष रखा, हमें उत्तर मिला कि यह एक कठिन कार्य है क्योंकि अनेक अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त खोई उपलब्ध नहीं है ? तथापि हम महसूस करते हैं कि उस क्षेत्र में खोई पर आधारित एक कागज उद्योग स्थापित किया जा सकता है और ऐसा करके हम बहुत हद तक बेरोजगारी को समाप्त कर सकेंगे ।

गोरखपुर में रेल डिब्बों का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव था । माननीय श्रम राज्य मन्त्री इसके स्थान के बारे में अन्तिम फैसला नहीं होने देना चाहते । वह चाहते हैं कि यह उद्योग इलाहाबाद में स्थापित किया जाये क्योंकि वह वहां से हैं और वह उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं । अनेक लोग और भी हैं, जो इसे इलाहाबाद में ले जाना चाहते हैं । अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से और विशेष रूप से श्रम राज्य मंत्री से जानना चाहता हू ** । ***(व्यवधान)*** ।

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं । मैं श्री हरिकेश बहादुर को सूचित करना चाहता हूं कि यहां पर रेल डिब्बों के कारखाने के बारे में किसी निर्णय का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि इसे पहले इलाहाबाद में ही लगाने का निर्णय किया गया था । यह मूल प्रस्ताव था । यह तो आप बता रहे हैं कि इसे गोरखपुर से इलाहाबाद में स्थानांतरित किया जा रहा है । वास्तव में प्रस्ताव यह है कि इसे इलाहाबाद में लगाया जाये । इसमें मेरी दिलचस्पी का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : चाहे इसे इलाहाबाद में लगाया जाता है या गोरखपुर में लगाया जाता है, हमें स्वीकार है ।

श्री हरिकेश बहादुर : क्या इसका यह अर्थ है कि यह कारखाना इलाहाबाद में स्थापित किया जा रहा है जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया है कि इस प्रयोजन के लिए यह प्रस्ताव पहले से ही था । परन्तु हमने जब भी यह मामला उठाया, तब हमें ऐसा आभास दिया गया कि स्थान के बारे में अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है । हम जानते थे कि इसे गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है । संघ सरकार में इलाहाबाद के मन्त्री प्रयत्न कर रहे हैं कि इसे इलाहाबाद में स्थापित किया जाये ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप मंत्रियों को इलाहाबाद से गोरखपुर क्यों नहीं भेज देते ?

श्री हरिकेश बहादुर : मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उन्हें इलाहाबाद से गोरखपुर भेज दें ।

यदि हम यह कारखाना गोरखपुर में लगा देते हैं, तो इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बेरोजगारी बहुत हद तक दूर हो जायेगी । अत: यह समस्या पांच करोड़ लोगों की है । इसीलिए हम निरन्तर रूप से यह मांग करते रहे हैं कि यह कारखाना गोरखपुर में लगाया जाये । आशा है, माननीय मंत्री, रेल मंत्री तथा योजना मंत्री से कहेंगे कि यह कारखाना गोरखपुर में लगाया जाये ।

मेरी अन्तिम बात रेलों में नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में है । रेलों में सैकड़ों कर्मकार दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं । दो या तीन वर्षों के पश्चात् उन्हे वहां से हटा दिया जाता है । इससे भी बेरोजगारी में वृद्धि होती है । मैं माननीय श्रम मंत्री से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करता हूं कि इन कर्मकारों की छंटनी न की जाये और उन्हें वहीं खपा लिया जाये । अन्यथा बेरोजगारी और बढ़ जायेगी । मंत्री महोदय रेल मंत्री से इस समस्या को यथा सम्भव अधिकाधिक हद तक समाप्त करने के लिए कहें ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, आज इस सदन में बेरोजगारी की समस्या पर जो चर्चा हो रही है, वह हमारे देश में एक ज्वलन्त प्रश्न है । हकीकत यह है कि आजादी के बाद हमारे देश की आबादी बहुत बढ़ी है और उस के साथ साथ बेरोजगारी भी बहुत बढ़ती चली गई ।

अभी 6 मार्च को माननीय श्रम मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में लोक सभा को बताया था कि इस वक्त हमारे देश में करीब 2 करोड़ 19 लाख लोगों के नाम रोजगार दफ्तरों के

रजिस्ट्रों में लिखे हुए हैं और इस में से करीब 1 करोड़ 9 लाख व्यक्ति ऐसे हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं और आई०टी०आई० से भी शिक्षा पाए हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वह संख्या है, जोकि आसानी से एम्पलायमेंट एक्सचेन्जेज में जा कर अपना नाम लिखा देती है लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ऐसे इलाके भी हैं, जहां पर एम्लायमेंट एक्सचेन्जेज नहीं हैं और देश के लड़के या लड़कियां रोजगार के दफ्तरों में जा कर अपना नाम नहीं लिखा सके, तो उन की संख्या कितनी होगी। मेरा अपना अनुमान है कि आज इस देश में ऐसे कई करोड़ की तादाद में नौजवान युवक और युवतियां हैं, जो काम की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं और उन को रोजगार नहीं मिल पा रहा है हालांकि हमारी सरकार बड़ी सचेत है और इस देश के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए काफी प्रयत्नशील है और उस ने अनेक प्रकार की योजनाएं भी बनाई हैं और कुछ विचाराधीन भी हैं।

सब से पहले तो आप प्रधान मंत्री जी के बीस सूत्री कार्यक्रम को ही ले लीजिए। इस से देश के गरीब, मजदूर, शोषित सर्वहारा और मध्यम वर्ग के लोगों को ही फायदा होने वाला है और यह उन्हीं के लिए है। क्या आप यह समझते हैं कि यह बीस सूत्री कार्यक्रम टाटा, बिड़ला और दूसरे बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है और क्या इस से उन को लाभ होने वाला है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, वे भ्रम में हैं। ऐसी बात नहीं है। यह तो देश के किसानों, मजदूरों और कमजोर वर्गों के लिए है और उन को इस से लाभ पहुंचने वाला है। यह बात दूसरी है कि इस के इम्पलीमैन्टेशन में नौकरशाही आड़े आ रही है और इस का जितना लाभ गरीबों और मजदूरों को मिलना चाहिए, उतना उन को नहीं मिल पा रहा है लेकिन इस के पीछे जो भावना है, वह यही है कि गरीब और कमजोर वर्गों के बीच से बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए और उन को रोजगार मिलना चाहिए।

श्रीमन्, इसके साथ हमारी सरकार ने फूड फार वर्क की योजना चलाई है और दूसरी बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनसे कि गरीबों को रोजगार मिले। इस सम्बन्ध में हमारे साथी ने जो संकल्प रखा है उसके बारे में उनकी जो भावनाएं हैं, मैं उनकी कद्र करता हूं लेकिन उन्होंने भू-सेना का जो सुझाव दिया है, मेरी गुस्ताखी के लिए माफी दी जाए अगर मैं यह कहूं कि भू-सेना से बड़े बड़े लोग जुड़ने लगे हैं। बिहार में जो भू-सेना है उससे बड़े बड़े भूपति और जमींदार जुड़े हुए हैं और उनका काम यह है कि गरीबों और मजदूरों को मारा-पीटा जाए, उनको उनकी जमीन से बेदखल किया जाए, उनकी हत्या की जाए, उनकी बहिन-बेटियों की अस्मत लूटी जाए। बेहतर होता कि इसका कोई अच्छा सा नाम दिया जाता। भू-सेना के नाम से तो आज मजदूर और गरीब वर्ग में कंपकंपी सी छूट जाती है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे भू-सेना की बजाय इसे कोई दूसरा नाम दें तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूं।

श्रीमन्, बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारी प्रधान मंत्री जी ने ऐसे शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो कि प्रशिक्षण प्राप्त कर के आते हैं एक योजना चलाई है। उनको बेरोजगार के लिए 25-25 हजार रुपये देने की योजना चलाई है। ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को यह रुपया मिल भी रहा है और वे अपना काम चला रहे हैं। हमारे देश में जो बी०ए० या एम०ए० पास कर लेता है, वह यह चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले लेकिन सरकार इतनी अधिक नौकरियां उनके लिए कहां से ला सकती है। इसीलिए हमारी सरकार ने उनको रोजगार-धंधा चलाने के लिए 25-25 हजार रुपये देने की योजना चलाई है और इस योजना से शिक्षित बेरोजगार लाभान्वित हो रहे हैं। यह मैं मानता हूं कि इसका कुछ दुरुपयोग भी हो रहा है।

हमारी सरकार ने, जहां पहले जिला हैडक्वार्टर तक ही बैंक थे, अब तहसील हैडक्वार्टर और गांवों तक बैंकों का जाल बिछा दिया है। हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लीड बैंक ग्रामीणों को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं और वहां बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है।

एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में वैसे तो छोटे-छोटे और कुटीर उद्योग बहुत बड़ी तादाद में है लेकिन इनको और भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन छोटे-छोटे और कुटीर उद्योगों को अनुदान भी ज्यादा मिलना चाहिए और सरकार को ऐसी हिदायतें देनी चाहिएं कि जिन देहातों में जिस तरह के उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध है, वहां उसी पर आधारित छोटे-छोटे और कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएं। उन उद्योगों को सरकार की ओर से भरपूर सहायता दी जानी चाहिए जिससे कि गांवों में बेरोजगारी दूर हो।

यह जो सौ रुपये देने की बात कही गई है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। अगर किसी बेकार को जिसके कि बाल-बच्चे हैं सौ रुपया दिया जाता है तो उससे उसका गुजारा कैसे हो सकता है। बिना परिवार वाले व्यक्ति का भी इसमें गुजारा नहीं हो सकता है इससे लोगों में शिथिलता और आयेगी। इससे बेकार लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है। इसकी जगह तो उस राशि से, जितनी कि सौ-सौ रुपये देने में लगेगी, इंडस्ट्री या कारखाना लगाया जाए और उसमें उन बेरोजगार लोगों को काम दिया जाए। इससे बेकार लोगों का अधिक भला होगा।

पहले अक्सर यह देखा जाता था कि एम्प्लाएमेंट एक्सचेंज जिला हैडक्वार्टर तक ही हुआ करते थे। अब बड़ी-बड़ी तहसीलों में भी एम्पलाएमेंट एक्सचेंज खोल दिये गये हैं। मैं चाहता हूं कि ये रोजगार कार्यालय तालुका हैडक्वार्टर तक खोले जाएं और जो वहां बेरोजगार हों, उनके वहां नाम लिखे जाएं। क्योंकि गरीब लोग दूर रोजगार कार्यालयों में अपना नाम लिखाने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं और वे नौकरी पाने से बंचित रह जाते हैं।

इस सदन में अर्से से हमारी शिक्षा प्रणाली के दूषित होने की चर्चा चली आ रही है। हमारी शिक्षा दूषित है। इसके विषय में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब बच्चा स्कूल में दाखिल हो तो उस वक्त यह देखा जाए कि बच्चे का दिमाग किधर जा रहा है। कोई उद्योग

की तरफ जाना चाहता है, मैकेनिक बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि वह अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ सके। आज एम. ए. और बी. ए. करने के बाद रोजगार के लिए लोग घूमते हैं। विदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं। आज हमारे यहां से मैन पावर एक्सपोर्ट हो रहा है। इंजीनियर और डाक्टर भी बाहर जा रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि इन सब को अपने ही देश में काम मिल सके और इनकी सेवाओं का लाभ देशवासी उठा सकें।

अक्सर यह देखा गया है कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स बड़े बड़े शहरों में होते हैं। मेरा सुझाव है कि सरकारी क्षेत्र के जितने कारखाने खोले जाएं वे पिछड़े इलाकों में खोले जाएं, दूरदराज के इलाकों में खोले जाएं जहां से बेरोजगार मजदूर लोग रोजगार की तलास में बाहर जाते हैं। प्राइवेट सैक्टर में भी जब कोई लायसेंस दिया जाए तो उसमें यह शर्त होनी चाहिए कि वे कारखाना पिछड़े इलाके में ही खोलें। आज यह हो गया है कि गाजियाबाद बढ़ेगा तो गाजियाबाद ही बढ़ता जाएगा। फरीदाबाद में इंडस्ट्री लगेगी तो फरीदाबाद में ही लगती जाएगी। इस भेड़ चाल को बंद किया जाना चाहिए। आज बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बहुत आवश्यकता है। वहां पर उद्योग लगने से वहां के लोगों को रोजगार के लिए हरियाणा या पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। उनको वहीं रोजगार उपलब्ध हो जाएगा।

अभी हमारे साथी ने बिल्कुल ठीक बताया कि रोजगार कार्यालयों में आजकल बहुत भ्रष्टाचार है। वे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। वहां पर नाम लिखाए वर्षों बीत जाते हैं लेकिन कार्ड नहीं निकलता। कई लोग तो ओवरएज हो जाते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता। इस ओर तवज्जह देने की आवश्यकता है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए। जो लोग पैसा देते हैं उनका कार्ड निकल जाता है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी की समस्या को हल करने मे मदद मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, आज बेरोजगारी एक विकट समस्या है। हमारे नेगी जी ने जो संकल्प पेश किया है, वस्तुतः वह समाचीन है। इस पर बराबर चर्चा होती रहती है, लेकिन बेरोजगारी सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है। हमारे करोड़ों नौजवान इसमें समा रहे हैं और आज देश में एक बेरोजगारों की फौज बन रही है। इससे सारे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। इसके साथ-साथ अराजकता और अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार और अपराधकर्म भी बढ़ रहे हैं।

आजादी प्राप्त हुए 37 साल हो गए हैं लेकिन आज भी मैट्रिक और उससे आगे की शिक्षा प्राप्त कर करीब दस करोड़ लोग बेरोजगार हैं तथा पांच लाख से अधिक टैक्नोक्रेट्स

बेकार हैं। इन लोगों को काम में लगाने के लिए हमारे पास सुनियोजित प्लानिंग नहीं है। इतनी पंचवर्षीय योजनाएं बन रही हैं और उन पर अरबों-खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन पता नहीं यह सब कहां चले जाते हैं ? बेरोजगारों की संख्या फिर भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। केवल योजनाएं बन रही हैं और भाषण हो रहे हैं। भोजनम्, भाषणम् और उद्घाटनम् हो रहे हैं लेकिन जमीन पर उनका ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। जमीन पर अनुवाद कराने के लिए आपके पास ताकत नहीं है। अगर आप इस देश की राष्ट्रीयता की भावना से इस देश को ऊपर उठाने की ओर सोचें तो यह काम हो सकता है। छठी पंचवर्षीय योजना में 1983-84 के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए दस हजार करोड़ रुपया अलाट किया गया। तकरीबन दस हजार प्रखण्ड हैं और हर प्रखण्ड के लिए दो करोड़ रुपया दिया जाता है। ईमानदारी से यह रुपया अगर प्रत्येक प्रखण्ड में जाता तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था। पैसे का जो डायवर्सन होता है, वह केवल कागजों तक ही सीमित रहता है, जनता तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए। दलगत भावना से ऊपर उठकर ही काम करना चाहिए। हमारे देश के जितने भी बड़े-बड़े मनीषी जैसे महात्मा गांधी या लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हुए हैं, देश की जनता को सुख पहुंचाने की उनकी भावना रही है। सबके लिए समानता, भाईचारा और न्याय, यह संविधान में लिखा गया था। यह सब किताबों में ही लिखा हुआ है। प्रतिदिन हत्याएं और लड़ाइयां हो रही हैं। विकर सैक्शन के इंटरेस्ट को नेगलेक्ट किया जा रहा है। छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है। उसी प्रकार से दस करोड़ लोग ही साठ करोड़ लोगों के इंटरेस्ट को नेगलेक्ट कर रहे हैं। कृषि प्रदान देश का मुख्य धंधा कृषि है। इसलिए डिफेंस के बाद ज्यादातर पैसा कृषि पर खर्च किया जाना चाहिए। अगर जनसंख्या का घनत्व देखें तो प्रत्येक किलोमीटर का 375 बैठता है। यदि कृषि, सिंचाई, लघु-उद्योग और औद्योगिकरण का युद्ध स्तर पर कार्य होता तो आज 38 प्रतिशत जो नजारा हमें देखने को मिल रहा है, वह न होता। लेकिन, आज आरक्षण के लिए लड़ाइयां हो रही हैं तथा अनुसूचित जातियों के अधिकारों को छीना जा रहा है। मारा मारी चल रही है, अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, हर तरफ की लड़ाइयां यहां हो रही हैं। यह सब केवल बेइमानी के बन्दरबांट के कारण हो रहा है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। यह सब ऊपर से नीचे तक, बड़े बड़े नेताओं से लेकर बड़े बड़े ब्यूरोक्रैट्स की नीतियों का परिणाम है। क्योंकि उन्होंने ये योजनाएं कागजों पर ही बनाई हैं, इनको धरती पर नहीं उतारा है। बीस सूत्री कार्यक्रम की बड़ी चर्चा है। उसकी रूपरेखा आपने बनाई है। मैं गावों से आता हूं मैंने देखा है कि बीस सूत्री विकास कार्यक्रम रूपरेखा न बनकर यह केवल भ्रष्टाचार की रूप रेखा मात्र हो गई है। जो पैसा गावों में जाता है वह फिर शहरों की ओर वापिस आ जाता है। वह केवल अधिकारी वर्ग के अन्दर ही घूम रहा है। गरीबों तक वह नहीं पहुंच रहा है। ईटिंग, सीटिंग, मीटिंग एण्ड चीटिंग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आपने कार्यान्वयन समितियां बनाई हैं। उनमें केवल एक दल के लोगों को ही आपने रखा है। अगर यह राष्ट्रीय प्रोग्राम है तो इसमें सभी दलों के लोगों को आपको रखना चाहिए था और उनका

सहयोग लिया जाना चाहिये था । सभी की भलाई के लिए यह कार्यक्रम है तो सभी का सहयोग उसके लिए लिया जाना चाहिए था ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप भी तो जिला समिति के सदस्य हैं । प्रत्येक संसद सदस्य किसी न किसी जिला समिति के साथ सहयोजित है । जिला प्राधिकारियों को आप से सलाह लेनी पड़ती है । आप समिति के सदस्य हैं । यदि वहां कोई गड़बड़ है तो आपके साथ भी कोई गड़बड़ अवश्य होगी । इसे सामान्य रूप मत दीजिये । हम सब उनके साथ सहयोजित हैं । विधान सभाओं के सभी सदस्य भी सहयोजित हैं । सभी दल सहयोजित हैं ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अभी तक दूसरी पार्टियों का इसमें समावेश नहीं किया गया है । प्रखंड लेवल पर उनको नहीं बुलाया जाता है । हम विदेशी नहीं हैं । हम भी इस देश के वासी हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी इस देश के वासी हैं । बेहतर होता अगर सभी दलों को इन समितियों में रखा जाता । मेरे पास एक पत्र आया है । इसमें टास्क फोर्स की बात कही गई है । जिला उद्योग केन्द्र के पदाधिकारी द्वारा लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स नियुक्त की है और उसके द्वारा जिसको रिकोमेंड किया जाएगा, जिस की अनुशंसा होगी उन्हीं को जो पच्चीस हजार रुपया है वह दिया जाएगा । इसके लिए दो आदमियों को रिकोमेंड किया गया । इस तरह से काम नहीं चल सकता है । इसका मतलब है कि जो आपके दल में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, चाहे वे काम करें या न करें, उन्हीं के लिए और उन्हीं के हित के लिए यह चीज है । इससे राष्ट्र का हित नहीं होता ।

सभापति महोदय : आपका समय हो चुका है । आपकी पार्टी ने डबल समय ले लिया है ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : यह पार्टी का सवाल नहीं है । मैं खत्म कर रहा हूं । अलोचना के बाद अब मैं सुझाव देना चाहता हूं ।

हमारा कृषि प्रधान देश है । कृषि की उन्नति युद्ध स्तर पर की जानी चाहिये थी और उसके लिए योजना बनाई जानी चाहिये थी इससे करोड़ों लोगों को काम मिल सकता था । अब भी आप इसको कर सकते हैं । पहले नारा भी दिया गया था कि हर खेत को पानी और हर हाथ का काम । श्री नेगी ने यह भी कहा है कि नदियों का विस्तार किया जाए । यह भी बहुत अच्छा सुझाव है । एक नदि को दूसरी से जोड़ा जाए । छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं को हाथ में लेना चाहिये । प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाना चाहिये । ये सब काम हमें युद्ध स्तर पर करने चाहियें । आज तक कितनी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध आप कर पाए हैं, इसको आप देखें । आंध्र 36 प्रतिशत, असम 17 परसेंट, बिहार 33 परसेंट, गुजरात 19 परसेंट, केरल 12 परसेंट, मध्य प्रदेश 11 परसेंट, महाराष्ट्र 12 परसेंट, उत्तर प्रदेश 44 परसेंट । 38 वरस में 12-13 परसेंट, जमीन की सिंचाई होती है तो आप सोच सकते हैं कि 70 करोड़ की फौज जो हमारे देश में है उसको भोजन कहां से दे सकेंगे । इसमें लाखों करोड़ों मजदूरों को काम

मिल सकता था। अगर हम नहरें बनाते, सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते और जितने भी प्राकृतिक नदी-नाले हैं उसमें लिफ्ट इरिगेशन का प्रयोग करते तो उससे बहुत सी जमीन में सिंचाई होती, हर खेल में पानी पहुंचता, लेकिन यह नहीं हो पाया।

छोटा नागपुर में लोहा, अभरक, ताम्बा, वौक्साइट बहुत मात्रा में मिलता है। सारे हिन्दुस्तान का यह बहुत बड़ा मिरल वैल्ट है। वहां की जमीन में कुल मिलाकर 4.7 प्रतिशत तक ही सिंचाई हो पाई है। जहां से अरबों, खरबों रुपया प्रतिवर्ष सारे देश के लिए मिल रहा है। वहां इस प्रकार की व्यवस्था हो, यह देखने की बात है।

1983-84 में आपने 2.13 मिलियन टन गेहूं का इम्पोर्ट किया है और 5.7 लाख टन चावल का इम्पोर्ट किया है जिस पर आपने 335 करोड़ रुपया लगाया है। 600 से 800 करोड़ का हमने खाद्य तेल और दालों का इम्पोर्ट किया है। हमारा इतना बड़ा विशाल देश है अगर इस राशि का 50 प्रतिशत भी हम कृषि भूमि की सिंचाई के लिए उपयोग करते तो कितना अनाज देश में लोगों को मिल सकता था और करोड़ों लोगों को काम मिल सकता था। डिफेन्स के बाद दूसरी बड़ी राशि हमें खेती के लिए खर्च करने की जरूरत है।

मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। हर आदमी को काम कैसे मिले, इसके लिए इस तरह से योजना बनाई जाए कि हर प्रखंड में कम से कम 10 मध्यम उद्योगों की ईकाई लगाई जाए जिससे ढ़ाई-तीन हजार आदमियों को काम मिल सकेगा। इस तरह से बहुत से बेरोजगारों को काम मिल सकता है। हमारे इन्डस्ट्री मिनिस्टर ने पार्लियामैंट में आश्वासन दिया था कि हम इस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायेंगे जिससे देश का उद्योगीकरण होगा। हर संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक मदर इंडस्ट्री लगानी चाहिए। किसी एक क्षेत्र में ही सारी इन्डस्ट्री नहीं लगानी चाहियें।

अगर पंचायती राज्य हमने कायम किया है तो पंचायतों में ही यह योजनायें बननी चाहिएं। पंचायत समितियों में एक प्रखंड में इस पर पंचायत के मुखिया विचार कर सकते हैं न कि दिल्ली में बैठकर योजनाएं बनाई जायें ? यहां उल्टा चल रहा है। आई० ए० एस० अफसर जो कभी गांव में रहे नहीं, दिल्ली में बड़े-बड़े एयर कन्डीशन्ड कमरों में बैठकर योजनायें बनाते हैं जिसमें हजारों करोड़ों रुपये लगाये जाते हैं। सौने के अण्डे देने वाली चिड़िया की तरह एक-एक सिंचाई की योजना बनाई जाती है।

अन्त में मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि अगर आप अन-एम्पलायमैंट को समाप्त करना चाहते हैं तो योजना का रूप बदलें। जब आप सारे देश में पंचायती राज लगाना चाहते हैं तो पंचायत समितियों में यह योजनायें बनाइये ताकि लोगों को काम मिल सके।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयबाड़ा) : सभापति महोदय, आपने जो समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और साथ ही साथ श्री नेगी जी ने जो अन-एम्पलाइमेंट

के बारे में यहां अपना रैज्यूलूशन मूव किया है, उसका भी समर्थन करती हूं, क्योंकि देश में अन-एम्पलायमेंट बढ़ती जा रही है।

हमारी सेन्ट्रल गवर्नमैंट ने प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस बारे में बहुत प्रोग्राम दिये हैं। डी. आर. डी. ए., आई. आर. डी. पी., डी. डी. पी., एन. आर. एफ. पी. और सैल्फ एम्पलायमैंट फार एजूकेटेड अन-एम्पलायड यूथ के लिए बहुत से प्रोग्राम दिये जा रहे हैं, मैं यही कहना चाहती हूं कि ये लोगों के पास जाने चाहियें। ऐसा करने से ही सब को एम्पलायमेंट मिलेगा। यह कोई पोलिटिकल प्राबलम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक प्राबलम है। लोगों को एम्पलायमेंट देने के लिए बहुत से प्रोग्राम हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को एजूकेटिड अन-एम्पलायड के लिये एक प्रोग्राम एनाउंस किया था। उसके अन्तर्गत 25,000 रुपये का लोन दिया जाता है और 25 परसेंट सबसिडि है। लेकिन इस बारे में प्राबलम एक ही है कि लोन और ट्रेनिगं तो दी जाती है, लेकिन मार्केटिगं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक एफारस्टेशन प्रोग्राम का सम्बन्ध है, मेरी कांस्टीट्युएन्सी में कुछ गाँव वेलवैडम है, जहाँ चार पांच सौ लोग पिछले चालीस साल से 400 एकड़ जमीन को कल्टीवेट कर रहे हैं। एफारस्टेशन प्रोग्राम के आफिसर्ज उस जमीन को छीनना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि जो लोग खेती करते हैं, अगर उनको पट्टा ना दे सकें, तो लीज बढ़ा सकते हैं। इस प्रोग्राम के बजट में पौधों को पानी देने के लिए बजट में व्यवस्था नहीं की गई है। यह आवश्यक है कि पानी पहुंचाने के लिए वोर-वैल्ज तैयार किये जायें। इसके अलावा एफारेस्टेशन प्रोग्राम में सिर्फ एक आदमी को नहीं, बल्कि पूरे फैमिली को इनवाल्व करना चाहिए और इसके जरिये एम्पलायमेंट के अवसर जेनीरेट करने चाहिये।

महिलाओं को एम्पलायमेंट देने के लिए प्रोग्राम बनाना चाहिए। अगर महिलाएं केवल रोटी बना कर बाकी समय बेकार बैठी रहें, तो समाज को कोई लाभ नहीं होगा। अगर महिलाओं को भी कुछ पैसा कमाने की सूविधा दी जाये, तो उससे परिवार की आमदनी में वृद्धि होगी। डी आर डी ए प्रोग्राम के अन्तर्गत स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज और काटेज इन्डस्ट्री के लिए ट्रेनिगं और स्टाइपैंड दिया जाये और उसके बाद मार्केटिगं की व्यवस्था की जाए।

एम्पलायमेंट देते हुए इकानोमिक बैकवर्डनैस का ध्यान रखना चाहिए। कई कम्युनिटीज में इकानामिक बैकवर्डनैस बहुत ज्यादा हैं। उनमें अच्छे कार्यकर्ता मिल सकते हैं। और अपने आप अपने पांवों पर खड़े होने के लिए उनको कुछ काम दें। यह सारी फैमिली के लिए काम हो सकता है। उससे ये बैगरी कम हो जायगी। नहीं तो बैगर्स आज बढ़ते जा रहे हैं। यह एक प्रोफेशन हो गया है। हर एक आकर पैसा मांगने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए उनको कुछ काम दिलवाना चाहिए, नहीं तो यह प्रावलम बनी रहेगी।

हन्ड्रेड डेज का कुछ इसेंटिव प्रोग्राम आपने रखा है। हन्ड्रेड डेज में तीन महीने दस दिन होते हैं। तीन महीने में यह कैसे हो सकता है ? तीन महीने में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। इसलिए कम से कम एक साल का होना चाहिए। हन्ड्रेड डेज के बजाय इसे वन ईयर का कर देना चाहिए जिससे जो भी प्रोग्राम आप देते हैं उससे लोगों को मदद मिल सके।

पहाड़ों के ऊपर आप पेड़ लगाना चाहते हैं। पेड़ तो लगाते हैं लेकिन उसको पानी देने के लिए हम नहीं सोचते हैं। मैं यह देख रही हूं कि यह एफारेस्टेशन प्रोग्राम जहां जहां भी चलते हैं वहां पानी देने के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। मैं यह सलाह देती हूं कि जहाँ पेड़ आप लगाते हैं और पेड़ों का पालन करना चाहते हैं वहां पानी कहां से आएगा, यह पहले सोच लें। जहां पानी नहीं आ सकता वहां यह एफारेस्टेशन प्रोग्राम जो आप चला रहे हैं वह कभी सकसेसफुल नहीं हो सकता है। यह प्रोग्राम कागज पर तो रहेगा लेकिन पेड़ वहां नहीं तैयार होंगे···(व्यवधान)···मैं तो सिर्फ प्वाइंट रख रही हूं, कोई भाषण नहीं दे रही हूं। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में पहाड़ हैं, मैंने देखा है वहां पेड़ लगाते हैं लेकिन पानी डालने वाला कोई नहीं होता है। इसमें सेल्फ एम्पलायमेंट स्कीम बन सकती है अगर आप पेड़ रखने के लिए कुछ पैसा दे दें और फिर उसको पानी देने के लिए कुछ पैसा दे दें।

यह जो खादी एन्ड विलेज इंडस्ट्रीज का प्रोग्राम है इसको हर एक गांव में ले जा सकते हैं लेकिन गांव वालों तक इसको नहीं ले जा रहे हैं। इसको गांव गांव तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए।

इसी तरह कैनाल बन्ड्स की स्कीम है। उसमें एफारेस्टेशन का प्रोग्राम हम ले रहे हैं। उसमें जो अनएजूकेटेड यूथ्स होते हैं उनको फैमिली प्रोग्राम के अन्तर्गत लेकर यह काम हम उनको दे दें तो उसके जरिए उनको एम्पलायमेंट मिल सकता है। इस तरह हम जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं वह मदद उनको मिल जाएगी। इन सारे प्वाइंट को मंत्री महोदय सोचें और इसके अनुसार कार्यवाही करके उनको मदद पहुंचाएं। जो भी मदद हम करना चाहते हैं वह मदद गरीबों तक पहुंचनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है। आपने जो समय दिया उस के लिए धन्यवाद देती हूं और यह जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय : अब अब्दुल रशीद काबुली।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभी दलों को अपने हिस्से का समय मिल चुका है। श्री काबुली के पश्चात् मैं मंत्री से उत्तर देने के लिए कहूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : इस पर टाइम बढ़ा दिया जाय, जिससे सभी माननीय सदस्यों को मौका मिल सके।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : यह इतना इम्पार्टेंट मसला है, इस पर टाइम बढ़ना चाहिए।

सभापति महोदय : सभा ने जो निश्चय किया है उसी के अनुसार काम होगा। यदि सभा चाहे, तो समय बढ़ाया जा सकता है। अब आप स्वयं यह मानेंगे कि मंत्री ने उत्तर देना है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आपने कहा था कि इस संकल्प के लिए समय बढ़ाने के बारे में हम एक घंटे के बाद निर्णय करेंगे। अब आप सभा से इस संकल्प के लिए समय बढ़ाने के सम्बन्ध में उनकी इच्छा जान लें।

कुछ माननीय सदस्य : इस संकल्प पर चर्चा और विचार करने के लिए समय एक घंटा और बढ़ाया जाये क्योंकि यह महत्वपूर्ण संकल्प है।

सभापति महोदय : यदि सभा की ऐसी राय है तो हम संकल्प के लिए समय बढ़ा देंगे। लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि दोनों पक्षों की ओर से सदस्य इस पर 5 बजे मध्याह्न पश्चात तक चर्चा पूरी कर लें और तब मैं मंत्री महोदय से इसका उत्तर देने के लिए कहूंगा। इसलिए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहें। अब श्री काबुली अपना भाषण शुरू करें।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब चेयरमैन साहब, जो प्रस्ताव इस वक्त लोक सभा के सामने पेश है, मैं उसकी हिमायत में खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि आज हमारे मुल्क में सबसे बड़ी समस्या जो है वह यही है कि हमारे करोड़ों लोग बेकार हैं और उनकी तादात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज देहाती क्षेत्र में करीब तीन करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार का कोई वसीला नहीं है। राष्ट्रपति जी ने पार्लमेंट के सामने अपनी जो तकरीर पेश की थी उसमें उन्होंने बताया है कि हर साल करीब पांच लाख लोगों को सरकार रोजगार दिलाने में मदद करेगी। इस बात से ही आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह जो प्राब्लम है इसका हल कितना मुश्किल होगा। आज न सिर्फ देहाती क्षेत्र में अनपढ़ बेरोजगार लोगों की तादात ही बढ़ती जा रही है बल्कि शहरों में पढ़े-लिखे नौजवानों की तादात भी बढ़ती जा रही है और वे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार का यह फर्ज बनता है कि वह जो भी मन्सूबाबन्दी करे उसमें इस बात का खासतौर से खयाल रखे।

आज जो सेल्फ-इम्पलायमेंट की स्कीम चालू हुई है मैं समझता हूं उससे लोगों को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा है। आप नौजवानों को कुछ कर्जा या बाकी और फैसिलिटीज देते हैं उसमें जो इन्ट्रेस्ट वाजिब अदा होता है उसके सिलसिले में उन लोगों को इतनी दिक्कतें पेश आती हैं जिसकी वजह से यह स्कीम फेल्योर साबित हो रही है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा

कि मुल्क में एक बहुत बड़ा स्कैण्डल इस सेल्फ-इम्पलायमेंट स्कीम में चल रहा है। इस स्कीम में जितना इम्बेजिलमेंट हो रहा है उसकी कोई इन्तहा नहीं है। इसी वजह से यह स्कीम बजाए फायदे के नुकसान में जा रही है और मुल्क के नौजवानों को भी कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है।

बेरोजगारी खत्म करने के सिलसिले में जैसा कि आज के इस प्रस्ताव में कहा गया है, दरियाओं की खुदाई, नदी-नालों की खुदाई और जंगलात बढ़ाने के सिलसिले में लाखों करोड़ों लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तरह से उनको रोजगार मोहैया किया जा सकता है। आज इस मुल्क में जनशक्ति सबसे बड़ी चीज है। मुझे माफ किया जाए, मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारे मुकाबले में रूस और चीन ने अपनी जनशक्ति का बेहतर इस्तेमाल किया है। चीन तो हमसे बाद में आजाद हुआ लेकिन उस ने बड़े अच्छे ढंग से, मंसूबे के तहत, अपनी जनशक्ति का फायदा उठाया। उस देश ने जनशक्ति का बहुत अच्छा फायदा उठाया है। वे पहाड़ जहां पर पहुंचना मुश्किल था, उनको काट कर रास्ते बनाए गए और वहां की खुराक बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। वह काम डिटरमिनेशन के तहत, हौंसले के साथ एक खास प्लानिंग में उस मुल्क में हुआ। उसके मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं; यह प्रस्ताव में कहा गया है कि जंगलात को फिर से खड़ा करने के सिलसिले में काम किया जाए। इस बात से जाहिर होता है कि हमारे देश में एक्स-प्लायटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं जिस स्टेट में ताल्लुक रखता हूं, वहां जंगलात का सबसे बड़ा खजाना है। 1947 से आजादी के बाद देश में बड़े-बड़े महल खड़े किए गए, लेकिन जंगलात का सफाया कर दिया गया। जंगल तबाह हो चुके हैं। यह सवाल सिर्फ मेरी स्टेट का नहीं है, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यह मामला पूरे हिन्दुस्तान का मामला है। जंगलों के काटने से सारा इन्वार्यमेंट तबाह हो गया है। जिस की बजह से मुल्क को हर साल बाढ़ और दूसरी किस्म की तबाही का सामना करना पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि देश की जन-शक्ति का फायदा उठाने की कोशिश की जाए और जंगलों के काटने का सिलसिला बन्द हो, लेकिन जंगल को बढ़ाने का कोई सामान हो तो उसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मसले को गम्भीर मसला जानकर अपने हाथ में लें। जंगलों को फिर से अपने पांव पर खड़ा करें। अपने पांव पर खड़ा करने के लिए देश की करोड़ों-लाखों बेरोजगार जनशक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है।

मैं आपकी मारफत यह भी कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के वक्त में फूड-फार-वर्क की एक स्कीम चली थी। यह सही है कि उस जमाने में भी करप्शन हुआ। मजदूरों की मेहनत का कुछ लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। उनके नाम से अपनी जेबों को भरा, यहां तक कि मिनिस्टरों ने भी इस काम को किया। जो जनता पार्टी के वक्त में हुआ, वह आज भी हो रहा है और कल भी हो सकता है। यह इसलिए हो रहा है कि हमने उस सिस्टम को नहीं बदला है। एक कारण यह भी है कि ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में बहुत ज्यादा पावर्स चली गई है।

ब्यूरोक्रेट्स पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वे लोगों के सामने जवाबदेह नहीं है। उन्होंने अपने एम्पायर्स खड़े कर रखे हैं। जो कुछ हुआ, वह आज भी होगा और कल भी हो सकता है। इस तरीके से सरकार जो कुछ भी सहायता उनकी करना चाहती है, लोगों को रोजगार मिले, वह हो नहीं पा रहा है। इन सब चीजों के लिए सिस्टम भी जिम्मेदार है और इस सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। हमने सरमाएदाराना किस्म की फौकियत दी है। हमने अपने हाथों से अपने सिर पर मुसल्लत कर दिया है। आजादी के वक्त टाटा-बिरला और बड़े-बड़े पूंजी पतियों की जायदाद 10-12 करोड़ की थी, लेकिन स्वराज्य आने के बाद उनकी जायदाद अरबों रुपयों की हो गई है। इन सरमाएदारों ने मुल्क की कॉमी दौलत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिस की बजह से अमीर और गरीब के बीच में एक खाई पैदा हो गई है। सरकार भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकती है कि हमारी आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा आज भी बिलो-सबसिसटेंस लैवल की जिन्दगी गुजर कर रहा है। इस से बढ़ कर बदनसीबी क्या हो सकती है कि इतना बड़ा उत्पादन हो रहा है, तरक्की हो रही है, इतनी टैकनोलाजी और साइन्टिफिक मीन्ज हमने इस्तेमाल किये हैं, मुल्क आगे बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद इस का फायदा बहुत कम लोगों को जा रहा है, मैजारिटी को फायदा नहीं मिल रहा है। इसीलिये मैंने कहा है कि जो स्कीमें बनें, जो चर्चा यहां करें, जो प्लानिंग हो, उस में प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिये कि उस में हम किन को फायदा देना चाहते हैं। इसके लिये जरूरत है कि जो हमारी सब से बड़ी आबादी देहातों में रही है, शहरों में जो बेकार लोग हैं, उन को इस प्लानिंग के जरिये सब से ज्यादा फायदा दिया जाय। यह जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की है। यह जिम्मेदारी आप की है। हमारा यह दावा रहा है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है इसका फायदा आम लोगों को जायगा और हमारा यह अभिमान रहा है कि हम सोशलिस्टिक स्टेट कायम करना चाहते हैं लेकिन वह अभी तक कागज पर ही है, उस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिये जो हमारे तीन करोड़ लोग आज बेकारी की जिन्दगी गुजार रहे हैं, लाखों बेकार नौजवान जो एम० ए० और पी०एच०डी० हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, जब तक उनका मसला हल नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क में सोशलिज्म लाने का जो आप का कमिटमेंट है, वह पूरा नहीं होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि सिस्टम में तबदीली लाई जाय।

इन अलफाज के साथ मैं इस प्रस्ताव का मुकम्मिल तौर पर हिमायत करता हूं।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री नेगी द्वारा सभा में पेश किए गए इस संकल्प पर बोलने के लिए कुछ मिनटों का समल दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या गम्भीर है और यह दिन प्रति दिन और अधिक गम्भीर होती जा रही है।

हमारी ओर के तथा दूसरे पक्ष के मेरे माननीय मित्रों ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उसे पुनः कहने या दोहराने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं केवल कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार पर यह कहते हुए आरोप लगाया है

कि इस समस्या को हल करने का दायित्व सरकार या सत्ताधारी दल का है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समस्या न तो कांग्रेस दल की है और न सरकार की। इस समस्या को पूरे देश के और विपक्ष के माननीय सदस्यों के सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है।

हम जानते हैं कि सरकार किन कठिनाईयों के साथ काम कर रही है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में आबंटित किए और खर्च किए गए धन के बारे में इस सभा में कई बार चर्चा हुई हैं। कई सदस्यों ने सभा में इस पहलू पर बहुत बल दिया है। इसलिए मैं आज इस चर्चा में इस बात को नहीं दोहराना चाहता। लेकिन में माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं और अपील करता हूं कि इस समस्या का सम्बन्ध केवल सरकार या सत्ताधारी दल से ही नहीं है।

इस संकल्प को पेश करने वाले मेरे मित्र ने कुछ बातों पर बल दिया है लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी बातें करने से बेरोजगारी की इतनी विकट समस्या हल हो जायेगी। ऐसी बातों से यह समस्या हल नहीं होगी। हमने देखा है कि इस समस्या के समाधान के लिए राशि नियत और खर्च की जाती रही है। इसके बावजूद इन कार्यक्रमों से अपेक्षित परिणाम नहीं निकलते हैं। इस संदर्भ में, मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों और सरकार से अपील करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस संबंध में जो भी कार्यक्रम तैयार किए जायें उन्हें क्रियान्वित भी किया जाये और उनके परिणाम आम लोगों तक पहुंचे।

5.00 म.प.

मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने एक बात कही है उसे मै पुनः कहना चाहता हूं। लोगों के हित के लिए लोगों का पिछड़ापन दूर करने के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उस रेखा से ऊपर लाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में आई.आर.डी.पी., एन.आर.ई.पी, स्वरोजगार उत्पादन कार्यक्रम, गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम बनाये गये हैं और क्रियान्वित किया जा रहा है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए इनका क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। चाहे प्रोग्राम कितना ही अच्छा हो चाहे, उसका उद्देश्य कितना ही उत्तम हो, यदि उसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं तो उसके अच्छा होने से क्या लाभ ? मेरे कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि यह नहीं किया गया या वह नहीं किया गया। मैं अपने माननीय मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार के क्रियान्वयन तंत्रों के बारे में जब भी कोई शिकायत की जाती है या उनपर कोई आरोप लगाया जाता हैं, तो बड़ा ही शोर शराबा मच जाता है और प्रत्येक व्यक्ति यह कहने लगता है कि केन्द्र को राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है या अमुक विषय तो राज्य सरकार का है। संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को शक्ति तो प्राप्त है लेकिन वह बहुत ही सीमित है, और राज्य के सम्बन्ध में उसको बढ़ाया भी नहीं जा सकता। इसलिए हमें ईमानदारी से और साहसपूर्वक यह बताना है कि राज्य स्तर पर या केन्द्रीय स्तर पर या खण्ड स्तर पर या जिला

स्तर पर कहां पर दोष है। हम जानते हैं कि आई आर डी पी एन आर ई पी तथा ऐसे ही अन्य कई कार्यक्रमों के अतिरिक्त सरकार ने आदिवासी उपयोजनाओं, विशिष्ट संघटक योजनाओं और छठी पंचवर्षीय योजना में 5500 करोड़ रुपये की राशि का आदिवासी लोगों के विकास के लिए और उपयोजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपये की राशि का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के प्रावधान किया है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो राशि जिस प्रयोजन के लिए रखी जाती है वह उसी प्रयोजन के लिए खर्च हो, यह कैसे सुनिश्चित किया जाये। ऐसा नहीं किया जा रहा है जैसा कि योजना में अपेक्षा की गई है। गृह मंत्रालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी पैंतीसवें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) में से मैं निम्नलिखित उद्धहरण देता हु :—

"समिति, योजना आयोग के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है कि राज्य सरकार गृह मंत्रालय और योजना आयोग में आयोजना स्तर पर तचित समन्वय नहीं था। समिति को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का इस गलत मान्यता के आधार पर लक्ष्य रखा कि केन्द्र की ओर से इस प्रयोजन के लिए अधिक सहायता मिलेगी और अब राज्य सरकार उस लक्ष्य को कम करने के बारे में विचार कर रही है।"

ऐसा किस प्रकार किया गया : इस गलत मान्यता के आधार पर उन्होंने यह कार्यक्रम कैसे बना लिया और उन्होंने इतनी अधिक राशि खर्च किए जाने के लिए कैसे निर्धारित कर दी। एक अन्य स्थान पर इसमें कहा गया है :—

"समिति को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उड़ीसा राज्य सरकार को यह पता नहीं था कि नौवहन और परिवहन मंत्रायय की योजना में आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र सड़क कार्यक्रम, 1980-85 के अन्तर्गत 6.5 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई थी। समिति इस बात पर बल देती है कि राज्य सरकार को आदिवासी क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए आपने प्रस्ताव तुरन्त देने चाहिए और उनके लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त कर लेनी चाहिए।"

इस सम्बन्ध में, मैं राज्य सरकारों पर कोई दोष नहीं लगाना चाहता। किन्तु जो भी कोई हो, चाहे वह केन्द्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस कार्यक्रम के लिए वह उत्तरदायी होनी चाहिए। उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि जब हम उनसे इस बारे में जानकारी पूछे या यह पूछें कि कोई कार्यक्रम उचित तरीके से कार्यान्वित नहीं किया गया है, तो वे व्यर्थ ही समय बरबाद न करें। उन्हें संसद या राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इस माननी समस्या के समाधान के लिए जो भी कार्य करे, उसे ऐसे कार्यक्रमों के

क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि वह इस समस्या को सभा और देश के सामने लाए हैं।

सभापति महोदय : श्री रामविलास पासवान।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सर्व प्रथम मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपके पास कोई ऐसी मशीनरी या सिस्टम नहीं है जिससे कि आप अनएम्पलायमेंट के मामले में किसी प्वाएंट पर पहुंच सकें। इसीलिए यह बेरोजगारी का मामला हमारे सामने बना हुआ है।

मैं शुरू से कहता आया हूं कि आप बेरोजगारों के आंकड़े रोजगार कार्यालयों से इक्ट्ठे करते हैं। मेरे जितने भी साथी हैं जो जहां बैठे हैं, या और भी जो पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिब्ज हैं वे सब जानते हैं कि गांव के दस परसेंट लोग भी रोजगार कार्यालयों में अपने नाम रजिस्टर नहीं करा पाते। हमारे पास अक्सर लोग नौकरी के लिए आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या रोजगार कार्यालय में नाम लिखाया है तो वे उत्तर देते हैं कि अभी तो नहीं लिखा पाये हैं। आप हमेशा रोजगार कार्यालयों से डेटा कलेक्ट करके हमको देते हैं। आपकी बेरोजगारों के बारे में योजना रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों पर ही बेस करती है लेकिन हकीकत यह है कि गांव के लोग उनमें नाम ही नहीं लिखाते। गाँव का यदि कोई आदमी शहर से सम्बन्ध रखता है तो वह रोजगार कार्यालय में अपना नाम लिखा लेता हो।

मैं अपनी बात आपको बताता हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हम लोगों को गाँव से शहर आना कठिन होता था। यह एक समस्या थी। इससे ही आप अनुमान लगाइये कि क्या कोई गाँव का आदमी रोजगार कार्यालय में अपना नाम लिखाने के लिए शहर आयेगा और फिर प्रत्येक तीन महीने के बाद उस नाम को रिन्यू कराना होता है। जिसकी जेब में दस रुपया होगा वही ऐसा कर सकेगा।

सब से पहली चीज तो यह है कि दो किस्म की बेरोजगारी है। एक अर्द्ध-बेरोजगारी और दूसरी पूर्ण बेरोजगारी। गाँव में अधिकतर अर्द्ध-बेरोजगार लोग वे होते हैं जो कि भूमिहीन हैं। उन भूमिहीन मजदूरों को साल में मुश्किल से ढाई महीने काम मिल पाता हैं। जब काम मिलता है जब धान की, मकई की या गेहूं की फसल होती हैं। साल में दो बार, ढाई महीने के लिए या ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के लिए काम मिल पाता है। फिर आपने मिनिमम वेज लागू कर दिया है। क्या कोई आदमी मिनिमम वेज लागू करवा सकता है? जिस आदमी को लेण्ड लार्ड के पास साल में मुश्किल से तीन महीने ही काम मिल पाता है, क्या वह लेण्ड लार्ड से यह कह सकेगा कि हमें मिनिमम वेज दो? वह कभी नहीं कह सकेगा। अगर वह यह कहेगा तो लेण्ड लार्ड कहेगा कि अच्छा तीन महीने का हम से मिनिमम वेज ले लो, उसके बाद हम तुमसे काम नहीं लेंगे। ऐसे अर्द्ध-बेरोजगार लोगों का आपके आँकड़ों में कहीं जिक्र नहीं आता है।

आप बेरोजगारों के आँकड़े इकट्ठे करने के लिए एक बार सारे देश में सर्वेक्षण कराइये। आप इन आंकड़ों को फिर अपने बीस सूत्री कार्यक्रम या अन्य किसी भी कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए पहले आप एक सूत्री कार्यक्रम बनाइये और बेरोजगार लोगों के सही आँकड़े इकट्ठे कीजिए।

आपने प्रथम योजना में कहा था कि 53 लाख बेरोजगार हैं, द्वितीय योजना में कहा था कि 71 लाख बेरोजगार हैं, तृतीय में कहा था कि 126 लाख लोग बेरोजगार हैं। अभी 28 फरवरी, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 498 के उत्तर में आपने कहा है कि 1980 में 162 लाख बेरोजगार थे और 1981 में 178 लाख हो गये थे। 1982-83 में 197.53 लाख, 1983-84 में 219.53 लाख। इसी तरीके से आप देखिये एक प्रश्न के जवाब में 27.2.84 को शिक्षित बेरोजगारों के आंकड़े दिए गए हैं। शिक्षित बेरोजगार मैट्रिकुलेट- 61.62 लाख, हायर सेकेन्डरी पास 26.5 लाख हैं, स्नातकोत्तर सहित स्नातक 19.42 लाख, 241 इंजीनियरी स्नातक, कुशल तथा अकुशल 8.51 लाख हैं।

ये है 1982-83 तक की जानकारी। इस तरह से बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। कभी कभी देखकर आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है। नारायण दत्त तिवारी जी उसी दिन अनाउंस करने आए, लगा जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए एक नई योजना बनाई गई है जिसके तहत 2.50 लाख बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार दिया जायेगा। आपके आंकड़ों के अनुसार 1985 तक बेरोजगारों की संख्या 3.50 करोड़ हो जायेगी। इस हिसाब से एक करोड़ आदमियों को रोजगार देने के लिए 40 साल लगेंगे, दो करोड़ के लिए 80 साल और ढाई करोड़ के लिए 100 साल लगेंगे।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। सभापति महोदय, इस सारी बात को बताने का क्या लाभ है। इनको चाहिये कि वे कुछ इस समस्या का हल बताएं कि क्या हो सकता है।

श्री राम विलास पासवान : तो सरकार की योजना के मुताबिक आज के बेरोजगार को 100 साल तक जिंदा रहना होगा और 100 साल तक जवान भी रहना होगा। कम से कम सरकार की कोई ऐसी योजना तो होनी चाहिये जिससे जो बेरोजगारी है वह और आगे न बढ़े। उस दिन चव्हाण साहब को बुरा लगा होगा। हम भी आवेश में आ गये थे। चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार, जवाब देही आपकी है। जब जानकारी दी गई कि 1980-81 में 20.48 लाख टन अनाज दिया गया और खर्चा हुआ 13 लाख टन। 1982-83 में 4.86 लाख टन अनाज दिया गया और खर्चा हुआ 1 लाख टन। 1980-81 में 127 करोड़ में से 36 करोड़ रुपए खर्च किये गये और 1982-83 में 541 करोड़ में से 246 करोड़ रुपए खर्च किये गये। जिस देश में इतनी बेरोजगारी हो वहां इस तरह की बात को कौन सहन करेगा। लक्ष्य आपने पूरा बता दिया। इधर-उधर एडजस्टमेंट करके लक्ष्य आपने पूरा बता दिया। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा,

भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बचपन में जब हम लोगों को कोई सवाल नहीं आता तो उसका उत्तर देखकर हम लोग सोचते थे कि किसी न किसी तरह से इसका उत्तर तो मिला ही दिया जाये। यही हाल आज यह सरकार कर रही है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम सीलिंग बांध दीजिये कि एक परिवार में एक आदमी को एक रोजगार मिलेगा। यदि कोई सरकारी नौकरी में है तो वह नौकरी रखे या जमीन रखे। जो जमीन को बोए, वह ही उसका मालिक है रूरल एरियाज में भी ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं। अगर कोई जज है तो वह जज ही रहे, उसको जमीन न दी जाये। इस चीज को आप अलाऊ न कीजिये।...(व्यवधान)...।

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : आपके कहने का मतलब है कि एक आदमी और एक पेशा।

श्री राम विलास पासवान : हां, मैं वही कह रहा हूं। जो काटेज स्माल स्केल इंडस्ट्री का मामला है, वह उसी स्तर पर रहना चाहिये। इस बात की परमिशन नहीं होनी चाहिए कि धीरे-धीरे उसको खत्म किया जाये। यदि खत्म करना है तो डिस्ट्रीक्ट लेवल पर बड़ा यूनिट करना पड़ेगा। "फूड फार वर्क" प्रोग्राम में बहुत ज्यादा बंगलिंग होती है। इसको इंकार नहीं किया जा सकता। जब लोगों को यह मालूम हो जाता था कि चार किलो मजदूरी मिलने वाली है और वह उसको न मिले तो वह कहता था कि यह ठेकेदार हमको तीन किलो मजदूरी देता है। पैसे को हड़पना आसान है लेकिन सामान को हड़पना कठिन है। उसके बदले में मिनिमम वेजेस देनी पड़ती थी जो कि आज नहीं दी जा रही है। मैं चाहता हूं कि यह प्रोग्राम ठीक तरह से चलाया जाये। बेरोजगारों को रोजगार का अधिकार दिया जाये। यह, दुनिया के तमाम समाजवादी मुल्कों में है। इसके लिए संसद में बहुत से बिल और रेजोल्युशन आये। आप कम से कम अन-एम्पलायमेंट अलाऊंस तो दीजिए। अगर, नहीं दे सकते हैं, तो सभापति जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपना इन्फ्लुयेंस सरकार पर लागू कीजिए। नौकरी के लिए जो आपने उम्र की सीमा बांध दी है कि 25 और तीस साल तक ही नौकरी मिल सकती है, उसको खत्म कीजिए। पचास साल की उम्र तक नौकरी मिलनी चाहिये, भले ही वह सात या आठ साल तक नौकरी में रहे। इसलिए, इस उम्र के व्यक्ति को भी नौकरी मिलनी चाहिए। आजकल जो क्राइम हो रहे हैं, वह सब अन-एम्पलायमेंट की वजह से ही हो रहे हैं। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, वे सब यूथ ही होते हैं। उनकी उम्र बीस से पैंतीस साल तक ही होती है। जब पेट में आग लगती है तो किसी चीज की पूजा नहीं होती। यह भयावह समस्या है जो मुंह खोलकर सामने खड़ी है। प्लानिंग मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को चाहिए कि वे कोई ठोस प्रोग्राम चाक-आउट करें जिससे बेकारी की समस्या पर काबू पाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : सभा इस बात पर विचार करेगी कि यह निःसंदेह एक बहुत महत्वपूर्ण और विशाल विषय है। परन्तु यदि सभा एक बार समय निश्चित कर देती है तो हम सभी

को उसका पालन करना चाहिए। इसलिए मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वक्ताओं को केवल मुद्दों को ही उठाना चाहिए। तीन या चार वक्ता अभी बाकी हैं और इसलिए हम समय को और बढ़ा लेते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इसे स्वीकार कर लें ताकि हम पहले की तरह एक घंटे का समय बढ़ा सकें।

(व्यवधान)

कृपया बीच में मत बोलिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिये। अतः आप मेरी सिफारिश पर 6 बजे तक का समय बढ़ा दीजिए ताकि सभी सदस्य बोल सकें। दूसरी बात यह है कि क्योंकि यह एक बहुत बड़ा विषय है और कोई भी इस पर घंटों तक बोल सकता है। यह बेरोजगारी का प्रश्न है और श्रमिक वर्ग को उनका समुचित स्थान दिलाने का प्रश्न है। इसलिए प्रत्येक सदस्य को केवल 5 मिनट लेने चाहिए। किसी ने कहा था कि प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट दिये जायें। इसके बजाय आप 6 या 7 मिनट ले सकते हैं। परन्तु जब मैं घंटी बजाऊं तो आपको अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को वही मुद्दे बार बार नहीं उठाने चाहियें।

खेल विभाग, निर्माण और आवास मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : इस विषय के महत्व को देखते हुए हमारी ओर से समय के बढ़ाये जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। यदि इस विषय पर और समय चाहिए तो हम कल तक भी इस पर चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : यदि सभा चाहती है तो यह भी हो सकता है।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : आपकी सिफारिश पर हम ऐसा कर सकते हैं। हम अपवाद के रूप में ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मैं प्रत्येक सदस्य को संतुष्ट करना चाहता हूं।

***डा० वी० कुलनंदईवेलु** (चिदम्बरम्) : सभापति महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री टी० एस० नेगी ने इस संकल्प के माध्यम से सभा का ध्यान देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की ओर दिलाया है। मुझ से पूर्व बोलने वाले सदस्यों ने इस गम्भीर मसले का उल्लेख किया है। जैसाकि सभापति महोदय ने कहा, यह एक बहुत बड़ा मामला है। इसका सम्बन्ध देश के आर्थिक और सामाजिक विकास से है। मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं और सभा में इस समस्या पर प्रकाश डालने के लिए श्री नेगी के प्रयत्नों की सराहना करता हूं। हमारे सभापति ने हमें संक्षेप में अपने सुझाव देने के लिए कहा है परन्तु इसके लिए भी समय चाहिए। मैं उनके निर्देश का पालन करूंगा और कुछ ठोस सुझाव ही दूंगा।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मेरे माननीय मित्र श्री रामविलास पासवान ने देश में बेरोजगार व्यक्तियों के आंकड़े सभा में प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने सभा को यह भी बताया है कि सरकार अभी तक इस समस्या को क्यों हल नहीं कर सकी है। इस समस्या पर समस्त राष्ट्र में चिंता व्याप्त है। उन्होंने कहा कि देश में 2.5 करोड़ बेरोजगार लोग हैं। मेरा कहना यह है कि यदि आप इस संख्या में उन लोगों को भी शामिल करें जो आंशिक रूप से नौकरी पर लगे हुए हैं या जिन्हें कभी कभी नौकरी मिलती है तो यह संख्या और भी अधिक हो जायेगी। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और वो खेती पर निर्भर करते हैं जो वर्षा पर निर्भर है। उनमें से बहुत से लोगों को दैनिक वेतन दिया जाता है। वहां भी उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। उन्हें स्थायी नौकरी की कोई उम्मीद नहीं है। यदि हम उन लोगों को शामिल कर लें तो बेरोजगार लोगों की संख्या कई करोड़ हो जायेगी।

शहरों में भी स्थिति गांव से भिन्न नहीं है। यहां भी ठेका श्रम प्रणाली हमारे समाज के लिए अभिशाप है। सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रम इन ठेकेदारों के दबाव में आ जाते हैं। मजदूरों को एक सप्ताह के लिए नैमित्तिक मजदूरों के रूप में रखा जाता है। बाद में उनकी छंटनी कर दी जाती है और फिर एक सप्ताह के बाद उन्हें पुनः नौकरी पर रख लिया जाता है। इस प्रकार नियमित रोजगार के लाभों से इन मजदूरों को वंचित रखा जाता है।

हमारे देश के रोजगार कार्यालय भ्रष्टाचार के केन्द्र बन रहे हैं। इन कार्यालयों में जहां लाखों लोगों ने अपने नाम दर्ज करा रखे हैं, कदाचार का बोलबाला है। कुछ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को रियायतें दी जाती हैं। उन्हें 29 वर्ष की आयु तक नौकरी दे दी जाती है। परन्तु उन्हें भी रोजगार कार्यालयों में घूंस देनी पड़ती है। रोजगार कार्यालयों के कर्मचारी अपनी फाइलों में यह लिख देते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक कार्य के लिए अनुपयुक्त है और जो लोग घूंस नहीं दे पाते उन्हें इस प्रकार नौकरियां नहीं दी जाती। 29 वर्ष की आयु तक उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है और बाद में उनका नाम रजिस्टर से काट दिया जाता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कई लाख बेरोजगार व्यक्ति 33 वर्ष की आयु होने पर नौकरियों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। एक योग्य स्नातक को भी रोजगार कार्यालयों के कर्मचारियों के लालच का शिकार होना पड़ता है। मुझे यह आरोप इस लिए लगाना पड़ा रहा है क्योंकि श्रम मंत्री ने रोजगार कार्यालयों से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे यहां लिगनाइट की खाने हैं, तापीय केन्द्र हैं, यूरिया के संयंत्र आदि हैं। यहां पर रख-रखाव के कार्यों के लिए भी ठेका श्रमिकों को रखा जाता है। 2 वर्ष पहले मेरे मित्र श्री एम-एम. लारेंस ने ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक संकल्प सभा में प्रस्तुत किया था।

मैंने इस समस्या का उल्लेख किया था। ठेकेदार को एक विशेष नोकरी के लिए 20 रुपये से 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रबन्धकों द्वारा भुगतान किया जाता है। वह मजदूर को केवल 4 या 5 रुपये और अधिक से अधिक 10 रुपए देता है। बाकी धन वह अपनी जेब में रखता है। सत्तारूढ़ दल के लोग भी इन ठेकेदारों से मिले हुए हैं और सत्तारूढ़ दल के मंत्री भी श्रमिकों के ठेकेदारों को प्रोत्साहन देते हैं। श्रमिकों का शोषण हो रहा है। ठेकेदार असहाय और बूढ़े लोगों को नौकरी पर नहीं रखते। वे तो स्वस्थ नौजवान लोगों को काम पर रखते हैं, उनका खून चूसते हैं और बाद में उन्हें किसी कार्य के लिए अनुपयुक्त घोषित करके निकाल देते हैं। भारतीय खाद्य निगम, त्रिरुचिरापल्ली में भेल के यूनिट में रोजमर्रा के रख-रखाव के कार्यों और सफाई आदि के कार्यों के लिए ठेके पर मजदूरों को रखा जाता है। मैंने सम्बन्धित मंत्री और प्रधान मन्त्री को ठेका श्रम प्रणाली समाप्त करने के लिए लिखा था। दुर्भाग्यवश, यह प्रणाली हमारे औद्योगिक एककों में बड़े-बड़े अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए रखी जा रही है। मैं मांग करता हूं कि हमारे देश से ठेका श्रम प्रणाली को तुरन्त समाप्त किया जाये। तमिलनाडु में ए०आई०ए०डी०एम०के० सरकार आई०आर०डी०पी०, एन०आर०ई०पी० के धन का दुरुपयोग कर रही है। राज्य सरकार लोगों को धोखा दे रही है। "ओनलुकर" जैसी पत्रिकाओं और अन्य अंग्रेजी के अखबारों में राज्य सरकार की इस धोखाधड़ी के बारे में लेख प्रकाशित हुए हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार को आई०आर०डी०पी०, एन० आर०ई०पी०, ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के धन का राज्यों द्वारा उचित इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहिए। देश में रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए ठेका श्रम प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति महोदय,यह सवाल केवल सिद्धान्त का नहीं रह गया है कि पूंजीवादी सिस्टम में चाहे वह अमरीकी हो, जापान,जर्मनी,इटली,फ्रांस या हिन्दुस्तान हो, बड़े-बड़े दावों के बावजूद बेकारी दूर नहीं होने वाली है अब यह तथ्य पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि बेकारी की समस्या इस हकूमत से दूर नहीं होने वाली है। उसके लिए बुनियादी जो चेंज लाना पड़ेगा उन बातों को मैं छोड़ रहा हूं। उन बातों को भी छोड़ रहा हूं कि और क्या क्या साल्यूशन बताए गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारा जिला है, प्लानिंग मिनिस्टर साहब जानते हैं, वह पिछड़ा हुआ जिला है। चम्पारन और पूर्वी चम्पारन बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। पूर्वी चम्पारन और चम्पारन में राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने बड़ी भूमिका अदा की थी। लेकिन पूर्वी चम्पारन में जो अंग्रेजों के समय में कारखाने खुले, चीनी मिलें खुलीं, उसके बाद से आज तक कोई नये कारखाने नहीं खुलें हैं। मैं कहता हूं कि बुनियादी रूप से बेकारी इस से दूर नहीं हो सकती। लेकिन जो हो सकता है उसकी बात कहता हूं। मैं चाहूंगा कि चीनी मिलों के अलावा चम्परान में दूसरे और कारखाने खोलने के लिए सोचिए। मैं लगातार पन्द्रह सालों से आप से कह रहा हूं लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

ग्रामीण इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना की बात तीन सालों से पड़ी हुई है लेकिन इंडस्ट्रियल एस्टेट के विकास के लिए भूमि लेने और उसकी स्थापना करने का कोई काम नहीं हो रहा है। ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि उस इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना होनी चाहिए और उसके कार्य में प्रगति लानी चाहिए ताकि वहां के लोगों को छोटे मोटे काम खोलने की सुविधा मिल सके।

मेरे यहां पुरानी इंडस्ट्री जो है उसका भी नवीकरण और आधुनिकीकरण होना चाहिए। इस बात की भी समस्या है। इससे भी कुछ काम लोगों को मिल सकता है।

रामा कास्ट आयरन मोतीहारी में एक कारखाना है। उसने सरकारी बैंकों से करोड़ों रुपये कर्ज़ लिया है और उसके बावजूद चूंकि वह बिरला की कम्पनी है और नोपानी की कम्पनी है, चार सालों से वह बंद है हजारों मजदूर बेकार पड़े हैं। मैंने प्लानिंग मिनिस्टर को पत्र लिखा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को पत्र लिखा, इंडस्ट्रियल सलाहकार समिति का दो साल से मैम्बर हूं, सब जगह कहने के बावजूद भी चूंकि नोपानी के डर से थर थर कांपते हैं इसलिए उसको चलाने के लिए कोई काम नहीं किया है।

हमारे यहां आदापुर एक इलाका है जहां गन्ने की पैदावार बहुत अधिक होती है। चम्पारन जिले का औद्योगिक विकास हो, लोगों को काम मिले इसके लिए आदापुर में चीनी मिल का खुलना बहुत आवश्यक है। लेकिन आज तक उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह चाहे प्राइवेट मिल मालिक खोलें या कोई खोले, लेकिन खोलना तो चाहिए लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

ऐसे ही एक इलाका है वाड़ा चकिया, वहां जूट बहुत होता है। जूट का वह एक सेंटर है। हजारों लोगों की मांग है कि वाड़ा चकिया में एक जूट मिल खोल दी जाय तो उससे सैकड़ों लोगों को काम मिल सकता है। लेकिन इस विषय में भी कोई प्रगति नहीं हुई है।

हमारे यहां जो चीनी मिलें हैं उनका वागास फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, किसी काम में वह नहीं आता। उस वागास के आधार पर वहां कारखाना खोला जा सकता है। पल्प इंडस्ट्री खोली जा सकती है। इन संभावनाओं को सरकार को खोजना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।

ऐसे ही चीनी मिलों से मोलेसिस निकलता है उस की वेसिस पर स्पिरिट का कारखाना चलाया जा सकता है। यह चम्पारन जिले की मांग है, हमने इसके लिए बार बार कहा है। लोग कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के आप हैं, आप लोग कहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस पर ज़ोर देते रहे हैं। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

हमारे यहां खेती प्रधान इलाका है, खेती पर आधारित उद्योग वहां खोले जाने चाहिए। लेकिन यह काम भी नहीं हो रहा है। हमारे इलाके में लीची और आम बहुत होता है। लीची की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खुल सकती है, आम की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खुल सकती है, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहां बहुत अच्छी चल सकती है। हम लोग मांग करते हैं कि यह इंडस्ट्री वहां खोली जानी चाहिए।

चम्पारन जिले में बड़ी बड़ी लेक्स हैं। उन लेक्स में मछली पाली जा सकती है। मत्स्य पालन के द्वारा हजारों मछुओं का जीवन-यापन हो सकता है लेकिन वहां पर ठेकेदारों को ठेके दे दिए जाते हैं और उन लेक्स का विकास भी नहीं हो पाता है। चम्पारन जिले में मछली उद्योग एक अच्छा उद्योग बन सकता है और मछली के द्वारा प्रोटीन की प्राप्ति भी हो सकती है।

सभापति जी, बीस-सूत्री कार्यक्रम में तीसरा सूत्र भूमि सुधार के सम्बन्ध में है लेकिन अभी तक वहां पर इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया गया है। बटाईदार इस सम्बन्ध में लड़ रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ जजमेंट दिये जा रहे है। आपने भूमि सुधारों का ऐलान किया है लेकिन उस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं हो रहा है। हमारे यहां मेन मण्डल कैनाल बन चुकी है लेकिन ड्रेनेज का काम नहीं किया जा रहा है जिसके द्वारा लाखों लोगों को काम मिल सकता है। ड्रेनेज का काम शुरू करने के लिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। अफसरों को तो हर महीने तनख्वाह मिलती है लेकिन बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। इसी प्रकार की अन्य योजनायें भी यदि लागू की जायें तो लोगों को काम उपलब्ध हो सकता है। एम्पलायमेंट ओरिएन्टेड स्कीम्स के अन्तर्गत जो सड़कें बनाई गई हैं उनकी हालत बहुत खराब है।

इसी प्रकार से नदियों पर तटबन्ध लगाने का सवाल भी है। गण्डक, बागमति जैसी नदियों पर तटबन्ध न बनने से हजारों एकड़ जमीन हर साल बाढ़ से कट जाती है। तटबन्ध की स्कीमें तो हैं लेकिन उनके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। यदि तटबन्ध बनाने का काम भी वहां पर चालू कर दिया जाए तो तमाम लोगों को रोजगार मिल सकता है। वहां पर चमड़ा उद्योग का काम भी चलाया जा सकता है। कुछ छोटे छोटे कारखाने खोले जा रहे हैं लेकिन स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की जो हालत सारे देश में है वही चम्पारन जिले में भी है। बाजार पूंजी और रा-मैटिरियल के अभाव में कोई प्रगति नहीं हो रही है। हथकर्घा उद्योग जो है उसमें जुलाहों को जो सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है। ऐसी दशा में हथकर्घा उद्योग भी नहीं पनप पा रहा है।

जहां तक खेत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न है, राम विलास जी ने सही कहा है कि चूंकि किसानों को लाभकर मूल्य नहीं मिल रहे हैं और उनके बकाए का भुगतान नहीं हो रहा है इसलिए खेत मजदूरों की समस्या को हल करने में भी कोई सहायता नहीं मिल रही है।

इसलिए आवश्यक है कि सरकार भूमि सुधारों को लागू करे, किसानों को लाभकारी मूल्य दे और उनके बकाए का भुगतान करवाए ताकि खेत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की जो समस्या है, उसका भी हल निकल सके।

बीससूत्री कार्यक्रम के नाम पर आपने जो कार्यक्रम चलाए हैं वह लूट के कार्यक्रम हैं। चाहे एन आर ई पी हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो सभी जगह यही स्थिति दिखाई दे रही हे। आप अनएम्पलायड ग्रैजुएट्स को जो 25 हजार रुपया देते हैं उसमें से उनको 5 हजार तो घूस में ही देने पड़ जाते हैं। आप बताइये उसके बाद वह कौन सा कारखाना लगा सकता है। मैं तो कहूंगा कि सही मायनों में बेकारी दूर करने के लिए आपको फंडामेन्टल चेंज लाना पड़ेगा जोकि आप कर नहीं सकते हैं। वह दूसरे लोग ही आकर करेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय सभापति आज, बेरोजगारी का विषय बहुत ही गम्भीर विषय है। इस सदन में इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है और बहुत से आंकड़े भी दिए जा चुके हैं। समय की कमी की वजह से मैं आपसे वचनबद्ध हूं कि मैं अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करूंगा।

मान्यवर, जैसा कि पूर्ववक्ताओं ने कहा, बेरोजगारी की समस्यायें शहरों में तो नहीं, लेकिन गांवों में बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि हमने अखबारों में देखा है बेरोजगारी की बजह से हमारी मातायें और बहनें अस्मत को भी बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं को सुनकर बड़ा ही ताज्जुब होता है और शर्म आती है कि लोग अपनी इज्जत और मर्यादा को बेचकर भी रोजगार प्राप्त करने में आज असफल हैं।

मैं चाहूंगा कि श्रम मंत्री जी बहुत ही विवेकशील हैं, उनको अनुभव भी है, क्योंकि वे इसको भोग भी चुके हैं। मैं चाहूंगा क्योंकि आप शासन में हैं, यदि आप कुछ कर सकते हैं, तो करें यह निश्चय ही देश के लिए बहुत बड़ा महान कार्य होगा। बेरोजगारी के संबंध में बहुत से आंकड़े दिए गए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 33 लाख बेकार थे, जिसमें 90 लाख और बढ़ कर 123 लाख हो गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 53 लाख थे, 118 लाख और बढ़ कर 171 लाख हो गए। इसी प्रकार पांचवी पंचयर्षीय योजना में 171 लाख थे 280 लाख बढ़ कर 451 लाख हो गए। इसी प्रकार बेरोजगारी की रफ्तार बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। यदि इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार कदम उठाए और 5-10 प्रतिशत ही कम करें तो मैं समझता हूं कि सरकार ने इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

मुझे बीस सूत्री कार्यक्रम सिद्धान्त के बारे में कोई शिकायत नहीं है। आपने जरूर इस कार्यक्रम के मुताबिक गांवों में रोजगार देने की योजना बनाई है। जनता पार्टी के जमाने में फूड फार वर्क की योजना थी, इस समय आपने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस को चलाया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे इस योजना से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जनता के अन्दर इस कार्यक्रम के प्रति रोष है। वह बहुत परेशान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि

20 सूत्री कार्यक्रम के तहत हरिजन समाजकल्याण मंत्रालय ने हरिजनों और दूसरे लोगों को सब्सिडी देने की एक योजना बनाई है। किसी को रोजगार करने के लिए दस हजार रुपए यदि दिए जाते हैं, तो उसमें से पांच हजार रुपए बैंक के मैनेजर और दूसरे लोग मिलकर खा जाते हैं। इस प्रकार की बहुत सी नजीरें मेरे पास हैं, जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको अपने बनारस जिले के बारे में कहना चाहता हूं। मैं पहले कई बार इस सदन में वाराणसी, मिर्जापुर और जौनपुर तीनों जिलों के आंकड़े दे चुका हूं। यदि वहां किसी को रिक्सा खरीदने के लिए दो हजार रुपए दिये जाते हैं, उसमें से दो सौ रुपया तो बाबू और 300 रुपए वहां का ग्राम सेवक खा जाता है। इसी प्रकार यदि वहां पर भैंस खरीदी जाती है, तो दो हजार रुपए की भैंस के स्थान पर तीन हजार रुपये वसूल किये जाते हैं। कहा जाता है कि यह भैंस हमने पंजाब से मंगाई है। इस प्रकार उसके नाम तीन हजार रुपये लिख दिए जाते हैं,, जिसको वह चुका पाने में असमर्थ हो जाता है। मैं चाहूंगा कि इन समस्याओं के ऊपर हमारे श्रम मंत्री और योजना मंत्री, जो अच्छी तरह से जानते हैं, ध्यान दें और इन चीजों को खत्म करें।

मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा मेरे पूर्व साथी ने बतलाया था, इस देश में किसान 6 महीने बेकार रहता है। महाराष्ट्र में 180 दिन, पंजाब में 150 दिन और उत्तर भारत में 200 दिन काम करता है यानी कुल मिलाकर 6 महीने काम करता है और 6 महीने बेकार रहता है। मैं चाहूंगा कि एग्रीकल्चर मंत्रालय इस ओर ध्यान दे और देश में सघन कृषि डवेलप करे। सघन खेती अवेलप करने से विभिन्न फसलों को उत्पादन में लाया जायगा, इस से मेरा विश्वास है बेरोजगारी जरूर कम होगी।

इस में संदेह नहीं है कि हमारे देश में जमीन ज्यादा है— हमारा कर्तव्य है कि जमीन को उपजाऊ बनाया जाय, बंजर जमीनों को ठीक किया जाय तथा छोटे उद्योगों को बढ़ाया जाय। इसके साथ-साथ जैसा मेरे एक साथी ने बतलाया था और मैं भी उस पर विशेष जोर देकर कहना चाहता हूं हर संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक बड़ा प्लान जरूर बनाया जाय। एक संसदीय क्षेत्र में प्रायः 5 लाख से लेकर 7 लाख एडल्ट आबादी होती है और इस एडल्ट आबादी में, जैसा हम लोगों ने तखमीना लगाया है, 25 से 30 हजार लोग बेकार रहते हैं जो शहरों में जा कर छोटे मोटे काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और इन से क्राइम भी बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि क्राइम को कम करने के लिये और गांव में ही रोजगार देने के लिए एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक बड़ा उद्योग लगाना चाहिए जिस में चार पांच हजार आदमी काम कर सके।

सभापति महोदय, इस प्रस्ताव को इस सदन में ला कर हमारे नेगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है जिस से बेरोजगारी की ओर सदन का ध्यान खींचा जा सका है तथा इस के अच्छे निष्कर्ष निकले है। बहुत से लोगों ने भिन्न-भिन्न आंकड़े दिये हैं जिन से पर्याप्त जानकारी

हासिल हुई है। इन शब्दों के साथ मैं नेगी जी को इस प्रस्ताव को यहां लाने के लिए बधाई देता हूं।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेअरमैन साहब, मैं पंजाब में 8-10 साल लेबर मिनिस्टर रहा हूं। जब मैं किसी कारखाने को देखने जाता था और देखता था कि वहां मजदूरों को मुनासिब मजदूरी नहीं मिलती है, लेबर तंग होती थी, तो मैं वहां लेबर को कह दिया करता था कि तुम हड़ताल कर दो और वे हड़ताल कर देते थे और उसके बाद उनकी मजदूरी का पैसा बढ़ा दिया जाता था। मैं लेबर मिनिस्टर से यह कहूंगा कि आप को भी ऐसा ही करना चाहिये।

माहत्मा गांधी पढ़े-लिखे लोगों से कहा करते थे कि तुम एक महीने लेबर का काम करो जिससे तुमको भी पता लगे कि लेबर क्या चीज है। आज जो पढ़े-लिखे हैं वे कोई काम नहीं करना चाहते हैं, सब को नौकरी चाहिये। जो नौकरी कर रहे हैं वे अपनी ड्यूटी ठीक तरह से अदा नहीं करते हैं, यह लेबर महकमे की ही बात नहीं है, आप किसी भी महकमे को लेलो, कोई भी अपनी ड्यूटी सही तरीके से अदा नहीं करता है, भट्टा ही बैठा दिया है। यह पासवान क्या करता है-सिर्फ नुकता चीनी करता है, इसलिये इस को भी कोई काम मिलना चाहिये जिससे वह कोई अच्छा काम करे।

ये कहते हैं कि यू०पी० में पानी नहीं है-किसका कसूर है ?

श्री राजनाथ सोनकरी शास्त्री : आप पंजाब की बात करो। यहां तो इतना पानी है कि अट नहीं रहा है।

श्री सुन्दर सिंह : हमारे लोग वहां जा कर फ़ार्म बना लेते हैं, खूब रोटी कमाते हैं, तुम क्यों नहीं कमाते हो ? अगर कहीं पानी नहीं है तो वहां का एम० एल० ए० क्या करता है, शोर क्यों नहीं मचाता है कि वहां पानी चाहिये, नहर चाहिये। सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहां आ कर कहेंगे तो उस से क्या होगा ? इस में लेबर मिनिस्टर क्या कर सकता है ? यह महात्मा गांधी का मुल्क है। महात्मा गांधी ने जिस ढंग से लड़ाई की थी, उस ढंग से लड़ाई करनी चाहिये। वह कभी बेला नहीं बैठा। मैं बाहर गया था और वहां मैंने देखा कि कोई आदमी बेला नहीं बैठा है और सब काम में लगे हुए हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि लोग बेकार घूमते-फिरते हैं। मेरे पास आ कर ठहरते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। उन को कुछ लेना-देना नहीं है और वे निकम्मे बने रहते हैं। बगैर काम किये उन को रोटी मिल जाती है। आदमी का फर्ज होना चाहिए कि वह कमा कर खाए।

एक दिक्कत और है। सब लोग चाहते हैं कि उसे नौकरी मिल जाए। नौकरी क्या चीज होती है। जो आदमी पढ़ा-लिखा है, उस को काम करना चाहिए चाहे वह कोई भी काम

हो और यह सोसाइटी का कसूर है अगर उसे काम न दे। जो भी काम मिले, वह उसे करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि अब खेती-बाड़ी में भी मशीनें काम आने लगी हैं और मजदूर बेकार बैठे रहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मशीनें बन्द करो, फिर काम चलेगा क्योंकि इससे आप डैड मशीनों की मदद करते हैं लेकिन जो आदमी हैं, उन की मदद नहीं करते हैं।

"निर्जीव मशीनों को भारत के सात लाख गांवों में रहने वाले करोड़ों ग्रामीणों के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

मशीनें आदमियों की मदद करने के लिये हैं। आजकल मशीनों का प्रयोग चन्द लोगों के हाथों में धन जमा करने के लिये किया जा रहा है और करोड़ों नर-नारियों का, जिनके मूंह से रोटी छीन ली जाती है, ध्यान रखा नहीं जाता।"

मशीनें जो इस्तेमाल करते हैं, उससे आदमी बेकार हो जाते हैं। इस तरह से आप उन की मदद नहीं करते हैं। लोग काम नहीं करते हैं और जहां लोगों के पास जमीनें हैं, वहां पर आदमियों को काम मिलना चाहिए। मैंने देखा है कि यू० पी० के लोग चंडीगढ़ में रिक्शा ड्राइवर बने हुए हैं। वे अपने यहां जमीनों पर काम नहीं करते हैं। आप यह देखिये कि पंजाब का आदमी काम कर रहा है और इससे प्रोडक्शन बढ़ रही है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि लोग काम नहीं करते हैं और दिन-रात बच्चे पैदा करते हैं, जिससे अनएम्पलायमेंट की प्राब्लम और ज्यादा बढ़ गई है। जब काम नहीं मिलता है, तो जो लोग अनएम्पलायड हैं, वे लोगों को मार रहे हैं। अगर उन को काम दे दिया जाए, तो ऐसी बात न हो। इस में हमारे जो मेम्बर साहबान हैं, उन का काम भी यह है कि ऐसे लोगों को काम दिलाने में मदद करें। आज उन को रोटी नहीं मिलती है, इसलिए वे ऐसा करते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर इंडस्ट्री लगा दी जाए। मेरा कहना यह है कि हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चरल मुल्क हैं और यहां पर अगर किसी के पास 5 एकड़ जमी है, तो उसमें 10 आदमी गुजारा कर सकते हैं। यह इंडस्ट्रियल मुल्क नहीं है, यह एग्रीकल्चरल मुल्क है। एग्रीकल्चरल में आप ने मदद नहीं की और मेरा कहना तो यह है कि अगर लैंड रिफार्म्स हो जाते, तो एम्लायमेंट लोगों को मिल सकता था और यह जो अनएम्पलायमेंट की प्राब्लम है यह सोल्व हो सकती थी। कुछ लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री लगा देंगे या कारखाने लगा देंगे, तो लोगों को नौकरी मिल जाएगी। मैं यह भी समझता हूं कि स्टेट का काम है कि लोगों को काम दे और यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। स्टेट में एम०एल०एज जो हैं, वे इसके लिए कुछ कर सकते हैं। यहां कहने से क्या हो सकता है। हिन्दुस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और यह

इंडस्ट्रियल मुल्क नहीं है। अगर लेंड रिफार्म यहां हो जाए, तो लोगों को भी काम मिल सकता हैं और बाहर से हमें अनाज भी नहीं मंगाना पड़ेगा। यह असली बात है और इस पर जोर नहीं देते हैं। बहुत से कांग्रेस के लोग भी ऐसे हैं, जो इसको नहीं करने देते और अपोजीशन वाले तो करने देते ही नहीं हैं।

6.00 म. प.

अपोजीशन वालों के बारे में मैं जानता हूं कि इनके पास भी दो-दो, तीन-तीन सौ एकड़ जमीन है। ये उस जमीन के पास किसी को नजदीक नहीं आने देते। मर जायेंगे पर उस पर किसी को काम नहीं करने देंगे।

महात्मा गांधी ने लिखा है :—

"मेरा कहना है कि एक तरह से हम सभी चोर हैं। यदि मैं कोई चीज लेता हूं तो मैं उसे अपने तुरन्त प्रयोग के लिये नहीं लेता और मैं किसी और के लिये उसे रख लेता हूं।"

मुझको पता है कि मिनिस्टर कैसे काम करते हैं। उनके महकमे में सारी ब्यौरोक्रेसी काम करती है। अगर मिनिस्टर अपने महकमे को ठीक से देखें तो किसी की मजाल है कि वहां कोई काम न करे। उनके महकमों में जो सेक्रेटरी होते हैं वे काम करते हैं।

सभापति जी, जब मैं मिनिस्टर था, मजाल है कि कोई काम न करे। आज के मिनिस्टर ऐसे हैं कि उनके सेक्रेटरी काम करते हैं। जिसका महकमा हो, उस महकमे के मिनिस्टर को कुसुरबार होना चाहिए अगर उस महकमे में काम न हो।

अपोजिशन वाले अनएम्लाएमेंट की बहुत बात करते हैं और कहते हैं कि अनएम्पलाएमेंट का भत्ता दे दो। इससे कहीं यह चीज दूर हो सकती है। मैं कहता हूं कि आप लेंड रिफार्म्स करो और मिनिस्टर लोग अपने अपने महकमे संभालें। अगर आप लेण्ड रिफार्म्स नहीं करेंगे तो उसका नतीजा अनएम्लाएमेंट होगा। लेण्ड रिफार्म्स न होने के कारण ही आज अनएम्लाएमेंट ज्यादा है। हरेक इलाके के एम०एल०ए० या एम0पी० का कुसूर है अगर वह अपने इलाके में इन चीजों को नहीं देखे। इससे उसके इलाके के लोगों को तकलीफ होती है। हरेक एम०एल०ए० और एम०पी० को अपने इलाके की तकलीफों को देखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। आप मुझे हमेशा उस वक्त समय देते हैं जब कोई सुनने वाला नहीं होता।

सभापति महोदय : सदस्य की जानकारी के लिये, अब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की बारी है और अगली बैठक में माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे। यह इस विशेष कार्यसूची के बारे में है।

सभा अब 2 अप्रैल, 1984 को 11 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित होती है।

6.04 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 2 अप्रैल, 1984/ 13 चैत्र, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

———

मुद्रक : दी इण्डियन प्रैस